अध्याय– 1

Introduction:

District Disaster ManagementProgramme

परिचय:

जिला आपदा प्रबंधन योजना

विषय वस्तु–

1.1 परिचय,लक्ष्य व उद्देश्य

1.2 DDMP अधिनियम 2005

1.3 संक्षिप्त मूल्यांकन

1.4 प्रभारी व दायित्त्व

1.5 DDMP उपयोग प्रक्रिया

1.6 DDMP योजना स्वीकृति

1.7 DDMP मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण

1.1.1 परिचय–

जिले के आपदा प्रबन्धन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु जिला प्रशासन एवं जन साधारण की क्षमतायों में वृद्धि करना तथा इससे निपटने की तैयारियों और साधनों का विकास करना है। ताकि आपदाओं के दौरान कम से कम जन धन की हानि हो अथवा उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके या बचा जा सकें।

इतिहास की शुरूआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदायें उसके पूर्ण नियत्रंण में नहीं है, वरन् प्रौद्योगिक एवं औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिये नये द्वार खोल दिये है, जो दिन प्रतिदिन बढते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदा का विनाशकारी प्रभाव पडता है। जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है। आपदा प्रबन्धन योजना जिले मे होने वाली सम्भावित आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनायें, आगजनी, सड़क दुर्घटनायें, रेल व वायुयान दुर्घटनायें इत्यादि से निपटने के लिये सहायक दस्तावेज है। राजस्थान एवं सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये है। पिछले 60 वर्षो में (1950 से 2010) में मात्र 12 वर्ष ही सूखा रहित रहे है, जबकि 48 वर्षो में राज्य का कोई न कोई जिले भाग अकाल ग्रस्त रहा है।

राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था, वह अब स्थाई आपदा बन गया है। वर्ष 2002–2003 में सभी जिले, वर्ष 2005 में राज्य के 32 में से 25 जिले सूखे से प्रभावित रहें है। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नही वरन मानव के अनियंत्रित जल विदोहन, गलत फसलों का चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है।

बाढ़ एवं भूकम्प भी ऐसी आपदायें है जो विस्तृत क्षेत्र में जन धन एवं पर्यावरण को प्रभावित करती है। जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबन्धन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिये यह संस्थागत ढाँचें की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

1.1.2 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य–

जिलाआपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न है :–

- जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
- जिले में विद्यमान विभिन्न मूलभूत आपदा नियंत्रण सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
- आपदा न्यूनीकरण (Minimization)के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
- राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा(Policy Plan)के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

चित्र 1.1 आपदा प्रबन्ध योजना के उद्देश्य

1.1.3 DDMP के लक्ष्य–

जिला चित्तौड़गढ़ DDMP के निम्नलिखित लक्ष्य हैं–

- आपदा की समझ व जागरूकता विकसित करना।
- चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख आपदाओं का रेखांकन।
- आपदाओं के सन्दर्भ में जिले की संसाधन क्षमताओं कामूल्यांकन।
- जिला प्रशासन व जन सामान्य में आपदा प्रभावों को न्यूनतम बनाने की क्षमता विकसित करना।
- जिले के सर्वांगीण विकास हेतु आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी व उत्तम प्रलेख तैयार करना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यो का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं, उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसके कार्य बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

(क) प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
(ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रातों की सूची तैयार करना।
(ड) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
(च) सभी सहायता कार्यो का पारम्परिक समन्वय करना।
(छ) राज्य स्तरीय नियत्रंण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

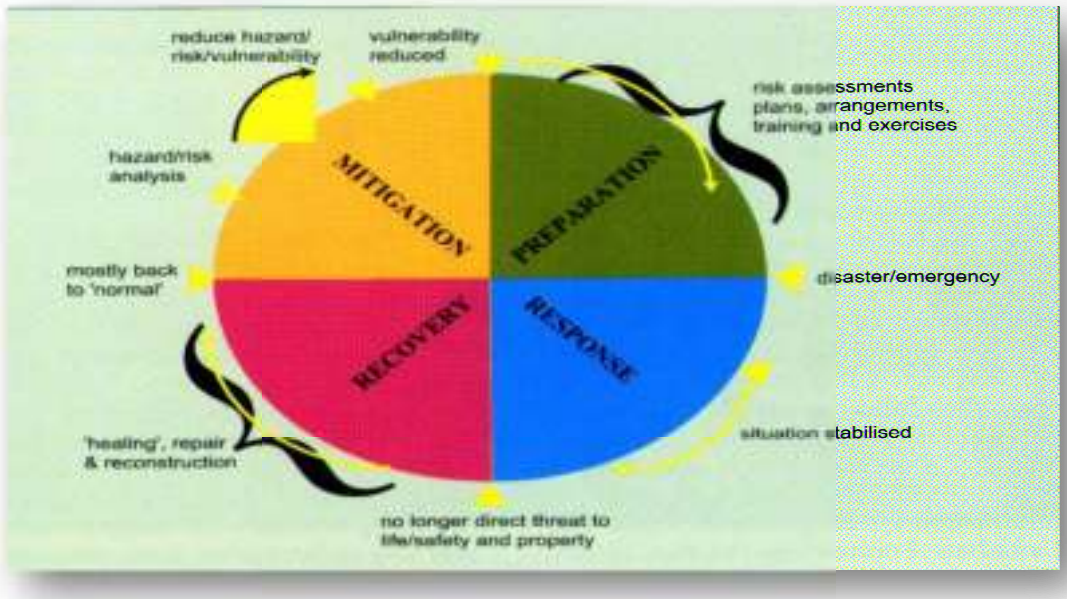

चित्र 1.2जिला आपदा प्रबन्ध कार्य योजना

1.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसम्बर 2005 से लागू किया गया है। यह आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए निर्मित किया गया है। उक्त अधिनियम में आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सम्पूर्ण हानि या मानवीय पीड़ाऐं, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे हैं।

मुख्य बिन्दु :

1. राष्ट्र व राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जोआपदा प्रबंधन हेतु नीति निर्धारण का कार्य करेगा।

2. आपदा राहत व बचाव हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)तथा राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का गठन।

3. प्रत्येक राज्य व जिले की एक आपदा प्रबंधन योजना होगीजिसमेंत्रैमासिक, वार्षिक तथा पंचवर्षीय मूल्यांकन व आधुनिकीकरण होगा।

4. आपदा से निपटने हेतु राष्ट्र–राज्य–जिला के मध्य प्रभावी समन्वय तंत्र विकसित किया जायेगा।

5. आपदा से निपटने हेतु क्षमतावर्धन प्रशिक्षण, पूर्व चेतावनीप्रणाली, पूर्व तैयारी पर विशेष जोर होगा।

1.3 नीतिगत कथन व संक्षिप्त परिचय–

गुजरात के भुज क्षेत्र में दिनांक 26.01.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जुझना पड़ा था। इसी परिपेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। पिछले सालों की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर एवं बीकानेर के बिरधवाल हेड के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लूणकरणसर में बाढ़ तथा पिछले सालों के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी में आया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक दक्षता में कमी होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है।

सामान्यतः शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में बढ़ते हुये औद्योगिक इकाइयों, ऑयल डिपो, गैस गोदाम/डिपो, कच्चे केलूपोस मकान एवं झोपड़ियों में बिजली के शॉट सर्किट हो जाना एवं पहाड़ी– सघन वन क्षेत्रों में बाँस आदि की रगड़ से आग लग जाना एवं कई बार राहगीरों द्वारा बिड़ी, सिगरेट पीकर उसको अर्ध जली हालात में फेकने के कारण आग लगने की सम्भावनायें अधिक रहती है। आग लगने से अत्यधिक ताप का बढना, धुऐं का एकीकृत होना घटना स्थल पर विस्फोट होना, भवनों का गिर जाना/क्षति होना, आवश्यक सेवाओं, पानी, बिजली, आदि में व्यवधान

जानमाल की हानि तथा वनस्पति का नष्ट होना आदि दुष्प्रभाव प्रकट होते हैं। कई बार रसोई घर में भी रसोई गैस चलाकर इधर–उधर चले जाना एवं पुराने पाईप से गैस लीक होना, गैस चलाने के लिये माचिस का उपयोग, बिजली के बटन से भी आग लगने की सम्भावनायें, यंत्रों के अधिक गर्म होने पर भी चिंगारियां छोड़ना आदि क्षेत्र आग के प्रति संवेदनशील होते हैं। आज–कल शादी के पाण्डाल बनाये जाते है वहीं पर गैस भट्टियाँ एवं तन्दूर आदि, बिजली फिटिंग में लापरवाही, उत्पादन स्थल एवं स्टोर स्थल का अलग ना होना, ज्वलनशील पदार्थ के अधिक मात्रा में एकत्रित होने से,वर्षा ऋतु में बिजली गिरने, पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सियों एव छविगृहों में आग लगने की अधिक सम्भवनाऐं रहती है। औद्योगिक ईकाइयों में अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण, एवं असावधानिक पूर्वक प्रयोग, साथ ही ज्वलनशील घोल में अन्य प्रदार्थ के मिश्रण से भी आग लग सकती है। देश में हुये कुछ उदाहरण जैसे शादियों के कारण डबवाली अग्निकांड, भरतपुर में आयुध डिपो में आग आदि कई परिस्थितियाँ से बाहरी क्षेत्र में भयंकर आग लगने की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कच्चे मकान, बिजली शॉर्ट सर्किट होना, बिस्तर में लेटे–लेटे बीड़ी–सिगरेट पीना, आतिशबाजी, खेत खलिहानों में अवशिष्ट एवं काँटों को जलाते वक्त हवा चलने से चारों ओर आग फैल कर भयावह रूप धारण कर लेती है।

इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने एवं बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख हो। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

जिला DDMP योजना के चरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं –

- जिले की विभिन्न आपदाओं का जोखिम, संवेदनशीलता व क्षमता विश्लेषण
- DDMP हेतु जिला संस्थागत व्यवस्था
- जिले में आपदा शमन व रोकथाम के प्रयास
- जिला आपदा व राहत प्रत्याक्रमण
- जिले में वित्तीय संसाधन
- आपदा रोकथाम हेतु तैयारी
- मूल्यांकन

इन विभिन्न चरणों में चित्तौड़गढ़ जिले का विस्तृत अध्ययन कर जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

1.4प्रभारी व दायित्व–

जिले में DDMP से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो हेतु प्रभार व दायित्त्व निम्न प्रकार हैं –

क्र. सं.	विभाग/अधिकारी	प्रभार/दायित्व
1.	जिला कलेक्टर	आपदा–राहत व प्रत्याक्रमण कमांडर, आपदा के समय जिले का उत्तरदायी अधिकारी
2.	प्रभारीआपदा प्रबंधन प्राधिकरण	आपदा राहत व प्रत्याक्रमण सचिव, कार्यकारी प्रभारी
3.	जिला कार्यकारी समिति	क्क्ड्च निर्माण, मूल्यांकन, आधुनिकीकरण
4.	कोषागार	आपदा राहत–प्रत्याक्रमण हेतु वित्त व्यवस्था
5.	चिकित्सा, पुलिस, विद्युत, पेयजल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि, सिंचाई	आपदा के समय उत्तरदायित्व व प्रभार अनुसार त्वरित कार्यवाही

तालिका 1.1 DDMP प्रभार व दायित्त्व

1.5 DDMP उपयोग प्रक्रिया –

DDMP जिला चित्तौड़गढ़, जिले के लिए एक आदर्श रूप रेखा है जो संभावित आपदाओं, उनके प्रभावों तथा आपदा शमन व रोकथाम के उपाय सुझाती हैं। DDMPका क्रियान्वयन तथा उपयोग एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। यह ***Top to Bottom to Top***प्रक्रिया का अनुसरण करती है। DDMPके क्रियान्वयन व उपयोग सम्बन्धी विस्तृत जानकारी अध्याय 12 –''मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चैकलिस्ट'' में दी गई है।

1.6DDMPयोजना स्वीकृति–

DDMPचित्तौड़गढ़ की स्वीकृति दो स्तर पर ली जानी प्रस्तावित है।

- जिला स्तर पर प्रथम – जिला कार्यकारी समिति – जिसमें जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारी तथा विभिन्न प्रशासनिक व अग्रणी विभागों के अधिकारी सम्मिलित होंगे।
- राज्य स्तर पर – राज्य कार्यकारी समिति – इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुखिया तथा राज्य स्तर के विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी सम्मिलित होगें।

उक्त दोनो स्तरों पर DDMPके अनुमोदन के पश्चात् DDMPका क्रियान्वयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिले में किया जायेगा।

1.7 DDMP मूल्यांकन व आधुनिकीकरण–

जिला DDMPएक गत्तिक व परिवर्तनशील अभिलेख है। समय व आवश्यकतानुसार DDMP का मूल्यांकन व आधुनिकीकरण सतत् व निरंतर चलने वाल प्रक्रिया होगी। DDMPमें त्रैमासिक, वार्षिक तथा पंचवर्षीय मूल्यांकन व आधुनिकीकरण प्रस्तावित होगा।DDMPअधिनियम– 2005 के अनुसार DDMPमें आंशिक रूप से वार्षिक तथा प्रत्येक 5 वर्ष में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। जिला DDMP में मूल्यांकन व आधुनिकीकरण में इसी पद्धति का अनुसरण किया जायेगा।

अध्याय–2

Hazard Vulnerability, Risk and capacity Assessment

आपदा सुभेद्यता, जोखिम विश्लेषण व क्षमता मूल्यांकन

विषय वस्तु –

2.1 जिले की प्रमुख आपदाएँ

2.2जिले का प्रशासनिक, भौतिक,सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप

2.3 जिले की प्रमुख आपदाओं का जोखिम व सुभेद्यता विश्लेषण

2.4जिले की विपदा भेद्यता क्षमता एंव जोखिम मूल्यांकन (HVCRA)

2.5 जिले की प्रमुख आपदाओं के सन्दर्भ में क्षमता मूल्यांकन

2.1 जिले की प्रमुख आपदा

किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली आपदा की सुभेद्यता व जोखिम विश्लेषण उस आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुर्जुगों, महिलाओं, निशक्त जनों से किया जाता है। आपदा की विभिन्न सामाजिक–आर्थिक–जैविक पक्षों को प्रभावित करने की क्षमता उसकी सुभेद्यता कहलाती है, जबकि आपदा से होने वाले संभावित नुकसान का आंकलन जोखिम माना जाता है।

आपदा प्रबंधन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है–

- जलवायु सम्बन्धी –बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना,गर्म व ठंडी हवाऐं, तूफान व बिजली गिरना।
- भूगर्भ सम्बन्धी– भूकम्प, भूस्खलन, बांध का टूटना, खान में आग।
- रासायनिक,औद्योगिक व परमाणु सम्बन्धित–रासायनिक, औद्योगिक विपदा, परमाणु विपदा
- दुर्घटना सम्बन्धित– आग, बम, वायु, सड़क, रेल, दुर्घटना, भवनों का ढहना।
- जैविक आपदाऐं–महामारी, टिड्डी दल का आक्रमण, जानवरों की महामारी

चित्तौड़गढ़ जिले की आपदा प्रबंधन योजना वर्ष 2014 के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की विपदा व जोखिम संवेदनशीलता के आकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों के समूह द्वारा जिले में घटित पूर्व आपदाऐं तथा संभावित जोखिम के आधार परजिले काHVCRAकिया गया तथा निम्न मुख्य 10 आपदाऐं चिन्हित की गई। मुख्य 5 आपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना तथा अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना की अनुशंषा की गई।

जिले की मुख्य आपदाऐं–

- बाढ़
- सूखा
- दुर्घटनाऐं
- आग
- भूकम्प

अन्य आपदाऐं–

- साम्प्रदायिक दंगे
- ओलावृष्टि
- बांध टूटना
- रासायनिक व औद्योगिक आपदाऐं
- ताप व शीतघात

2.2 जिले का प्रशासनिक, भौतिक,सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप–

चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण–पूर्वी भाग में $24^{0}.13^{'}$ से $25^{0}.13^{'}$ उतरी अक्षांश और $74^{0}.04^{'}$ से $75^{0}.53^{'}$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। इसके पूर्वी भाग में कोटा जिला और मध्यप्रदेश का नीमच जिला, दक्षिण में प्रतापगढ़ जिला, पश्चिम में उदयपुर एवं राजसमन्द जिले तथा उत्तर में भीलवाड़ा और बून्दी जिले स्थित हैं।

यह जिला समुद्री तल से एक हजार छः सौ फीट औसत ऊँचाई पर स्थित है। इसका अधिकांश भू–भाग दक्षिण तटवर्ती और अरावली उपत्यकाओं से आच्छादित है। जिले का न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस एवं अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहां 83.00 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी भागों में ज्यादा वर्षा होती है और उत्तर–पश्चिम तक जाते जाते वर्षा कम हो जाती है।

बनास, बेड़च, गंभीरी, चम्बल, कदमाली एवं वागन आदि जिले की प्रमुख नदियां है।चित्तौड़गढ़ जिले का भौगोलिक धरातल पूर्णतया समतल नहीं है। जिले के पूर्ण क्षेत्र में अरावली पर्वतमालाऐं फैली हुई है। इस जिले का ढ़लान दक्षिण से उत्तर की ओर है।

प्रशासनिक संरचना –

चित्तौड़गढ़ जिला निम्नलिखित 11 उपखण्डों एवं 11 तहसीलों में विभाजित हैः–

क्र.सं.	उपखण्ड	तहसील	कुल ग्राम	पं. समिति	पंचायते	नगर पालिका
1	2	3	4	5	6	7
1	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	182	निम्बाहेड़ा	35	निम्बाहेड़ा
2	भदेसर	भदेसर	169	भदेसर	25	
3	बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	162	बड़ीसादड़ी	23	बड़ीसादड़ी
4	डूंगला	डूंगला	118	डूंगला	26	
5	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	240	चित्तौड़गढ़	38	चित्तौड़गढ़
6	गंगरार	गंगरार	133	गंगरार	21	
7	कपासन	कपासन	122	कपासन	23	कपासन
8	राशमी	राशमी	94	राशमी	23	
9	बेगूं	बेगूं	250	बेगूं	31	बेगूं
10	रावतभाटा	रावतभाटा	231	भैंसरोड़गढ़	25	रावतभाटा
11	भूपालसागर	भूपालसागर	87	भूपालसागर	19	
		योग	**1788**		**290**	

तालिका 2.1 चित्तौड़गढ़ जिले में तहसील एवं उनकी जनसंख्या

जिले में एक जिला परिषद, 11 पंचायत समितियां 290 ग्राम पंचायतें एवं 6 शहरी स्थानीय निकाय है। जिनमें चित्तौड़गढ़ में नगरपरिषद् एवं निम्बाहेड़ा, कपासन, बड़ीसादड़ी, बेगूं तथा रावतभाटा नगर पालिकाऐं हैं। जिला परिषद का मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जिला परिषद में 25 सदस्य एवं श्रीमती लीला जाट प्रमुख, जिला परिषद् हैं।

पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरणः–

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	बेगूं	31
2	भैंसरोड़गढ	25
3	गंगरार	21
4	कपासन	23
5	चित्तौड़गढ़	39
6	निम्बाहेड़ा	35
7	बड़ीसादड़ी	23
8	राशमी	23
9	डूंगला	26
0	भदेसर	25
11	भोपालसागर	19
योग		**290**

तालिका 2.2 जिला चित्तौड़गढ़ ग्राम पंचायतें

शहरी स्थानीय निकायों का विवरणः–

क्र.सं.	स्थानीय निकाय	शहर	जनसंख्या (2011)		
			पुरूष	महिला	योग
1	नगर परिषद	चित्तौड़गढ़	60068	56338	116406
2	नगर पालिका	बेगूं	10544	10161	20705
3	नगर पालिका	कपासन	10579	10290	20869
4	नगर पालिका	निम्बाहेड़ा	31896	30053	61949
5	नगर पालिका	बड़ीसादड़ी	7965	7748	15713
6	नगर पालिका	रावतभाटा	19565	18134	37699
योग			140617	132724	273341

तालिका 2.3 जिला चित्तौड़गढ़ शहरी जनसंख्या

जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़, बेगूं, कपासन, निम्बाहेड़ा, बड़ीसादड़ी है। जिला चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (सामान्य) में आता है जिसमें जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के अतिरिक्त राजसमन्द जिले का मावली एवं उदयपुर जिले का वल्लभनगर क्षेत्र भी सम्मिलित है।

चित्र 2.1 जिला चित्तौड़गढ़ मानचित्र

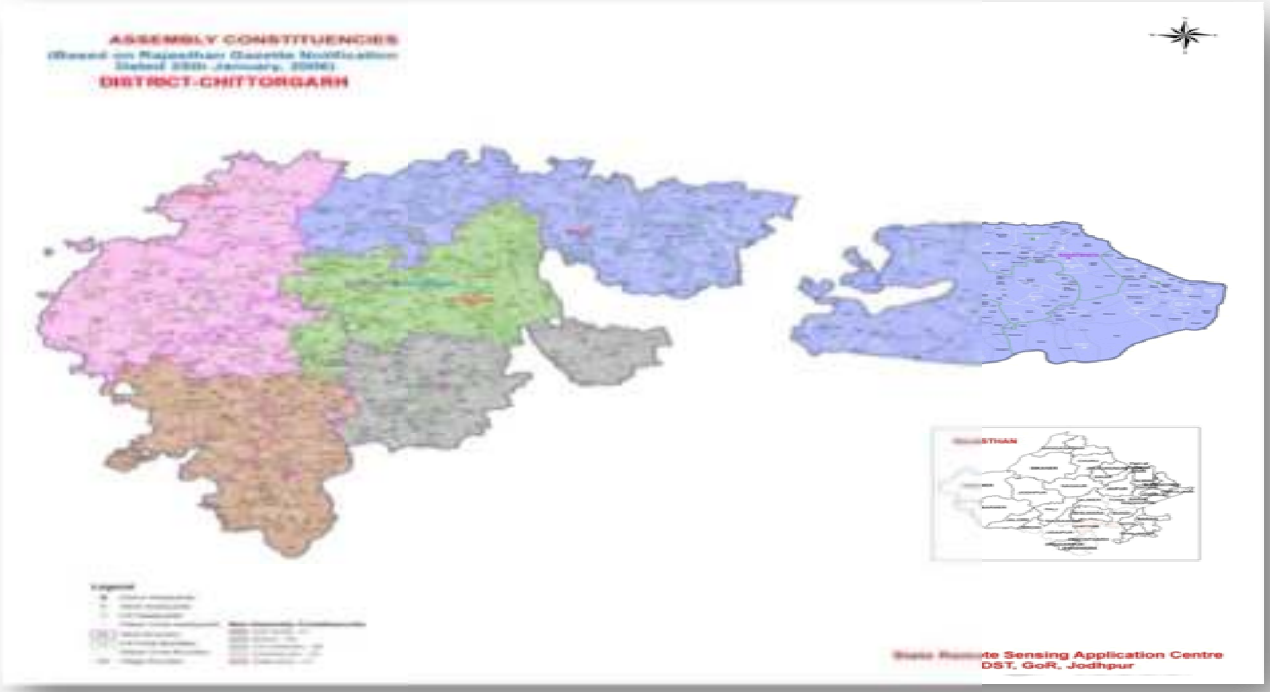

भौतिक स्वरूप–

जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7822 वर्ग किमी है। इसकी जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 1544338 है तथा घनत्व 197 व्यक्ति प्रति वर्ग कि. मी. है।

भूमि उपयोग 2017–18

जिले का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 750773 हेक्टेयर है। जिले में भूमि उपयोग का वर्गीकरण निम्न प्रकार रहा :–

क्र.सं.	भूमि उपयोग वर्गीकरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	वन	121759
2.	गैर कृषि उपयोग में भूमि व पहाडियां	56079
3.	उसर तथा कृषि अयोग्य	60867
4.	अन्य पड़त (2 वर्ष से 5 की पडत)	21470
5.	स्थायी चारागाह	73839
6.	कृषि योग्य खाली भूमि	79965
7.	वृक्ष एवं कुंज	496
8.	चालू पड़त	13136
9.	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	323162
कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल		**750773**

तालिका 2.4 जिला चित्तौड़गढ़ भू–उपयोग (2017–18)

जलवायु–

देश में अन्य भागों की भांति चित्तौड़गढ़ में भी वर्षा वर्षाऋतु में ही होती हे। वर्षा जून माह के अंतिम सप्ताह में आरम्भ होकर माह अगस्त के अन्त तक चलती है तथा यहां की नदियां बेड़च व गम्भीरी तीव्र गति से बहने लगती है। इन नदियों में कभी–कभी बाढ़ भी आ जाती है। वर्षा ऋतु के पश्चात् शीत ऋतु प्रारम्भ होती है। सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर के महीने बड़े सुहावने रहते हैं तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखने के लिये यह समय उपयुक्त है। दिसम्बर व जनवरी के महीने बड़े ठण्डे होते है। सर्दी की ऋतु तक यहां का औसत अधिकतम तापमान 28.3^{0} तथा न्यूनतम तापमान 11.3^{0} तक रहता है। फरवरी से अप्रैल का समय फिर सामान्य हो जाता है। मई व जून के महीने बहुत

गर्म हो जाते हैं तथा यहां गर्म हवाएं चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहां अधिकतम औसत तापमान 48.8^{0} रहता है।

वर्षा–

जिले में औसत वर्षा 761.00 मि.मी. से 1077 मि.मी. के बीच होती है किन्तु यह सामान्यतः दक्षिण–पूर्व की ओर कम होती जाती है। कुल वार्षिक वर्षा की लगभग 93 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के महीने में होती है इनमें से जुलाई व अगस्त भारी वर्षा के होते हैं। जनवरी एवं फरवरी माह में भी यदा–कदा वर्षा होती है।

नदियाँ, बाँध, तालाब–

- नदियाँ : चम्बल, बनास, बेड़च, जाखम एवं वागन मुख्य नदियाँ एवं गम्भीरी, ब्राह्मणी एवं गुजराती इनकी सहायक नदियाँ है।
- बाँध : गम्भीरी, वागन, बस्सी, ओराई, बड़गांव, भोपालसागर, घोसुण्डा, राणाप्रताप सागर आदि।परिशिष्ट संख्या 22 में संलग्न है।
- झीलें व तालाब : जिले में कोई प्राकृतिक झील नहीं है फिर भी मुख्य नदियों की शाखाओं के संग्रहण द्वारा अनेक तालाब बना लिये गये हैं।

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति –

प्रमुख फसलें–

जिले में खरीफ की फसलें प्रमुख हैं तथा साथ में सिंचाई जल की उपलब्धता पर रबी एवं जायद की फसलें भी बोयी जाती है।

- **रबी** – गेंहू, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, जीरा, धनिया, मैथी आदि।
- **खरीफ**– कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, गन्ना, उड़द, मूंग आदि।

इनके अतिरिक्त जिले में व्यावसायिक दृष्टि से तम्बाकू, अफीम, फल और सब्जियों की खेती भी की जाती है। अमरूद, पपीता, निम्बू और आम के पेड भी आम तौर पर पाये जाते है। नदियों के पेटों मे भी विशेषतः बनास नदी के पेटे में जिसे जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि कहा जा सकता है फल और सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी खूब पैदा की जाती है। नदियों के पेटे आलू, बैगन, प्याज, लहसून आदि की खेती के उपयोग में भी लिये जाते हैं। फल व सब्जियाँ प्रचुर मात्रा में अन्य जिलों को निर्यात किये जाते है। गत वर्षो से वर्षा में निरन्तर हो रही गिरावट के कारण निरन्तर बहने वाली बनास नदी में पानी की कमी के चलते फल सब्जियों की पैदावार में कमी होती जा रही हैं।

प्रमुख फसलों का उत्पादन वर्ष

क्र.सं.	फसलों का नाम	(मैट्रिक टन)
1	गेंहू	554239
2	ज्वार	30700
3	मक्का	320615
4	जौ	27220
5	मूंगफली	33442
6	सोयाबीन	166092
7	चना	47676
8	तिल	766
9	सरसों/राई	70299

तालिका 2.5 फसल उत्पादन (2018–19)

प्रमुख उद्योग–

इस क्षेत्र में चूने के पत्थर की बाहुल्यता होने के कारण बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चन्देरियासीमेन्ट वर्क्स, आदित्य सीमेन्ट–1, आदित्य सीमेन्ट–2,जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा, मांगरोल, लाफार्ज सीमेन्ट, वर्ण्डर सीमेन्ट एवं लेड जिंक स्मेल्टर (हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर लिमिटेड), खेतान केमिकल्स लिमिटेड (सिंगल सुपर फॉस्फेट) जैसे बड़े कारखाने इस जिले मे स्थित हैं। वर्ष 2017–18 तक फैक्ट्री अधिनियम के तहत कारखानों की संख्या 212 एवं सुक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योगों की संख्या 353 हैं। पत्थर की पट्टियां निकालना, पत्थर पर पॉलिश करना व चिप्स, सीमेन्ट की जालियाँ व पाईप, सीमेन्ट के बिजली के खम्भे बनाना यहां के प्रमुख लघु उद्योग हैं। गृह उद्योग में कपड़े पर छपाई व रंगाई, जूती बनाना, चाकू तथा केचियां बनाना आदि उल्लेखनीय हैं।राणा प्रताप सागर बांध से उपलब्ध जल विद्युत एवं कच्चे माल की विशेष रूप से पत्थर की बाहुल्यता होने से यहां मार्बल उद्योगों का विकास विशेष रूप से हुआ हैं।

इसके अतिरिक्त गांव की पुरानी दस्तकारी जैसे कुम्हारगिरी, सुनारगिरी, चमड़े का काम, बढ़ईगिरी, बुनने और कातने के कार्य होते हैं।

संचार एवं यातायात–

जिले में वर्ष 2017–18 तक 267 पोस्ट ऑफिस, 59 दूरसंचार जिनमें 50 ग्रामीण एंव 09 शहरी केन्द्र हैं। वर्ष 2017–18 तक मोटर वाहनों का पंजीयन 674578 हैं।

जिले में सड़क मार्ग सुदृढ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 एवं 79 जिले से गुजरते है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूरब– पश्चिम कॉरिडोर का संगम चित्तौड़गढ़ के समीप होता हैं। चित्तौड़गढ़–अजमेर–रतलाम ब्राडगेज रेल्वे लाईन पर पश्चिम रेल्वे का जंक्शन हैं। यह स्थान अजमेर, रतलाम, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई, कोटा, बूंदी व उदयपुर आदि स्थानों से रेल मार्ग से जुड़ा हैं। वर्ष 2015–16 तक सड़कों की लम्बाई 4073 किमी हैं।

जिले मे वायुयान सेवा उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि चित्तौड़गढ़ भीलवाडा के लिये हमीरगढ़ के समीप अतिविशिष्ठ व्यक्तियों के वायुयान उतरने का अस्थाई स्थल अवश्य हैं। जिला मुख्यालय से 90 किमी की दूरी पर डबोक हवाई अड्डा जो कि उदयपुर जिले में आता हैं। वहाँ से देश– विदेश की हवाई यात्रा की जा सकती हैं। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि कोटा, इन्दौर, अहमदाबाद, दिल्ली इत्यादि को जोडते हैं।

सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियों एवं प्रमुख दर्शनीय स्थल–

यहाँ वर्षो से कई स्थानीय मेले लगते रहते है। जिसमें मुख्यतः मीरा महोत्सव, जौहर मेला, राज्य स्तरीय उद्योग मेला, हरियाली अमावस्या, जलझूलनी एकादशी के मेले भरते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर होली का पर्व मनाया जाता हैं। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय से 32 किमी की दूरी पर स्थित निम्बाहेडा तहसील मुख्यालय पर 10 दिवसीय दशहरा मेला भरता है जो कि राजस्थान में कोटा के बाद दूसरे नम्बर पर आता हैं।

क्र.सं.	नाम स्थल	तहसील	जिला मुख्यालय से दूरी
1	चित्तौड़गढ़ दुर्ग	चित्तौड़गढ़	08
2	सांवरियाजी (मंडफिया)	भदेसर	40
3	असावरा माता	भदेसर	35
4	झातला माता	चित्तौड़गढ़	08
5	जोगणिया माता	बेगूं	85
6	शेषावतार कल्लाजी वेदपीठ	निम्बाहेड़ा	30
7	दीवान साहब दरगाह	कपासन	40
8	जे.के. मंदिर (राधा कृष्ण)	निम्बाहेड़ा	30
9	मेनाल	बेगूं	110
10	करेड़ा पार्श्वनाथ	भूपालसागर	55
11	मातृकुण्डिया	राशमी	45
12	शनि महाराज	कपासन	42

तालिका 2.6 प्रमुख दर्शनीय स्थल

चित्तौड़गढ़ वीरता एवं शौर्य की भूमि के नाम से सुप्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय पर स्थित दुर्ग ऐतिहासिक शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक विश्व विख्यात है। जिसके अवलोकनार्थ प्रतिवर्ष देश–विदेश से काफी पर्यटक आते हैं। इसी दुर्ग पर कालिका माता का मन्दिर भी है जिसके दर्शन हेतु प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है एवं वर्ष में दो बार नवरात्रि के पर्व पर मेला लगता है। जिसमें विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु कालिका माता के दर्शनार्थ आते है। चित्तौड़गढ़ से मात्र 40 किमी की दूरी पर श्री सांवलिया जी का मन्दिर है जहां पर प्रति माह अमावस्या पर मेला लगता है। मुख्यालय से 8 किमी की दूरी पर झातला माता का मन्दिर है जहां पोलियों ग्रस्त रोगी बडी मात्रा में आते हैं एवं वर्ष में दो बार नवरात्रि पर मेला लगता है। इसके अतिरिक्त आवरी माता (भदेसर), जोगणियां माता मन्दिर(बेगूं) की भी मान्यता हैं जो कि चित्तौड़गढ मुख्यालय से क्रमशः 35 किमी, 60 किमी की दूरी पर स्थित है। मुख्यालय से 52 किमी की दूरी पर भोपालसागर पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित पार्श्वनाथ जैन मन्दिर है जहां वर्ष में 1 बार पोष दशम पर मेला लगता है।

2.3 जिले की प्रमुख आपदाओं का जोखिम व सुभेद्यता विश्लेषण –

- **बाढ़**–यद्यपि राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत कम है फिर भी बाढ़ व जल भराव की समस्या होती रहती है। इसका प्रमुख कारण अव्यवस्थित शहरीकरण, नदियों के मार्ग अवरूद्ध होना, तथा बांधो से अचानक पानी छोड़ा जाना, अतिवर्षा आदि है।

पिछले कुछ समय से ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ आई है जिनमें बाढ़ोन्मुख होने की कभी संभावना नहीं रही। उदाहरण के लिए 2006 मेंबालोतरा (बाड़मेर)में बाढ़ आई। इस प्रकार के उदाहरणों ने नीति–निर्धारकों को नये सिरे से सोचने हेतु बाध्य कर दिया है।चित्तौड़गढ़ जिले में बाढ़ के जोखिम का आंकलन बाढ़ आने की अवधि, पुनरावृति, टोपोग्राफिक मैपिंग, नदियों के आस–पास ऊँचाई की रूपरेखा के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। साथ ही साथ जल प्रवाह प्रणाली, वर्षा के आंकडों का भी विश्लेषण किया गया है। जिसके माध्यम से उच्च बाढ़ आपदोन्मुखी क्षेत्रों का एक संयुक्त सुभेद्यता व जोखिम विवरण तैयार किया गया है।

चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख नदियाँ– चम्बल, बनास, गंभीरी, बेड़च, वागन, ब्राह्ममणी, गुंजाली, जाखम, करमोई आदि हैं।इनमें से जोखिम पूर्ण नदियाँ – चम्बल, ब्राह्मणी, गंभीरी, बेड़च आदि हैं। इन नदियों से अक्सर बाढ़ तथा जल प्लावन की स्थिति लगभग प्रत्येक दूसरे वर्ष किसी न किसी क्षेत्र में बन जाती है।

चित्तौड़गढ़ : जोखिम पूर्ण नदियाँ तथा सुभेद्य क्षेत्र–

क्र. सं.	नदियाँ	सुभेद्य क्षेत्र	जोखिम
1	चम्बल	रावतभाटा, भैंसरोड़गढ़	लगभग 50 से 60 हजार जनसंख्या, आण्विक संयत्र, कृषि भूमि, गांव
2	गंभीरी व बेड़च	चित्तौड़गढ़ तथा आसपास के गांव	लगभग 1,00,000 जनसंख्या, शहरी क्षेत्र, कृषि भूमि, व्यवसायिक भवन, गांव, प्रशासनिक भवन
3	ब्राह्मणी	बेगूं व रावतभाटा तहसील का कुछ भाग	लगभग 50 से 60 हजार जनसंख्या, 30 गांव, आवासीय भवन, कृषि भूमि।

तालिका 2.7 बाढ़ सम्भावित क्षेत्र।

चित्तौड़गढ़ जिले में बाढ़ एक प्रमुख आपदा हैं। जिसकी प्रत्येक 5 वर्ष मे पुनरावृति हो जाती है। वर्ष 2004, 2006, 2013, 2016 उल्लेखनीय वर्ष रहे जिनमें जिले को बड़े स्तर पर बाढ़ का सामना पड़ा। जिसके प्रमुख कारण अतिशय वर्षा तथा जल निकासी व्यवस्था का उचित न होना रहा। वर्ष 2016 की बाढ़ अभी ताजा उदाहरण हैं। दिनांक 08 से 13 अगस्त 2016 तक कुल 3804 मि.मी. वर्षा रिकॉर्ड की गई। परिणामस्वरूप जिले में मुख्यालय तथा बेगूं तहसील में क्रमशः गंभीरी व ब्राह्मणी नदियों में उफान के कारण भारी बाढ़ आ गई। तालिका 2.8 में गत वर्षो में चित्तौड़गढ़ जिले में औसत वार्षिक वर्षा से विचलन फलस्वरूप बाढ़ की स्थिति दर्शाई गई।

चित्तौड़गढ़ : बाढ़ की पुनरावृति–

वर्ष	औसत वार्षिक वर्षा	औसत वार्षिक वर्षा से विचलन	औसत वार्षिक वर्षा से प्रतिशत विचलन	बाढ़
1983	774.55	183.73	31.54	सामान्य बाढ़
1994	800.87	212.05	36.01	सामान्य बाढ़
1996	777.90	189.08	32.11	सामान्य बाढ़
2004	831.63	242.81	41.24	सामान्य बाढ़
2006	976.67	388.15	65.92	भारी बाढ़
2013	957.00	350.16	61.32	भारी बाढ़
2016	1312.7	498.2	74.2	भारी बाढ़

तालिका 2.8 बाढ़ प्रभावित वर्षो में क्षेत्र में वर्षा का औसत।

तालिका 2.8 के आकलन से ज्ञात होता है कि वर्ष 1983, 1994, 1996,2004,2006, 2013, 2016 बाढ़ के वर्ष रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में चित्तौड़गढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 8300.01 मि.मी. रही है।पिछले पाँच वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में शहरी बाढ़ की समस्या उभर कर सामने आई है। वर्ष 2016 की बाढ़ में यह प्रमुखता से देखी गई।इसके प्रमुख कारण अनियमित व अनियोजित बसाव, पॉलीथीन का प्रयोग, खराब सीवरेज प्रणाली रही।

चित्तौड़गढ़ जिले में कई बाँध भी स्थित हैं जो अतिशय वर्षा के समय जोखिम वाले क्षेत्र बन जाते हैं–

चित्तौड़गढ़ः प्रमुख बाँध व उनका जोखिम–

क्र.सं.	बाँध का नाम	पूर्ण भराव गेज (फिट में)	पूर्ण भराव क्षमता (एम. सी.एफ.टी.)
1	बस्सी डेम	36.08	820.00
2	लुहारिया	9.00	103.00
3	सादी	13.50	75.80
4	मोडिया महादेव	16.00	110.00
5	बनाकिया	13.00	333.30
6	सांकलखेडा	35.10	111.50
7	गुनैर	18.00	29.66
8	घोसूण्डा	423 RL	1123.00
9	गंभीरी बांध	23.00	1942.49
10	मुरलिया बांध	9.50	340.00
11	सांवरिया सरोवर	13.00	191.00
12	बडगांव	25.00	1112.00
13	पटोलिया	12.00	53.00
14	भोपालसागर	18.00	655.00
15	मेवदा	8.50	77.00
16	धमाना	12.00	56.00

17	अरनिया	8.00	72.00
18	डिंडोली	12.00	265.00
19	सरोपा	12.50	120.00
20	कांकरिया	11.50	56.00
21	कपासन	11.50	250.00
22	वागली	8.20	68.00
23	सिंहपुर	4.92	34.50
24	सोनियाना	12.00	240.00
25	कुंवालिया	7.50	36.47
26	सालेरा	20.00	150.00
27	बोरदा	14.00	178.00
28	उंचकिया	13.00	186.00
29	सोमी	8.20	79.10
30	आरनी	10.00	55.24
31	ओराई	31.00	1246.00
32	देवलिया	21.50	84.00
33	रूपारेल	21.33	342.70
34	भंवर पीपला	23.00	59.41
35	डोराई	27.52	300.00
36	कालादेह	16.50	60.12
37	राजगढ़	13.00	107.00
38	खोखी	21.32	70.98
39	जलसागर	16.40	54.03
40	धांधडा	8.06	13.42
41	मालदेवी	8.43	29.10
42	वागन	16.40	1436.00

43	पारसोली	14.00	97.80
44	बाड़ी मानसरोवर	16.40	334.80
45	ऊंचा	13.78	92.00
46	भावलिया	12.46	90.52
47	सरसी का नाका	13.94	53.32

तालिका 2.9 जिले में स्थित प्रमुख बाँध एवं उनकी भराव क्षमता

2016 की बाढ़ का सुभेद्यता व जोखिम विश्लेषण–

वर्ष 2016 में दिनांक 07,08 एवं 09 अगस्त को भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। विशेषरूप से चित्तौड़गढ़ व बेगूं मे भीषण बाढ़ की हालात हो गये।

चित्तौड़गढ़ –8 से 13 अगस्त 2016 की वर्षा –

क्र.सं.	स्थान	8 से 13 अगस्त 2016 वर्षा का योग(मि.मी.)
1	चित्तौड़गढ़	603
2	बेगूं	624
	जिले की कुल वर्षा	3804

उक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है दिनांक 08 से 13 अगस्त 2016 को अतिशय वर्षा के कारण गंभारी, बेड़च, ब्राह्मणी नदियाँ उफान पर आ गई। इससे रावतभाटा, बेगूं, चित्तौड़गढ़, राशमी क्षेत्र के कई गांव बाढ़ व जलप्लावन से प्रभावित हुये। भारी वर्षा के कारण चित्तौड़गढ़ के मानपुरा, बस्सी, चित्तौड़गढ़, बेगूं के डोराई, जलसागर, बेगूं, रावतभाटा के मेघनिवास, बालेचन, लोठियाना, मोरवन, लक्ष्मीपुरा,अमरपुरा, अरनिया, बोराव प्रभावित हुये।NDRF, SDRFने 72 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाया। घोसूण्डा व गम्भीरी बाँधो को योजनानुसार बारी–बारी से खोल कर जल निकासी की गई । इस दौरान गम्भीरी का अधिकतम गेज 6.30 मीटर, 2.5 फीट की चादर के साथ मापा गया। जबकि बेड़च का अधिकतम गेज 5.3 मीटर मापा गया।गंभीरी व बेडच नदियों में छोड़े गये जल प्रवाह को नियंत्रित करके चित्तौड़गढ़ शहर को बचाया गया। इसी प्रकार ब्राह्मणी नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने बेगूं शहर व गाँवों का बचाया गया।निम्नानुसार राहत कार्य चलाये गये–

प्रभावित स्थान	प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	खोले गये राहत शिविर	NDRF टीम संख्या	SDRF टीम संख्या	सेना की टुकड़ियां	नागरिक सुरक्षा जवानों की संख्या	रेस्क्यू ऑपरेशन से बचाये गये लोग
चित्तौड़गढ़, बेगू	3680	13	03	02	01	34	11

तालिका 2.10चित्तौड़गढ़ : बाढ़–2016 में चलाये गये राहत कार्य

- **सूखा–**मानसून के अनियमित व्यवहार के कारण राजस्थान एक प्रमुख सूखा ग्रस्त राज्य हैं, सभी प्राकृतिक आपदाओं के मुकाबले सूखे का असर सबसे ज्यादा लोगों व पशुओंपर पड़ता है। इसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ता है जो सीधे अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं की अपेक्षा सूखे का असर भिन्न तरीके से होता है। धीमी गति के कारण इसका असर धीरे–धीरे महसूस होता है तथा लम्बे समय तक रहता है।

सूखे की प्रभावशीलता जब निरंतर बढती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है। 1. प्रचण्ड सूखा 2. सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में औसत से 50 प्रतिशत कम वर्षा होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत कम वर्षा होती हैं। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है, जिसमें इस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 25 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। यदि यह कमी 25–30 प्रतिशत हो तो सीमित सूखा और यदि 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति माना जाता हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले दो दशक में सूखे की दशा निम्न प्रकार रही –

चित्तौड़गढ़ : सूखे का विश्लेषण–

क्र. सं.	वर्ष	औसत वार्षिक वर्षा	जिले की औसत वार्षिक वर्षा से विचलन	प्रतिशत विचलन	सूखे की दशा
1	1987	331.45	–257.37	–43.71	अति सूखा
2	1988	440.26	–148.56	–25.23	सामान्य सूखा
3	1998	415.24	–173.58	–29.48	सामान्य सूखा
4	2000	417.49	–171.33	–29.10	अति सूखा
5	2002	378.67	–210.15	–35.69	अति सूखा
6	2007	648.3	–176.10	–48.70	अति सूखा
7	2009	576.7	–187.06	–45.60	अति सूखा

तालिका 2.11 जिले में सूखा प्रभावित वर्ष

चित्तौड़गढ़ के सन्दर्भ में सूखे की सुभेद्यता व जोखिम –

राजस्थान राज्य पिछले दशक में लगातार सूखे की चपेट में रहा हैं। वर्ष 1987, 1998, 2000, 2002, 2007, 2009 सूखे के वर्ष रहे हैं। वर्ष 2000 में तो 32 में से 32 जिले सूखे की चपेट में रहे। वर्ष 2000 में राज्य के 41000 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये। वही राज्य में कृषि योग्य 129.00 लाख हैक्टेयर भूमि में 48.06 लाख सूखा ग्रस्त रहा। इसमें लगभग 432.00 लाख जनसंख्या एवं 543.00 लाख जानवर प्रभावित हुये। सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2007 मे जिले में लगभग 1274 लाख रू. खर्च किये। इसी प्रकार वर्ष 2000–01 व 2001–02 में जिले में 2242 लाख, 2002–03 व 2003–04 में 2940 लाख रू व्यय किया गया। वर्ष 2004–05 व 2005–06 में 320.50 लाख रूपये व्यय हुये। जिले में वर्ष 2006–07 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारम्भ हो जाने से राहत कार्यो के संबंध में अलग से व्यय का आंकलन नहीं किया गया।

वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत जिले में कुल 1747 गांवों में से 1685 गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया। प्रभावित परिवारों को 100 दिन का रोजगार नरेगा योजनान्तर्गत दिया गया। जिले मे कुल 307 कार्य स्वीकृत किये गये। जिन पर 143680 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ।

सूखे की सुभेद्यता :–

सूखे से सर्वाधिक प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका तथा रोजगार के साधन मात्र कृषि पर निर्भर होते हैं। सूखे का सर्वाधिक प्रभाव कृषि उत्पादन पर ही पड़ता है। अतः कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। सूखे के कारण कृषि कार्य तथा फसल दोनो पर संकट उपस्थित हो जाता है। अतः कृषकों के समक्ष रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं बच जाता है।मनुष्य तथा जीव–जन्तु अन्य सुभेद्य लक्ष्य होते हैं। कृषि उत्पादन न होने, रोजगार साधन अल्प होने, जल का संकट होने से जीव समुदाय (मानव, जीव–जन्तु) के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जीव समुदाय त्राहि–त्राहि करने लगता हैं।

सूखे के जोखिम–

- पेयजल की कमी
- जलाशयों में पानी का अभाव
- भूगर्भिक जल स्तर में कमी
- कृषि उत्पादन का कम होना
- पशुचारे का संकट

- कुओं तथा परम्परागत जल स्त्रोतों का सूखना
- लोगों का पलायन
- वनस्पति का नष्ट होना
- आजीविका के साधन समाप्त होना
- बडी संख्या में जनधन की हानि होना

चित्तौड़गढ़ जिले मे सूखे के राहत व प्रत्याक्रमण प्रयासों का विवरण पूर्व में किया गया है।

- **भूकम्प–**भूकम्प एक आकस्मिक आपदा है, जो पृथ्वी के आन्तरिक भाग में होने वाली हलचल का परिणाम होता है। इससे लहरदार कम्पन्न उत्पन्न होता है, जो भूपटल पर नुकसान पहुँचाता है। अधिकांश भूकम्प भूपटल से 50–100 कि.मी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं । जिस स्थान पर भूकम्प उद्‌गम होता है वह भूकम्प मूल तथा इस मूल के ठीक उपर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।भूकम्प मूल से उठने वाली तरंगे अधिकेन्द्र पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है जबकि जैसे जैसे अधिकेन्द्र से दूर जाते है वैसे वैसे तीव्रता कम होती जाती है।26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में 6.9 तीव्रता का भूकम्प आया। यह गत 150 वर्षो का सबसे तीव्रता वाला भीषणतम भूकम्प था। इससे 20 हजार लोग काल के ग्रास बन गये।बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड टेक्नोलोजी प्रमोशन कांउसिल (बीएमटीपीसी) के अनुसार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र भूकम्प जोनII,IIIवIV में आते हैं।चित्तौड़गढ़ जोनIIमें आता है। यहाँ निम्न जोखिम की सम्भावनाएँ हैं।

राजस्थान : भूकम्प जोन–

क्र.सं.	जोन	तीव्रता	परिमाण	जिला
1	IV (उच्च नुकसान जोखिम)	VII-VIII	6.0–6.9	बाड़मेर, जालौर, अलवर, भरतपुर
2	III(सामान्य नुकसान जोखिम)	VI-VII	5.0–5.9	उदयपुर का कुछ भाग, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेंर, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनूं, सीकर
3	II (निम्न नुकसान जोखिम)	IV-VI	4.0	गंगानगर, चित्तौड़गढ़, कोटा, चुरू, बुन्दी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, पाली, जोधपुर

तालिका 2.12 राजस्थान में भूकम्प सम्भाव्य क्षेत्र

भूकम्प एवं सुभेद्यता–

रिक्टर स्केल में 6सेअधिक तीव्रता वाले भूकम्प के समय सुभेद्यता का विश्लेषण कठिन होता है। क्योकि ये समान रूप से अपने प्रभाव क्षेत्र में विनाश करता है।चितौड़गढ़ जिले में अब तक कोई विनाशकारी भूकम्प नहीं आया है। फिर भी बढ़ते शहरीकरण तथा ऊॅची इमारतों के निर्माण के कारण यहाँ पर भूकम्प का जोखिम बढ़ रहा है। भवन निर्माण में आवश्यक मानकों का पालन प्रायः यहाँ नहीं किया जाता है।

चितौड़गढ़ जिले में भूकम्प सुभेद्यता क्षेत्र निम्न है–

1. शहरी क्षेत्र
2. शहरी आवासीय क्षेत्र
3. बहुमंजिला इमारतें
4. बहुमंजिला व्यावसायिक भवन
5. बहुमंजिला प्रशासनिक भवन
6. प्रमुख बड़े बांध
7. रावतभाटा आण्विक सयंत्र
8. औद्योगिक इकाइयाँ
9. बड़े पुल
10. रेलवे लाइन व सड़कें

भूकम्प जोखिम –

भूकम्प का जोखिम रिक्टर स्केल पर मापी गई तीव्रता के अनुसार होता है। कम तीव्रता वाले भूकम्प का जोखिम कम तथा अधिक तीव्रता वाले भूकम्प का जोखिम अधिक होता है। तालिका 2.13 में भूकम्प तीव्रता व जोखिम को दर्शाया गया है।

क्र.सं.	मापक	जोखिम
1	0	केवल भूकम्प लेखीयंत्र से अनुभव।
2	3.5	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव।
3	4.2	आराम करते हुए लोगों को।
4	4.3	चलते हुए लोगों को, खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन्न।
5	4.8	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते है।
6	4.0–5.4	सभी लटकी वस्तुऐं हिलने लगती है।
7	5.5–6.1	दीवारों में दरार पडकर आतंक छा जाता है।
8	6.2	ऊंची ईमारतें गिर जाती है। मकानों में दरारें पड़ जाती है।

9	6.8–6.9	मकान धंस जाते है। भूमि में दरारें पड़ जाती है।
10	7.0–7.3	धरातल में लम्बी दरारें, भूस्खलन।
11	7.4–8.1	पुल रेल लाईनों का टूटना, भूस्खलन, बड़ी नदियों में बाढ़।
12	8.1 से अधिक	सर्वनाश धरातलीय पदार्थ हवा में छलने लगते है। धरातल में धसाँव व उभार।

तालिका 2.13 भूकम्प तीव्रता एवं उससे होने वाली हानि

- **दुर्घटनाऐं**–दुर्घटनाऐं आकस्मिक होती है। इनका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है और न ही इनसे होने वाले नुकसान का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। केवल इनके सुभेद्य क्षेत्र व जोखिम का विश्लेषण कर शमन व रोकथाम के प्रयास किये जा सकते है।

चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख संभावित दुर्घटनाऐं निम्न है–

1. सड़क दुर्घटना,रेल दुर्घटना
2. औद्योगिक – रासायनिक दुर्घटनाऐं
3. आण्विक दुर्घटनाऐं
4. बाँध टूटना
5. आग

सड़क दुर्घटना–

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है। जिसके फलस्वरूप आज दुरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते है उसमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावहता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घण्टे में 10 व्यक्ति दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इससे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिसमेंबहुत से उम्र भर के लिये अपंग हो जाते है।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं को रोके ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी की जा सके।

वर्ष	सड़क दुर्घटना संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
2010	689	280	956
2011	600	219	856
2012	633	250	928
2013	627	250	771
2014	682	270	894
2015	663	261	776
2016	656	248	740
2017	602	288	651
2018	542	270	569

तालिका 2.14 जिला चित्तौड़गढ़ में विगत पॉच वर्षों से हुई सड़क दुर्घटना एवं जनहानि।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- गाड़ी चलाने में लापरवाही।
- यातायात नियमों का पालन न करना।
- खराब सड़कें।
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़।
- गाड़ियों का अनुचित रखरखाव।
- आवारा मवेशियों का सड़क पर पाया जाना।
- नीलगायों (रोजड़ों) जंगली जानवरों का अचानक रोड क्रोस करना।

सड़क दुर्घटनाएं : सुभेद्यता व जोखिम

चित्तौड़गढ़ जिले में कुल सड़कों की लम्बाई 4073 किमी है। यहां सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण यातायात के नियमों की जानकारी नही होना, सड़क के दोनों ओर भारी मात्रा में बिलायती बबूलों का होना, जिससे सामने से आने वाले वाहनों को समय पर नजर नही आता तथा वाहनों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां एवं माल लोडिंग करना है।

रेल दुर्घटनाएं : सुभेद्यता व जोखिम

चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़, निम्बाहेडा, गंगरार, कपासन, बड़ीसादड़ी, भोपालसागर, बेगूँ तहसील क्षेत्र से रेल्वे लाईन गुजरती है तथा गत 5 वर्षों में यहां कोई रेल दुर्घटना नही हुई है। किन्तु आकस्मिक दुर्घटनाऐं पूर्व चेतावनी नहीं देती हैं। अतः समय–समय पर मॉक ड्रिल आवश्यक है।

जिला चित्तौड़गढ़ से नेशनल हाईवे 76 (मंगलवाड, चित्तौड़गढ़ पारसोली व लाडपुरा) एवं 79 (गंगरार, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेडा) से गुजरते है। जिस पर से प्रतिदिन लगभग 12 हजार वाहन गुजरते है तथा हाईवे पर भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। यहां पर अधिकतर दुर्घटनाएं गलत ओवर टेकिंग के कारण होती है।

चित्तौड़गढ़ जिले के मुख्य दुर्घटना सम्भावित मार्ग व क्षेत्रों का विवरण–

सड़क मार्ग	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र
चित्तौड़गढ़ से कोटा मार्ग	ठुकराई, मेनाल, जोगणिया माता घाटा सेक्शन,काटुन्दा।
जयपुर–चित्तौड़गढ़–उदयपुर मार्ग	औछड़ी क्षेत्र, चन्देरिया क्षेत्र, गंगरार क्षेत्र

तालिका 2.15 जिले में सड़क दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र

दुर्घटना राहत कार्य योजना–

दुर्घटना कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती है अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा दूरभाष नं. 100, 101 व 102 पर तुरन्त सूचना दे। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है। वरन मौके पर उपस्थित आम आदमी का भी यह कर्तव्य है कि वो तत्काल प्रशासन, पुलिस, चिकित्सालय आदि को दूरभाष पर सूचना देवें।

- **आग–**मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते है। जिले की अर्द्धशुष्क जलवायु के साथ ही बढ़ती औद्योगिक इकाइयों, ऑयल डिपो, गैस गोदाम/डिपो साथ ही कच्चे केलूपोस मकान एवं झोपड़ियाँ, बिजली के शॉर्ट सर्किट हो जाना एवं पहाड़ी सघन वन क्षेत्रों में बाँस आदि की रगड़ से आग लग जाना एवं कई बार राहगीरों द्वारा बीडी, सिगरेट पीकर उसको अर्द्ध जली हालत में फेंकने के कारण आग लगने की सम्भावनाऐं अधिक रहती हैं। आग लगने पर घटना स्थल पर विस्फोट होना, तापमान बढ़ना, भवनों का गिर जाना/क्षति होना, आवश्यक सेवाओं पानी, बिजली आदि में व्यवधान, जान–माल की हानि तथा वनस्पति का नष्ट होना आदि दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। कई बार रसोई

घर में भी रसोई गैस चलाकर इधर उधर चले जाना एवं पुराने पाईप से गैस लीक होना, गैस चलाने के लिए माचिस का उपयोग, बिजली के बटन से भी आग लगने की संभावनाएँ होती हैं। यंत्रों के अधिक गर्म होने पर चिंगारियाँ, शादी के पाण्डाल, वहीं पर गैस भट्टियाँ एवं तंदूर आदि, बिजली फिटिंग में लापरवाही, उत्पादन स्थल एवं स्टोर स्थल का अलग न होना, ज्वलनशील पदार्थ के अधिक मात्रा में एकत्रित होने से एवं शहरों में खाली पड़े प्लाटों में झाड़–झंकाड़, वर्षा ऋतु में बिजली गिरने, पेट्रोल पम्प पर, गैस एजेसिंयों में एवं छवीगृहों में मानवीय भूल आदि कारणों से आग लगने की अधिक संभावनाएं रहती है।

औद्योगिक इकाईयों में अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारन एवं असावधानी पूर्वक प्रयोग साथ ही ज्वलनशील घोल में अन्य प्रदार्थ के मिश्रण से भी आग लग सकती है, देश में हुए कुछ उदाहरण जैसे –शादी ब्याह के कारण डबलवाली अग्निकाण्ड, भारत में ऑयल डीपो में आग आदि। कई परिस्थितियों से शहरी क्षेत्र में भयंकर आग लगने की स्थिति उत्पन हो जाते है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी कच्चे मकान, बिजली शॉर्ट सर्किट होना, बिस्तर में लेटे–लेटे बिड़ी सिगरेट पीना, आतिशबाजी, खेत–खलिहानों में अवशिष्ट को जलाने पर हवा चलने से चारों ओर आग फैलकर भयावह रूप धारण कर लेती है।

व्यावसायिक व रिहायशी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है। घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहाँ पर लकडी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल–मई में स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड देते है। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड देते है। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घासपत्ती लकडी एवं सड़क पर चलती मोटर गाडी की चिंगारी पडने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतम अग्निकाण्ड मानवजनित होते है। बिजली शार्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशु हानि, निजी–सार्वजनिक सम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकतर आग काश्तकारों के द्वारा कड़बी (चारा) इकट्ठे करने वाले स्थानों पर बीड़ी या सिगरेट की चिंगारी से आग लगने की घटनाएँ।

चित्तौड़गढ़ जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र :

चित्तौड़गढ़ शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल पम्प, छविग्रह, निजी इमारतें, कटला आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र है। पेट्रोल पम्पों, छविग्रहों तथा गैस एजेंसियों की सूची परिशिष्ट संख्या 24, 25, 26 में संलग्न है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ के अभ्यारण्य क्षेत्रों–बस्सी, सीतामाता, रावतभाटा का वन क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में आग लगने की पूरी सम्भावना होती है।

अग्निकाण्ड की अन्य संभावनाएँ :

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो जाती है जिस पर यदि त्वरित नियत्रंण न किया तो वे अत्यधिक भंयकर रूप ले सकती है यथा वे औद्योगिक इकाइयाँ जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है। जैसे–सीमेंट उत्पादक, रासायनिक उर्वरक इकाईयाँ आदि।

- **साम्प्रदायिक तनाव–**भारत देश में अनेक धर्मों के लोग रहते है। राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता एवं सामाजिक विद्वेषों के कारण छोटे–छोटे झगडे कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते है। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने की संभावना बनी रहती है। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न त्यौहार, रैलियों, जुलुस, मेले आदि साम्प्रदायिक तत्वों के सुभेद्य लक्ष्य होते है।साम्प्रदायिक तनाव व दंगों को कम करने हेतु जिला प्रशासन अपने स्तर पर शांति सभाओं का आयोजन करते है। जिनमें वह सभी सम्प्रदायों के प्रभावशाली लोगों को बुलाते है तथा उनसे अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने हेतु अनुरोध करते है।
- **ओलावृष्टि–**ओलावृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आंकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आंधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नही होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षतिग्रस्त करते हुए निकलता है इसकी सुभेद्यता व जोखिम सामान्यतया फसलो व कृषकों के सन्दर्भ में होती है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आंकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

- **बांध टूटना–**सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का

अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद–बूंद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता जो कि कृषि पर निर्भर है को आजीविका देने के साथ–साथ बाँध जान लेने पर भी उतारू हो जाते है। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस हेतु –

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल निकास द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे – क्रेन, रस्सा, चाबी आदि के जाँच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्युटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियत्रंण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बांधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी संभावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बांधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई बांधों में से अधिकांश बांध स्टेट टाईम के निर्मित है। कई बांधों व नहरों की हालत जीर्णशीर्ण है। सिंचाई विभाग के अधीनस्थ बांधों के डाउन स्ट्रीम में आबादी क्षेत्र काफी विकसित है। साथ ही इन बांधों में पाईपिंग (गुल्ला) भी वर्षा सत्र में होती रहती है जिससे बांध के टूटने का खतरा बना रहता है। इसी प्रकार जहां क्षारीय मिट्टी से नहर बनी होती है वहाँ भी नहर के टूटने का खतरा बना रहता है। जिससे जान व माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है।

जिले में बाँध टूटने से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची तथा उनसे प्रभावित होने वाली जनसंख्या निम्न है–

तहसील	बांध	बांध टूटने से प्रभावित होने वाले गांवो की सूची
निम्बाहेडा	गंभीरी	अरनिया जोशी, अरनियापंथ, कृपा राम जी की खेडी, टाई, सरथल, उंखलिया, गिलुण्ड, घटियावली, खेरी, चित्तौडीखेडी, फाचर, चित्तौड़गढ़शहर,झोपडियाँ, न्यूक्लॉथ मार्केट, गांधीनगर, कीरखेड़ा, चन्देरिया, आज्योड़ा
निम्बाहेडा	मुरलिया टेक	रावलिया, शम्भूपुरा, सतखण्डा, चित्तौड़गढ़
भदेसर	सांवरिया सरोवर बांध	मण्डफिया, सेगवा, टांडीखेडा, रदईखेड़ा

- **रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ–**तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ रही है। कुछ बडी दुर्घटनाएँ जैसे भोपाल गैस काण्ड और अग्नि एवं

विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम है। सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवतापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएँ भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को टालने हेतु उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएँ बननी चाहिए तथा साथ ही मॉकड्रिल का होना भी आवश्यक है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के संभावित प्रभाव निम्नलिखित है–

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रव्यों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोड़वेज, विद्युत एंव जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

चितौड़गढ जिला औद्योगिक दृष्टि से काफी अग्रसर है परन्तु फिर भी जिले में मुख्यतः कृषि आधारित एंव खनिज आधारित उद्योग स्थापित है। यह ईकाइयां मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है। इन उद्योगों का सीधा असर आवासीय कॉलानियों पर नहीं है। सामान्यतः इन उद्योगों में किसी आपदा की विशेष सभांवना रहती है। दुघर्टना होने पर कर्मचारी का इलाज तुरन्त इकाई द्वारा किया जाता है एंव अन्य प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर जिला प्रशासन से सहायता ली जाती है।दुर्घटना सम्भावित मुख्य उद्योग निम्न है–

तहसील	उद्योग का नाम व पता	उद्योग का प्रकार
चितौड़गढ़	मै. चन्देरिया लेड जिंक स्मेलटर, पुठोली	जिंक सीसा
	मै. बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चन्देरिया	सीमेन्ट
	मै. चितौड़ सीमेन्ट वर्क्स, चन्देरिया	सीमेन्ट
	मै. आदित्य सीमेन्ट, सावा	सीमेन्ट
	मै. जे. के. पावर, बामनिया	पावर प्लांट
	मै. जे. के. सीमेन्ट, मांगरोल	सीमेन्ट
निम्बाहेड़ा	मै. जे. के. सीमेन्ट, निम्बाहेड़ा	सीमेन्ट
	मै. वंडर सीमेन्ट, निम्बाहेडा	सीमेन्ट
	मै. लाफार्ज सीमेन्ट, भावलिया	सीमेन्ट
	मै. मधुसुदन इन्ण्ड लि., निम्बाहेड़ा	रिफायनरी
	मै. अरिहन्त फास्फेट, सगवाडिया	खोर
कपासन	मै. दी मेवाड़ डिस्ट्रीलरीज एण्ड फे. वर्क्स, भोपालसागर	डिस्ट्रीलरीज

तालिका 2.16 चित्तौड़गढ़ – दुर्घटना सम्भावित प्रमुख उद्योग

- **आण्विक दुर्घटना–**आण्विक दुर्घटनाऐं वर्तमान समय की सबसे जोखिमपूर्ण दुर्घटनाऐं हैं। आण्विक शान्ति जहाँ एक और ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन है

वहीं दूसरी और आण्विक दुर्घटनाऐं मानव जीवन व पर्यावरण पर सैंकड़ों वर्षो तक प्रभाव डालती हैं।

चितौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील में आण्विक ऊर्जा संयत्र स्थापित है। यह केन्द्र सरकार के अधीन है। किन्तु आपातकाल की स्थिति में जिला मुख्यालय तथा आस पास के जिले ही प्रमुख रिस्पोंडर होगें।

आण्विक रिसाव या दुर्घटना की दशा में कई सैकडों कि.मी. का भाग जोखिमपूर्ण व सुभेद्य होगा। रावतभाटा तहसील, बेंगु तहसील व कोटा जिला, म.प्र. के जिले (जो रावतभाटा से लगते है)– सिंगोली, नीमच आदि उच्च सुभेद्य व जोखिम की स्थिति में होंगे। स्थापना से बाद आज तक उक्त सयंत्र में ऐसी कोई दुर्घटना सामने नहीं आई है क्योंकि सुरक्षा के उच्च मानक स्तर निर्धारित किये जाते हैं अन्यथा सम्पूर्ण जीव जगत समान रूप से बुरी तरह प्रभावित होता हैं।

2.4 जिले की विपदा भेद्यता क्षमता एंव जोखिम मूल्यांकन(HVCRA)

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्व स्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्न स्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भंयकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटित होने पर उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधी में सभी लोग प्रभावित होते है लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अंपग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है क्योंकि उनकी आर्थिक एंव शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है ।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाली जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है जिन्हे मुख्यतः पाँच भागों में विभक्त किया है।

- जलवायु सम्बन्धित –बाढ़, सुखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एंव बिजली का गिरना।
- भूगर्भ सम्बन्धित – भूकम्प , भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- रासायनिक, औद्योगिक एंव परमाणु सम्बन्धित– रासायनिक एंव औद्योगिक विपदा एंव परमाणु विपदा।
- दुर्घटना सम्बन्धित– आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एंव रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- जैविक आपदाएँ– महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

चितौड़गढ़ जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना में जिले में प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन विभिन्न स्तरों पर किया गया है।जिले में संभावित 10 आपदाएं चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य पाँच आपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एंव अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी । पाँच मुख्य आपदाऐं निम्न हैं–

- **सूखा**
- **बाढ़**
- **दुर्घटनाएं**
- **आग**
- **भूकम्प**

अन्य आपदाऐं–

- **साम्प्रदायिक दंगें**
- **ओलावृष्टि**
- **बांध टूटना**
- **रसायनिक एंव औद्योगिक आपदाऐं**
- **ताप (लू) व शीतघात**

संवेदनशीलता–

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहाँ के लोगों के जीवन स्तर, वहाँ की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।

लोग+स्थिति+स्थान+समय+घटना

- **भौतिक संवेदनशीलता–**भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन है जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है। घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते है :–

- **मिट्टी की दीवार, कवेलू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एंव स्थानीय उपलब्ध पत्थर –**जिले का लगभग 15 प्रतिशत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार VII (MKS) तक तीव्रता के भूकम्प आने पर मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र में आता है।
- **पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर–**जिले में पकी हुई ईंटो या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने का संभावना है।
- **सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढ़ाचों के साथ–**इस तरह के घरों का कम नुकसान होने की संभावना है अर्थात भूकम्प का दृष्टि से कुछ हद तक इन्हे ठीक कहा जा सकता है।
- **हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोपड़ियाँ –**इस तरह की सामग्री से बनी हुई झोंपड़ियाँ भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवायें अगर 47 एम./सै. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की सम्भावना है।

आर्थिक, सामाजिक संवेदनशीलता–सामाजिक एंव परिस्थितिक दृष्टि से कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

खतरा = विपदा + संवेदनशीलता

- हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गौण प्रभाव
- गरीबी
- संसाधनो की कमी।

जिले में बी. पी. एल. 2002 की सुओ– मोटो रिसर्वे के पश्चात् दिनांक 10.08.2007को जारी संशोधत सूची के सनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले

परिवारों की संख्या 56141 थी। वर्तमान में बी.पी.एल. परिवारों का विवरण निम्नानुसार है।

बी.पी.एल. परिवारो का विवरण (सुभेद्य जन)–

क्र. स.	पंचायत समिति	बीपीएल परिवारो की संख्या	गैर बीपीएल. परिवारो की संख्या	कुल योग
1	राशमी	4543	15391	19934
2	गंगरार	7183	16406	23589
3	बेगूं	4575	20242	24817
4	भैसरोडगढ़	6340	12151	18491
5	चितौडगढ़	5786	33186	38972
6	कपासन	5756	15461	21217
7	डूँगला	2927	18847	21774
8	भदेसर	4174	21838	26012
9	निम्बाहेडा	8576	25741	34317
10	बडीसादडी	5273	19226	24499
11	भूपालसागर	5981	13146	19127
	कुल योग	**61114**	**211635**	**272749**

तालिका 2.17 बी.पी.एल.सूची बीपीएल व गैर बीपीएल परिवारों की संख्या (2019)

2.5 जिले की प्रमुख आपदाओं के सन्दर्भ में क्षमता मूल्यांकन –

चितौड़गढ़ जिले में बाढ़, सूखा, दुर्घटनाऐं, भूकम्प, ओलावृष्टि आदि प्रमुख आपदाऐं हैं।जिलें में आपदा प्रंबधन प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत जिले में एक सुदृढ़ आपदा प्रंबधन तंत्र कार्यरत है। बाढ़ के समय राहत व प्रत्याक्रमण हेतु जिले में पर्याप्त सुविधाऐं विद्यमान है। आवश्यकता पडने पर समीप के जिलों व राज्यों से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 2016 में आयी बाढ़ का जिला प्रशासन द्वारा सराहनीय प्रबन्धन किया गया जिससे जन–धन हानि को काफी

सीमा तक कम किया जा सका। बाढ़ राहत हेतु नोडल विभाग–नगर परिषद्, चिकित्सा, सिंचाई, पुलिस आदि हैं।

सूखा राहत व प्रबंधन में लिए जिले में मनरेगा चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को आजीविका कमाने हेतु 180 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसी प्रकार पेयजल टेंकर, चारा, रियायती अनाज आदि की व्यवस्था नगर परिषद् व जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। इस हेतु नोडल विभाग जिला परिषद, सिंचाई, चिकित्सा विभाग है। प्रचंड सूखा होने पर राज्य व केन्द्र सरकार की भी सहायता मांगी जाती है।

दुर्घटनाओं मे नियंत्रण व राहत हेतु जिले में परिवहन विभाग,रेल विभाग , उद्योग विभाग व चिकित्सा विभाग प्रयासरत है सभी अपने अपने स्तर पर मॉकड्रिल आयोजित करते है। तथा बचाव व राहत के उपकरण व संसाधन तैयार रखते है।

जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस सेवा तथा इमरजेंसी व ट्रोमा वार्ड 24 घंटे कार्यरत है। जिले के समीप ही बड़े मल्टी स्पेश्यल्टी अस्पताल भी कार्यरत है।

भूकम्प के समय के नोडल विभाग– सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद् चिकित्सा विभाग है। भूकम्प राहत व प्रत्याक्रमण हेतु चेतावनी प्रणाली, तथा भवन निर्माण में मानक स्तर प्रयोग करने की प्रतिबद्धता आवश्यक है।

इसी प्रकार ओलावृष्टि, तापघात, शीतलहरी जैसी आपदाऐं यद्यपि चितौड़गढ़ के सन्दर्भ में इतनी महत्वपूर्ण नही है फिर भी जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सदैव सजग रहते है।

किसी भी स्थान पर आने वाली आपदाऐं उनमे प्रभाव तथा उनसे निपटने के तरिकों में भिन्नता पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र में आपदा व राहत प्रत्याक्रमण की सटीकता व प्रभावशीलता के लिए उस क्षेत्र का आपदा– सुभेद्यता व जोखिम विश्लेषण आवश्यक है।चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख आपदाएँ– सूखा, बाढ़, भूकम्प, दुर्घटनाऐं(सड़क–रेल दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, आण्विक दुर्घटना) ओलावृष्टि आदि है। उक्त आपदाओं के सुभेद्य लक्ष्य अलग अलग है। जिले में पृथक–पृथक क्षेत्र बाढ़, सूखा, दुर्घटनाओं तथा मौसम सम्बन्धी अतिशयताओं से सम्बन्धित है। साथ ही साथ चितौड़गढ़ के सन्दर्भ में पृथक–पृथक क्षेत्र आपदाओं के जोखिम भी भिन्न है। उक्त आपदाओं के सन्दर्भ में जिले की क्षमताओं का मूल्यांकन भी आवश्यक है जिससे जिले की तैयारियों, उपलब्ध संसाधनों व उपकरणों का पता लगाकर कमियों को दूर किया जा सके।

अध्याय– 3

Disaster Management:

InstitutionalArrangements

आपदा प्रबंधन :संस्थागत व्यवस्थाऐं

विषय वस्तु –

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध : संस्थागत ढांचा

3.2 राज्य आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा

3.3 जिला आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा

3.4अन्य सरकारी व निजी आपातकालीन सेवाऐं

3.5पूर्वानुमान व चेतावनी तंत्र

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा

आपदा प्रबंधन कानून : 2005 के लागू होने के बाद आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है। ये सभी परस्पर समन्वय से आपदा प्रबंधन हेतु कार्य करते हैं।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण– प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। प्रमुख कार्य आपदा प्रबंधन हेतु नीति निर्धारण है।

- राष्ट्रीय कार्यकारी समिति – यह गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता करती है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) – आपदा प्रबंधन में क्षमता संवर्धन हेतु गठित किया गया है।
- राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF)– आपदा की दशा में राहत, खोज व बचाव हेतु गठित विशेष बल ।

3.2 राज्य आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा–

राष्ट्रीय स्तर के समान ही चार एजेसियों का गठन राज्य स्तर पर किया गया है–

क्र. सं.	एजेन्सी	मुखिया	कार्य
1.	राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण	मुख्यमंत्री	नीतिनिर्धारण
2.	राज्य कार्यकारी समिति	मुख्य सचिव	राज्य को सहायता व समन्वय
3.	राज्य आपदा अनुक्रिया बल	–	खोज, राहत व बचाव
4.	राज्य आपदा प्रबंधन केन्द्र	–	प्रशिक्षण

तालिका 3.1 आपदा प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय ढांचा

3.3 जिला आपदा प्रबंध : संस्थागत ढांचा–

चित्तौड़गढ़ जिले में केन्द्र व राज्य के समान ही संस्थागत ढांचा कार्यरत है। इस हेतु निम्न प्रकार से संस्थाऐं/एजेंसिया कार्यरत है–

क्र.सं.	एजेंसी विभाग	कार्य
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	आपदा प्रबंधन योजना व नीति निर्धारण
2.	इंसिडेंट रिस्पाँस सिस्टम	आपदा के समय त्वरित अनुक्रिया

3.	EOC (इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर)	आपातकालीन स्थितियों पर नजर
4.	जिला कार्यकारी समिति	आपदा प्रबंधन योजना व नीतिनिर्धारण में सहयोग

तालिका 3.2 चित्तौड़गढ़ आपदा प्रबंध हेतु संस्थागत ढांचा

जिला कलक्टर हेतु आपदा के प्रबन्धन बाबत संस्थागत व्यवस्थाऐं–

प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलक्टर उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए जिला कलक्टर आपदा के समय अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकते है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकते हैं। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा उप जिला कलक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

- **स्थायी व्यवस्था–**प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 8 (4) आ.प्र. एवं स.आ. /आ.प्र./19361 दिनांक 06.9.2007 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का क्रियान्वयन करेगा। अधिसूचना के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निम्नांकित सदस्य होंगेः–

क्र.सं.	अधिकारी मय पद	पदनाम
1	जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़	अध्यक्ष
2	जिला प्रमुख, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़	सहअध्यक्ष
3	जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़	सदस्य
4	जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्तौड़गढ़	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़	सदस्य
6	अधीक्षण इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण, विभाग वृत, चित्तौड़गढ़	सदस्य
7	कार्यपालक इंजीनियर, जल संसाधन विभाग खण्ड –चित्तौड़गढ़	सदस्य

तालिका 3.3 चित्तौड़गढ़ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

उक्त अधिनियम की धारा 25 (4) के तहत अतिरिक्त जिला दण्डनायक, चित्तौड़गढ़ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। शासन सचिव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के पंत्राक एफ. 8 (1) आ.

प्र.एवंसहा./आ.प्र./11/15958–92 दिनांक 26.12.2012 के अनुसरण में जिला आपदा योजना तैयार करवाने एवं इस पर प्रभावी मोनिटरिंग हेतु जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमाक/आ.प्र.एवं सहा./2012/15 दिनांक 29.01.2013 द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है।

नाम अधिकारी	पद
1. अति. जिला मजिस्ट्रेट	संयोजक
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य
3. अति. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4. कोषाधिकारी	सदस्य
5. जिला सांख्यिकी अधिकारी/(AD Statistics)	नोडल ऑफिसर
6. महा. प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
7. सी.ओ. स्काउट	सदस्य
8. कमीश्नर नगर परिषद	सदस्य
9. कमांडेन्ट होमगार्ड	सदस्य

समिति योजना तैयार करवा कर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदन उपरान्त राज्य स्तर पर भिजवायेंगी।

- जिला कलक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेंगे तथा प्रत्येक विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेंगे तथा सूचना सचिव सहायता विभाग को भेजेंगे।
- उपखण्डों पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जो आपदा आने पर स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष स्थापित है।

- **नियंत्रण कक्ष–**
  - नियंत्रण कक्ष जिला कलक्ट्रेट में स्थापित है जो आपदा के समय चौबीस घंटे संचालित रहता है।
  - नियंत्रण कक्ष में कुल छः व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्ति होगी (दो व्यक्ति हर पारी में)।
  - नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नम्बर होंगे।
  - नियंत्रण कक्ष के फोन नं. 01472–244923 तथा चार अंकीय टोल फ्री नंबर 1077 हैं।

आपदा के दौरान जिला कलक्टर की भूमिका : रोकथाम, तत्परता एवं शमन के उपाय–

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना एवं समन्वय करना। उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना ।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।

- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा जिला स्तरीय एवं राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएँ व आँकड़े तैयार रखवाना।
- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- रेल्वे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
- नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा विवरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउंटर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना, पड़ोसी राज्यों एवं अन्य विभागों से सहायता लेना।

पुलिस विभाग–

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स, एन.सी.सी. तथा एन.एस.एस.–

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हे आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेगें।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

चिकित्सा विभाग की भूमिका–

- विभाग में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाइयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
  आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सकें।
- एम्बुलेंस की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिट्स को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुॅचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद/निगम की मदद लेना।

सिंचाई विभाग–

- बाढ़ द्वारा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करना तथा उनके मानचित्र तैयार करना।
- विगत वर्षो में आई बाढ़ का विवरण तैयार करना एवं पुनःसामान्य स्थिति प्राप्त करने हेतु की गयी कार्यवाही का उल्लेख करना।
- संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्व निरीक्षण जिसमें पुल, पुलिया के नीचे बहने वाली नदियाँ व नहरें, बांधों के दरवाजे आदि सम्मिलित हैं।
- आपदा काल हेतु कंकर पत्थर एवं खाली थैले तैयार रखना।
- नदी बहाव के अवरोधों को मानसून पूर्व ही दूर करवाना।
- तैराकों–नाविकों की सूची तैयार रखना व अच्छी हालत में मैन्युअल उपकरण सहित जीवन रक्षक जैकेटों की व्यवस्था रखना।

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे। (जैसे पम्पसेटों की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएँ लेना।
- कंकड पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधो व तालाबों मे आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग–

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर उपस्थित होने हेतु पाबंद करेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग–

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

विद्युत वितरण निगम–

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।

दूर संचार निगम–

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाइल, हॉटलाईन)।

- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

नगर पालिकाएँ/परिषद्/निगम–

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाइयों का छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र वाहन आदि)

परिवहन विभाग–

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग–

- खाद्य सामग्री, पैट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे मदद के लिये सूचना देना।

पशुपालन विभाग–

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी दवाईंयों की व्यवस्था करना।
- पशुओं के उपचार हेतु डॉक्टर उपलब्ध कराना।
- मृत पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम कराना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

स्वयंसेवी संगठन/संस्थाएँ–

- हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

3.4 अन्य सरकारी व निजी आपातकालीन सेवाऐं–

जिले में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाऐं संचालित की जाती है। पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा नियंत्रण कक्ष, जिला प्रशासन 24 घण्टे संचालित होते हैं।

विभिन्न निजी अस्पतालों की आपातकालीन सुविधाओं का प्रयोग भी आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। निजी विद्यालय तथा निजी औद्योगिक

व व्यावसायिक संस्थान भी आवश्यकता पड़ने पर आवास तथा आश्रय के रूप में काम आ सकते है ।

3.5 पूर्वानुमान व चेतावनी–

जिला सूचना केन्द्र इस हेतु नोडल एजेंसी है जबकि आकाशवाणी, जिला केबल, स्थानीय टीवी चैनल, प्रशासनिक उद्घोषणा तंत्र आपदा पूर्व चेतावनी के अन्य साधन है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये विभिन्न निर्देशों की जिला स्तर पर पूर्ण अनुपालना एवं समीक्षा की जाती है।आपदा के समय जिला कलक्टर के दिशा निर्देश में अति. कलक्टर (प्रभारी अधिकारी सहायता) एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, एवं समस्त विभागीय अधिकारी स्वंय सेवी संस्थाऐं, होमगार्ड एक टीम के रूप में त्वरित कार्यवाही कर बचाव एवं राहत प्रदान करती है।जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार कर उसका अद्यतन 2019 हेतु प्रस्तुत पुस्तिका में किया गया है:–

1. **जिला ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (EOC)सुदृढीकरण**

   इस जिले में जिला मुख्यालय पर जिला ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (EOC)कमरा नं. 18 में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार इस 24 घण्टे संचालित किया जाता है। जिले में समस्त तहसील कार्यालयों में इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर आवश्यकतानुसार कार्यरत रहते हैं।

2. **खोज, बचाव, संचार व्यवस्था को विकसित करने हेतु जिले को सहायता आंवटित करने की प्रक्रिया–**

   इस जिले में सहायता विभाग से खोज बचाव व संचार व्यवस्था को विकसित करने हेतु प्राप्त उपकरण निम्नांकित है–

   - लिक्वीड क्रिस्टल डिस्प्ले (एल.सी.डी.)
   - वायरलेस सेट मय वॉकी टॉकी
   - कम्प्यूटर सेट मय प्रिन्टर, स्केनर, फैक्स (मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर)
   - जनरेटर सेट
   - मोबाइल फोन

उक्त समस्त उपकरण वर्तमान ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (EOC)में क्रियाशील है।डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR),अरबन रिस्क रिडक्शन (URR),इनसिडेन्स रेस्पोन्स सिस्टम(IRS),उक्त बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार चर्चायें कर सभी को जानकारी दी जाती है।

अध्याय–4

Prevention and Mitigation

रोकथाम एवं शमन

विषय वस्तु–

4.1 रोकथाम : आवश्यकता व प्रक्रिया

4.2 जिला चित्तौड़गढ़ः आपदाओं के संदर्भ में रोकथाम

4.3 शमन की आवश्यकता एवं उपाय

4.4 जिला चित्तौड़गढ़ : आपदानुसार शमन के उपाय

4.5 रोकथाम व शमन में नवाचार

4.1 रोकथाम : आवश्यकता व प्रक्रिया–

चित्तौड़गढ़ मे होने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में सूखा,बाढ़ एवं भूकम्प शामिल है, जबकि मानव–कृत आपदाओं में आतंकी आक्रमण, दुर्घटनाएँ एवं आगजनी प्रमुख है। जिला न्यूक्लियर एवं औद्योगिक आपदओं के लिऐ भी सुभेद्य है। युनाइटेड नेशंस इटंरनेशनल स्ट्रेटिजिन फॉर डिजास्टर रिडक्शन के अनुसार 'रोकथाम' एक ऐसी अवधारणा एवं अभिप्राय है जिससे समय रहते कार्यवाही करके सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता है। मानव –कृत आपदाओं की तरह, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ भूकम्प और चक्रवात को टाला नही जा सकता। लेकिन जोखिम भरे क्षेत्रों में विकास कार्यों की उचित योजनाओं के माध्यम से इन खतरों को आपदाओं में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है। अल्पीकरण(शमन) एक ऐसा कार्य है जिसके तहत ढ़ाँचागत एवं गैर ढ़ाँचागत उपायों के द्वारा होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

उपरोक्त प्राकृतिक एवं मानव–कृत आपदाओं के कारगर प्रबंधन के लिए प्रयुक्त उपायों में रोकथाम 'शमन सबंधी' पहलू भी शामिल होने चाहिए जैसे–पूर्व चेतावनी प्रणाली। जिले में सम्भावित विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन में सम्बन्धित विभागों को शामिल किया जा सकता है, आरेख 4.1 में इसे दर्शाया गया है।

रोकथाम–

रोकथाम संबंधी कार्यों में आपदाओ से होने वाले जोखिमों के स्तर की पहचान और निर्धारण करना और उससे जान माल और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कार्यवाही करना शामिल है। यह काम कानून बनाकर उन्हें लागू करके किया जा सकता है, जैसे भूमि उपयोग–संहिता, सुरक्षा अधिनियम, बिल्डिंग कोड्स, स्वच्छता, महामारी नियंत्रण,बाढ़ प्रबंधन आदि।रोकथाम के आसान उपायों में प्राकृतिक संसाधनो का संरक्षण, जलसंभर प्रबंधन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूतीकरण और बेहतर संचार व्यवस्था का विकास शामिल है। पारिस्थितिकीय पुनः प्रस्थापन, पर्यावरण प्रबंधन और क्षमता–वर्धन प्रक्रियाओ की भी संभांवित आपदओं की रोकथाम व शमन में महत्वपूर्ण भूमिका है। रोकथाम के उचित उपयों की कमी के रहते आपदा स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है, जिससे संभालना मुश्किल हो सकता है।

डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ डिपार्टमेंट राज्य की सभी नियामक संस्थाओं का सदस्य है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षित योजनाओं के लिए जरूरी उपाय सही तरीके से लागू हों।

जोखिम मूल्यांकन–

आपदाओं की पहचान और उनसे होने वाले जोखिमों का मूल्यांकन आपदा को कम करने की दिशा मे पहला कदम है। जोखिम मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संभावित जोखिम की प्रकृति और उसके विस्तार का निर्धारण

किया जाता है। यह कार्य सम्भावित आपदाओं व वर्तमान सुभेद्यता स्थिति के विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। आपदा और वर्तमान सुभेद्यता स्थिति मिलकर जान–माल, रोजी–रोटी और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते है।

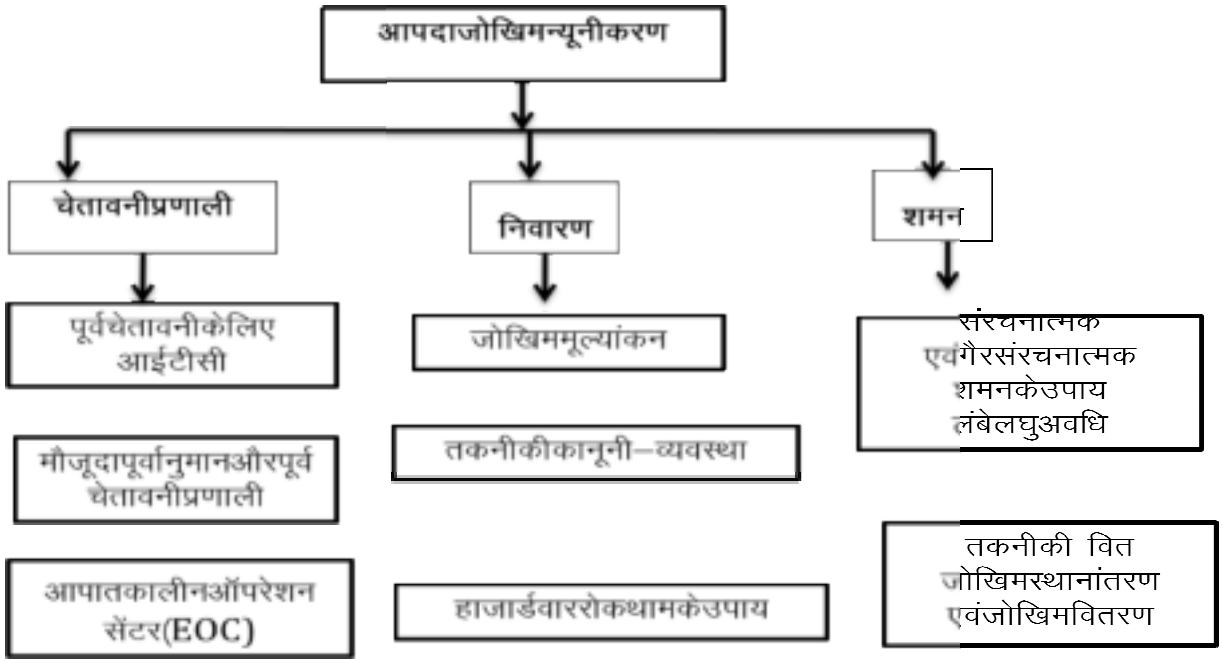

चित्र 4.1– आपदा रोकथाम व शमन

आपदा सुभेद्यताओं से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी विभाग, एजेंसियाँ, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिकारी, सभी आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का जोखिम एवं सुभेद्यता मूल्यांकन करायें।आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण और जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग डेटा पर आधारित सुभेद्यता विश्लेषण एक अनिवार्य जाँच घटक होना चाहिए।

तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था–

आपदा के विपरित प्रभावों को कम करने के लिए एक अनुकूल तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरूरी है इसके लिए कारगर नीतियों और कानूनों का बनाया जाना तथा जिले के विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों एवं एजेंसियो द्वारा उनको लागू किया जाना भी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राष्ट्रीय,राज्य,जिला तथा स्थानीय स्तर पर संस्थागत एवं समन्वयक प्रतिक्रयाओं का प्रावधान किया गया है। कारगर रोकथाम एवं शमन सम्बन्धी उपायों के लिए एक विस्तृत तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरूरी है जिसमें निम्न लिखित उपाय शामिल हों ।

- शमन निर्माण कार्यों में बेतहाशा वृद्धि और बढते शहरीकरण के मद्धेनजर,नगरपालिका कानूनों जैसे डवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस, बिल्डिंग बाइलाज और स्ट्रक्चरल सेफ्टी फीचर्स में बदलाव की जरूरत है।
- जरूरी रक्षा उपायों के बिना निमार्ण कार्यों के अयोग्य इलाके में इमारतें बनाने से उस क्षेत्र की आपदा सुभेद्यता और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे निपटने के लिये उचित अनुपालना प्रक्रिया की जरूरत है।
- पर्यावरण एवं आपदा आँकडों का विश्लेषण करके विभिन्न भौगोलिक व प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग योजना तैयार करना। यह शहरों और उच्च सघनता वाले क्षेत्रो में आवास के लिए सुरक्षित स्थान और अन्य सुविधाएँ मुहैया कराने के लिहाज सें बहुत ही प्रासंगिक है।
- छोटे स्तर पर विभिन्न उपयोगों के डाटाबेस के आधार पर एक भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करने की आवश्यकता है। विकास की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भूमि उपयोग योजना तैयार करने की भी महती आवश्यकता है।
- भूकम्प जैसी आपदायें लोगो को नहीं मारती लेकिन गलत तरीके से डिजाइन्ड ओर कमजोर इमारतें लोगों की मौत का कारण बनती है। नई इमारतो का सुरक्षित निर्माण और प्रमुख इमारतों में रीट्रोफिटिगं को वरीयता दी जायेगी।
- इंदिरा आवास योजना और अन्य सरकारी कल्याण व विकास योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों के डिजाईन और स्पेसिफिकेशंस को आपदा–सुरक्षा की दृष्टि से पुनः जाँचा जायेगा।
- राज्य/नगर पालिका के बिल्डिंग बाइलॉज में नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का समायोजन अनिवार्य होगा।
- राज्य व जिला स्तर पर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ठेकेदारों और राजमिस्त्रीयों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाने की जरूरत है।
- सुरक्षित विद्यालयों, अस्पतालों और प्रमुख स्मारकों एवं अन्य जीवनोपयोगी इमारतों की सुरक्षा को प्रमुख वरीयता होगी।
- जिले के सभी विद्यालयों व अस्पतालों की इमारतों को भूकम्परोधी बनाया जायेगा तथा उनमें अग्नि सुरक्षा के लिये उपयुक्त उपकरण लगाये जायेगें।

जिले में एक मजबूत अनुपालन व्यवस्था कायम करने की जरूरत है,जिसमें परिणामों की अनिवार्यता के साथ–साथ, टेक्नो–लीगल और फाईनेंसियल प्रावधानों की सफलता सुनिश्चित की जा सके। यह सुनिश्ति करना महत्वपूर्ण है कि जिले में निगरानी, सत्यापन और अनुपालन व्यवस्थाएं ठीक कार्य कर रही है।इन प्रावधानों का क्रियान्वयन सभी सहभागियों का दायित्व होगा ।

4.2 जिला चित्तौड़गढ़ः आपदाओं के संदर्भ में रोकथाम–

जिले में आपदानुसार सभी विभागों व एजेंसियो हेतु रोकथाम शमन के उपाय–

- **सूखा**

सामान्य उपाय–

सतही और भूजल का संयुक्त प्रयोग जल संभर विकास, एकीकृत घाटी योजना, सिंचित कृषि में जल प्रबंधन, उचित फसल पैटर्न का चयन, बरसाती जल का संभरण, भू–जल का कृत्रिम रिचार्ज, तालाबों और टांकों का जीर्णोद्धार, सिंचाई व्यवस्था की उचित देखभाल, जल का पुनः प्रयोग व *सबऑप्टिमल क्वालिटी* के जल का प्रयोग, जलाशयों से वाष्पीकृत क्षय की रोकथाम, मृदा वाष्पीकरण में कमी के उपाय।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

जल सम्पदा का एक सक्रिय डेटाबेस तैयार करना तथा वाटर रिसोर्स इन्फार्मेशन सिस्टम(डब्ल्यूआरईए) का विकास। एक विस्तृत जल सम्पदा रिपोर्ट तैयार करना जिसमें जलसंभर स्तर पर होने वाली वार्षिक विभिन्नताएँ शामिल हों।स्वचालित मौसम स्टेशनों और रेन गेज स्टेशनों के नेटवर्क का विस्तारीकरण जिससे वाष्पीकरण और बरसात संबंधी आंकडे प्राप्त हो सके। डीएमसीज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नोलेज सेंन्टर्स द्वारा किये जा रहे प्रयासों का सुसंगतीकरण करेगा। राज्य जल नीति 2010 के साथ समाभिरूपता।

- **भूकम्प**

सामान्य उपाय–

आम जनता को जागरूक करना तथा इलेक्ट्रोनिक एवं मिडिया द्वारा ''करो और मत करो'' की जानकारी देना, मौलिक रीट्रोफिटिंग उपायों की जानकारी देना । प्रशिक्षण के माध्यम से इंजीनियरों, आर्किटेक्ट और राजमिस्त्रियों का क्षमता–वर्धन।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हैजार्ड सेफ्टी सेल(एचएससी) का गठन। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में एक रेट्रोफिटिंग क्लीनिक की स्थापना।यह क्लीनिक रेट्रोफिटिंग उपायों के बारे में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को प्रशिक्षण देता है। क्षमता वर्धन, प्रशिक्षण,शोध एवं विकास कार्यो के लिए स्टेट रिसोर्स इंस्टिट्यूटस का चयन। एसईसी जरूरी तकनीकी एवं कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाएँ शुरू करेगा जिससे यह सुनिश्चित

किया जा सके कि सभी सहभागी जैसे बिल्डर्स, आर्कीटेक्ट्स, इंजीनियर्स और सरकारी विभाग भूकम्प रोधी निमार्ण पद्धति प्रयोग में ला रहे है और सभी डिजाइन एवं निर्माण कार्यों में भूकम्पी सुरक्षा प्रदान कर रहे है। सरकार एमएचए द्वारा निर्धारित मॉडल टाउन प्लानिगं बाइलॉज का पुनर्विवेचन करेगी और उन्हे लागू करेगी। निर्माण कार्यों मे सुरक्षा पहलुओं से जुडे सभी व्यवसायों को लाइसेंस देकर उनका प्रमाणीकरण डीसीआई में सम्मिलित किया जायेगा। एसईसी एक टैक्नो–लीगल फ्रेमवर्क की स्थापना करेगी जिससे निर्माण कार्य से जुडे मिस्त्रियों का प्रमाणीकरण किया जा सके। सभी बडे प्रोजेक्ट्स एवं इमारतों का किसी योग्य एजेंसी द्वारा अनुपालना रिव्यू किया जायेगा । वर्तमान इमारतों में किसी भी प्रकार का संशोधन, जिसमें भूकम्परोधीकरण और रीट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट शामिल है कि मॉनिटेरिंग यूएलबी द्वारा की जायेगी।

जिला प्रशासन ग्रामीण इलाकों में इमारतों के निमार्ण कार्य में भूकम्प नियमावली की अनुपालना के लिए उचित कदम उठायेगा। इस कार्य में पीआरआई को भी शामिल किया जायेगा।

- **बाढ़**

सामान्य उपाय–

भूसंरक्षण, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वन संरक्षण और विस्तारीकरण, जल प्रबंधन और चेक डेम के निमार्ण कार्यों को बढावा दिया जायेगा जिससे बाढ़ की तीव्रता को कम किया जा सके। जल संभरण परियोजना के लिए पर्याप्त फंड प्रदान किया जायेगा जिससे बेहतर तरीके से बाढ़ प्रबंधन किया जा सके।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में समय से चेतावनी देने के लिए एक विस्तृत बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित किया जायेगा । साथ ही बाढ़ उन्मुखी क्षेत्रों में जान–माल के नुकसान को कम करने के लिए उपनिवेश एवं आर्थिक क्रियाकलाप संबंधी कानूनों की जानकारी दी जायेगी ।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर–निर्माण संबंधी योजनाओं के लिए एसईसी द्वारा एक उपयुक्त लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जायेगा ।एसईसी यह सुनिश्चित करेगा कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में भवन निर्माण कार्यों में बाढ़ नियमावली की अनुपालना हो ।एसईसी अनियोजित विकास पहलुओं पर पाबंदी लगायेगी जिससे ऐसे निमार्ण कार्यों को रोका जा सके जो प्राकृतिक ड्रेनेज में रूकावट डालते है या जिन से बाढ़ का खतरा बढने की आशंका हो प्रमुख इमारतों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को वरियता दी जावेगी। जल बहाव, नहरों की क्षमता और जल संतुलन संबंधी अध्ययन कराया जायेगा ।एक ऐसा मंच तैयार किया जायेगा जिसके माध्यम से विभिन्न विभाग और प्राधिकरण (जैसे बांध प्राधिकरण,पावर

प्लांट्स,यूएलबीज, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग,(डीएमएण्डआर)बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी का आदान प्रदान कर सकें।

- **ओलावृष्टि**

सामान्य उपाय–

ओलावृष्टि सहित खराब मौसम के पूर्वानुमान और निगरानी के लिए डॉपलर स्थापित किये गये है। यह डॉपलर राज्य स्तर से चेतावनी प्रसारण का कार्य करेगें । इस चेतावनी की अनुपालना सम्पूर्ण जिले में की जायेगी।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

जयपुर में आईएमडी ने डॉपलर राडार लगाने का कार्य पूरा कर लिया है।

- **गर्मी एवं शीत लहर**

सामान्य उपाय–

अगर जरूरत पडी तो जिला प्रशासन शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम ग्रह स्थापित करेगा।गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य सामुदायिक समूहों के सहयोग से जिला प्रशासन कम्बल, बैम्बूशीट्स, तारपॉलिन और कपड़ों के वितरण की व्यवस्था करेगा।

- **महामारी**

सामान्य उपाय–

- लक्षित टीकाकरण अभियान ।
- पूर्व चेतावनी एवं निगरानी कार्यों के लिए सामुदायिक भागीदारी ।
- संकटकालीन देखभाल के लिए उपकरणों का प्रबंधन ।
- नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण ।
- सुरक्षित सेनिटेशन एवं हाइजीन, घरेलू जल उपचार, ओआरएस के प्रयोग और अन्य निरोधक दवाइयों के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार ।
- वैक्टर–बोर्न बीमारी की रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिडकाव।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

- क्रॉनिक क्षेत्रों में निगरानी के लिए इंटिग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम का विकास।
- विभिन्न विभागों और प्राधिकरणों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक मंच की स्थापना।
- छिडकाव आदि में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों जैसे जहरीले पदार्थो की हैडलिंग के लिए कानूनी व्यवस्था ।

• तेल अग्नि

सामान्य उपाय–

उद्योग इकाइयों, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों एवं सरकारी इमारतों की अग्नि सुरक्षा का स्वंय जोखिम विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मानक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण करना।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

- उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों आस–पास मध्यवर्ती क्षेत्रों का विकास ।
- ऑयल डिपो और खतरनाक रासायनिक उद्योग इकाइयों के आस–पास प्रतिबंधित बसावट।
- पर्यावरण पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए खतरनाक उद्योगों के आस–पास हरी पट्टी का विकास।
- ऑयल डिपो एवं उद्योगों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं(ऑनसाइट एवं ऑफसाइट) का सख्ती के साथ अनुपालन।

• दावानल

सामान्य उपाय–

- जिले के वनों उच्च जोखिम भरे क्षेत्रों का माइक्रो–जोनेशन।
- दावानल की निगरानी के लिए रिमोट सेसिंग टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल।
- दावानल की पूर्व चेतावनी के लिये रिमोट सेसिंगं के प्रयोगों हेतु क्षमता–वर्धन। उच्च जोखिम भरे इलाकों के लिए सूचना तंत्र की व्यवस्था।

• आतंकवाद

सामान्य उपाय–

- इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिटं मीडिया के माध्यम से जानकारी का प्रचार प्रसार ।
- सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों,संस्थानों और होटलों में सीसीटीवी और ऐक्सेस कंट्रोल सिस्टम की व्यवस्था ।
- प्रतिबंधित प्रवेश के लिए इंफ्रास्ट्रचर विकसित करके सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाना, सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित प्रवेश एवं अतिक्रमणरोधी व्यवस्था के लिए अवरोधकों का निर्माण ।
- गुप्त सूचना तंत्र और विश्लेषण प्रकियाओं का सशक्तिकरण। विभिन्न एजेंसियो द्वारा प्रस्तुत आंकडों के इन्टेलिजेंस एनालॉसिस के एकीकरण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ।
- इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया, संचार तकनीक, सूचना तकनीक, सोशल नेटर्वक का प्रयोग प्रमुख प्रतिष्ठानों पर उच्च सुरक्षा प्रबंध।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

विभिन्न राज्य एवं राष्ट्रीय एजेंसियो द्वारा प्रदत्त गुप्त सूचनाओं के विश्लेषण के लिए जिला इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन ।यह एजेंसी नियमित रूप

से एनआईए एवं अन्य एजेंसियों से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करेगी और उनके आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए उचित कार्यवाही निर्धारित करेगी।

आंतकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनों को ओर कठोर बनाया जायेगा जैसे अपहरण के मामले में नो–नैगोशिएशन पॉलिसी और कड़े आंतकरोधी कानून ।

- **न्यूक्लियर एवं रेडियोएक्टिव हैजर्ड्स**

सामान्य उपाय–

- सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहन देने के लिए ईनाम एवं जुर्माने का प्रावधान उद्योगों के लिए अनिवार्य डीडीआर योजना नीति ।
- मजबूत एवं पूर्व चेतावनी, रिसाव पहचान एवं फायर अलार्म।
- इंफ्रास्ट्क्चर के विकास (निकासी के लिए सडकें) आदि पर विशेष ध्यान।
- पडोसी जिलों के बीच बेहतर तालमेल को बढावा।
- इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया, संचार तकनीकी, सोशल मीडिया का प्रयोग
- पारदर्शी, विस्तृत, सफल एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन के क्रियान्वयन से जोखिम को घटाया जा सकता है,इससे स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक एवं आर्थिक कारकों पर पडने वाले असर को प्रबंधित किया जा सकता है।

तकनीकी एवं कानूनी उपाय–

अटॉमिक एनर्जी एक्ट1962 भारत का प्रमुख न्यूक्लियर कानून है। अटॉमिक एनर्जी रेग्यूलेशन बोर्ड में प्रस्तावित सुरक्षा प्रावधानों का नियंत्रण करता है। जिससें यह सुनिश्चित किया जा सके कि अटॉमिक विकिरण और नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कोई खतरा पैदा न हो।

4.3 शमन की आवश्यकता एवं उपाय–

इन श्रेणियों को आगे इस तरह भी विभाजित किया जा सकता है, किसी आपदा के लिए जिले के प्रत्येक विभाग या नोडल एजेन्सी द्वारा लम्बी एवं अल्प अवधि के लिए किये जाने वाले उपायों को तालिका4.1 में दिया गया है। सभी विभाग अपनी अपनी योजनाऐं, उद्देश्य एवं लक्ष्य तैयार करेगे और अपनी उपलब्धियों और अगले साल की योजना के लिए उनका सालाना पुनर्निरीक्षण करेंगे। एसईसी आपदा प्रबन्धन सम्बधित स्थानीय ज्ञान को ज्यादा बढ़ावा देगी। हैरिटेज इमारतों पर भी विशेष ध्यान दिया जावेगा।

अल्पावधि व दीर्घावधि उपायों को दो श्रेणियों में बाँटा गया है–

1. ढांचागत उपाय
2. गैर ढांचागत उपाय

4.4 जिला चित्तौड़गढ़ : आपदानुसार शमन के उपाय–

आपदा / विभाग	अल्पावधि		दीर्घावधि	
	ढाचांगत उपाय	गैर ढाचांगत उपाय	ढाचांगत उपाय	गैर ढाचांगत उपाय
सूखा (सबंद्ध एजेन्सियाँ डीएम एण्ड आर, जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग कृषि विभाग, पशु पालन विभाग)	• रैन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स • मृदा एवं नमी सरंक्षण उपाय • चारागाहों का विकास • शुष्क कृषि पद्धति को बढावा जैसे लो टिलेज, इनसीट, साईल कंजरवेशन, रेज्ड बैड, रिज, फरो, मल्चिग आदि • क्षेत्रीय स्तर पर जल संपदा बढाने के लिए • एमजीएनआईजीएस व जिले एवं राज्य की अन्य स्कीमों के बीच समाभिरूपता	• शुष्क कृषि तकनीक विकसित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ सहयोग • वाटरशेड और वाटर हारवेस्टिंग तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण • सामुदायिक चारा बैंक • नमक प्रतिरोधी फसलें • पानी की कम खपत वाली तकनीकों को बढावा जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिचाई	• स्थानीय जल संसाधनों के विकास एवं सरंक्षण के लिए विशेष अभियान • सिंचाई टैंक बनाने के लिए स्थान की पहचान और छोटी सिंचाई स्कीमों का निर्माण • लम्बी अवधि की परियोजनाऐं • नहरों की क्षमता बढाने के लिए। • एमजीएनआईजीएस एवं राज्य की व जिले की अन्य स्कीमों के बीच सहयोग	सूखा विराधी कार्यक्रमों के लिए एमजीएनआईईजीएस का उत्तोलन, इंटिग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम
भूकंप (संबद्ध एजेन्सियाँ : नगर परिषद्, सार्वजनिक निर्माण विभाग)	• सभी प्रमुख क्षेत्रों में जो भूकम्प के प्रति सुभेध है में सभी इमारतों की रिट्रोफिटिंग पर विशेष ध्यान • निर्माण एवं भूमि उपयोग योजनाओं के लिए नियत्रंण के जनरल डवेलपमेन्ट कंट्रोल रेगुलेशन (जीडीसीआर) में संशोधन	• भूकम्प सम्बधि सुरक्षा के लिए पीडब्ल्यूडी और युडीएच कर्मचारियों का अनुकुलन एवं आपदा प्रबन्धन में उनकी भुमिका • प्रमुख क्षेत्रों में जो भूकम्प सुभेध है। सुरक्षा ऑडिट • भूकम्प रोधी विशेषज्ञताओं पर आर्कीटेक्ट्रस इन्जिनियरस और राज मिस्त्रियों का क्षमता वर्धन	• सभी क्षेत्रों, कस्बों और गावों में सभी असुरक्षित इमारतों में रीट्रोफिटिंग • सभी इमारतों में भुकम्प सुरक्षा से सम्बधित कानूनों का सख्ती से अनुपालन • सभी जोखिम उन्मुख इलाकों का भूकम्पी माइक्रो जोनेशन संबंधी अधिसूचना	• सभी क्षेत्रों और कस्बों और गाँवों की सुरक्षा ऑडिट • सभी विद्यालयों अस्पतालों और सार्वजनिक इमारतों में मॉक ड्रिल्स • सरकारी एवं गैर सरकारी आर्कीटेक्ट्रस, इन्जिनीयर्स आदि का भूकम्प रोधी निर्माण के बारे में गहन प्रशिक्षण • सभी निजी इमारतों जो सुरक्षा कानूनों का पालन नही कर रहे है और असुरक्षित है। नोटिस जारी करना।
बाढ़ (संबंद्ध एजेन्सियाँ जल संसाधन और सिचाई विभाग)	• प्राकृतिक ड्रेनेज के रास्ते में हुए अतिक्रमण को हटाना • पुश्तों का निर्माण करना • नहरो / नालों में सुधार • शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम में सुधारीकरण • तूफानी जल प्रबन्धन। सुरक्षित आश्रय घरों का निर्माण • जलसंभर प्रबन्धन	• सभी क्षेत्रों में ढाँचागत उपाय के लिए सुक्ष्म योजनाऐं तैयार करना • क्षेत्रों और गावों में बाढ़ शमन के लिए निर्माण कार्यों में जेएनएनयूआरएम और एमजीएनआईइजीए तथा जिला प्रशासन के बीच सहयोग	• निचले इलाकों में ढाँचागत विकास के लिए कानूनों की सख्ती के साथ अनुपालन। • आबादी वाले क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए नालों और बाँधों का निर्माण • विस्तृत जिला ड्रेनेज अध्ययन, राज्य सरकार के सहयोग से, ड्रेनेज सिस्टम का पुनर्निरीक्षण, अगर वर्तमान ड्रेनेज नालों या पुश्तो की अप्रर्याप्तता है तो उनमें सुधार किया जायेगा। • राज्य सरकार / जिला प्रशासन प्राकृतिक ड्रेनेज में अवरोध पर प्रतिबन्ध	• इमारत सुरक्षा कानूनों को और मजबूत बनाया जायेगा • बाढ़ प्रबन्धन योजनाओं का विस्तृत प्रचार प्रसार उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रतिबन्धित विकास कार्य • मानव जीवन पशुधन एवं सम्पति सम्बधित उचित बीमा स्कीमों को प्रोत्साहन •

			लगायेगी। और इसके लिए उचित कानून भी बनायेगी। • बरसात के अतिरिक्त पानी के निकास के लिए वर्तमान ड्रेनेज का क्षमता वर्धन एवं नये नालों का निर्माण • बाढ़ अभेध्यता। राज्य सरकार/जिला प्रशासन सभी सार्वजनिक सुविधा स्थलों को बाढ़ से सुरक्षित बनाने के लिए उचित कदम उठायेंगे। • प्राकृतिक ड्रेनेज के मार्ग में किये गये अतिक्रमण को हटाया जायेगा। • सिंचाई व जल संसाधन विभाग जलसंभर प्रबन्धन के लिए उचित कदम उठायेगी। जैसे पेड लगाना चैक डेम बनाना घाटी अवरोधन आदि। इससे भूमि कटाव को रोका जा सकता है। जल संरक्षण को बढावा मिलेगा और पानी और तलछट के बहाव को रोका जा सकेगा।	
ओलावृष्टि/पाला (संबद्ध एजेन्सियाँ : कृषि विभाग,क्कडक, जिला प्रशासन)	•	• बीमा एवं राहत कार्यो को प्रोत्साहन	•	• पूर्व चेतावनी तंत्र का आधुनिकीकरण • •
शहरी अग्नि दुर्घटनाऐं– संबद्ध एजेन्सियाँ सिविल डिफेंस, स्थानीय निकास, नगरपरिषद्)	• शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप में उँची इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से अनुपालन • अग्नि सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों का आंकलन खरीद एवं अवस्थिति	• अग्नि दुर्घटनाएँ रोकने के लिए करो एवं मत करो का विस्तृत प्रचार प्रसार अग्नि शमन कर्मचारियों का गहन प्रशिक्षण • अग्नि शमन ड्रिल्स में आम लोगो की भागीदारी • पुराने उपकरणों का उचित रखरखाव एवं प्रतिस्थापन • महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतों में लगे अग्नि शमन उपकरणों का नियमित निरीक्षण	• अग्नि शमन सेवा एवं उपकरणों का आधुनिकीकरण	• जरूरत और परिणाम आधारित योजना एवं प्रबंधन (जैसे मानव संसाधान एवं उपकरण) • अग्नि शमन कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेन्सियों से सहयोग • विद्यालय, अस्पतालों, ऊँची इमारतों आदि में प्रशिक्षण एवं मौक ड्रील्स की व्यवस्था •
ग्रामीण अग्नि दुर्घनाऐं और दावानल (संबद्ध	• आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का सीमांकन • उच्च जोखिम वाले	• जानकारी अभियान	•	•

एजेन्सियाँ वन विभाग)	क्षेत्रों में सिग्नेज की व्यवस्था			
बायोलोजिकल डिजास्टर (संबद्ध एजेन्सियाँ : स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग)	• मास कैजुअल्टी मैनेजमेंन्ट (एससीएम) के लिए सभी प्रमुख क्षेत्रों और कस्बों में बेसिक इंफ्रासट्रक्चर का विकास	• इन्डैमिक क्षेत्रों/आबादी संबंधी डेटाबेस तैयार करना • इन्डेमिक क्षेत्रों में केन्द्रीयकृतपरियोजनाऐं • एमसीएम के लिए निजी एवं सरकारी अस्पतालों का प्रशिक्षण	• आरएचएसडीपी एवं एनआरएचएम स्कीमों के तहत हैल्थ इंफ्रास्ट्रचर का विकास एवं आधुनिकीकरण • संचार तंत्र एवं औषध वितरण नेटवर्क को मजबूत करना •	• एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य, जल एवं सेनिटेशन के लिए गाँव स्तर पर योजनाएँ तैयार करना • मास कैजुअल्टी मैनेजमेंट के लिए क्षमता वर्धन • पुरानी एवं स्थानीय बिमारी के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना • इंडेमिक क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रीकरण •
औद्यौगिक एवं रासायनिक (तैलाग्नि सहित) (संबद्ध एजेन्सियाँ पेट्रोलियम विभाग, गृह विभाग, सबंधित उद्योग)	• कर्मचारियों एवं अन्य सुभेद्य लोगों की सुरक्षा के लिए ऑनसाईट एवं ऑफसाईट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	• सभी जोखिम भरे उद्योगों के लिए गतिशील सुरक्षा योजना जिसमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन शामिल है। • जोखिम भरे उद्योगों के आस पास रहने वाले लोगो में जानकारी का प्रचार प्रसार • सभी तरह की हैजडर्स वेस्ट के डिस्पोजल की सुरक्षित व्यवस्था • सुरक्षा के लिए नियमित निरीक्षण एवं मॉक ड्रिल्स • हैजेडर्स मटेरियल की हैंडलिंग के लिए क्षमता वर्धन	• बडी औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा और हेजडर्स मटेरियल की हैंडलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	• बड़ी औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा और हेजडर्स मटेरियल की हेण्डलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास • पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण प्रक्रिया का मजबूतीकरण •
आतंकवाद (संबद्ध एजेन्सियाँ, गृह विभाग)		• सभी निजी एवं इमारतों में अनिवार्य मॉक ड्रिल्स • सभी होटलो और गेस्ट हाउसेस में पहचान एवं पंजीकरण प्रकिया का मजबूतीकरण • निजी इमारतों की सुरक्षा एवं निगरानी के लिए निजी सुरक्षा एजेन्सियों की नियुक्ति • निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लिए	•	• गुप्त सूचना आंकडो का एकीकरण विश्लेषण एवं निर्णय प्रक्रिया • सभी सुरक्षा बलों एवं एजेन्सियों के समायोजित प्रयासों के लिए जिला पुलिस के प्रयास • महाराष्ट्र में फोर्स वन की तर्ज पर आंतकवाद सेना का गठन •

		प्रशिक्षण		
नभिकीय संबद्ध एजेन्सियाँ, (गृह विभाग व आणविक इकाई)	• इनबिल्ट सुरक्षा उपाय जैसे बॉयोलोजिकल शील्ड सुरक्षा प्रणाली एवं इन्टरलोक	• आपदा रिसपॉन्स के लिए ऑनसाइट एवं आफसाइट योजनाएँ	• सुरक्षा ऑडिट संचालन एवं प्रशासनिक सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षा संस्कृति का अनुसरण जिससे रेडियेशन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। • इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास (बचाव कार्यों के लिए सडकों आदि का निर्माण)	• विसंदूषित प्रक्रिया के लिए चिकित्सकों का क्षमता वर्धन • प्रदूषण रोकने के लिए जानकारी एकत्रित करना तथा उसका समुदायों में प्रचार प्रसार करना

तालिका 4.1 विभागों एवं एजेन्सियों के आपदानुसार शमन उपाय

जलवायु परिवर्तन अल्पीकरण व जिला चित्तौड़गढ़–

आगे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और इसका पर्यावरण, पारिस्थतिकी, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों की रोजी रोटी पर प्रतिकूल प्रभाव एवं जटिल समस्या के रूप में उभरेगा। द ड्रेर्जट राजस्थान क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान (आरसीसीएपी) मे जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिकूल प्रभाव चार क्षेत्रों मे विभाजित किया गया है–

1– जलसंसाधन
2– कृषि एवं पशुपालन
3– वन एवं जीवविविधता
4– स्वास्थ्य।

इन चार क्षेत्रों में पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आरसीसीएपी मे लम्बी अवधिवाले एवं अल्प अवधि वाले उपाय सुझाये गये हैं जैसे ऊर्जा क्षमता में बढोतरी, दीर्घकालीन आवासों का निर्माण और जलवायु परिर्वतन के बारे में सामाजिक ज्ञान में वृद्धि। इन उपायों को जिलें में भी समान रूप से लागू किया जायेगा।

प्लान में सुझाये गये सामरिक उपाय निम्नलिखित है–

➢ जल संसाधन

- जलवायु परिवर्तन के जल संसाधनों पर पडने वाले प्रभावों के आंकलन के लिए एक विस्तृत डाटाबेस तैयार करना।
- भू–जल प्रबन्धन जिसमें अति–उपयोजित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान।
- सूखा निगरानी एवं पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास।
- शहरी एवं ग्रामीण व्यवस्थाओं में जल संरक्षण एवं मांग प्रबन्धन।
- जल उपयोग क्षमता में सुधार।

➢ कृषि एवं पशुपालन

- कठिन जलवायुरोधी कल्टीवर्स और पशुधन का विकास।
- चारागाहो एवं बंजर भूमि का विकास एवं चाराई भूमि का पुनःस्थापन।
- जलवायु जोखिम प्रबन्धन के लिए डाटाबेस का सृजन।
- शुष्क भूमि की उत्पादता में वृद्धि।
- बहुकार्यात्मक ऐग्रो फोरेस्ट्री सिस्टम का प्रबन्धन।

➢ फारेस्ट्री एवं बायोडाईवर्सिटी

- वनो की अल्पीकरण (शमन) क्षमता बढाने के लिए वृक्षारोपण।
- वनों के प्रकार एवं प्रजातियों विशेषरूप से रेगिस्तानी इकोसिस्टम और रेत के ढेरों के क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था।
- नई तकनीकी में पारम्परिक ज्ञान का एकीकरण।

➢ स्वास्थ्य

- बीमारी निगरानी प्रणाली का विकास।
- आबादी के लिए स्वास्थ्य प्रभाव आंकलन।

- प्राथमिक एवं सहायक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के लिए अन्तरक्षेत्रीय समाभिरूपता।
- ग्रीन हाउस गैसेज (जीएचजी) का आविष्करण और प्रबन्धन।
- राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का पूर्ण दोहन।
- ऊर्जा क्षमता पर विशेष ध्यान दीर्घकालीन आवास।
- भूमि उपयोग और परिवहन योजना का एकीकरण, ग्रीन बिल्डिंग लेजिलेशन।
- परिवहन क्षेत्रों में जीएचजी (ग्रीन हाउस गैसेज) में कटौती।
- शहरी कचरा प्रबंधन।

4.5 रोकथाम व शमन में नवाचार–

- **जोखिम स्थानान्तरण (जोखिम–वितरण)–**

यह विचार करते हुए की सरकार व जिला प्रशासन द्वारा बचाव, राहत, पुर्नवास और पुनर्निर्माण कार्यों में दी जाने वाली सहायता आपदा से हुए विशाल नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। नये आर्थिक उपायों जैसे–आपदा जोखिम, वित्त प्रबन्धन, जोखिम बीमा, आपदा बॉण्डस, माइक्रो फाईनेंस और बीमा आदि को प्रोत्साहन देनाहोगा। जिसमें वैयक्तिक, सामुदायिक एवं कॉरपोरेट सेक्टर के नुकसान की भरपाई जा सके। इसी संदर्भ में पब्लिक लाईबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत् इनवाईरमेंटल रिलीफ फण्ड शुरू किया गया जो रासायनिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत पहुँचाता है। कुछ नये आर्थिक उपाय जैसे– आपदा बीमा, माईक्रो फाईनेंस, माईक्रो इंश्योरेंश, नये मकानों पर वारंटी व निर्माण कार्यों को होमलोन से जोड़ना आदि शुरू करने पर विचार किया जायेगा।

- **फसल ऋण–**

राज्य सरकार व जिला प्रशासन कृषि बीमा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देंगे जो विभिन्न ऐग्रो क्लाईमेटिक क्षेत्रों के अनुकूल होगें। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को विभिन्न बीमा उत्पादों की जानकारी दी जाए जिससे वे अपनी उपज व आय–जोखिम को बीमा कवर दे सके। जिन फसलों की उपज का डाटा बेस नहीं है उन फसलों के लिए बीमा को प्रोत्साहन दिया जायेगा। राज्य सरकार नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंश स्कीम (एनआइईएस) के कार्य क्षेत्र का विस्तार के सबंध में केन्द्र सरकार के साथ बातचीत करेगी। इसमें बुवाई से पहले और फसल काटने के बाद के नुकसानों को भी कवर किया जा सकेगा। राज्य सरकार की विभागों द्वारा फसल बीमा की जानकारी का प्रचार प्रसार किया जायेगा। कृषि उत्पादों का कृषि आधारित उद्योगों से लिंक मजबूत किया जायेगा। जिससे कीमतों की अस्थिरता पर काबू पाया जा सके। फसलों की कीमतों से जुड़े बीमा उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। जिसमें किसान किसी विपत्ति के दबाव में अपने कृषि उत्पादों को न बेचे। इंश्योरेस क्लेम के निपटारे के लिए फसलों की उपज का आँकलन सेटेलाईट से प्राप्त की गई फसलों की तस्वीरों के आधार पर किये जाने की संभावना को तलाश किया जायेगा।

- **बाढ़ बीमा–**

डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिर्सोज एण्ड इरिगेशन (डीओडब्ल्यूआरएण्डआई) और बीमा कम्पनियाँ मिलकर एक अध्ययन करायेगें जिसमें जिले के बाढ़ उन्मुखी क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम के आधार पर बीमा किस्तों को श्रेणीगत करने की संभावनाऐं तलाशी जायेगी। डीओडब्ल्यूआरएण्डआई यह संभावना भी तलाश करने की कोशिश करेगा कि कोई स्कीम शुरू की जाये जिससे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की सभी इमारतों और फसलों का बीमा अनिवार्य हो।

अध्याय– 5

Prepardness Measures

तैयारी मूल्यांकन

<u>विषय वस्तु–</u>

5.1 आवश्यकता व महत्व

5.2 विभिन्न आपदाओं में नोडल विभाग

5.3 विभिन्न टीमों का गठन

5.4 इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम

5.5 सहायता प्राप्त करने का प्रोटोकॉल

5.6 विभिन्न समन्वित तंत्रो की जाँच चेतावनी प्रणालीEOCउपलब्ध संसाधन

5.7 विभिन्न NGO's,अन्य एजेंसियों से सहायता

5.8 ज्ञान प्रबंधन

5.9 SOP विश्लेषण

5.10 संचार प्रबंधन

5.11 जनसामान्य स्तर पर तैयारी

5.12 विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में पूर्व तैयारी योजना

5.13 सारांश

5.1 आवश्यकता व महत्व–

किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को तैयारी कहते है। ''सरकारी एवं गैर सरकारी सगठनों,समुदायों, विशेषज्ञों और व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा अर्जित ज्ञान और क्षमताओं जिनके माध्यम से किसी संकट के आने का पूर्वानुमान लगाया जा सकें या आपदा आने की स्थिति में उससे प्रभावी तरीके से निपटा जा सकें और समुत्थान किया जा सके, ऐसे उपायों को आपदा तैयारी कहते है।''

आपदा तैयारी से संबंधित क्रियाकलापों में किसी आपदा के आने का पूर्वानुमान और एहतियात के तौर पर किये गये उपाय शामिल हैं, जिनके आधार पर हम पूर्व चेतावनी दे सकें। ये उपाय किसी आपदा की स्थिति में उससे कारगर तरीके से निपटने और बचाव कार्यों को प्रभावी तरीके से अंजाम देने संबंधी हमारी क्षमताओं का वर्धन करतें है। इसमें समय–समय पर चेतावनी प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना और संकट सूचना के दौरान लोगों की निकासी के प्रभावी उपाय शामिल है, जिससे जान माल का नुकसान कम से कम हो सके।

आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में उन अन्य पहलूओं जैसे आपदा को रोकने, आपदा आने की स्थिति में उसके असर को कम करने और उससे उभरने के उपायों को समझना भी अतिआवश्यक है।कारगर आपदा तैयारी के लिए जरूरी संयत्रों और अन्य सामग्री का आधुनिकीकरण भी आवश्यक है, जिससे आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा संवर्धन किया जा सकें।

सभी विभागों, एजेंसियों और अन्य सहभागियों की यह प्राथमिकता रहेगी कि वे अपनी–अपनी आपदा प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण करें। कुछ नयी संस्थागत प्रक्रियाओं का गठन किया जायेगा, विशेषरूप से आपदा प्रबंधन के उन क्षेत्रों में जहां कोई भी एजेंसी जरूरी क्षमता निर्माण कार्य में नही लगी है।

पूर्व चेतावनी–

पिछले अनुभव से यह पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले विनाश को कारगर संचार/चेतावनी व्यवस्था के माध्यम से कम किया जा सकता है। एक पूरी तरह से तैयार समुदाय और प्रशासन के लिए जरूरी है कि वह अपनी संचार/पूर्व चेतावनी व्यवस्था को दुरूस्त रखे जिससे आने वाली आपदा की चेतावनी मिलते ही तुरन्त शमन उपाय किये जा सकें और जान–मान के नुकसान को कम किया जा सके।

हर तरह की आपदा के लिए पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी व्यवस्थाओं की स्थापना,उनमें सुधार और उनका आधुनिकीकरण अत्यंतावश्यक है। विशेष प्राकृतिक आपदाओं का निरीक्षण एवं निगरानी करने वाली नोडल एजेंसियाँ तकनीकी खामियों की पहचान करेगी तथा एक निश्चित समय सीमा में उनमें

सुधार करने के लिए परियोंजनाएँ तैयार करेगी।राज्य एवं जिला स्तर पर सूचना और संचार तकनीक एक कारगर पूर्व चेतावनी सिस्टम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, जिसमें आपदा तैयारी और रिस्पॉन्स क्रियाकलापों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकें ।

आईसीटी भौगोलिक संदर्भ विश्लेषण प्रस्तुत करके जोखिम क्षेत्रों, सुभेद्यताओं और संभावित प्रभावित आबादी का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

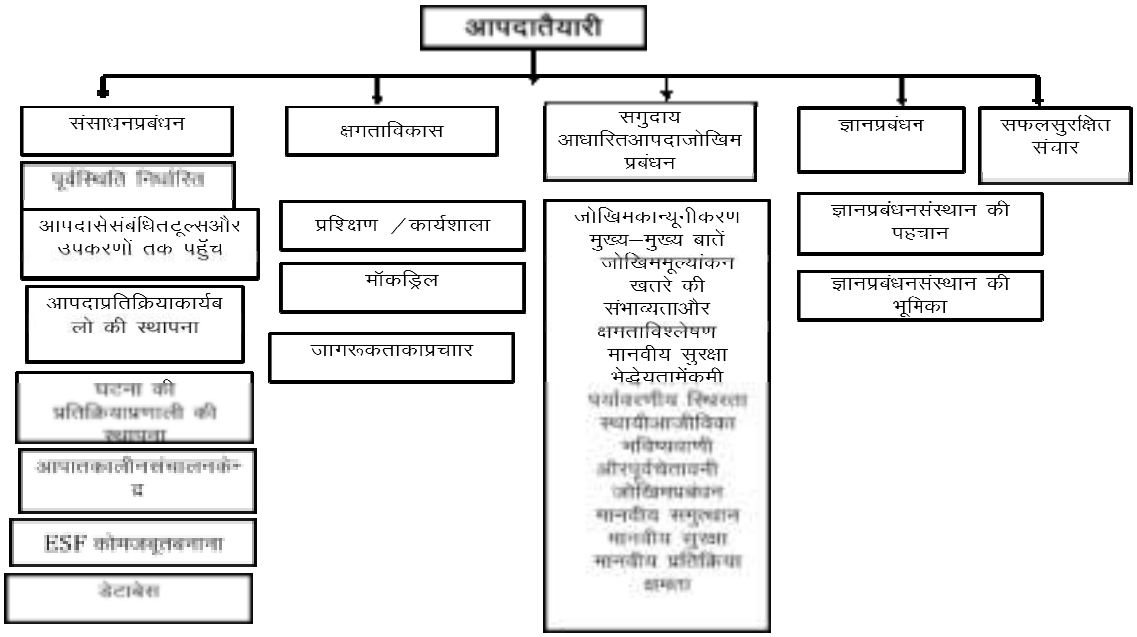

चित्र –5.1 आपदा तैयारी का रेखा चित्रण

पूर्व चेतावनी सिस्टम के लिए आईसीटी–

आईसीटी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

- सूचना संग्रहण एवं हस्तांतरण
- जिओ–स्पेशल डाटा के समन्वय के माध्यम से डिसिजन सपोर्ट सिस्टम
- संचार एवं प्रसार
- आपातकालीन तैयारी एवं रिस्पॉस

5.2 विभिन्न आपदाओं में नोडल विभाग–

चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न आपदाओं हेतु नोडल विभाग निम्न है–

क्र.स.	आपदा जोखिम	नोडल विभाग
1	बाढ़ ,जल प्लावन	जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग,नगर परिषद्, स्थानीय पुलिस, सेना

2	सूखा ,अकाल	कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, आपदा राहत व प्रबंधन, जिला डीएम,पटवारी ,गिरदावर
3	दुर्घटनाऐं (सड़कऔद्योगिक,रासायनिक, आण्विक, रेल)	पुलिस,चिकित्सा व ट्रोमा, जिला डीएम,रा.रा.मा. प्रधिकरण (छभ।ए),औद्योगिक सुरक्षाबल,रेल्वे सुरक्षा बल, औद्योगिक इकाई का प्रशासन, आण्विक दुर्घटना की दशा में केन्द्र विशेष की टीम
4	ओलावृष्टि	कृषि विभाग,भू–राजस्व, स्थानीय प्रशासन
5	तापलहरी ,शीताघात	जिला प्रशासन, चिकित्सा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सूचना व तकनीकी विभाग।

तालिका 5.1चित्तौड़गढ़ आपदाऐं व नोडल विभाग

5.3 विभिन्न टीमों का गठन–

आपदा के समय विभिन्न राहत व प्रत्याक्रमण कार्यक्रमों हेतु निम्न प्रकार दल गठन होगें–

- **पूर्व चेतावनी**–जिला सूचना केन्द्र (नोडल विभाग),आकाशवाणी,स्थानीय टीवी चैनल,CEOनगर परिषद,जोखिम वाले क्षेत्रों में वार्ड पंच/पार्षद।
- **खोज व बचाव**–जिला पुलिस (नोडल विभाग), नगर परिषद्,जिला प्रशासन ,जिला सूचना केन्द्र, चिकित्सा विभाग,विभिन्न NGOs ।
- **प्रभावित क्षेत्र खाली कराना**– पुलिस, नगर परिषद्(नोडल विभाग), ट्रेफिक कंट्रोल,गृह रक्षा विभाग।
- **नुकसान का आंकलन**– जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी जिसका मुखिया जिला कलक्टर होगा। इसमें स्थानीय प्रशासन, पटवारी, सचिव, संरपच, वार्डपंच/पार्षद भी शामिलहोगें।

5.4 इंसिडेट रिसपॉन्स सिस्टम का एक्टिव होना–

जिले में इंसिडेट रिसपॉन्स टीम का गठन किया जायेगा जो आपदा के समय सम्बधित विभागों के साथ साथ त्वरित क्रियाशील हो जायेगा। इसका विस्तृत विवरण के लिए देखें–अध्याय 7।

5.5 सहायता प्राप्त करने का प्रोटोकॉल–

आपदा के समय कभी कभी स्थानीय प्रशासन असहाय महसुस करता है क्योंकि आपदा बडे स्तर की होने के कारण राहत व प्रत्याक्रमण में पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते है। अतः बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। चित्तौड़गढ़ जिले में बाहरी सहायता प्राप्त करने हेतु स्थानीय स्तर (गाँव, पंचायत समिति) से लेकर केन्द्र स्तर तक निम्न प्रोट्रोकॉल का अनुसरण किया जायेगा।

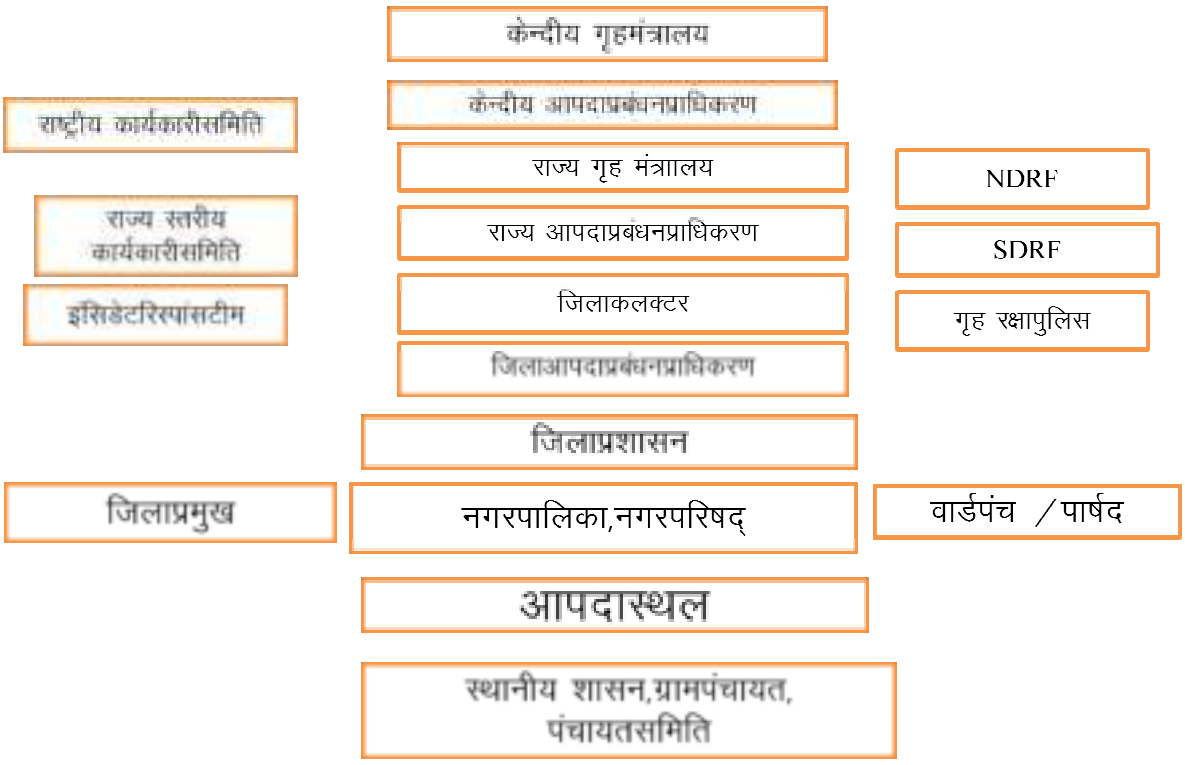

चित्र 5.2 सहायता प्राप्ति हेतु अनुलंब व क्षैतिज प्रोटोकॉल

5.6 विभिन्न समन्वित तंत्रो की जाँच, चेतावनी प्रणाली, EOC, उपलब्ध संसाधन–

आपदा के दौरान कार्य करने वाले विभिन्न समन्वित तंत्रो व एजेन्सियों की कार्य कुशलता की जाँच होती रहनी चाहिए। इसमें आपदा से निपटने में तैयारी स्तर का पता चलता है। इस हेतु चेतावनी प्रणाली EOC(इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर), IRS(इंसिडेटं रेसपॉन्स सिस्टम) व IRT (इंसिडेंट रिसपॉन्स टीम), विभिन्न विभागों के त्वरित कार्यबल की तैयारियों का समय–समय पर जायजा लेते रहना आवश्यक है। इस प्रकार आपदा राहत उपलब्ध उपकरणों की भी समय समय पर जाँच की जावेगी। जिसमें उनकी उपलब्धता व कार्यकुशलता का पता लगाया जा सकेगा। इन सभी कार्यों हेतु मॉक ड्रिल सबसे उपयोगी साधन हैं। इसके माध्यम से आपदा अनुसार मॉक ड्रिल करके संबंधित विभागों की तैयारी का पता लगाया जा सकता है। जिले में इस कार्य हेतु विस्तृत कार्य योजना ‘‘अध्याय–6’’ के अन्तर्गत दी गई है।

5.7 विभिन्न NGO'sव अन्य एजेन्सीयों से सहायता –

चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न NGO's कार्यरत है। जिनका कार्य चित्तौड़गढ़ जिले में सामाजिक सुधार उत्थान व सुरक्षा के कार्य चलाना है। इस संस्थाओं की सूची योजना के अन्त में परिशिष्ट में दी गई है। उक्त सभी NGO'S के कार्य क्षेत्र अलग अलग है। कुछ NGO'sराहत व प्रत्याक्रमण में दक्ष हो सकते है जबकि कुछ पीडित समुदाय को मानसिक संबल प्रदान करने

में। इस प्रकार अलग अलग NGO's को अलग अलग कार्य भार प्रदान किया जायेगा।

इसी प्रकार विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे छैए छब्बए स्काउट्स, युवा विकास केन्द्र आदि भी अपने–अपने क्षमता अनुरूप अलग–अलग क्षेत्रों में राहत व प्रत्याक्रमण की जिम्मेदारी निर्वाहन करेगें ये स्वंय सेवक खोज, बचाव, पेयजल वितरण, भोजन वितरण, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना आदि कार्यो में सहयोग प्रदान करेगें। इसका वितृत विवरण अध्याय– 11 में दिया गया है।

रिस्पॉन्स कार्य

- तलाश एवं बचाव
- राहत सामग्री (लाइफलाइन)

सेवाए एवं सपोर्ट कार्य

- सार्वजनिक स्वास्थ्य एव सैनिटेशन
- बिजली
- परिवहन
- लोक निर्माण एवं इंजीनियरिंग

संचार व्यवस्था

- संचार
- मीडिया

मानव जरूरतें संबंधी कार्य

- खाना
- पीने का पानी
- आवास

समुत्थान संबंधी कार्य

- हैल्प लाइंस

सूचना एवं योजना कार्य

- सूचना एवं योजना

5.8 ज्ञान प्रबंधन–

नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है सही समय पर सही लोगों तक सही सूचना पहुँचाना तथा लोगों में जागरूकता पैदा करना जिससे प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यवाही करके सभी सहभागियों के निष्पादन स्तर में सुधार किया जा सकें। बेहतर आपदा रिस्पॉन्स कार्य में संसाधन कभी– कभार ही रूकावट पैदा करते है,लेकिन नॉलेज और संसाधनों की समय रहते समभिरूपता संसाधन विकसित करने की तुलना में ज्यादा बडी चुनौती है।

इसलिए बेहतर ज्ञान, संसाधन और दक्षता प्रबंधन, आपदा तैयारी, शमन और रिसपॉन्स योजना पर बहुत प्रभाव डालते है ज्ञान प्रबंधन के निम्न लिखित फायदे है–

- हमेशा तैयार रहना
- आपदा जोखिम में कमी
- निर्णय लेने की क्षमता में सुधार
- सामरिक महत्व की योजनाओं में सुधार
- नई तकनीकी सोच से विकास

- समस्याओं का तुरन्त एवं संतुलित समाधान
- कर्मचारियों का बहुमुखी विकास

सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेमेंट ऑफ द स्टेट आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग के लिए एक 'थिंकटैंक' का काम करेगा। इसके प्रमुख कार्यों में शोध करना, अच्छी परम्पराओं का प्रलेखन,नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट(एनआईडीएम) के साथ नैटवर्किंग आदि शामिल है। यह राज्य के लिए आवश्यक ज्ञान प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास पर भी ध्यान देगा। इसके अलावा यहां अन्य सहभागी भी जैसे कॉपरेट सैक्टर जिनमें आपातकाल के दौरान राज्य की सहायता करने और क्षमता वर्धन करने की सामर्थ्य है। उदाहरण के तौर पर, चित्तौगढ की सीमेन्ट इकाइयों ,हिन्दुस्तान जिंक के पास फायर ब्रिगेड्स है। जिनका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी परस्पर सहायता के आधार पर या पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सुनिश्चित की जा सकती है।

डाटाबेस–

सभी विभागों के संसाधनों के आंकडों को इकट्ठा करके इंडिया डिजास्टर रिसॉर्स नैटवर्क(आइडीआरएन), इंडिया डिजास्टर नॉलेज नैटवर्क (आईडीकेएन) और कॉपरेट डिजास्टर रिसोर्स नैटर्वक (सीडीआरएन) के डाटाबेस में डालने की जरूरत है। राज्य की योजना राजस्थान स्टेट डिजास्टर नैटर्वक (आरएसडीआरएन) तैयार करने की भी है।

संग्रहित और संकलित करने योग्य डेटाबेस निम्न लिखित है–

- सुभेद्य क्षेत्रों, क्षमताओं और संसाधनों के जीआईएस–आधारित स्थानिक मानचित्र
- जीआईस–आधारित विकास आंकड़े।
- प्रमुख व्यक्तियों के फोन नम्बर, पता और क्षमताओं का विवरण।
- राहत सामग्री और उनके सप्लायर्स का डाटाबेस।
- अग्निशमन संसाधनों, उनकी उपलब्धता वाले स्थानों और सर्विस प्रोवाइडर्स का डेटाबेस।
- भारी उपकरणों जैसे ट्रक, डम्पर्स अर्थमूवर्स, क्रेन और ड्रिल मशीनों के मालिकों, उपलब्धता स्थानों और सर्विस प्रोवाइडर्स का डाटाबेस।
- ट्रांसपोर्ट,उपलब्धता स्थानों और निर्माण कर्माचारियों का डाटाबेस।
- राजमिस्त्रीयों और निर्माण कर्मचारियों का डेटाबेस।
- राहत कर्मचारियों का डाटाबेस, तलाश एवं बचाव कर्मी, जल एवं सैनिटेशन इंजिनियर्स, आवास इंजिनियर्स,पब्लिक हैल्थ विशेषज्ञ, कृषि एवं आजीविका विशेषज्ञ,सामाजिक कार्यकर्त्ता।
- एनजीओ,सीबीओ एवं अन्य स्वंयसेवी संस्थानों का डाटाबेस।
- ऐसी निजी कम्पनियों की सूची जो अपने संसाधनों को दूसरे सहभागियों, जिनमें सरकार भी शामिल है,को पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप के आधार पर देने को तैयार है।

- आपदा विशेषज्ञों, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षकों और तलाश एवं बचाव, अग्निशमन निकासी, आपातकालीन रिसपॉन्स और फर्स्ट एड कर्मियों का डाटाबेस।
- तकनीकी एवं शोध संस्थानों का डाटाबेस।
- चिकित्सा सुविधाओं , मास केजुअल्टी मैनेजमेंट के लिए क्षमताओं एवं अन्य वस्तुओं का डाटाबेस।

एसडीएम और डीडीएमएज इस डाटाबेस के सत्यापन एवं आधुनिकीकरण की दिशा में सक्रिय कदम उठायेगें। यह डाटाबेस सभी सहभागियों और आम जनता के लिय उपलब्ध कराया जायेगा । जानकारी प्रसार,प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक माध्यमों से डाटाबेस की उपयोगिता एवं महत्व सभी विभागों तक पहुँचाया जायेगा।

5.9 SOP विश्लेषण–

आपदा के समय विभिन्न क्रियाकलापों में क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक DDMP का एकSOP (Special Operating Procedure)होता है। यह एक SOPप्रत्येक जिले हेतु विभिन्न राहत व प्रत्याभ्रमण हेतु मानक स्तर निर्धारित करता है। अध्याय– 12 में चित्तौड़गढ़ जिले हेतु एक SOPदिया हुआ है। SOPके माध्यम से आपदा के समय होने वाले वी.आई.पी. लोगों के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल व व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होती है। चित्तौड़गढ़ जिले में केबिनेट स्तर में मंत्री अथवा सचिव स्तर के अधिकारी के साथ जिला कलक्टर का रहना प्रोटोकॉल के अनुरूप होगा। अन्य अधिकारी गण व जनप्रतिनिधियों के दौरे पर उनके पद व पद की गरिमा के अनुरूप प्रोटोकॉल निर्धारित किया जायेगा। इसी प्रकार राहत सामग्री जैसे टेंट, कंबल, त्रिपाल, भोजन पैकेट, वस्त्र, दवा आदि के भी मानक स्तर नोडल विभाग निश्चित किये गये हैं।

5.10 संचार माध्यम प्रबंधन–

आपदा के समय संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान, चेतावनी प्रसार आदि में संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। आपदा के समय राहत व प्रत्याक्रमण के एक उपकरण के तौर पर कार्य करने के लिए इन समस्त संचार माध्यमों से जुडे लोंगों का प्रशिक्षण व आमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक है। जिसमें ये लोग आपदा विशेष के समय अपनी–अपनी भूमिका व जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके।

इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जिले में आपदा के समय जानकारी व सूचना प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन की ओर से एक अधिकृत प्रवक्ता को भी नियुक्त किया जायेगा। इसका कार्य आपदा व आपदा राहत से सम्बन्धित सभी प्रकार की अधिकृत सूचनाएँ प्रदान करना होगा । इससे अनावश्यक

अफवाहों तथा विवादों को रोका जा सकेगा। इस कार्य हेतु इस प्रवक्ता को आवश्यक प्रभावी प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

5.11 जनसामान्य स्तर पर तैयारी

डिजास्टर रिसपाँस को एक नियंत्रण स्ट्रक्चर के रूप में अभिलक्षित किया जा सकता है जिसमें उपर से नीचे वाली प्रकिया लागू होती है। इसी वजह से अक्सर देखा जाता है कि सामुदायिक भागीदारी की कमी की वजह से लोकोपकारी कार्यों में मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाती है तथा बाहरी संसाधनों की आवश्यकता, मांग में बढोतरी और प्रबंधन के विशेष उपायों के बावजूद प्रदर्शन को लेकर आम असंतुष्टि का माहौल पैदा हो जाता है।

आपदाओं के मामले में सामुदायिक स्तर पर लोगों का ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वे ही आपदा की सीधी चपेट में आते हैं। इस तरह की आपदाओं के लिए ये लोग ही सबसे ज्यादा सुबोध होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सीबीडीएम नीचे–से–ऊपर प्रकिया को प्रोत्साहन देती है और आने वाली परेशानियों और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उपर से नीचे प्रकिया के साथ सामंजस्य बिठाते हुए काम करती है।

सीबीडीएम के माध्यम से लोगों की आपातकालीन स्थिति के प्रति रिसपाँड करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इस प्रकिया से प्राथमिक समाज सेवाओं और संसाधनों तक उनकी पहुंच आसान हो जाती है। आपदा प्रबंधन में सामुदायिक अप्रोच निश्चित रूप से ज्यादा कारगर होगी । चित्तौड़गढ़ जिले के जोखिमपूर्ण समुदायों को अपनी–अपनी सीबीडीएम योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इन योजनाओं को जिला और राज्य स्तर की योजनाओं में समायोजित किया जायेगा।

इन योजनाओं में निम्न बातों पर ध्यान दिया जायेगा–

- इलाकों में मौजूद आपदा स्थितियों का विश्लेषण।
- आपदाओं द्वारा पैदा की जाने वाली सुभेद्यताओं और जोखिमों की पहचान।
- इन आपदाओं का मुकाबला करने के लिए समुदायों की वर्तमान क्षमता और तरीके ।
- इन जोखिमों का प्रभाव कम करने के लिए तैयारी और शमन उपाय।

जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण सीबीडीए कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए योजनाएँ तैयार करेगी जिनमें स्थानीय लोगों की आपदा स्थितियों, सुभेद्यताओं और क्षमताओं का विश्लेषण करने में सहायता की जायेगी । शुरूआत में यूएनडीपी के सहयोग से सरकार इन कार्यक्रमों को पहले ही क्रियान्वित कर चुकी है। इन कार्यक्रमों को ओर बढावा देने के लिए प्रयास करेगी।

आपदा किट तैयार करना–

जनसमुदाय को संभावित आपदा के समय तद्नुरूप किट जैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा ।इस आपदा किट में निम्न सामग्री होगी–

1. **पर्याप्त जल**
2. **सूखा भोजन**
3. **फ्लेश लाइट (बैटरी सहित)**
4. **रेडियो(चेतावनी सूनने हेतु)**
5. **प्राथमिक उपचार किट**
6. **आवश्यक दवाईयाँ (बुखार, दस्त, पेट दर्द)**
7. **मल्टीपरपज टूलबॉक्स**
8. **सैनीटेशन आइटम**
9. **व्यक्गित दस्तावेजों की प्रति(पहचान पत्र की प्रति)**
10. **घर, कार इत्यादि की चाबियाँ**
11. **मोबाइल फोन विथ एक्स्ट्रा बेट्री**
12. **अतिरिक्त धन**
13. **परिवार के फोन नम्बर**
14. **कम्बल**
15. **क्षेत्र का मानचित्र**
16. **प्लास्टिक शीट्स**

उक्त आपदा किट में आपदा अनुसार या क्षेत्र विशेष अनुसार सामग्री कम या अधिक हो सकती है।

5.12 विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में पूर्व तैयारी योजना–

चित्तौड़गढ़ के सन्दर्भ में विभिन्न आपदाओं हेतु तैयारी व कार्य योजना–

सूखा कार्य योजना–

जिला चित्तौड़गढ़ के परिपेक्ष्य में कभी सम्पूर्ण जिला तो कभी कुछ तहसीलों में सूखे की समस्या रही है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते है अथवा इसकी विकरालता को कम कर सकते है।

दीर्घकालीन उपाय–

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्रोतों का पुनर्जीविकरण।
- वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भूकुपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी–

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण।
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हिकरण।
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना–

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन कार्य योजना–

- सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- राहत कार्यों की शुरुआत।
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोतों का संवर्धन।
- निजी कुओं को किराये पर लेना।
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना।
- परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांको आदि का पुनर्जीविकरण।

- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण।
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन।
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना।
- पशुओं के लिए पानी एवं उपचार की व्यवस्था करना।
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य–

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना।
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय एवं पेरॉमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था।
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पशुपालन विभाग–

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना।
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति एवं दवाइयों की व्यवस्था करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी–

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवास बैग व हैण्डपम्प, पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन।
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन।

स्वयं सेवी संगठन–

- राहत कार्यो एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनो की भागीदारी।
- इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

समेकित बाल विकास सेवाएं–

- 0–6 माह के बच्चे, गर्भवती व धात्री माताओं हेतु 6 प्रमुख सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- सेवायें
  1. पूरक पोषाहार
  2. शाला पूर्व शिक्षा
  3. स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा
  4. टीकाकरण
  5. स्वास्थ्य जांच
  6. संदर्भ सेवा
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई–

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना।
- दोषपूर्ण नलकूपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यो के अन्तर्गत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

कृषि विभाग–

- खेती के लिए तथा कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग–

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।
- जल संरक्षण सम्बन्धी राहत कार्यो एवं वानिकी के कार्य करवाना।

विद्युत विभाग–

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध।

सूखे से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें–

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।

- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी लें जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधो में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहें।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लीकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- जल संग्रहण हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मंजन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दाँत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योकि फव्वारे व बाथटब से पानी अधिक व्यर्थ होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर सूखे अथवा गीले कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

बाढ़ कार्य योजना–

बाढ़ के कारण होने वाली जन हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय–

- जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
- प्राकृतिक अपवाह में आने वाले रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
- मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
- नदी के बाँधों में छिद्रान्वेशी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
- तटबंध पर बनाये गये स्थानीय बाँधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय–

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना।
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करे को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुँचाना।
- भू–उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल, तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू–उपयोग नियन्त्रण करके नियमों का पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।
- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये ताकि मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए

गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

कंट्रोल रूम–

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभावी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलेस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घंटे कार्यरत रहता हैं। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 15 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया जाता है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जाता है। राज्य मुख्यालय पर स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 2227084 है। तथा चार अंकीय **टोल फ्री दूरभाष नम्बर 1070** है ।

क्र. सं.	कार्यरत कंट्रोल रूम	दूरभाष नम्बर
1.	राज्य कंट्रोल रूम, जयपुर	0141–2702480 एवं 1070
2.	जिला कंट्रोल रूम, चित्तौड़गढ़	01472–244923, एवं 1077
3.	सिंचाई विभाग, चित्तौड़गढ़	01472–241069

सिंचाई विभाग–

- सुरक्षित स्थानों का चयन (परिशिष्ट संख्या 14,15,16,17,18,19)
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन।
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना (परिशिष्ट संख्या 30,31)
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी करने व होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश देने की कार्यवाही करना।
- बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवांईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयाँ काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रखी जावें। मेडिकल स्टोर्स की सूची (परिशिष्ट संख्या 11)
- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल प्लावन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करना।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।

- उपलब्ध नावों की सूची (परिशिष्ट संख्या 20)
- तैराकों की सूची (परिशिष्ट संख्या 21)

चिकित्सा विभाग–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/ सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है।संस्थान प्रभारी, चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों की सूची (परिशिष्ट संख्या 9,10,13)आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक–एक रेपिड रेसपाँस टीम का गठन करेंगे।

1.	चिकित्सा अधिकारी	01
2.	स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3.	मेल नर्स	01
4.	एमपीडब्ल्यू	01
5.	वार्ड बॉय	01
6.	वाहन चालक मय वाहन	01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पॉन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडीकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग–

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है जो 24 घण्टे कार्यरत रहता है।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था करना ।
- पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियो को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश जारी करना।

जिला रसद विभाग–

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसीन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग–

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों से बचाव हेतु, जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियत्रण हेतु जिला प्रभारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधियाँ उपलब्ध करायेंगे।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- **जोन प्रभारी** सबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत हैं। जोन प्रभारी प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को आपदा से उत्पन्न विकृतियों / समस्याओं से निपटने के लिए जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे।

विद्युत विभाग–

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रखरखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तूफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाइनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाइनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जाना तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग–

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टॉफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा।

- कंट्रोल रूम की संचार व्यवस्था, वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटे बड़े वाहन अच्छी स्थिति में उपलब्ध कराये जाने चाहिये।
- कंट्रोल रूम में 24 घंटे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आर.ए.एफ., आरएसी की टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हों।

एन. सी. सी./ एन. एस. एस.–

- आपदा के समय एन. सी. सी. कैडेट्स व संबधित स्टाफ घर–घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

अग्नि शमन केन्द्र–

जिला मुख्यालय पर 1 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 3 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं। आग की स्थिति से निपटने के लिए 101 पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपालिकाएँ–

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान–

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी सूची (परिशिष्ट संख्या 34)

दुर्घटना कार्य योजना–

दुर्घटनाएं कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती है अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101 व 102 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है। वरन् मौके पर उपस्थित आम आदमी का भी यह कर्तव्य है कि वो तत्काल प्रशासन, पुलिस, चिकित्सालय आदी को दुरभाष पर सूचना देवे।

दुर्घटना से पूर्व–

- **संरचनात्मक उपाय–** दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहाँ गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।
- **गैर संरचनात्मक उपाय–**सड़क दुर्घनाओं से बचने के लिए–

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं।
- शराब पीकर गाड़ी न चलायें।
- हैलमेट पहने, सीट बैल्ट बांधे।

- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़ें।
- पहले दांई फिर बांई और फिर दांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से पर्याप्त दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हैडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान–

जिला प्रशासन का कर्तव्य–

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों का फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग–

जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टॉरों की सूची परिशिष्ट 9,10,11,13 पर है।

- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टॉफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- दवाइयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग–

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग–

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- कानून एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग–

- घायलों को पहुँचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग–

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था।
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद् /पालिका/पंचायत–

- टैंटो की व्यवस्था। टैंट हाउस की सूची परिशिष्ट 35पर है।
- पानी के टैंकरो की व्यवस्था।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतको के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग–

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संगठन–

- राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों के उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्त्तव्य–

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्त्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों काकर्त्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चूंटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नहीं। इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौडाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नहीं तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए–

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रूकावट खत्म हो जाएं।
- ठोड़ी को आगे ले आएं जिससे रूकावट खुल जाएं।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती जाए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है। यदि दिल की धड़कन रूक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें। 4–5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60–80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो –

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दबाव डालें तथा दबाव बनाएं रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड़ बैंड (Tourniquet) या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे –

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

- खून को बहने से रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिक सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।
- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें, सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूंट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं।

जले हुए व्यक्ति का बचाव–

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचायें।

आगः कार्य योजना–

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने संबन्धी सावधानियां–

बिजली–

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिगं हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू–पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभा मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर–

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थो का भण्डारण नहीं करना चाहिये।
- गैस चूल्हे और रबर पाईप को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की रबर पाईप आई. एस. आई. मार्का ही होनी चाहिए।

- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों को आग से दूर रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन ऑफ ना करें ।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूलें।
- अगर रबर पाईप में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- आग लगने पर रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवो व जंगल की आग के बचाव–

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी, सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंके।
- पिकनिक मनाते समय अगर आग जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर ही आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी/सिगरेट के टुकडें ना फेंके।
- घास, खलिहान, पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावें जिससे कि स्पोन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना चाहिए।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिए जहां पर पानी आसानी से मिल सकें।
- गांवो में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिए।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फेकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नही करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय, नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवो में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।

- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहाँ पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलचे कापा हुक, बाल्टी, टार्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना चाहिए।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव करना।
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना।
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट–

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घूम सकें।
- बिल्डिंग कोड रूडकी द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेयरकेस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है। निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट, पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वाले वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर कंट्रोल की ट्रैनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन. ए. सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रो की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।
-

आग लगने पर कार्यवाही–

आग लगने की सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बधित/थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गंभीरता के परिपेक्ष में सम्बधित जिला कलेक्टर स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि स्थल परशीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देगें। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार अथवा जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथा शीघ्र घटनास्थल पर पहुचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यो का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि ग्राम पंचायत मुख्यालय से किस प्रकार की ओर कितनी सहायता प्राप्त की

जानी है तद्नुसार जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, ''जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कंट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बधित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं। यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कंट्रोल रूम तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका–

जिला प्रशासन का कर्तव्य–

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण।
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता।
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएँ।

अग्निशमन केन्द्र नियंत्रण कक्ष–

- अग्निशमन वाहन, यंत्र व कर्मियों की उपलब्धता। (सूची परिशिष्ट 28)
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन।
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव।
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि।
- रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानो से समन्वय।

नागरिक सुरक्षा–

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था।
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना।
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना।
- अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सहायता लेना।
- डिविजन एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना।
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना।

पुलिस–

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।

- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास जन सामान्य को हटाना।

विद्युत–

- विद्युत आपूर्ति की समुचित रूप से देखभाल।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग–

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–

- प्राथमिक उपचार।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना। (परिशिष्ट संख्या 9,10 एवं 13)
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुँचाना।
- औषधियों की व्यवस्था करना।
- मेडिकल स्टोरथोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना।
- चिकित्सकों एवं पेरा–मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता।(परिशिष्ट संख्या 10)

गैर राजकीय संगठन–

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता कराना।
- राहत शिविर लगाना।
- सहायता सामग्री का वितरण।

पशुपालन–

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना।
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों का कार्यरत करना।

नगर परिषद–

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन।
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना। (परिशिष्ट संख्या 35)
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल।
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना।
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण।
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय।

- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना। (सूची परिशिष्ट 29)

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें–

क्या करें :–

- आग लगने पर फोन नं. 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्त्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या ना करें :–

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

<u>परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटने के लिए प्रशिक्षण दें।</u>

भूकम्प :कार्य योजना–

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्नलिखित रहेगी–

जिला प्रशासन–

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियत्रंण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणित सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी, एन. एस. एस. तथा स्काउट्स–

- स्वयं सेवकों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों का निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाना।

पुलिस पशासन–

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुँचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग–

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग–

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाना।
- चिकित्सकों, पेरा–मेडिकल स्टॉफ व दवाइयाँ उपलब्ध कराना।(परिशिष्ट 10)

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएं, नगर परिषद् विद्युत पशु पालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपने–अपने कार्य पूरे करेंगें।

क्या करें,क्या न करें–

भूकम्प पूर्व–

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भूकम्प के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों में सिर से ऊँचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पौधों को झूलने हेतु नहीं लटकाएं। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।

खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हे बिस्तर से दूर रखें। बिस्तर के ऊपर दर्पण पिक्चर फ्रेम आदि नहीं लटकायें।

- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते है उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात्–

- शांत रहें, घबराएँ नहीं।
- कांच, खिडकी, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाए व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबों आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की ओर तब तक न भागे जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढियों की ओर न भागें, क्योकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वार से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खडें न हों क्योकि सामान्यत यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतो, दीवारों पेड़ो एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रूके जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे है तो गाड़ी का भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते हैं किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की संरचनाओं अथवा ऊॅची इमारतो के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखें।

- भूकम्प झटके रूकने पर मलबे में फंसे लोगो को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस –100, अग्निशमन केन्द्र– 101, रोगी वाहन– 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत उपकरणों को तब तक न चलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बडे भूकम्प के बाद आते है एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढाँचों को अतिरिक्त हानि पहुँचा सकते हैं।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं कार्य योजना–

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आंकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों की चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानो को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

बाँध टूटना : कार्य योजना–

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद–बूंद जल संग्रहित करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर हैं, अपनी आजीविका के साथ–साथ जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं, जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बाँधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल विकास द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।

- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसेः चेन, रस्सा चाबी आदि की जांच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधो पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियत्रंण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बाँधो के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बाँधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

तापघात से बचाव के उपाय व कार्य योजना–

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जायें।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखें पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गीली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियां करें या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें। अथवा हटा दें।
- कम खाना खायें और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों का तापघात के लिए जागृत बनाने, इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करे, क्या ना करें? की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।

- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहॉ अधिक लोग एकत्रित हों, को रोका जाना चाहिए।

  तापघात में क्या करें, क्या ना करें, हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीत लहर/तरंगें कार्य योजना–

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है मध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0^{0} से. व मध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8^{0} से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती है तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढ़क कर रखें।
- पतलें कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर का ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप कांपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियां, एडियां ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जायें।
- मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है ? ठंड़ी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढ़के हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी भवांस से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी–

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते है उनको जिला प्रशासन भारण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, बाजारों आदि खुले स्थानों पर शरण लेते है उन्हे गर्म स्थान में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमें लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सकें।

5.13 सारांश–

आपदा के सन्र्दभ मे तैयारी से आशय आपदा आने से पूर्व की व्यवस्थाओं से है। आपदा के प्रभावों से बहतर तरीके से निपटने हेतु तैयारी आवश्यक है। आपदा की तैयारी के प्रारम्भिक चरण में आपदा तैयारी से सम्बन्धित नोडल विभागों की पहचान मथा विभिन्न कार्यो हेतु टीमों का गठन आता है। इसी प्रकार आपदा की तैयारी में मॉक ड्रिल तथा विभिन्न उपकरणों व संसाधनों की जाँच आवश्यक है।

आपदा के संदर्भ में उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन भी किया जाना आवश्यक है। जिससे उपलब्ध ज्ञान एवं पूर्व के अनुभवों का लाभ मिल सकें। संचार के साधनों का प्रबंधन तथा जनसामान्य स्तर पर भी तैयारी आवश्यक है, क्योंकि वे से सबसे पहले प्रभावित होते है। पूर्व तैयारी से आपदा में होने वाली हानियों कें स्तर को कम किया जा सकता है।

अध्याय–6

Capacity Building

क्षमता संवर्धन

विषय वस्तु–

6.1 तात्पर्य व आवश्यकता

6.2 विभिन्न स्तरों पर क्षमता संवर्धन व प्रयास

6.3आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन की बिन्दुवार रूप–रेखा

6.4 सर्वोतम प्रयोगों का प्रलेखन

6.5 सारांश

6.1 तात्पर्य एवं आवश्यकता –

क्षमता संवर्धन अथवा क्षमता निर्माण आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। क्षमता निर्माण से तात्पर्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमताओं में अभिवृद्धि से है जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट उपायों द्वारा संभव की जाती है। इस प्रकार क्षमता संवर्धन में दो तत्वों व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमता अभिवृद्धि तथा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति को सम्मिलित किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में क्षमता संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपदा के समय किये जाने वाले राहत व बचाव कार्यो में प्रशिक्षित व्यक्ति अप्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में अधिक दक्षता व क्षमता से प्रतिक्रिया कर सकता है। आपदा प्रबंधन में क्षमता संवर्धन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है–

- आपदाओं के जोखिम व प्रभावों को कम करना।
- व्यक्ति को आपदा के पूर्व व आपदा के पश्चात त्वरित प्रक्रिया योग्य बनाना।
- आपदा के समय प्रशिक्षित व्यक्ति स्वयं में महत्वपूर्ण संसाधन होता है।
- क्षमता संवर्धन एक व्वस्थित कार्यप्रणाली तैयार करने में सहायक है।
- मानव संसाधन का सर्वांगीण विकास ।

आपदा प्रबंधन में बहुत से कार्य आते है। जिनमें प्रमुख रूप से योजना, रोजमर्रा के प्रबंधन क्रियाकलाप, बहु आपदा ऑपरेशंस, क्राइसेस मैनेजमेन्ट, समुत्थान और विशेष कार्य समिलित किये जाते है।

प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य का मानव संसाधन आपदा प्रबंधन के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित हो एवं आवश्यक संसाधनो से युक्त हो।

किसी भी आपदा के प्रभावी प्रबंधन में राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओ एवं जनसमुदाय के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।व्यक्तिगत तथा संस्थागत विशेषज्ञता व क्षमता बढ़ाने के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रशिक्षण व ऑरिऐंटेशन प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। हर स्तर पर मानव संसाधनों के प्रशिक्षण से केवल उनके प्रदर्शन में ही निखार नही आता अपितु उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढती है।

क्षमता संवर्धन में सामान्यजन से लेकर सरकारी अधिकारी,जन प्रतिनिधी ,निजी तथा कारपोरेट सैक्टर एवं विभिन्न स्तरों, समुदायों के लोग सम्मिलित है । इस हेतु आपदा प्रबंधन कोष में भी वित्तीय सहायता प्रावधान रखे जाते है। 13 वें वित्त आयोग में इस हेतु कुल 525 करोड़ रूपये तथा राजस्थान को 30 करोड़ रूपये आवंटित किये गये है।

क्षमता संवर्धन हेतु विभिन्न सरकारी संस्थाऐं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैनिगं इस्टीट्यूट(एटीआई), विभिन्न रिर्सोस इंस्टीट्यूटस, टेक्नीकल इस्टीट्यूट्स कार्यरत है । अन्य संस्थाऐं युनिसेफ तथा अन्य गैर सरकारी संगठन है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और संवर्धन के अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

6.2विभिन्न स्तरों पर क्षमता संवर्धन व प्रयास–

प्रशिक्षण –

प्रशिक्षण क्षमता संवर्धन का महत्त्वपूर्ण अवयव है।प्रशिक्षित व्यक्ति विभिन्न आपदाओं का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में भी सक्षम होतें है तथा वे निरोधात्मक उपायों की अहमियत भी जानतें है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन के गहन प्रयास किये जायेंगे।

क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण का आधारभूत ढाँचा निम्न प्रकार होगा –

- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों से योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों को भिजवाया जायेगा। ये व्यक्ति प्रशिक्षित होकर के जिला स्तर पर संन्दर्भ व्यक्तियो के रूप में कार्य करेगें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से भी समयानुसार आवश्यकतानुरूप दक्ष प्रशिक्षकों को समय–समय पर जिले में बुलाना प्रस्तावित होगा ताकि स्थानीय स्तर पर भी लोग लाभान्वित हो सकें।
- राज्य स्तर पर संचालित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रीट्यूट, राज्य जिला एवं स्थानीय ऑथोरिटीज, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, स्कूली अध्यापकों तथा एनजीओं को प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी। यूआईटी राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी का कार्य करती है। जहा पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट का गठन किया गया है।
- जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों व कर्मचारियों का एक कोर ग्रुप तैयार करेगा। यह कोर ग्रुप जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यहाँ दक्ष सदस्यों का एक पैनल होगा तथा विभिन्न विभागों में इसकी उपलब्धता सुगम बनायी जायेगी। यह कोर ग्रुप प्रशिक्षण का वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्माण करेगा।

इनके अलावा अन्य जिला स्तरीय संस्थान जैसे– इंजीनियरिगं कॉलेज, आ.ई.टी.आई, इंडीस्ट्रीयल ट्रैनिगं इंस्ट्रीट्यूट, एनजीओ, आदि की सहायता

प्रशिक्षण हेतु ली जायेगी जिससे इन प्रबंधन कार्यक्रमो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकेगा।

क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण का संस्थागत ढांचा–

राष्ट्रीय स्तर	1	**राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**
	2	**युनिसेफ, विश्व बैक , नाबार्ड**
	3	**राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण तकनीकी संस्थान व वि.वि., एन. सी.सी,एन.एस.एस, स्काउट**
	4	**एनजीओ**

राज्य स्तर	1	**एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैनिगं इंस्टीट्यूट् (एटीआई)**
	2	**स्टेट सेन्टर फॉर डिजास्टर मैंनेजमेंट –एससीडीएम**
	3	**राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान व वि.वि.**
	4	**एनजीओ, एन.सी.सी,एन.एस.एस, स्काउट**

जिला स्तर	1	**जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**
	2	जिला स्तरीय कोर ग्रुप /पैनल
	3	जिला स्तरीय तकनीकी व प्रबंधन संस्थान
	4	महाविद्यालय, विद्यालय
	5	एन.सी.सी,एन.एस.एस, स्काउट

इस प्रकार आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन हेतु त्रिस्तरीय ढ़ाँचा उपलब्ध हो सकेगा। इस त्रिस्तरीय ढाँचे का उयोग आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु किया जा सकेगा। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन हेतु निम्न संस्थान उपलब्ध है अथवा उन्हे इस कार्य हेतु तैयार किया जा सकेगा।

क्र.स.	संस्थान	संख्या
1	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1
2	नगर परिषद् गोताखोर, दमकल कर्मी सूचना	परिशिष्ट संख्या21
3	आई.टी.आई	1
4	प्रबंधन संस्थान	1
5	अध्ययन केन्द्र इन्दिरा गांधी मुक्त वि.वि. म. प्र.रा.महा.चित्तौड़गढ़	1
6	अध्ययन केन्द्र वर्धमान महावीर खुला वि.वि कोटा म.प्र.रा.महा.चित्तौड़गढ़	1

तालिका 6.1 चित्तौड़गढ़–क्षमता संवर्धन हेतु संस्थान

नोट–

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि.वि. तथा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम संचालित करतें है जिनके अध्ययन केन्द्र महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ में है।

6.3 आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन की बिन्दुवार रूप रेखा–

- प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन।
- कोरग्रुप/पैनल का गठन।
- कोर ग्रुप/पैनल के विशेषज्ञों का प्रशिक्षण।
- विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।
- जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रमुख विभागों जैसे –पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन आदि हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विभिन्न विभागों के चयनित स्टॉफ को तलाश, बचाव, अग्निशमन, फर्स्ट एड में निपुण बनाना।
- त्वरित अनुक्रिया तंत्र(इंसिडेंट रेस्पाँस सिस्टम) को सटीक बनाने हेतु प्रशिक्षण।
- आवश्यक उपकरणों के उपयोग व रखरखाव का प्रशिक्षण ।
- विशेष प्रशिक्षण जैसे :–
    - जनप्रतिनिधियों का एक दिवसीय विशेष ऑरिऐंटेशन प्रोग्राम जिसमें आपदा प्रबंधन के बुनियादी तत्वों को शामिल किया जायेगा।
    - आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स व बढ़ई, राजमिस्त्री, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि को आपदा काल में पुनः निर्माण कार्य हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाकर एक पैनल तैयार किया जायेगा।
    - पैरामेडिकल स्टॉफ, चिकित्साकर्मी, एम्बुलेंस चालकों, दवा विक्रेत्ताओं को महामारी, रासायनिक आपदाओं,एन्टीडोज,मॉस कैजुअल्टी, मानसिक उपचार जैस विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा कर प्रशिक्षित किया जायेगा।
- मीडियाकर्मियों को आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया जायेगा।
- विद्यालयों–महाविद्यालयों में विद्यार्थियों कों बचाव,जोखिम, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा, स्वंय बचाव ,आदि पर समय–समय पर प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
- जनसामान्य में आपदा प्रबंधन जागृति व क्षमता संवर्धन हेतु नुक्कड़ नाटक,चौराहों पर फिल्मों, होर्डिंग्स आदि का प्रयोग प्रभावी तरीके से किया जायेगा। मौसम तथा जोखिम के अनुरूप संभावित आपदा के

खतरे व बचाव के होर्डिंग्स स्थान–स्थान पर लगाये जायेगें, जिससें संभावित आपदा के सम्बन्ध में जागृति पैदा हो तथा जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।

- एक विशेष प्रशिक्षित दल का गठन जो महामारी, रासायनिक आण्विक दुर्घटना,गैस गोदाम व तेल डिपो में आग जैसे संवेदनशील मौको पर त्वरित अनुक्रिया कर सके।

मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास–

क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण के साथ–साथ अनुरूपण अभ्यास भी आवश्यक है। अनुरूपण अभ्यास के द्वारा आपदा प्रबंधन क्षमता की तैयारियों, विशेषताओं व खामियों का पता लगाया जाता है। आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले में संवेदनशील व जोखिम पूर्ण स्थानों व संस्थाओं में मॉक ड्रिल्स के माध्यम से आपदाओं से निपटने की तैयारियों का पता लगाकर उनकी खामियों को जाना जायेगा।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थल, परिवहन केन्द्र, औद्यौगिक इकाइयाँ, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान मॉक ड्रिल्स व अनुरूपण अभ्यास हेतु उचित स्थान है। वर्ष में कम से कम दो बार विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रमुख सरकारी इमारतों, सिनेमाघरों, प्रमुख मन्दिरों, रेल्वे स्टेशन, औद्यौगिक इकाइयों तेल व गैस डिपो में मॉक ड्रिल्स व अनुरूपण अभ्यास आयोजित किये जायेंगे। इन अभ्यासों में जिला पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कर्मचारी, चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टॉफ,बम निरोधक दस्ता, आतंकवाद निरोधी दस्ता तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारी भाग लेंगे।

इस कार्य हेतु जिला स्तर पर जिला क्लेक्टर तथा राज्य स्तर पर रिलीफ कमिश्नर सहयोग प्रदान करेंगे।जिले में की जाने वाली मॉक ड्रिल्स की संभावित सूची निम्न प्रकार होगी जिसमें समय व आवश्यकतानुरूप बदलाव किया जा सकेगा–

- शिक्षण संस्थानों में मॉक ड्रिल्स व अनुरूपण अभ्यास।
- भीड–भाड़ वाले स्थानों विशेष कर रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, मार्केट, सरकारी कार्यालय , सभागार, आदि स्थानों पर विशेष मॉक ड्रिल्स।
- धार्मिक स्थलों जैसे– सांवलिया जी मन्दिर मण्डपिया, कालिका माता मन्दिर, चित्तौड़गढ़ पर भगदड़, आतंकी हमला, बम डिफ्यूज़न की विशेष मॉक ड्रिल्स।
- सार्वजनिक व धार्मिक अवसरों पर निकलने वाली यात्राओं, रैलियों में भगदड़ व दंगे जैसी स्थिति से निपटने हेतु मॉकड्रिल्स।
- विभिन्न एजेंन्सियों के मध्य तालमेल जानने हेतु मॉक ड्रिल्स ।
- मॉस कैजुअल्टी जैसे बडी सड़क दुर्घटना, आगजनी आदि में प्रबंधन हेतु मॉक ड्रिल्स ।
- वर्षा ऋतु से पूर्व बांधों, नदियो के किनारों पर स्थित संवेदनशील स्थानों पर मॉकड्रिल्स ।

जिला स्तर पर जिला आपदा एवं राहत प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि मॉक ड्रिल्स तथा अनुरूपण अभ्यास समय–समय पर अनिवार्य रूप

से सभी जोखिम पूर्ण संवेदनशील स्थानों पर किया जावे।इससे जिला स्तर पर सभी संस्थानों को अपनी सही–सही भूमिका व आपसी तालमेल का पता चल सकेगा।

पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश–

शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाये।

जिले के सभी तकनीकी संस्थान यह सुनिश्चित करेगें की उनके पास विभिन्न तकनीकी विषयों पर पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता हो। चिकित्सा, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग अपने पाठ्यक्रम में इस प्रकार का बदलाव सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकारी व कर्मचारी आपदा की दशा में बेहतर तरीके से तालमेल के साथ कार्य कर सकें। इस हेतु पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को आवश्यकतानुरूप सम्मिलित करने की महती आश्यकता रहेगी।

जनजागृती तथा कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मेनेजमेंट प्रोग्राम(CBDM)–

किसी भी तरह की आपदा में समुदाय सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते है, अतः यह आवश्यक है कि आपदाओं की जानकारी तथा उनके प्रभावों से लोगों को अवगत कराया जावे। आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के माध्यम से जन सामान्य को जागृत करने के तरीके विकसित किये जायेगें जिनकी अनुपालना से लोग आपदा की दशा में अनुशासित और अफरा–तफरी रहित होकर प्रभावी व्यवस्था की अनुपालना कर सकें।इस हेतु जिले में विभिन्न प्रयास व कार्यक्रम लागू किये जाना प्रस्तावित है–

- ✓ स्थानीय भाषाओं में जिंगल्स विकसित करना।
- ✓ वीडियो स्पॉट्स तैयार करना।
- ✓ स्थानीय आकाशवाणी व केबल टीवी पर पैनल डिस्कशन ।
- ✓ संवेदनशील स्थानों पर होर्डिंगस।
- ✓ पोस्टर, पुस्तिका, पम्पलेट, विज्ञापन, आदि तैयार करवाना व वितरण।
- ✓ चित्रकला, पोस्टर, प्रश्नोत्तरी,निबंध, आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- ✓ सार्वजनिक स्थानों पर तापमान, वर्षा आदि मौसमीय दशाओं को प्रदर्शित करने हेतु इलेक्ट्रिक डिस्प्ले बोर्ड।
- ✓ आपदा प्रबंधन दिवस मनाना ।
- ✓ नुक्कड नाटक, जागरूकता रैली का आयोजन।
- ✓ विकलांगों बुजुर्गो,मानसिक शिथिल व्यक्तियों हेतु विशेष कार्यक्रम।

इन कार्यो हेतु वित्तीय व्यवस्था जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी संगठनों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों से की जायेगी।कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमैंट प्रोग्राम (CBDM) एक नवीन प्रयास है। क्षमता संवर्धन हेतु समुदाय स्तर पर दीर्घकालीन प्रयास किये जाने

आवश्यक है। जिससें सुरक्षित समुदायों का निर्माण हो सेकेंगा। तथा लोगो में सामूहिक सहयोग की भावना विकसित होगी।

समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (सीबीडीएम) के माध्यम से जोखिम घटाने की परिकल्पना निम्नलिखित कार्यो में सहयोग करेगी–

- सीबीडीएम हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन।
- सरकारी व गैरसरकारी संगठनो की सहायता से समुदायों के साथ गहन कार्यक्रमों का संचालन।
- सीबीडीएम हेतु विस्तृत कार्यक्रमों व योजनाओं का निर्माण।
- जोखिम पूर्ण व संवेदनशील समुदायों तक सीबीडीएम की पहुँच ।
- कार्यशाला के माध्यम से सीबीडीएम लोगों तक सुलभ बनाना।
- प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन दलों का गठन ।

समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना का संभावित प्रारूप तालिका 6.2 के अनुसार प्रस्तावित होगा। इससें क्षमता संवर्धन के साथ–साथ आपदा के समय त्वरित अनुक्रिया में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रहेगा ।

कौन/कैसे	किसे क्या काम सौपा गया है। कौन कहाँ रह रहा है। किसे प्राथमिकता दे। संदेशो को कौन सुनेगा। कौन क्या जुटायेगा।
कहाँ/किधर	कहाँ सूचित करें । प्रत्येक परिवार कहाँ रहता है।वे किधर जाते है। वह कहाँ काम करते है। आश्रय के लिए सुरक्षित स्थान कहॉ है।
कब	क्या यह घटना पूर्व चेतावनी के साथ हुई। क्या यह घटना अचानक हुई।
क्या	समुदायिक स्तर पर क्या उपाय किये जा रहे है। उपलब्ध संसाधन क्या है। क्या–क्या सामग्री जमा की जायें । क्या–क्या उपकरण उपलब्ध है। सुरक्षित आश्रय स्थलों और उपकरणों की क्या स्थिति है।
कैसे	किसी स्थान पर कैसे पहुँचा जाये।संदेश कैसे प्राप्त किया जाए। पूर्व चेतावनी संदेश कैसे प्रसारित किया जाए।लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना कैसे तैयार की जाए ।
क्यों	उपर्युक्त प्रत्येक प्रश्न क्यों।

तालिका 6.2 समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन योजना प्रारूप

6.4 सर्वोतम प्रयोगों का प्रलेखन–

जिला स्तर पर इमरजेंसी (EOC) ऑपरेशन सेंटर स्थापित करना प्रस्तावित किया जायेगा, जो आपदा के समय समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा।आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत आने वाले राहत कार्यों से जुडे

विशेषज्ञ लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाये जायेंगे। ताकि सूचनाओं का सम्प्रेषण व सहायता आदान–प्रदान संभव हो सकेगा।

चित्तौड़गढ़ जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक वेबसाइट तैयार करवाई जायेगी जिस पर समस्त सूचनाओं का संकलन होगा। सभी विभाग अपने–अपने सर्वोतम प्रयोगों का प्रलेखन करवायेगें जिससे अन्य विभाग लाभान्वित होकर अपनी क्षमता संवर्धन कर सके।

जिला स्तर पर एक विशिष्ट आपदा प्रबंधन उपकरण भवन की स्थापना जिसमें आपदा प्रबंधन व राहत से सम्बन्धित समस्त समस्त उपकरण व सामग्री एक स्थान पर उपलब्ध हो सके।

6.5 सारांश–

राज्य मे आपदा प्रबंधन के उचित प्रशिक्षण से सभी हितकारकों की क्षमता संवर्धन की जा सकती है। राज्य में अधिकारियों/कर्मचारियों के आपदा प्रबंधन से सम्बधितप्रशिक्षण हेतु 'एच.सी.एम.रीपा' में आपदा प्रबधंन केन्द्र कार्यरत है। इस केन्द्र को आवश्यक संसाधनों से सशक्त किया जायेगा। आवश्यकता होने पर राज्य में अतिरिक्त आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित किये जाऐंगे। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों को भी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु सशक्त किया जायेगा । सभी विभाग आपदा प्रबंधन की क्षमता निर्माण हेतु कार्य योजना बना कर विभिन्न स्तरो पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस कार्य योजना में आपदा पूर्व तैयारी, प्रशमन तथा आपदा उपरान्त सहायता, पुनर्वास एवं आधारभूत संरचनाओं को पुनर्स्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान जैसे बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा।

- आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से जुडे व्यक्तियों को बचाव व राहत कार्य तथा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जावेगा,जिससे वे स्वतः सतर्क होकर कार्य में जुड़ सकेगें।
- राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इंटर एजेंसी ग्रुप के माध्यम से प्रशिक्षण, जनजागरूकता, क्षमता संवर्धन,सूचना सम्प्रेषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी। इस ग्रुप में संयुक्त राष्ट्र संस्थाऐं, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वंयसेवी संस्थाऐं, शैक्षिक संस्थाऐं एवं प्रसार संस्थाऐं सम्मिलित होगी।
- प्रत्येक जिले मे आपदाओ के समय अनुक्रिया (response) के लिए दल (incident response team) गठित किया जायेगा ।
- उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबंधन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक,व प्रबंधकीय ज्ञान को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा।
- प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर आपदा अनुसार विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के दल बनायेगा जो तत्सम्बधी आपदाओं में बचाव व राहत कार्य में समय समय पर प्रशिक्षित किये जावेंगे। सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षण के

लिए बाध्य होगें। सभी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन केन्द्र समय–समय पर प्रशिक्षित करेगा।

- विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबन्धन को शामिल किया जायेगा।
- नागरिक सुरक्षा, होमगार्डस, एन.सी.सी.,वाई.डी.सी,स्काउटस,एन. एस.एस. आदि को आपदा प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण दिया जाकर सशक्त किया जायेगा।

सीख .....

तमिलनाडु के कुडलुर जिले में समुद्र तट के एक गांव के ग्रामीण आपदा प्रबंधन पर पाठ सीख रहे थे तभी उन्हे हत्यारी सुनामी लहरों ने घेर लिया। सीखा गया पाठ तत्काल उनके काम आया और बहुत से लोगों की जान बचायी जा सकी। 2000 की आबादी वाले इस गांव में मरने वालों की संख्या 20–21 रही । गांव वालों को कहा गया किसमुद्र में डूबते समय वे सूखे पेड़ के तनें तथा खाली ड्रमों का इस्तेमाल करें। इस गांव में सामुदायिक ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का गठन एक सप्ताह पूर्व ही किया गया था। टीम में शामिल महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में लगाया गया।

अध्याय–7

Response and Relife Measures

राहत एवं प्रत्याक्रमण

विषय वस्तु–

7.1 अभिप्राय व आवश्यकता

7.2 राहत एवं प्रत्याक्रमण के चरण

7.3 सारांश

7.1 अभिप्राय व आवश्यकता –

सभी आपदाऐं, आकस्मिक घटनाऐं एवं संकटकालीन घटनाऐं अत्यंत गतिशील होती है और अफरातफरी फैलाने वाली होती है। जिससे शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकार भी पैदा हो जाते हैं। राहत एवं प्रत्याक्रमण वे उपाय हैं जो आपदा घटित होने के तुरन्त बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका उद्धेश्य आपदा से पूर्व तथा आपदा काल व आपदोत्तर दशा में जनजीवन की सुरक्षा करना, उनकी मुसीबतों को दूर करना, सम्पति को सुरक्षित बचाना, आपदा द्वारा किए गए नुकसान से निपटना शामिल है।

राहत व प्रत्याक्रमण सामान्यतः अत्यन्त विघटनकारी तथा विषम परिस्थितियों में चलाये जाते है। अक्सर उनका क्रियान्वयन बहुत कठिन होता है। इन अभियानों के लिए बडी तादाद में मानव संसाधन, उपकरणों व अन्य संसाधनों की आश्यकता होती हैं, अतः ठोस योजना, प्रबन्धन, प्रशिक्षण और प्रत्याक्रमण टीम के बिना इन अभियानों को आशातीत सफलता नहीं मिल पाती।आपदा के प्रत्युत्तर में कार्यवाही जितनी तत्परता व कुशलता से की जाये नुकसान व जोखिम को उतना ही कम किया जा सकता है।

7.2 राहत व प्रत्याक्रमण के चरण—

आपदा से पूर्व	चेतावनी, आवश्यक तैयारी
आपदा के दौरान	प्रथम प्रत्याक्रमण–राहत
आपदोत्तर	राहत– समुत्थान

समयानुसार राहत एवं प्रत्याक्रमण एक गतिक प्रक्रिया है। इसमें आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदोपरांत किये जाने वाले कार्य सम्मिलित है। अतः इस कार्य को तीन चरणों में सम्पादित किया जाता है।

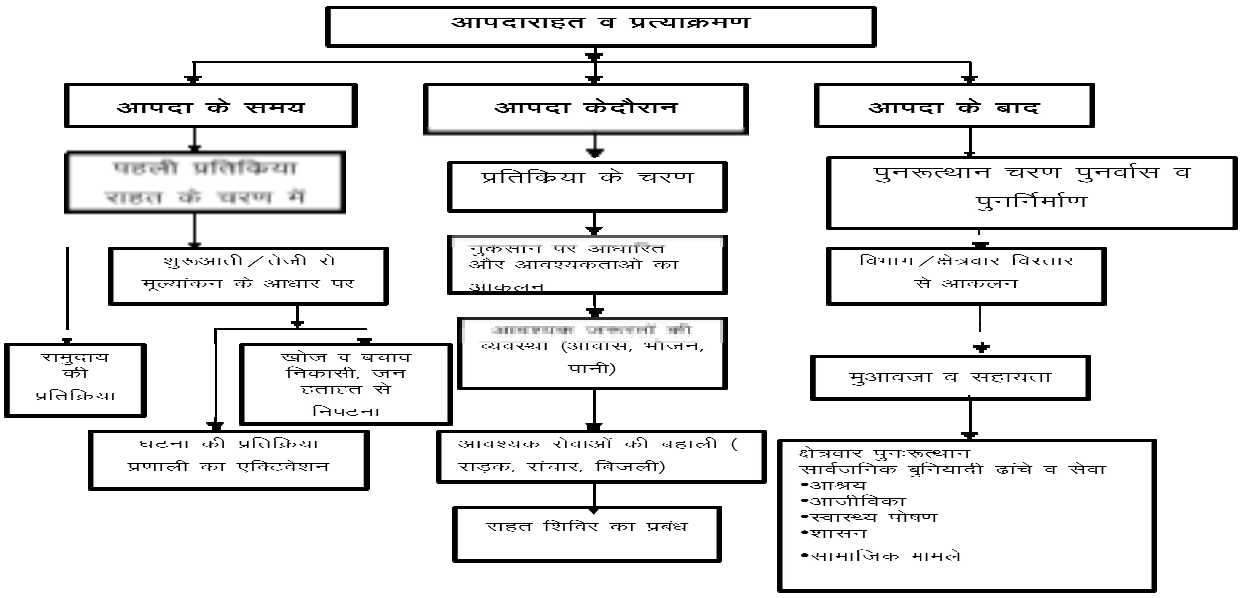

चित्र 7.1 राहत व प्रत्याक्रमण का आरेखीय निरूपण

7.2.1 आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण–

आपदाओं को भविष्यवाणी अथवा पूर्वानुमान के आधार पर दो भागों मे बाँटा जा सकता है –

- प्रथम प्रकार की आपदाऐं वे है जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव है।
- द्वितीय आपदाऐं वे है जो आकस्मिक रूप से घटित होती है जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव नहीं है।

आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण कार्य उक्त दोनों प्रकार की आपदाओं हेतु क्रियान्वित किये जाते है। किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को आपदा पूर्व तैयारी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा आने वाली सम्भावित आपदा से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण में निम्न तत्व सम्मिलित किये जाते है –

- पूर्व चेतावनी प्रणाली
- आपदा सम्बन्धित आंकडों का संग्रहण
- शरणस्थलियों को चिन्हित करना
- आपदा से सम्बन्धित उपकरणों की एक स्थान पर उपलब्धता
- मॉक ड्रिल
- संचार प्रणाली को दुरूस्त करना
- आपदा से सम्बन्धित विभाग को हाईअलर्ट

- फर्स्ट रेस्पाँड यूनिट का हाईअलर्ट
- जोखिमपूर्ण बस्तियों, मकानों को खाली करवाना
- पर्याप्त भोजन, दवा, जल, आवश्यक सामग्री का संग्रह

बाढ़, भूकम्प एवं सूखाचित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख प्राकृतिक आपदाऐं हैं। उक्त आपदाओं में बाढ़ तथा सूखे का पूर्वानुमान तथा चेतावनी संभव हैं। आगजनी, सड़क दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटनाएँ आदि अन्य आपदाएँ हैं जिनका पूर्वानुमान सम्भव नहीं है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के पूर्वानुमान तथा चेतावनी हेतु जिले में चेतावनी प्रणाली को सुदृढ बनाना आवश्यक है। जिला प्रशासन के द्वारा संचार/पूर्व चेतावनी प्रणाली को दुरूस्त करना प्रस्तावित है। यह प्रणाली निम्न चरणों में कार्य करेगी–

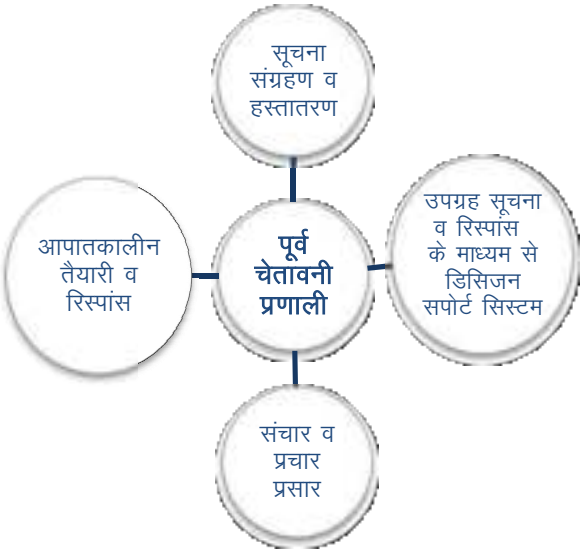

चित्र 7.2 जिले की प्रस्तावित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली

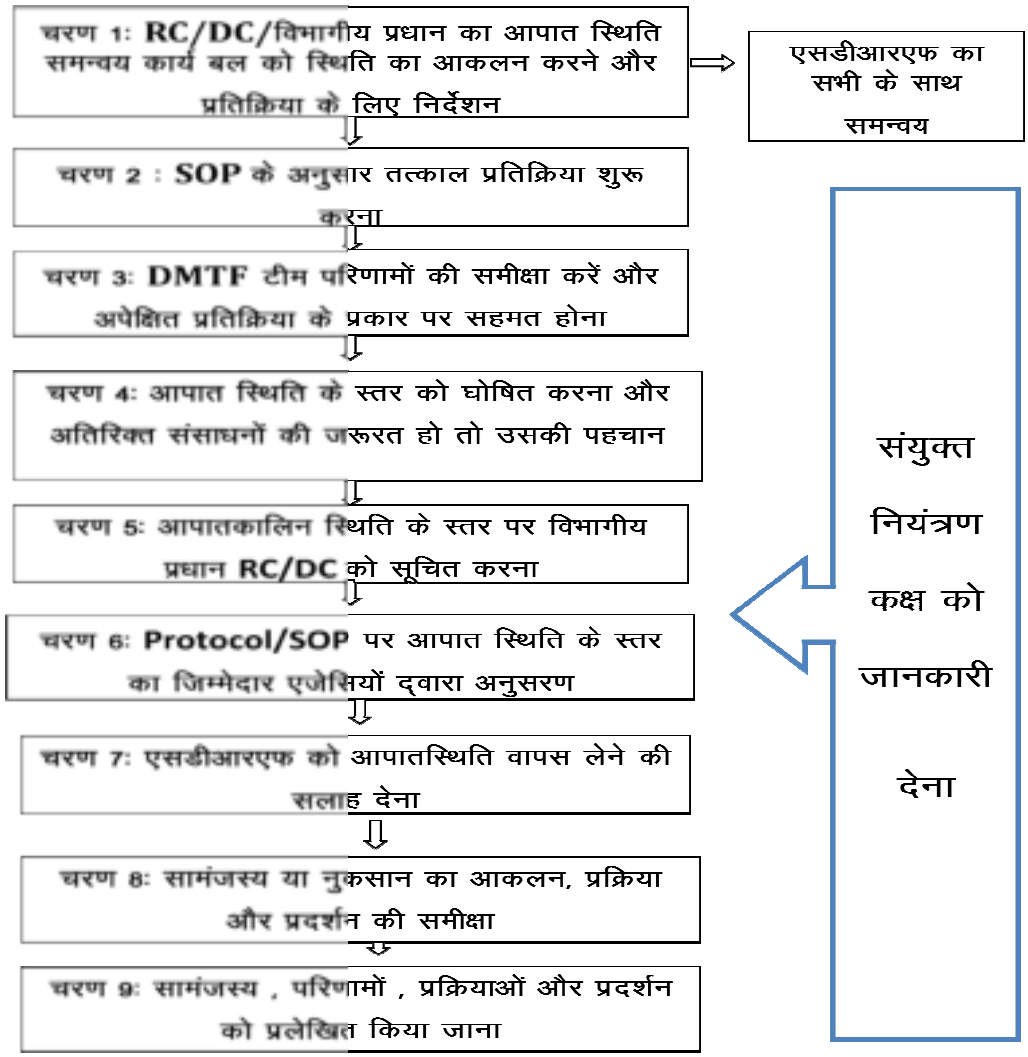

चित्र 7.3 प्रमुख आपातकालीन प्रत्याक्रमण के लिए घटनाओं का फ्लोचार्ट

आपदा पूर्व राहत एवं प्रत्याक्रमण आपदा के जोखिम व हानि को काफी हद तक कम कर देते है। आपदाओं संबंधित पूर्व चेतावनी हेतु राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर निम्न संस्थान कार्यरत हैं, जिनका सहयोग भी इस कार्य हेतु लिया जायेगा।

1. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
2. मौसम विभाग
3. सुदूर संवेदन विभाग तथा भौगोलिक सूचना तंत्र
4. राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

7.2.2 आपदा के प्रभाव की अवस्था में राहत व प्रत्याक्रमण—

यह आपालकाल या आपदा के तुरंत बाद की अवस्था है जिसमें लोग आपदा व उसके प्रतिकूल प्रभावों को सबसे ज्यादा झेलते हैं। इसी चरण के दौरान राहत व प्रत्याक्रमण की महती आवश्यकता होती है। आपदा के

प्रत्युत्तर में की गई तुरन्त कार्यवाही जितनी तेजी व कुशलता से की जायेगी, उतनी ही आधिक जन एवं धन तथा सम्पति के नुकसान को बचाने में कामयाबी हासिल होगी। जिले में आपदा के प्रभाव की स्थिति में राहत व प्रत्याक्रमण के निम्न चरण होगें–

1. फर्स्ट रिस्पाँड ग्रुप का निर्धारण

2. राज्य सरकार व जिला प्रशासन का सक्रीय होना

3. सर्च व रेस्क्यू टीम

4. आवश्यक सेवाओं की तुरंत बहाली

5. आश्रय स्थलों तथा अस्पतालों में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था

6. शान्ति व्यवस्था बनाये रखना

7. क्रेन, बुलडोजर तथा आवश्यकतानुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण

8. अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना

9. राहत सामग्री की आपूर्ति

10. आपदा के बाद क्षति का आंकलन

11. आपदा पीड़ितों हेतु तत्काल राहत

चित्तौड़गढ़ जिले के सन्दर्भ में राहत व प्रत्याक्रमण के द्वितीयचरण का क्रियान्वयन –

- **समुदाय पहले प्रतिक्रियक–**

आकस्मिक आपदा आने के बाद बाहर से सहायता आने में लगभग 12 से 24 घटें का समय लग जाता है।अतः जन समुदाय फर्स्ट रिस्पाँडर के रूप में कार्य करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न जोखिम पूर्ण स्थानों पर रहने वाले तथा उनके आस पास रहने वाले समुदायों को आपदा के समय फर्स्ट रिस्पाँडर के रूप में कार्य करने हेतु दक्ष करना आवश्यक है। इस हेतु उनका प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन आवश्यक है। इस हेतु विस्तृत जानकारी अध्याय–6 में दी गई है।

- **राज्य सरकार – जिला प्रशासन का सक्रीय होना–**

समुदाय के पश्चात प्रथम रिस्पाँस देने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील व नगर पालिका/परिषद् की होती है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य व केन्द्र से भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रशासनिक रिस्पाँस सिस्टम के विभिन्न चरण निम्न प्रकार प्रस्तावित है–

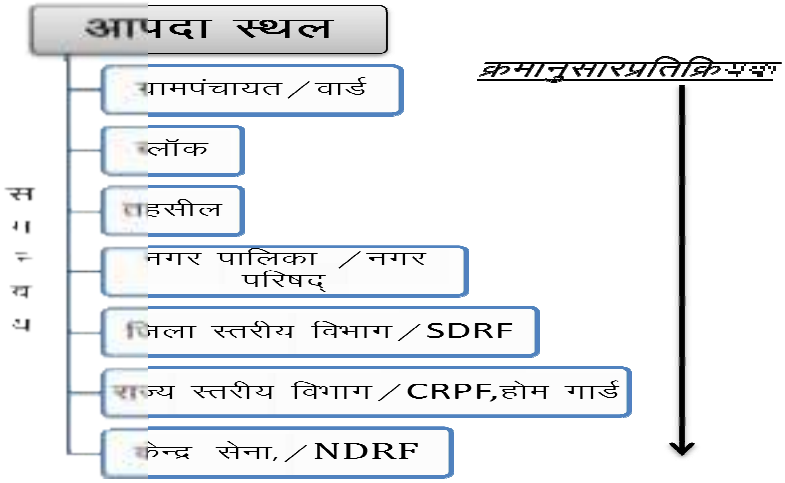

चित्र 7.4 प्रशासनिक रिस्पांस सिस्टम के विभिन्न चरण

आपदा में त्वरित सहयता पहुचाने के लिए जिले में इंसिडेंट रिस्पाँस टीम (त्वरित कार्यबल) तथा एक इंसिडेंट रिस्पाँस सिस्टम की महती आवश्यकता होगी जो आपदा के समय तुरंत स्वतः क्रियाशील होकर स्थिति नियंत्रण मेंले सके। जिला इंसिडेंट रेस्पाँस टीम का फ्रेमवर्क निम्न प्रकार होगा –

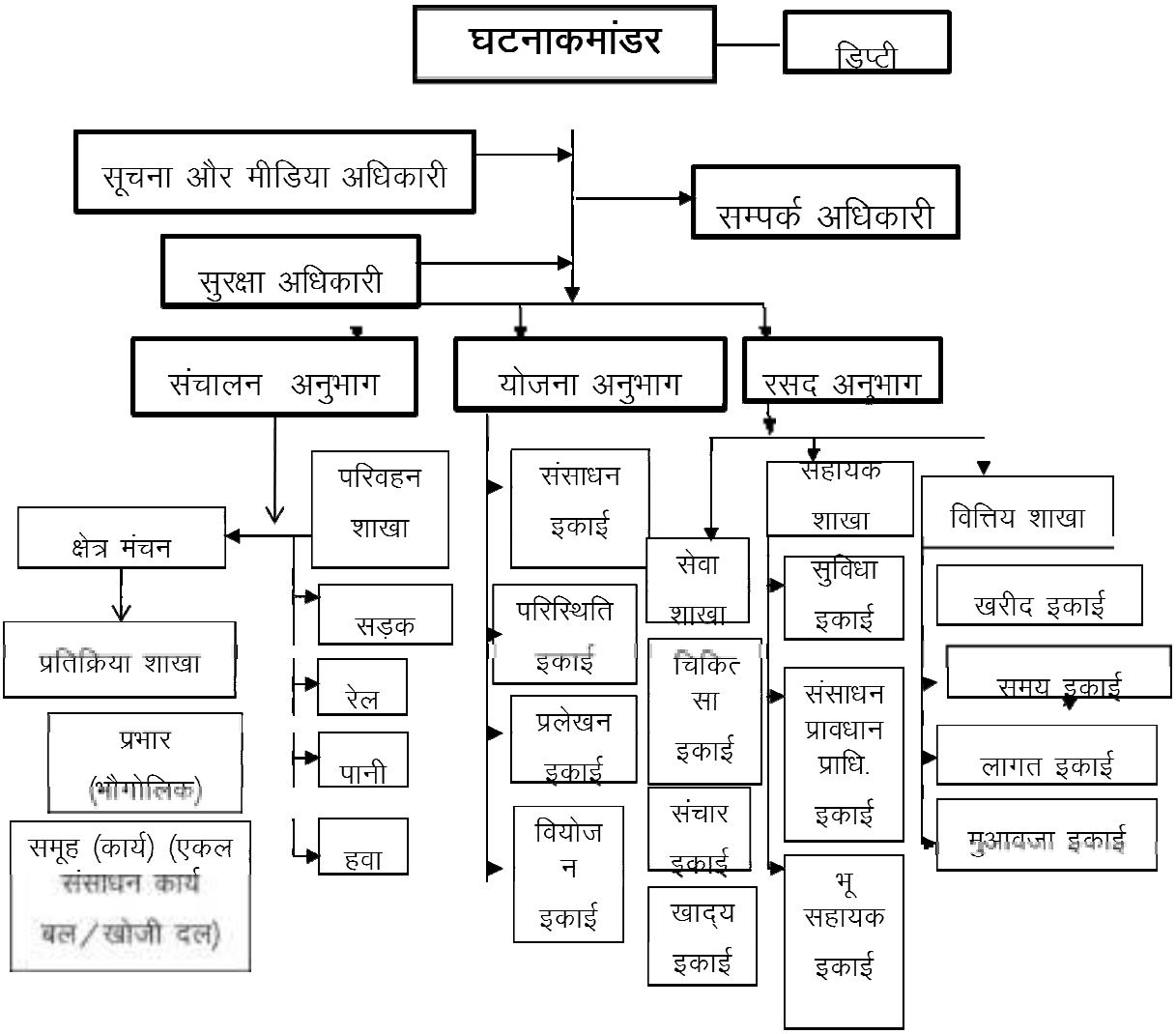

चित्र 7.5 इंसिडेंट रिसपॉन्स टीम (आईआरटी) फ्रेमवर्क

इस प्रकार जिले की इंसिडेट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क के चार मुख्य अनुभाग होंगे । इंसिडेंट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क (IRTF)के किस अनुभाग को सक्रिय करना हैं, क्या कार्य करना है यह जिम्मेदारी कमांड स्टाफ की होगी। जिसका मुखिया जिला कलक्टर होगा। यह फ्रेमवर्क आपदा राहत व प्रत्याक्रमण की रीढ़ होगा।इंसिडेंट रिस्पांस टीम का मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय होगा जो आपदा नियंत्रण कक्ष के समन्वय से कार्य करेगा। आपदा से समय IRTFके विभिन्न चरण तथा घटक निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से क्रियाशील हो जायेंगे।

चित्र 7.6 जिले की इंसिडेट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क के चार मुख्य अनुभाग

- **इंसिडेट रिस्पांस टीम का क्रियाशील होना–**

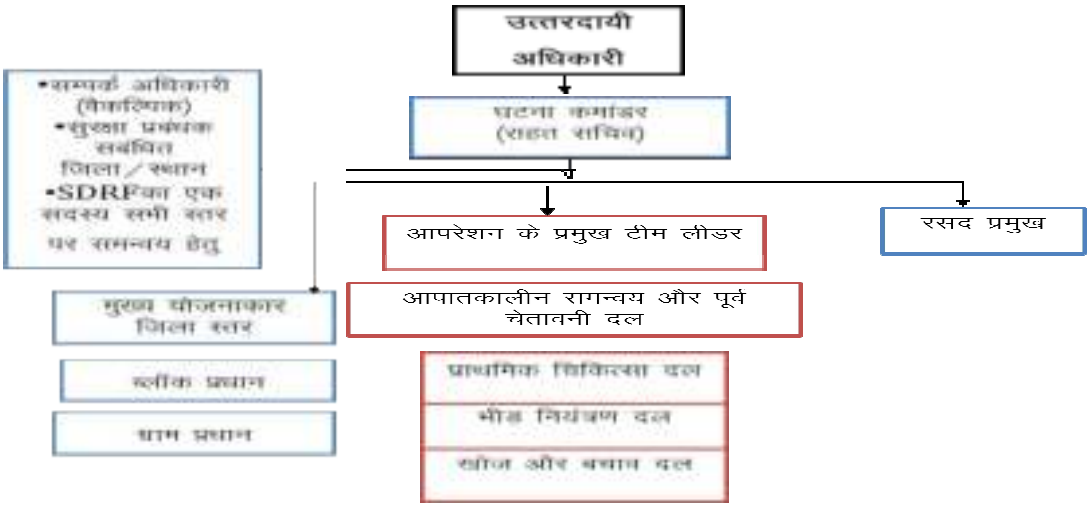

चित्र 7.7 इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम टीम का क्रियाशील होना

आपदा के दौरान राहत व प्रत्याक्रमण के अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्न होंगे–

- **ऑपरेशन का समन्वय :–**विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न चरणों में सम्पन्न कार्यों का समन्वय आवश्यक हैं अन्यथा राहत व प्रत्याक्रमण के कार्य निष्फल हो सकते है। चित्तौड़गढ़ जिले में राहत व प्रत्याक्रमण के कार्यों का समन्वय का भार जिला आपदा नियंत्रण कक्ष पर रहेगा जो 24 घंटे कार्य करेगा। जिले के सभी विभाग जो आपदा के समय क्रियाशील होंगे नियंत्रण कक्ष को प्रत्येक कार्य की सूचना देगें। यह नियंत्रण कक्ष इस सूचना को अन्य विभागों तक पहुँचायेगा। विशेष परिस्थितियों मे यह नियंत्रण कक्ष राज्य व केन्द्र से भी सम्पर्क बनाये रखेगा।

- **मास कैजुअल्टी मैनेजमेंटः**– इस प्रकार की आपदा में बडे पैमाने पर जन धन की हानि होती है। जैसे अग्नि, भूकम्प, बाढ़, रेडिएशन, रासायनिक दुर्घटना आदि। इस स्तर पर जोखिम कम करने तथा राहत व प्रत्याक्रमण हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। चिकित्सा, पुलिस, रसद आदि विभागों के विशेष प्रयास हानि को कम करते हैं। विशेष परिस्थितियों मे राज्य व केन्द्र की भी सहायता लेनी पडती हैं। इस हेतु चित्तौड़गढ़ जिले की आपदा प्रबंधन योजना में निम्न बिन्दु प्रस्तावित किये गये है–

1. संयुक्त दल जो राहत की आवश्यकता के स्तर का अनुमान लगायेगा।
2. सुरक्षा, फार्मेसी, ब्लड बैंक, ट्रोमा सुविधाओं की तत्काल स्थापना।
3. आवास तथा भोजन की तत्काल व्यवस्था।
4. रोगी वाहनों तथा रेफरल व्यवस्थाओं का तत्काल प्रबंध।
5. सहायता व शिकायत निवारण केन्द्रों की स्थापना।

- **रेपिड डैमेज असेसमेंट सिस्टम (RDA)**:–आपदा के तुरंत बाद जान माल के नुकसान तथा घायलों की संख्या जानने के लिए रेपिट असेसमेंट आवश्यक है। जिले में आरडीए उस स्थान पर करवाया जायेगा जहॉ आपदा घटित हुई है। इसमें दल का नेतृत्व स्थानीय प्रशासन का मुखिया करेगा तथा दल में पटवारी, अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग का इंजीनियर, पुलिस उपाधीक्षक होगें जो आंकलन की रिपोर्ट जिला कलक्टर को सौपेंगें। इस रिपोर्ट के आधार पर आपदा का स्तर निर्धारित किया जायेगा जो निम्न प्रकार होगा :–

एल – 0 यह सामान्य स्तर का द्योतक है।

एल – 1 यह आपदा का वह स्तर होगा जो जिला स्तर पर ही प्रबंधित की जा सकेगी।

एल – 2 यह आपदा का वह स्तर होगा जो राज्य स्तर पर सहयोग से ही प्रबंधित किया जा सकेगा।

एल – 3 यह बडी आपदा वाली दशा होगी जिसमें राज्य व जिला मशीनरी को पुनः पटरी पर लाने हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी। यथा – सहायता पैकेज प्राप्त करना, NDRFका सहयोग, सेना की मदद आदि।

- **जनता का सहयोग—**आपदा के समय रिस्पाँस अधिकारियों व जनता के बीच सहयोग आवश्यक है। इस हेतुचित्तौड़गढ़ के जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में जनजागृति अभियान चलाया जायेगा।

7.2.3 आपदोत्तर राहत व प्रत्याक्रमण की अवस्था—

यह अवस्था आपदा के विरूद्ध त्वरित प्रत्याक्रमण अथवा रिस्पांस की अवस्था है। इस अवस्था में आपदा की तीव्रता तथा जोखिम लगभग समाप्त हो जाते हैं किन्तु राहत तथा प्रत्याक्रमण के कार्य जारी रहते है। इस अवस्था में राहत तथा प्रत्याक्रमण की प्राथमिकताऐं बदल जाती हैं। इस अवस्था का प्रमुख कार्य पुनर्वास तथा पुनर्रूत्थान होते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में राहत व प्रत्याक्रमण की आपदोतर अवस्था के निम्न चरण होंगे–

विस्तृत हानि का आंकलन–

इसके अर्न्तगत जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर सचिव, पटवारी, गिरदावर, सरपंच के माध्यम से आपदा से हुई हानि का विस्तृत आंकलन करवाया जायेगा। इसके माध्यम से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा आधारभूत संरचना की बहाली के लिए वित्तीय आवश्यकता का आंकलन किया जा सकेगा। आपदा से हुए नुकसान के साथ–साथ उसके कारण, आपदा प्रबंधन में रही कमियाँ आदि का भी रिकार्ड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रखा जाएगा। जिससे भविष्य में पूर्व के अनुभवों का लाभ उठाया जा सके।

प्रभावित लोगों का पुर्नवास—

आपदा के पश्चात् सबसे बड़ी समस्या विस्थापितों के पुनर्वास की होती है। राहत शिविरों में रह रहे लोग पुनः अपने घरों को लौटना चाहते हैं। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा निम्न उपाय किए जा सकेंगे–

- राज्य सरकार द्वारा उचित आर्थिक सहायता दिलवाना। आपदा प्रभावित क्षेत्र सुरक्षित न होने की दशा में सुरक्षित स्थान पर लोगों को बसाने हेतु भूमि की व्यवस्था।
- भूमि व वित्तीय सहायता का आवंटन, प्रभावितों की आवश्यकतानुसार प्राथमिकता से किया जायेगा।
- जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार विद्युत, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

पुनर्निर्माण—

जिला स्तर पर पुनर्निर्माण प्रक्रिया का दृष्टिकोण इस प्रकार का होगा जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को सुअवसर में बदलकर बेहतर निर्माण किया

जा सके। यह एक लम्बी चलने वाली प्रक्रिया होगी। इस हेतु एक समर्पित कार्यदल का गठन किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए, उच्च स्तर पर भी निगरानी रखी जायेगी।

आजीविका को पुनः बहाल करना—

आपदा से प्रभावित परिवारों के समक्ष प्रमुख समस्या आजीविका के साधनों की पुनः बहाली की होगी। इस हेतु चित्तौड़गढ़ जिले हेतु निम्न प्रयास सुझाये गये हैं–

1. दुकानों, व्यावसायिक भवनों आदि का ढांचा पुनः सुधारना जिससे प्रभावित लोगों का रोजगार पुनः प्रारम्भ हो सके।

2. जिनकी आजीविका के साधन नष्ट हो चुके हैं उन्हे वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा अथवा स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।

3.स्थानीय आवश्यकतानुसार नवीन आजीविका के साधन विकसित किये जायेंगे। इस क्रम में महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

धन का आवंटन व ऑडिट—

विभिन्न माध्यमों यथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, दानदाताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से, जनसहयोग से प्राप्त धन को आपदा राहत व प्रत्याक्रमण में खर्च करने के बाद उसकी ऑडिट प्रस्तावित की जायेगी जिससे प्राप्त धन का किसी प्रकार दुरूपयोग न हो सके।

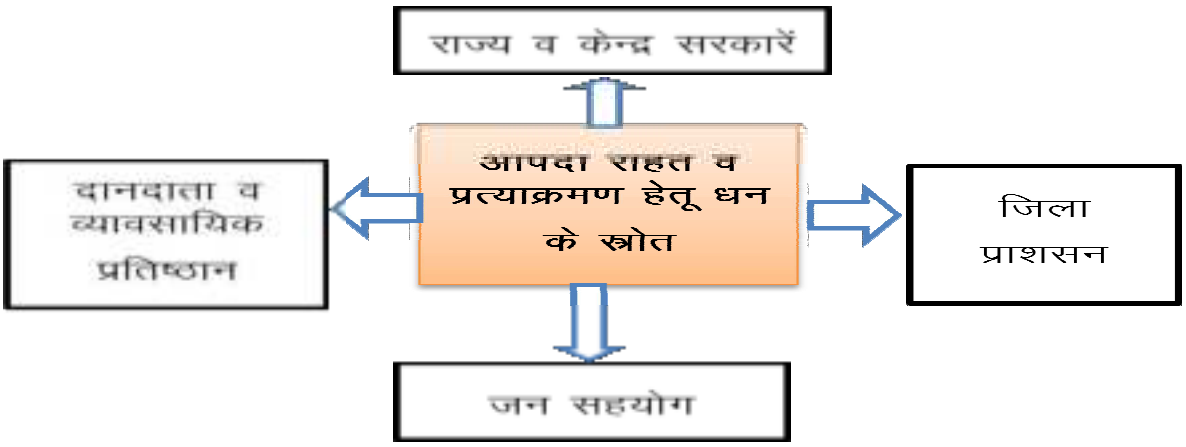

चित्र 7.8 आपदा राहत व प्रत्याक्रमण हेतु धन के स्त्रोत

7.3 सारांश–

आपदा प्रबंधन मे ंराहत व प्रत्याक्रमण का विशेष स्थान हैं। राहत व प्रत्याक्रमण के अभाव में आपदा के पश्चात जनजीवन का सामान्य अवस्था में लाना संभव नहीं हैं। अतः आपदा व आपदा के पश्चात प्रभावों को समाप्त करने हेतु राहत व प्रत्याक्रमण आवश्यक हैं।

राहत व प्रत्याक्रमण तीन अवस्थाओं में सम्पन्न किया जाना हैं—

- प्रथम अवस्था आपदा के पूर्व की अवस्था हैं इसमें आपदा की चेतावनी, प्रभावित होने वाले लोगों का विस्थापन तथा प्रभावित होने वाले इलाकों मे आपदा पूर्व उपाय शामिल हैं।
- द्वितीय अवस्था आपदा के दौरान राहत व प्रत्याक्रमण की हैं। इसमें बचाव, खोज, मलबे को हटाना, विद्युत, पेयजल, भोजन, अस्थायी आवास तथा चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाना शामिल होगा।
- तृतीय अवस्था आपदोत्तर राहत व प्रत्याक्रमण की हैं। इसमें दीर्घावधि के उपचार सम्मिलित हैं। इसमें पुनर्वास, आवासीय भवन निर्माण, मानसिक उपचार, मनोरंजन के साधन, जीवन बीमा, समस्या समाधान शिविर आदि होगें। राहत व प्रत्याक्रमण का स्तर जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति के आंकलन के पश्चात् किया जायेगा।

अध्याय—8

Reconstruction, Rehabilitation and Recovery Measures

समुत्थान, पुनर्निमाण, पुनर्वास के चरण

विषय वस्तु–

8.1 अभिप्राय व महत्व

8.2 नुकसान का आकलनतथा नीति निर्धारण

8.3 पुनर्गठन (समुत्थान)

8.4 पुनर्निर्माणतथा मरम्मत कार्य

8.5 पुनर्वास के चरण

8.6 सारांश

8.1 अभिप्राय व महत्व—

समुत्थान, पुनर्निर्माणतथा पुनर्वास आपदा प्रबंधन का आखिरी चरण है। इस अवस्था में आपदा के पश्चात पुनः एक बेहतर ,सुरक्षित एवं ज्यादा समुत्थानशील समाज का निर्माण किया जाता है।अतः यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विपत्ति को अवसरों में बदला जाता है। इस चरण में सभी सहभागियों के धैर्यशील एंव श्रम साध्य प्रयासों की आवश्यकता है। इस अवस्था में यह भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समुत्थान तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों का समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। चितौड़गढ़ जिले के सन्दर्भ में इस अवस्था के निम्न चरण होगे–

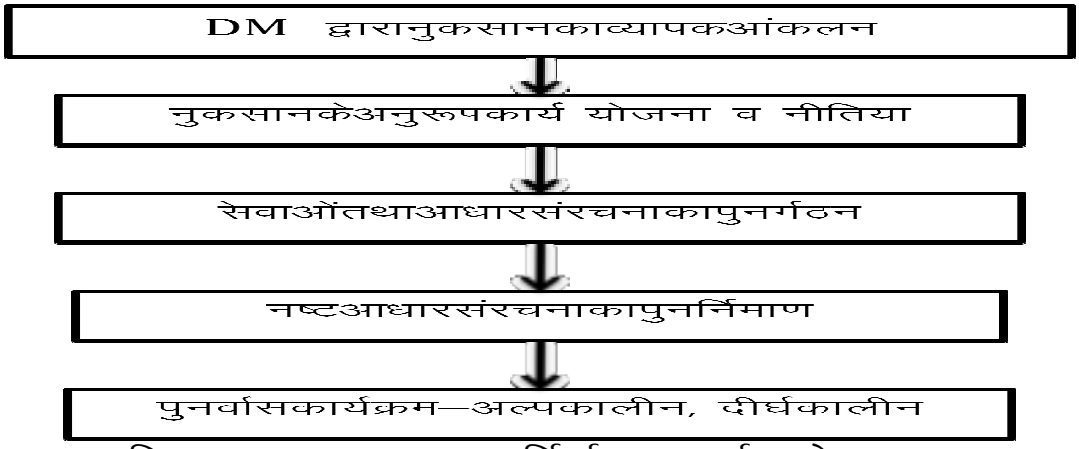

चित्र—8.1 समुत्थान –पुनर्निर्माण– पुनर्वास के चरण

8.2 नुकसान का आंकलन तथा नीति निर्धारण—

उक्त कार्य का विस्तृत विवरण अध्याय–7 में दिया गया है। आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने का प्रभार जिला कलक्टर का होगा जिसके निर्देश पर स्थानीय स्तर की एक कमेटी का गठन किया जायेगा । यह कमेटी विस्तृत आंकलन के पश्चात् रिपोर्ट जिला कलक्टर को सौंपेगी। जिला कलक्टर यह निर्धारित करेगा कि आपदा किस स्तर की है तथा किस स्तर पर पुनरूत्थान कार्यक्रमों की आवश्यकता है।नुकसान के आंकलन के पश्चात् यह निर्धारित किया जायेगा कि किस स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है।

नीति निर्धारण –

समुत्थान, पुनर्निर्माणव पुनर्वास हेतु निर्धारित नीति के तीन प्रमुख चरण होगें–

1. बहाली
2. पुनर्निर्माण
3. बसाव

- **बहाली–**

यह प्रथम आवश्यक चरण होगा। इसमें आपदा के कारण नष्ट हो चुकी अत्यावष्यक सेवाओं की बहाली की जायेगी। आपदा के समय विद्युत,संचार, पेयजल, सीवरेज,चिकित्सा, शिक्षा आदि आवश्यक सेवाऐं बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। अतः नीति निर्धारण में इन आवश्यक सेवाओं की बहाली हेतु प्रभावी प्रस्ताव होगा।

- **पुनर्निर्माण –**

आपदा के दौरान आधारभूत सरंचना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भूकम्प, बाढ़, आग, सुनामी जैसी आपदा में आवासीय भवन, प्रशासनिक भवन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, व्यावसायिक भवन, सड़के, पटरियाँ आदि क्षतिग्रस्त हो जाती है अतः नीति निर्धारण का द्वितीय चरण पुनर्निर्माण होगा जिसमें क्षतिग्रस्त तथा नष्ट आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण सम्मिलित है।

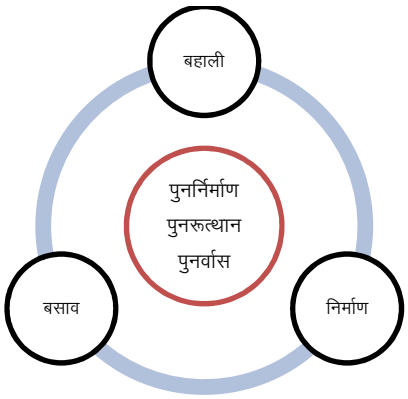

चित्र—8.2नीति निर्धारण के प्रमुख बिन्दु

- **<u>बसाव</u>–**

आपदा से बेघर,शारीरिक–मानसिक रूप से टूट चुके व्यक्तियों का बसाव व पुर्नवासआवश्यक है। आपदा के शिकार लोगों का पुर्नवास भी नीति निर्धारण में सम्मिलित है। साथ ही साथ उन्हें मानसिक सहारा देना भी सम्मिलित है।

8.4 पुनर्गठन(समुत्थान)–

इस प्रकार जिला कलक्टर द्वारा नुकसान का आंकलन कर प्रभारी विभागों तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को आवश्यक व उचित दिशा–निर्देश प्रदान किये जायेगें।पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्यों हेतु अलग–अलग विभाग नोडल विभाग का कार्य करें।

कार्य/पुनर्स्थापना	नोडल विभाग
1. विद्युत	स्थानीय विद्युत वितरण निगम
2. चिकित्सा	चिकित्सा विभाग

3. शिक्षा	शिक्षा विभाग
4. दूरसंचार	जिला दूरसंचार विभाग
5. पेयजल	जिला स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग
6. सीवरेज	नगर पालिका/परिषद्/ निगम
7. मलबा हटाना	नगर पालिका/ परिषद्/ निगम
8. खोज –बचाव	पुलिस विभाग

तालिका–8.1 पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्य व नोडल विभाग/ अधिकारी

पुनर्गठन अथवा पुनर्स्थापना के अर्न्तगत आवश्यक सेवाऐं सम्मिलित की जाती है। इसके अर्न्तगत आने वाली सेवाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है–

- बुनियादी सेवाएँ–बुनियादी सेवाओं में जलापूर्ति, सेनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज आदि आती है। इन सेवाओं की शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए। सम्बन्धित विभागों तथा विशेष एजेंसियो व एनजीओ की सहायता से यह कार्य संभव है। चितौडगढ़ जिलें में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु टैंकरों से जलापूर्ति, अस्थायी टंकियों का निर्माण आदि उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे जिनमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जायेगा। सेनीटशन तथा सीवरेज हेतु प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शौचालय, चल शौचालय तथा स्नानघर उपलब्ध करवाये जायेंगे जिससे उन स्थानों पर सेनीटेशन तथा सीवरेज की समस्या हल हो सके। आपदा के पश्चात् मलबा हटाने हेतु जेसीबी तथा ट्रेक्टरों आदि के लिए नगर परिषद् तथा निजी एजेंसियों की सहायता ली जावेगी।
- अत्यावश्यक सेवाऐं– ये सेवाऐं जीवन रेखा कही जाती है– जैसे विद्युत,संचार, परिवहन आदि। इन सेवाओं की पुनर्स्थापना अतिआवश्यक है, क्योंकि राहत तथा प्रत्याक्रमण इन्ही सुविधाओं पर निर्भर है। सामान्यतया सामाजिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि बुनियादी अत्यावश्यक सेवाओं की पुनर्स्थापना कितनी जल्दी होती है। इसके असफल होने पर अव्यवस्था, दंगे, पलायन की स्थिति आ जाती है। जिले में जिला कलक्टर के आदेश व अनुशंसा पर विद्युत, संचार व परिवहन स्थापना हेतु क्रमशः – विद्युत वितरण निगम, दूरसंचार विभाग तथा परिवहन विभाग (रेल विभाग व पथ परि. निगम) नोडल विभाग बनाये जायेगें जो अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगें।

8.5 पुनर्निर्माणतथा मरम्मत कार्य–

आपदा के समय आवासीय भवनों तथा प्रशासनिक एंव अन्य भवनों को नुकसान होना स्वाभाविक है। अतः आपदा के पश्चात पुनर्निर्माणतथा मरम्मत कार्य की आवश्यकता होती है। इस कार्य के तीन अंग है–

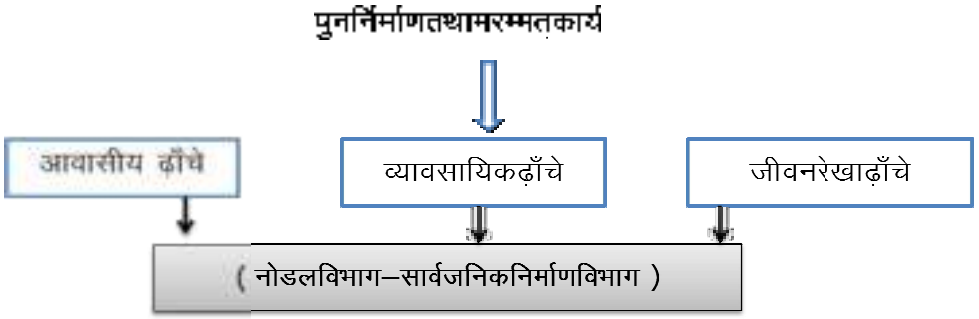

आवासीय ढ़ाँचे के पुनर्निर्माणमें शहरी व ग्रामीण इलाकों के सभी प्रभावित घरों की डिजाईन, योजना व पुनर्निर्माणशामिल है। जिले में इस कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा इस हेतु दो उपाय किये जा सकते हैं–

(1) लोगों को आवास हेतु आर्थिक सहायता देना।

(2) उचित स्थान का निर्धारण कर, आवास निर्मित कर लोगों को देना।

आर्थिक सहायता आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय अथवा व्यावसायिक ढ़ाँचों के पुनर्निर्माणहेतु दी जायेगी । पूर्णरूप से नष्ट आवासीय तथा व्यावसायिक संरचना का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस हेतु उचित निर्माण स्थल का चयन करने के बाद, बड़ी तादाद में निर्माण सामग्री की भी आवश्यकता होती है। इस हेतु जिले में अनुभवी अभियंताओं की सहायता ली जावेगी । इस आधार पर प्रभावित लोगों हेतु अस्थाई तथा स्थाई अधिवासों का निर्माण किया जायेगा । लोगों की भवन पुनर्निर्माणमें स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए मकानों की डिजाईन आदि में सहभागी प्रक्रिया अपनाई जा सकती हैं।

ऑनर ड्राइवन रिकंस्ट्रक्शन एप्रोच (ओडीआर) –

गुजरात, उड़ीसा, जम्मू–कश्मीर आदि के अनुभवों से पता चला है कि पुनर्निर्माण प्रक्रिया में पीड़ित व स्थानीय लोगों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। इस सहभागिता के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं का पता लगाकर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। पुनर्निर्माण योजनाओं में और मकानों की डिजाईन प्रक्रिया में सहभागी प्रक्रिया की आवश्यकता है। जिसमें सरकार, प्रभावित समुदाय, एनजीओ, कॉरपोरेट सेक्टर व जिला स्थानीय प्रशासन शामिल होगें।

पुनर्निर्माण प्रक्रिया में दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को सुअवसर में बदलकर बेहतर निर्माण किया जा सके । पुनर्निर्माण सतत् विकास के अनुरूप होना चाहिए । विभागों द्वारा पुनर्निर्माण

प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समर्पित कार्य दल का गठन किया जाए । विभागों द्वारा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए उच्च स्तर पर भी निगरानी रखी जावेगी।

8.6 पुनर्वास के चरण–

आपदा के पश्चात लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता होती है। पुनर्वास एक व्यापक शब्द है। इसमें आपदा से प्रभावित लोगों को आपदा क्षेत्र से हटाकर अन्य स्थान पर बसाना अथवा उसी स्थान पर पुनर्निर्माण तथा आधारभूत सुविधाओं तथा अत्यावश्यक सेवाओं की बहाली शामिल है। पुर्नवास लोगों को आपदा की स्थिति से पुनः सामान्य जीवन की और लौटाने की प्रक्रिया है, इसमें आपदा से सहमें तथा भयभीत लोगों को मानसिक तथा भावनात्मक संबल भी प्रदान किया जाता है।

चितौड़गढ़ जिले के पुर्नवास कार्यक्रम को दो भागो में विभक्त किया जायेगा–

(1) लघु अवधि पुर्नवास कार्यक्रम।

(2) दीर्घावधि पुर्नवास कार्यक्रम।

जिले की आपदा प्रंबधन योजना में त्वरित अथवा लघु अवधि कार्यक्रमों में निम्न कार्यक्रम शामिल किये जायेंगे–

(1) अतिआवश्यक सेवाओं की पुनः बहाली।

(2) आधारभूत संरचना की पुनर्रचना।

(3) पुनर्निर्माण।

(4) आर्थिक सहायता।

(5) प्रभावित लोगों का पुनर्स्थापन।

जिले की दीर्घावधि पुनर्वास योजना में दीर्घावधि में प्राप्त किये जाने वाले निम्न उद्देश्य सम्मिलित हैं–

(1) प्रभावित लोगों के जनजीवन को पुनः सामान्य बनाना।

(2) प्रभावित इलाकों में मानसिक चिकित्सक की उपलब्धता जिससे लोग बुरे अनुभवों को भूल सकें।

(3) धीरे–धीरे लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के सतत् प्रयास।

(4) लोगो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु जीवन बीमा जैसे दीर्घावधि प्रयास।

(5) निश्चित समयांतराल पर प्रभावित इलाकों में समस्या समाधान शिविर।

(6) प्रभावित इलाकों में पार्क, सिनेमाघर, मॉल इत्यादि की स्थापना जिससेलोग मनोरंजन में समय व्यतीत कर सकें।

पुनर्गठन हेतु मैट्रिक्स –

S. N.	Task	Department	Activity	Timeperiod	Cost	Source of fund
1.	विद्युत	विद्युत वि. नि. लि.	बहाली	आपदा से 72 घंटे	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
2.	संचार	दूरसंचार विभाग	बहाली	आपदा से 72 घंटे	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
3.	परिवहन	पथ परिवहन निगम,रेल विभाग	बहाली	आपदा से 72 घंटे	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
4.	चिकित्सा	चिकित्सा विभाग	बहाली	आपदा के तुरंत बाद	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
5.	पेयजल	जन स्वा. अभि., विभाग	बहाली	आपदा के तुरंत बाद	नुकसान के आंकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन

पुनर्निर्माण हेतु मैट्रिक्स–

S.N.	Task	Department	Activity	Timeperiod	Cost	Source of fund
1.	आवासीय भवन	सार्व.निर्माण विभाग	पुनर्निमाण	आपदा से दो माह	नुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	राज्य व जिला निधि, अन्य सहायता
2.	व्यावसायिक भवन	सार्व.निर्माण विभाग	पुनर्निमाण	आपदा से दो माह	नुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	राज्य व जिला निधि, अन्य सहायता
3.	सड़के	सार्व.निर्माण वि.	मरम्मत,	आपदा से 7 दिन	नुकसान व आवश्यकता के आंकलन	पथ परि. निगम राज्य व जिला

		पथ परि. निगम	पुनर्निमाण		पर	निधि
4.	रेल परिवहन	सार्व. निर्माण वि. रेल विभाग	मरम्मत, पुनर्निमाण	आपदा से 7 दिन	नुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	रेल विभाग, राज्य व जिला निधि
5.	प्रशासनिक भवन	सार्वजनिक निर्माण विभाग	पुनर्निमाण	आपदा से 1 माह	नुकसान व आवश्यकता के आंकलन पर	राज्य व जिला निधि व अन्य सहायता

पुनर्वास हेतु मैट्रिक्स–

S.N.	Task	Department	Activity	Time period	Cost	Source of fund
1.	लोगो को आर्थिक सहायता	जिला प्रशासन	उपलब्धता	आपदा से 7 दिन	नुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
2.	जीवन बीमा जैसे विकल्प	बीमा कंपनियाँ	उपलब्धता	आपदा से 1 माह	जरूरतमंद लोगो के अनुसार	राज्य व जिला आपदा निधि
3.	मानसिक चिकित्सा की उपलब्धता	चिकित्सा विभाग	हीलिगं कैम्प	आपदा से 6 माह	नुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
4.	प्रभावित इलाको में समस्या समाधान	जिला प्रशासन	शिविर आयोजन	आपदा से 1 वर्ष	नुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
5.	शिविर लोगो की जीवन गुणवता सुधार मे सतत् प्रयास	जिला प्रशासन	विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं	आपदा से 2 से 3 वर्ष	नुकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि

8.7 सांराश–

समुत्थान, पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास एक व्यापक संकल्पना है, जो कि आपदा आने के साथ ही प्रांरभ हो जाती है। समुत्थान प्रक्रिया के अर्न्तगत अतिआवश्यक सेवाओं की तुरन्त प्रभाव से बहाली शामिल होती है क्योकि ये सामान्य जन जीवन की '' लाइफ लाइन'' कही जाती है। जैसे – विद्युत, संचार, चिकित्सा, पेयजल आदि। इन सेवाओं की बहाली आपदा से 72 घंटो के भीतर आवश्यक होती है। पुनर्निर्माण के अर्न्तगत नष्ट हो गई आधारभूत

संरचना की, भवनों की मरम्मत व पुनः निर्माण आवश्यक होते है। इस हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता भी प्रदान की जानी आवश्यक है। इस कार्य हेतु जन सहभागिता भी आवश्यक है।

पुर्नवास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें सतत् प्रयासों के द्वारा लोगो के जन जीवन को सामान्य बनाकर पुनः पटरी पर लाया जाता है। इस हेतु मानसिक संबल, चिकित्सा, बीमा, समस्या समाधान शिविर, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाना आदि उपाय काम में लाये जायेगें।

उक्त सभी कार्य आपदा से हुए नुकसान का विस्तृत आंकलन करवाये जाने के पश्चात् जिला कलक्टर के निर्देश पर जिला आपदा प्रंबधन कमेटी की अनुशंसा पर अमल में लाये जायेंगे।

अध्याय–9

Financial Resource for Implementation of DDMP

जिला आपदा प्रबंधन योजनाहेतु वित्तीय संसाधन

विषय वस्तु–

9.1 आवश्यकता

9.2 केन्द्र एवं राज्यद्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता

9.3 जिले के वित्तीय संसाधन

9.4 जिला स्तर पर अन्य वितीय स्त्रोत

9.5 वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की शक्तियाँ

9.6 सारांश

9.1 आवश्यकता–

किसी भी कार्य को करने हेतु वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न सुविधाऐं उपलब्ध करवाने तथा उपकरणों की खरीद वित्तीय सुविधा पर आधारित है। आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात आदि सभी कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता पडती है। आवश्यक सेवाओं की बहाली, पुनर्निर्माण, पुनर्वास जैसे कार्य वित्तीय संसाधनों के बिना संभव नही है। अतः आपदा प्रबंधन व राहत प्रत्याक्रमण हेतु वित्तीय साधन आवश्यक है।

आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्धता मुख्य रूप से त्रिस्तरीय (केन्द्र,राज्य,जिला) होती है। NGO,व्यावसायिक संस्थान, जनसहयोग से भी वित्तीय व्यवस्था की जाती है।

9.2 वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता –

आपदा पीडित लोगों की राहत सहायता के लिए नीति और फंडिग प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परियोजनाओं में दी हुई होती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त आयोग हर पांच साल में पुनर्निरीक्षण करता है। वित्त आयोग का मुख्य दायित्व कर राजस्व को केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित करना और राहत सहायता संबंधी नीति एवं उनके हिस्से के खर्च का निर्धारण करना है। वित आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर राज्य ने एक कलैमिटी रिलीफ फंड स्थापित किया है। कलैमिटी फंड का आकार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह खर्च पिछले वर्षो में राहत कार्यो एवं पुनर्वास पर किये गये खर्चे को ध्यान में रख कर किया जाता है। इस फंड में 75 प्रतिशत योगदान केन्द्र सरकार का और 25 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का होता है। प्राकृतिक आपदाओ से पीडितों को राहत सहायता सीआरएफ से दी जाती है। अगर आपदा बहुत व्यापक है जिसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पडती है तो वह फडं नेशनल कलैमिटी कंटिजेंसी

फडं (एनसीसीएफ) जो केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, में से दिया जाता है। जब इस तरह की मांग की जाती है तो ये जरूरतें एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाती है। संक्षेप में राहत एवं रिसपॉन्स संबंधी कार्यक्रमों के लिए देश मे फंडिंग की संस्थागत व्यवस्था की गई है जो बहुत ही मजबूत और कारगर है। हालांकि आपदाओं की सूची और मानकों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और यह कार्य राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान मे रखकर किया जाना चाहिए।

तेरहवें वित आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट (2005) के अनुसार वर्ष 2010–11 में कलैमिटी रिलीफ फंड का नाम स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फंड (एसडीआरएफ) तथा नेशनल कलैमिटी कंटिजेन्सी फंड नाम बदलकर नेशनल डिजास्टर रिसपॉन्स फंड(एनडीआरएफ) कर दिया है।यहॉ एक फंड की भी व्यवस्था की गई है जिसका नाम स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एसडीएमएफ) है। नुकसान का आंकलन करने वाली मुख्य ऐजेंसी जिला प्रशासन हैं। इस काम में विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, गृह,चिकित्सा, पशुपालन,वन जल आपूर्ति, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु कल्याण आदि के कर्मचारी लगाये जाते हैं। नुकसान का पता लगाने के लिए डिस्ट्रक्ट कलैक्टर प्रत्येक संबंधी कर्मचारी से रिर्पोट मांगतें है। अगर किसी क्षेत्र में फसलों को 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है, तो उसे अभावक्षेत्र घोषित कर दिया जाता है।

- **एनसीसीएफ(एनडीआरएफ) के तहत दावेदारी की प्रकिया –**

राज्य स्तर पर सभी जिला कलक्टर की रिर्पोट्स संकलित की जाती है और नुकसान के विवरण के आकड़ें केन्द्र सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया जात है। एनसीसीएफ(एनडीआरएफ) से सहायता संबंधी निवेदन आते है तब केन्द्र सरकारी द्वारा नियुक्त एक टीम उनका मूल्यांकन करती है और इसके बाद एक उच्च–स्तरी कमेटी द्वारा वे जारी किये जाते है।

- **क्षमता –वर्धन के लिए फंड –**

आपदा प्रबन्धन में प्रशासकीय तंत्र के क्षमता वर्धन के लिए केन्द्र सरकार ने पांच साल तक (वितीय वर्ष 2011–12 से 2014–15) 6 करोड सालान देने का प्रावधान किया है। यह धन अध्याय 6 में वर्णित कार्यक्रमों और रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा जन जागृति प्रशिक्षण और आईईसी मैटेरियल के उत्पादन एवं प्रसार पर खर्च किया जायेगा।

- **आपदा तैयारी कार्यक्रमों के लिए फंड –**

बारहवे वित आयोग ने आपदा तैयारी एवं शमन कार्यों को राज्य योजना का हिस्सा बनाने की सिफारिश की थी। अभी तक आपदा तैयारी कार्यकमों के लिए फंड का कोई प्रावधान नही है।

- **राज्य द्वारा अन्य फंडिग व्यवस्थाऐं –**

उपरोक्त प्रावधानों के अलावा राज्य ने भी एक फंड स्थापित किया है जिसका नाम है– राजस्थान राहत कोष (आरआरके)। जिसके लिए शुरूआती तौर पर 6 करोड रूपये का प्रावधान है, और आगामी वर्षो में इसमें 25 लाख रूपये सालान डाले जायेंगे। इस फंड का इस्तेमाल दुर्घटनाओं के पीडितों के बचाव एवं राहत कार्यो के लिए किया जायेगा। जिनके लिए फंडिग का दूसरा प्रावधान नही हैं। (जैसे बोर वैल्स में फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए खुदाई आदि कार्य) सांसद, विधायक एवं अन्य लोग इस फंड में अपना योगदान दे सकते है।

- **बाहय फंडिग व्यवस्थाए –**

अभी तक बाह्माय स्त्रोतों जैसे संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों से कुछ परियोजनाओं के लिए ही फंड जुटाने का प्रावधान है।

- **वितीय प्रावधान –**

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार से बजट (राशि) उपलब्ध कराया जाता है। आपदा राहत हेतु केन्द्र द्वारा निम्न दो मदों में राशि प्रदान की जाती है।

- **आपदा राहत निधि –**

आपदा राहत निधि के तहत सहायता राशि केन्द्र सरकार द्वारा 21.12. 2010 से राज्यों को वित आयोग की सिफारिशों के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है। जिसमें केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होता है। केन्द्र द्वारा आपदा राहत निधि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हुए।

- **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि –**

आपदा से निपटना राज्य सरकार/आपदा राहत निधि की क्षमता से बाहर होने की स्थिति में केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु राज्य द्वारा एक विस्तृत ज्ञापन केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। जिस पर एक केन्द्रीय दल द्वारा स्थिति का आंकलन किया जाता है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से केन्द्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है।

- **राज्य आपदा मोचन निधि –**

राज्य में 13 वें वित आयोग की सिफारिश एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि का सृजन किया गया है। राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25

प्रतिशत अंशदान होगा। इस निधि का उपयोग आपदाओं के समय निर्धारित मापदण्डानुसार तात्कालिक सहायता आदि के लिए ही किया जायेगा।

- **राजस्थान राहत कोष–**

ऐसी प्राकृतिक आपदाऐं जिनमें राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय किया जाना सम्भव नही है, सहायता देय नही है। उनमें राहत प्रदान करने /व्यय करने के लिए राजस्थान राहत कोष स्थापित किया गया है। इसमें प्रतिवर्ष 25 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जनसहयोग से भी राशि प्राप्त की जा सकेगी। राज्य स्तर पर इसके संचालन/प्रबन्धन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

- **वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान –**

आपदा प्रबन्धन के नये दृष्टिकोण (निर्वारण, प्रशमन, तैयारी, अनुक्रिया एवं पुर्नवास) के अनुरूप वितीय प्रावधान किये जाने आवश्यक है। इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि की तरह ही राज्य आपदा उपशमन निधि का सृजन भी किया जायेगा। जिला स्तर पर भी इस तरह की निधियों का गठन करने पर विचार किया जायेगा। क्षमता संवर्धन के लिए केन्द्र से प्राप्त राशि के उपयोग के लिए कार्य योजना बनाई जाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य में आपदा प्रबन्धन हेतु निवारण,तैयारी, पुर्नवास एवं पुर्ननिर्माण के लिए वित की व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार योजना के तहत करनी होगी। आपदा पूर्व तैयारी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष विभागीय बजट में आपदा प्रबन्ध हेतु प्रावधान करना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए सभी विभाग अपनी योजनाओं में आपदा उपशमन के वितीय/तकनीकी प्रावधानों को शामिल करेगें। सभी विभाग अपने विभाग की आपदा प्रबन्ध योजना में वितीय प्रावधानों को शामिल करेगें। इसके लिए पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं में आवश्यक प्रावधान रखेंगें।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन के तहत जोखिम बीमा, माइक्रो फाईनेस तथा बीमा जैसे वितीय साधनों को भी बढावा दिया जायेगा। फसल बीमा योजना, स्वंय सहायता समूह जैसी योजनाओं को विकसित किया जायेगा। औद्योगिक व वाणिज्यक इकाईयों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी सम्बधित इकाई की होगी।

जिला कलक्टर पीडित लोगो को सहायता प्रदान करने के लिए जनता से अंशदान प्राप्त करने का प्रावधान करेगें।

9.3 जिला स्तरीय वित्तीय उपलब्धता ढांचा –

यद्यपि आपदा के समय व्यापक वितीय सहायता की आवश्यकता होती है, जो जिला स्तर पर सामान्यतया संभव नही हो पाती है। फिर भी

तात्कालिक सहायता हेतु जिला स्तर पर वितीय व्यवस्था आवश्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर दो प्रकार का राहत कोष बनाया जायेगा।

जिला आपदा राहत कोष–

1. आपदा आयोजना कोष 2. आपदा राहत–प्रत्याक्रमण कोष

- **आपदा आयोजना कोष**
  यह कोष आपदा से पूर्व तैयारियों हेतु निर्मित किया जायेगा। इसका प्रयोग आपदा प्रबन्धन योजना तैयारी, प्रशिक्षण, क्षमता संर्वधन, उपकरणों की खरीद आदि के उपयोग में आयेगा। यह कोष केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त सहायता तथा जिला स्तर पर जुटाये गये वितीय संसाधनों से निर्मित होगा।
- **आपदा राहत व प्रत्याक्रमण कोष :–**यह एक अतिआवश्यक कोष होगा यह कोष आपदा के समय राहत व प्रत्याक्रमण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा। पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण, पुर्नवास इस कोष के प्रमुख उददेश्य होगें। यह कोष केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त सहायता तथा जिला स्तर पर जुटाये गये वितीय संसाधनों से निर्मित होगा।

9.4 जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्त्रोत–

जिला स्तर पर अन्य वितीय स्त्रोत निम्न है जिनसे आपदा के समय वितीय सहायता ली जा सकती है :–

व्यावसायिक संसाधन	जिले के प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान, शोरूम, होटल्स आदि
औद्योगिक संस्थान	हिन्दुस्तान जिंक, बिरला सीमेन्ट, लाफार्ज, जे.के. सीमेन्ट आदि
एन.जी.ओ.	विभिन्न समाज सेवी संस्था एवं दानदाता
जन सहयोग	
सरकारी कर्मचारी	एक दिन का वेतन दान करेगे।

9.5वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की शक्तियाँ–

जिला स्तर पर वितीय संसाधनों के प्रयोग की समस्त शक्तियाँ जिला कलक्टर में निहित होंगी। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक विशेषाधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया जायेगा। जिसमें सदस्य–जिला आपदा प्रभारी, विभिन्न अग्रणी विभागों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, तथा लेखाकार हो सकेगें। यह कमेटी समय समय पर यह निश्चित करेगी की कब– कहाँ– कितने धन की आवश्यकता है। आपदा के पश्चात व्यय

किये गये धन की ऑडिट समय सयम पर जिला प्रशासन द्वारा करवायी जायेगी। जिसमें राहत कोष का दुरूपयोग रोका जा सके।

9.6 सारांश—

आपदा राहत व प्रत्याक्रमण हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में व्यापक बन्दोबस्त किये गये है। केन्द्र व राज्य स्तर पर राहत कोष स्थापित किये गये है। जो आपदा के समय वित्तीय सहायता प्रदान करते है। जिला स्तर पर आपदा योजना कोष तथा आपदा राहत कोष की स्थापना की जायेगी जिसका प्रयोग जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। अन्य संसाधनों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जायेगें।

अध्याय—10

Procedure and Methodology for Monitoring, Evaluation, Updation and Maintenance of DDMP

जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण

<u>विषय वस्तु–</u>

10.1 आवश्यकता, महत्व व निरीक्षण मूल्यांकन

10.2 योजना निरीक्षण व आधुनिकीकरण का दायित्व

10.3 आपदोत्तर मूल्यांकन

10.4 योजना निरीक्षण की समय सारणी

10.5 DDMP का ऑन लाईन अपडेट

10.6 मॉक ड्रिल हेतु उत्तर दायी संस्थाये व संसाधन

10.7 सारांश

10.1 आवश्यकता, महत्व,निरीक्षण तथा मूल्यांकन–

आपदा प्रबंधन गतिशील होता है। जमीनी हकीकतें, बदलती आबादी,उसकी विशिष्टता, आपदाओं से निपटने की सरकारी प्रणालियों, DDMPकी कार्यसाधकता को निर्धारित करती है। समय समय पर योजना की समीक्षा व आधुनिकीकरण आवश्यक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में भी धारा 23(5) के अनुसार DDMPकी सालाना सारणी समीक्षा व आधुनिकीकरण आवश्यक है।

तैयारी का सर्वोच्च स्तर प्रस्तुत करने के लिए किसी भी विस्तार व तीव्रता वाली आपदा का मुकाबला करने के लिए जिले का पर्याप्त एवं तकनीकी द्वारा संचालित हेजर्ड रिस्क एडं वलनरेबिलिटी असैसमेंट किया जावेगा। यह कार्य प्रतिवर्ष होगा तथा इसके आधार पर DDMP में आवश्यक संशोधन किये जायेगें। DDMPएक सार्वजनिक दस्तावेज होगा । यह योजना

जिले में सभी क्षेतिज तथा अनुलम्ब आपदा प्रबंधन योजनाओं का सार तथा संकलन फल है। क्षैतिज योजनाओं में अग्रणी विभाग जैसे गृह, खाद्य,विद्युत,चिकित्सा,पेयजल,सेनीटेशन,अग्निशमन,रसद आपूर्ति शामिल है।

यह योजना तभी सुचारू रूप से काम करेगी जब वर्तमान संगठनात्मक संरचना केवल गैर–आपातकालीन सेवाओं के लिये जिम्मेदार है। यदि एक काम रोज अच्छे से किया जाए तो वही काम रोजाना अच्छे से किया जा सकता है। अतःDDMPको निरन्तर अद्यतन तथा प्रभावी रहने के लिए इसका सतत् निरीक्षण,मूल्यांकन तथा आधुनिकीकरण एवं समीक्षा आवश्यक है।

10.2 योजना के निरीक्षण व आधुनिकीकरण का दायित्व –

DDMPका क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि जमीनी स्तर पर योजना मे उल्लेखित प्रणाली को किस स्तर तक प्रयोग में लाया जा रहा है IDDMPके निरीक्षण व आधुनिकीकरण में विभिन्न स्तर होंगे।

सर्व प्रथम जिला स्तर पर एक कोर कमेटी का गठन किया जायेगा। जिसमें अध्यक्षता जिला कलक्टर महोदय द्वारा की जायेगी। इस कोर कमेटी मे विधायक,आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रभारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारीजिला परिषद्,पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विद्युत,जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग , सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधि. अभियंता, विषय विशेषज्ञ तथा प्रबुद्ध व्यक्ति शामिल किये जायेगें। यह 8–10 सदस्यीय दल होगा तथा इसमें संख्या निर्धारण का अधिकार जिला कलक्टर का होगा।

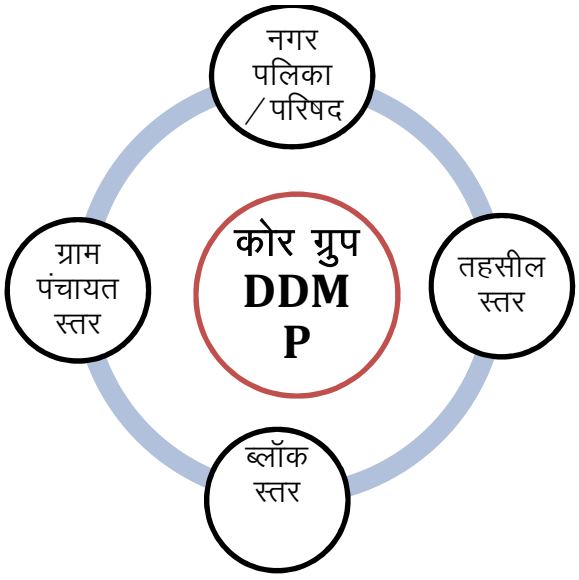

चित्र 10.1 -DDMP के निरीक्षण व आधुनिकीकरण का चतुर्स्तरीय तंत्र

जिला स्तर पर निर्मित कोर गुप के समान ही नगर पालिका,तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस प्रकार की कोर कमेटियाँ बनाई जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्तर की प्रत्येक कमेटियाँDDMP में दिये गये अपने उद्देश्यों को पहचान कर तद्नुरूप कार्य करेगी।प्रत्येक स्तर की कमेटी वर्ष भर अपने अपने क्षेत्र की आपदओं,उनके प्रभाव,उपलब्ध वित्तीय तथा अन्य संसाधनो, राहत व प्रत्याक्रमण हेतु आवश्यकताओं, उनके द्वारा किये गये सर्वोतम प्रयोगों को अभिलेखित करेगी।यह रिर्पोट वर्ष के अन्त में अथवा आवश्यकता या माँगें जाने पर जिला कोर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। जिसके माध्यम से कमेटी DDMPमें आवश्यक आधुनिकीकरण करेगी।

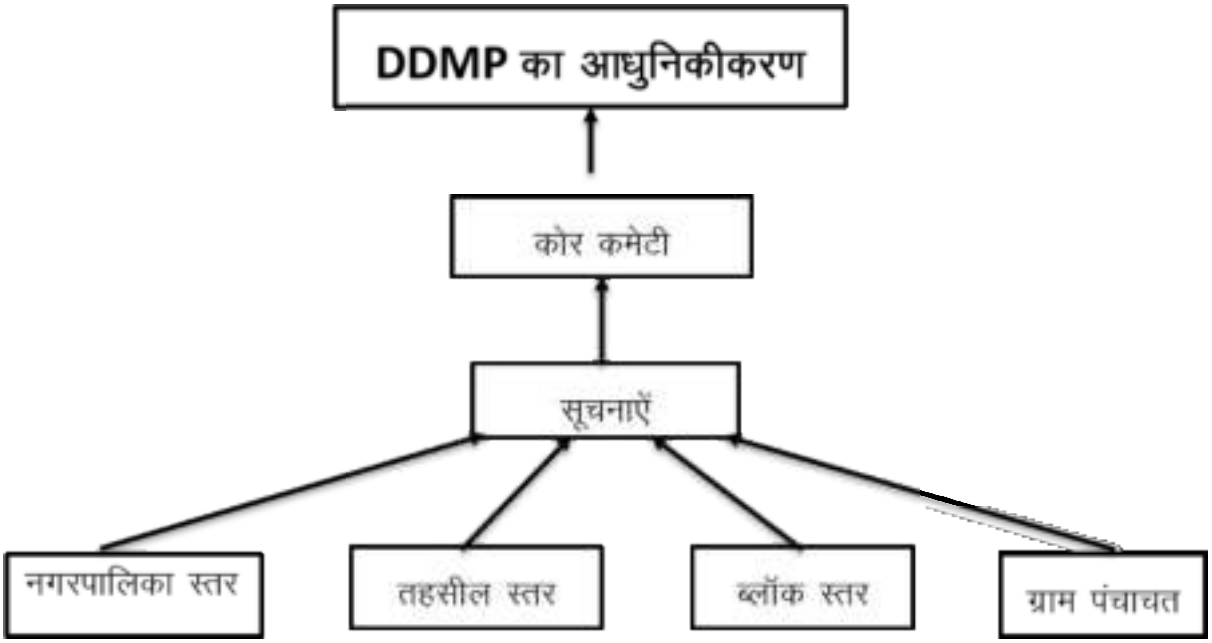

चित्र–10.2 DDMP के निरीक्षण व आधुनिकीकरण हेतु सूचना प्राप्ति

इस प्रकार इस चरणबद्ध प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशासन इकाई तथा विभाग को अपना दायित्व ज्ञात होगा तथा वे वर्षभर आपदा से संबंधित सूचनाओं से अद्यतन रहेगें। जिसका सीधा लाभ DDMPके निरीक्षण व आधुनिकीकरण हेतु निर्मित जिला कोर कमेटी को मिलेगा।

विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाली इस रिपोर्ट में आपदा शमन के सभी चरणों में (आपदा पूर्व, दौरान व बाद) प्रयोग में लाई गई मानव शक्ति, व्यय, प्रशिक्षण, अन्य क्षमतावर्धक कार्यक्रम, तकनीकी व आपदा तैयारी व शमन के लिए इस्तेमाल किये गये संसाधनो का विस्तृत विवरण दिया जावेगा। प्रत्येक प्रशासनिक स्तर/इकाइयों तथा विभाग का एक नोडल अधिकारी होगा जो इस कार्य हेतु उत्तरदायी होगा। ये अधिकारी अपने स्तर पर भी सालाना इस योजना की समीक्षा कर सुझाव दे सकेंगे।

10.3 आपदोत्तर मूल्यांकन प्रक्रिया–

आपदायें हमेशा अप्रत्याशित होती है। प्रत्येक आपदा में जान–माल का भारी नुकसान होता है और प्रत्येक आपदा कुछ अन्तराल के बाद पुनः घटित होती है। किसी आपदा से मिली सीख से हमे किसी दूसरी संभावित आपदा के शमन की योजना तैयार करने में मदद मिलती है।

जिले में DDMP का मूल्यांकन, यहाँ घटित होने वाली प्रत्येक आपदा से सन्दर्भ में भी किया जायेगा। प्रत्येक प्रशासनिक इकाई तथा प्रत्येक विभाग द्वारा अपने क्षेत्र में घटित होने वाली आपदा के शमन, तैयारी, रिस्पॉंस, समुत्थान व पुनर्वास हेतु किये गये उपाय, आपदा का प्रभाव, नुकसान, पुनरावृति आदि से संबंधित प्रलेख तैयार किया जायेगा। यह प्रलेख प्रत्येक आपदा के सन्दर्भ में एक नया अद्यतन दस्तावेज होगा जो DDMPमे उस आपदा से संबंधित जानकारी का आधुनिकीकरण का माध्यम होगा। ऐसे दस्तावेज प्रत्येक छः माह पश्चात सभी प्रशासनिक इकाइयों तथा विभागो द्वारा जिला कोरग्रुप को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

10.4योजना निरीक्षण की समय सारणी–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23 (5) के अनुसार DDMPकी सालाना समीक्षा व आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। इसी की अनुपालना में DDMPके प्रासंगिक अनुभागों की समीक्षा व आधुनिकीकरण प्रत्येक वर्ष में की जावेगी। जबकि योजना में व्यापक संशोधन पाँच साल में एक बार किया जायेगा। जिला स्तर पर प्रमुख विभागों के कर्मचारियों के बार–बार तबादलों को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है, कि प्रमुख विभागों के सम्पर्क अधिकारियों के बारे में मासिक अपडेट्स को योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जायेगा। इसी तरह उपकरणों की सूची के तिमाही अपडेट्स DDMPका अभिन्न हिस्सा होगा।

क्र.सं.	कार्य	अपडेट्स की अवधि
1	अधिकारी कर्मचारी के नाम व दूरभाष	प्रत्येक माह
2	एच.आर.वी. मूल्यांकन व आपदोत्तर अपडेट	प्रत्येक तिमाही
3	उपकरणों व उपलब्ध संसाधनो का अपडेट्	प्रत्येक तिमाही
4	प्रासंगिक अनुभागों की समीक्षा व आधुनिकीकरण	प्रत्येक वर्ष
5	DDMPमें व्यापक संशोधन	पांच वर्ष में एक बार

तालिका–10.1 विभिन्न कार्य तथा अपडेट्स की समय सारणी

प्रस्तावित योजना से स्पष्ट है कि DDMP के किसी न किसी भाग का मूल्यांकन तथा आधुनिकीकरण सतत् चलता रहेगा।

कार्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम् वर्ष
DDMP को अन्तिम रूप देने के लिए सभी विभागों प्रशासन के साथ परामर्श					
जिला स्तर पर एच.आर.वी. मूल्यांकन					
सभी स्तरो पर सभी विभागों और प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन स्टेटस रिर्पोट तैयार किया जाना।					
समीक्षा व निगरानी प्रगति					
DDMP में व्यापक संशोधन व आधुनीकीकरण					

तालिका10.2 DDMP की समीक्षा व आधुनिकीकरण की समयावधि

10.5DDMP का ऑन लाईन अपडेट–

आज का युग तकनीकी युग है। दूरसंचार क्रांति के कारण सूचनाओं की पहुँच आम आदमी तक हो गयी है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिले की आपदा प्रबंधन वेबसाईट हो जिस पर DDMPप्लान से लेकर अन्य सभी सूचनाएँ अद्यतन हो।आपदा प्रबंधन हेतु राज्य व केन्द्र की वेबसाईटें पहले से ही कार्यरत है। DDMPमें जिले की आपदा प्रबंधन वेबसाईट के निर्माण का प्रस्ताव भी होगा। चित्तौड़गढ़ जिले की आपदा प्रबंधन वेबसाईट बनने के पश्चात जिले में आपदा व उसके प्रबंधन से जुडी समस्त सूचनाए इस पर अपलोड की जायेगी तथा समय समय पर उन्हे अद्यतन किया जायेगा। राज्य स्तर पर निर्मित राज्य आपदा प्रबंधन की वेबसाईट ***www.dmrelief.rajasthan.gov.in*** पर भी सूचनाएं जो जिले से जुडी है का अद्यतन नियत कालिक किया जायेगा। इस कार्य हेतु जिला **NIC** नोडल विभाग होगा। वेबसाईट के अतिरिक्त आकाशवाणी, स्थानीय केबल नेटर्वक द्वारा भी आपदा व उससे जुडी सूचनाएँ जन सामान्य तक पहुँचायी जायेगी।

10.6मॉकड्रिल हेतु उत्तर दायी संस्थाये व संसाधन–

मॉक ड्रिल एक अनुरूपण अभ्यास है जो आपदा के पूर्व तैयारी का जायजा लेने तथा कमियों को समझने में सहायक होता है। DDMP में वर्णित कार्य योजना अनुरूप सभी प्रशासनिक स्तरों व विभागों को तैयार करने हेतु मॉक ड्रिल आवश्यक है। मॉक ड्रिल का विस्तृत विवरण अध्याय ‘‘क्षमता

संवर्धन एवं प्रशिक्षण'' में दिया गया है। सूखा, बाढ़, अग्नि, ओलावृष्टि, सड़क दुर्घटना आदि चित्तौड़गढ़ जिले में प्रमुख आपदाएँ है। प्रत्येक प्रशासनिक स्तर तथा संबंधित विभाग के लिए ये आवश्यक होगा कि ये वर्ष में कम से कम एक बार उक्त आपदाओं से संबंधित मॉक ड्रिल अवश्य करें।

जिला स्तर पर मॉक ड्रिल हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी नोडल अधिकारी होगा जो समय समय पर आवश्यकता अनुसार मॉक ड्रिल हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा। क्षेत्रवार तथा प्रशासनिक इकाई वार बार–बार आने वाली तथा सम्भावित प्राकृतिक आपदाओं हेतु गहन मॉक ड्रिल अभ्यास में लाया जावेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाइयों के मॉक ड्रिल हेतु उनके कार्यकारी अधिकारी नोडल अधिकारी होगें। चित्तौड़गढ़ जिले में आपदा मॉक ड्रिल समय सारणी निम्न प्रकार होगी–

	समय											
संभवित आपदा	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टू.	नवम्बर	दिसम्बर
बाढ़		✓	✓									
सूखा											✓	✓
भूकम्प			✓	✓	✓							
अग्नि					✓			✓				✓
सडक दुर्घटना			✓							✓		
औद्योगिक/ रसायनिक दुर्घटना	✓	✓										
महामारी/ मौसमी बीमारी	✓								✓			
दंगे		✓							✓	✓		

तालिका 10.3 मॉक ड्रिल की प्रस्तावित समय सारणी

मॉक ड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाऐं निम्न होंगी–

- वे संस्थाऐं जो उस आपदा से जुडी है, जिनकी मॉक ड्रिल की जा रही है। जैसे अग्निकांड की मॉकड्रिल हेतु नगरपरिषद्व अग्नि शमन दल।
- उस क्षेत्र का प्रशासन जहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है। जैसे चित्तौड़गढ़ में मॉक ड्रिल की जानी है तो चित्तौड़गढ़ स्थानीय प्रशासन उत्तरदायी संस्था होगा।

इस प्रकार आपदा विशेष तथा स्थानीय प्रशासन को उत्तरदायी संस्था बनाने से मॉक ड्रिल अधिक यथार्थ प्रभावी हो सकेगी। मॉक ड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाऐ आवश्यक संसाधन जुटाने का कार्य करेगी। जबकि वित्तीय संसाधन जिला प्रशासन तथा राज्य आपदा प्रबंधन कोष से प्राप्त किये जायेंगे। आपदा प्रभावित गाँवों की सूची परिशिष्ट संख्या 36 पर संलग्न है।

उपखण्ड/तहसील	आपदा							
	बाढ़	सूखा	भूकम्प	अग्नि	सडक दुर्घटना	औद्योगिक/ रासायनिक दुर्घटना	महामारी/ मौसमी बीमारी	दंगें
बेगूं	✓	✓			✓		✓	✓
रावतभाटा	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
गंगरार	✓	✓		✓	✓		✓	✓
कपासन		✓			✓		✓	✓
भोपाल सागर	✓	✓				✓	✓	✓
चित्तौड़गढ़	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
निम्बाहेडा	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
बडीसादडी		✓		✓			✓	
राशमी	✓	✓					✓	
डूंगला		✓					✓	
भदेसर		✓			✓			

तालिका 10.4 उपखण्ड व तहसील अनुसार प्रस्तावित मॉकड्रिल

मॉकड्रिल में सम्मिलित सभी विभागों व संस्थाओं के प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति का इसमें शामिल होना जरूरी हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपदा के समय प्रत्येक व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्व का ज्ञान होगा।

अद्यतन DDMPको प्रत्येक उस व्यक्ति तक पहुँचाया जायेगा जो कि मॉक ड्रिल से सम्बन्धित होगा। यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि मॉक ड्रिल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षित व अद्यतन हो तथा आपदा विशेष की मॉक ड्रिल की आधुनिकतम पद्धति को जानता है। इसका विस्तृत विवरण अध्याय–6 में दिया गया है।

10.7 सारांश–

आपदाएँ गतिक होती है, अतः आपदा राहत व प्रत्याक्रमण उपाय भी गतिक होने चाहिए। DDMPएक गतिक लेखा है, जो समय तथा आपदा घटित

होने के साथ साथ अद्यतन होना चाहिए। चित्तौड़गढ़DDMPका आधुनिकीकरण का कार्य जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्मित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यह कमेटी समय समय पर विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारीयों तथा स्थानीय प्रशासनिक प्रभारियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर DDMPके आधुनिकरण का कार्य करेगी। इस कमेटी द्वारा DDMPका आधुनिकीकरण का कार्य त्रैमासिक, वार्षिक तथा प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल में किया जावेगा।

विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के पते व फोन नम्बर प्रत्येक तिमाही पर अद्यतन किये जायेगें। इसी प्रकार उपलब्ध उपकरण, संसाधन, प्रत्येक आपदा उपरान्त तैयारी में संशोधन का कार्य प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। आपदा प्रबंधन योजना में व्यापक संशोधन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किया जायेगा।

अध्याय—11

Coordination Mechanism for Implementation of DDMP

DDMPक्रियान्वयनहेतुसमन्वय एवं समन्वित तंत्र

<u>विषय वस्तु—</u>

11.1 आवश्यकता व महत्त्व

11.2 राज्य व केन्द्र के साथ समन्वय

11.3 जिला स्तर पर समन्वय

11.4 स्थानीय स्तर पर समन्वय

11.5 समाजसेवी संस्थाऐं–निजी संस्थाओं से समन्वय

11.6 पड़ोसी जिलों से समन्वय

11.7राज्य SDMP से समन्वय

11.8 सारांश

11.1 आवश्यकता व महत्व—

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के पश्चात आपदा प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा विकसित हुआ है। ये सभी संस्थाऐं परस्पर समन्वय से आपदा प्रबन्धन हेतु कार्य करने के लिए उत्तरादायी है।सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबन्धन एवं शमन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक मजबूत आधार का काम करेगा। राज्य व जिला स्तर पर समन्वय हेतु सभी सरकारी विभागों तथा अन्य सहभागियों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं द्वारा रेस्पाँस किया जाता है।

इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते है। इस काम में अन्य कई एजेन्सियाँ तथा संस्थाऐं भी शामिल होती है।

आपात सेवाऐं सदैव तैयार अवस्था में रहती है, जिससे वह तुरन्त रिस्पांड कर सके तथा प्रशासन अन्य सेवाओं को अलर्ट कर सके। विभिन्न आपात सेवाऐं अनिवार्य होती है किन्तु आपदाओं से अधिक बेहतर तरीके से निपटने हेतु कुछ अन्य लोक उपयोगी सेवाएँ भी सहयोग करती है। ये सब संस्थाऐं अलग है इनकी ऑथोरिटी अलग है, पदानुक्रम अलग–अलग है। अगर बचाव तथा समुत्थान कार्यों को बेहतर अंजाम देने है तो इन सभी विभागों तथा एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना आवश्यक है। साथ ही एक दूसरे की क्षमताओं, सीमाओं व दायित्वों को समझना आवश्यक है।

चित्तौड़गढ़ जिले में आपदा के समय सभी विभागों तथा एजेन्सियों के मध्य बेहतर तालमेल हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे। जिले द्वारा पूर्व में ही केन्द्र व राज्य स्तर पर तालमेल रखा जायेगा जो महत्वपूर्ण है।DDMPके समन्वित क्रियान्वयन हेतु केन्द्र से लेकर स्थानीय स्तर तक का तंत्र निम्न प्रकार होता है–

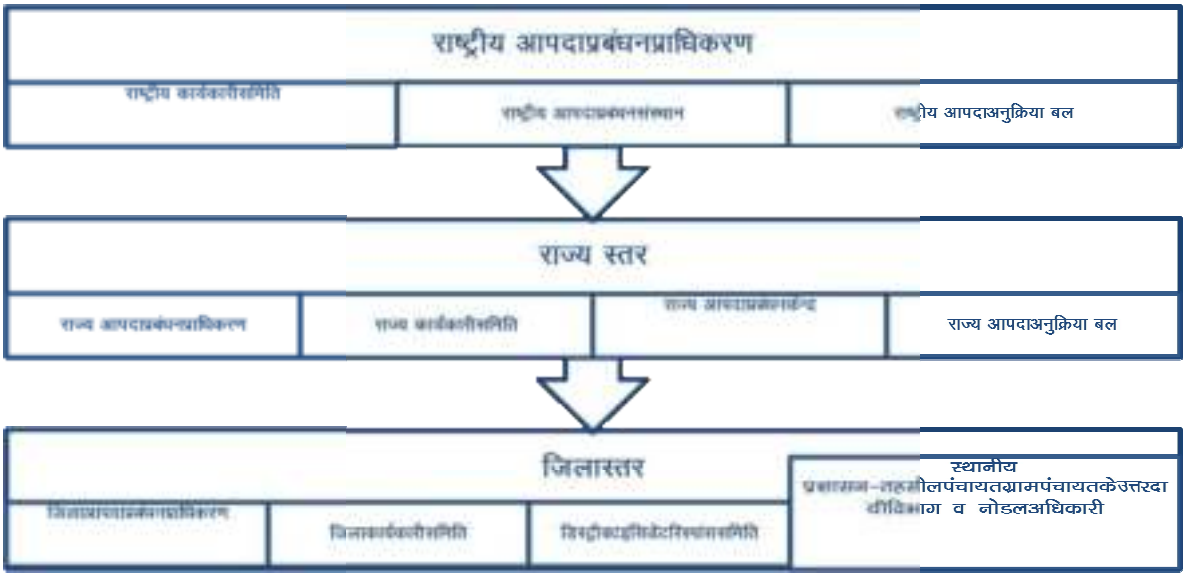

चित्र 11.1:DDMPक्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र

11.2.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण –

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, आपदा प्रबन्धन हेतु देश का शीर्ष निकाय है। यह आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियाँ, योजनाऐं और दिशा–निर्देश निर्धारित करने, आपदा के समय पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं क्रियान्वयन में समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित ''राष्ट्रीय कार्यकारी समिति'' राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करती है और उसके अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश की अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) –

आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता संवर्धन के लिए '' राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान'' शीर्ष संस्था है। यह आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षकों आपदा प्रबंधन अधिकारियों व अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण का कार्य करती है। साथ ही आपदा प्रबन्धन से समन्धित अध्ययन, भोध एवं प्रकाशन का कार्य भी करती है।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) –

किसी चुनौती पूर्ण आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। यह आपदा की स्थिति में बुलाये जाने पर राज्यों के लिए उपलब्ध रहेगी।

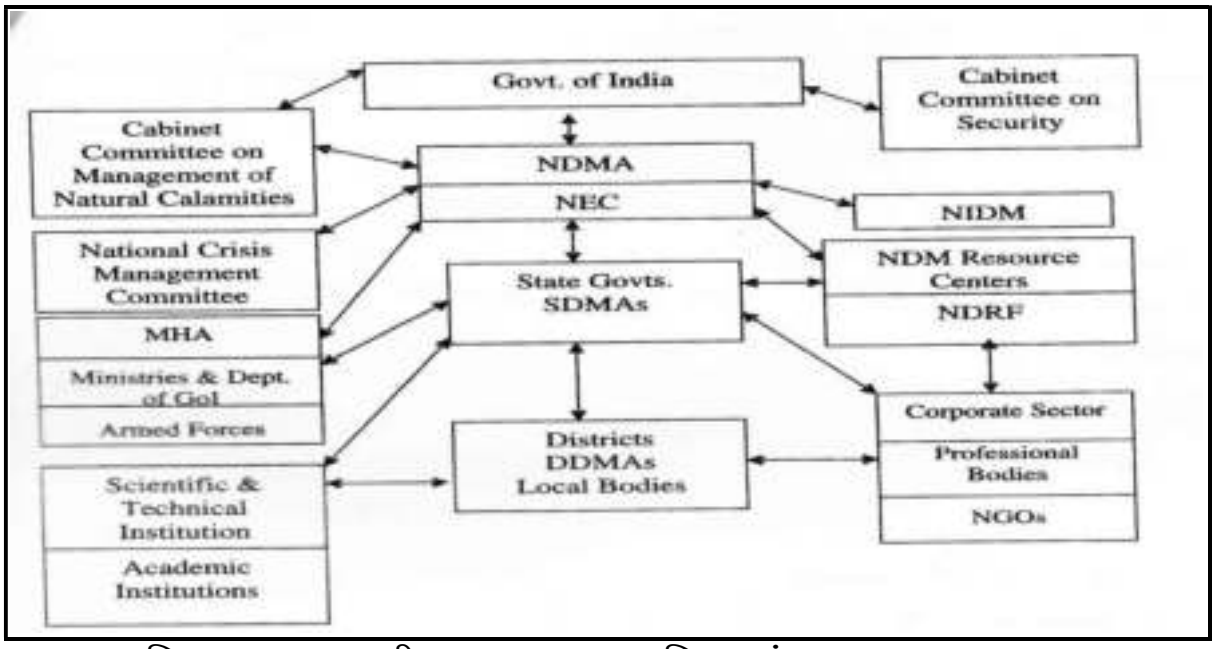

चित्र—11.2 राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित तंत्र

11.2.2 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) :-

राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियाँऔर योजनाऐं निर्धारण हेतु शीर्ष निकाय है। इसके कार्य राज्य आपदा योजना को अनुमोदित करना, राज्य आपदा योजना के क्रियान्वयन का समन्वयन करना, निवारण, प्रशमन, तैयारी के उपायों के लिए प्रावधान करना और राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की आपदा सम्बधी निगरानी करना है।

राज्य कार्यकारी समिति (SEC)–

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। यह समिति राष्ट्रीय व राज्य की नीति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के समन्वय एवं निगरानी का कार्य करेगी।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण(DDMA) –

प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह निकाय जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन के लिए योजना बनायेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा निवारण, प्रशमन, तैयारी एवं अनुक्रिया के लिए जारी दिशा निर्देशों का जिला स्तर पर सभी विभागों एवं अधिकारियों द्वारा पालन किया जाये।

राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF) –

केन्द्र की तर्ज पर राज्य में भी एक राज्य आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। इस बल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसे आपदा से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत बाढ़, भूकम्प, रासायनिक एवं आणविक जैसी आपदाओं के लिए विशेष दल बनाए जायेंगे। महिलाओं एवं बच्चों की विशेष देखभाल के लिए इसमें महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा शनैः शनै इसका आवश्यकतानुसार विस्तार किया जायेगा।

आपदा प्रबन्धन केन्द्र

राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों की क्षमता संवर्धन करने के उद्देश्य से 'एच.सी.एम.रीपा' जयपुर में आपदा प्रबंधन केन्द्र कार्यरत है। यह संस्था आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, आपदा प्रबंधन के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना, आपदा प्रबंधन हेतु ज्ञान प्रबंधन एवं अनुसंधान के लिए कार्य करती है। धीरे–धीरे आपदा प्रबंधन केन्द्र का पृथक से स्वतंत्र अस्तित्व विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित है जो कि क्षमता संवर्धन का कार्य कर रहा है।

नोडल विभाग –

राज्य सरकार द्वारा आपदाओं की प्रकृति के आधार पर उनके नोडल विभाग निर्धारित कर दिये है। इसमें राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अनुमोदन से समय–समय पर संशोधन किया जावेगा। इन नोडल विभागों का यह कर्तव्य है कि वे विभाग से संबंधित आपदा के निवारण, उपशमन एवं

तैयारी के लिए आवश्यक योजनाएं बनाऐं। नोडल विभागों की सूची परिशिष्ट 1, 2, 7पर उपलब्ध है।

11.3 जिला स्तर पर समन्वय –

आपदा के समय फर्स्ट रिस्पॉडर स्थानीय प्रशासन व लोग होते है। उनके तुरन्त बाद जिले को उत्तरदायित्व लेना होता है। जिले में डीडीएमपी सर्वोच्च स्तर पर होती है। इसके बाद जिले का उत्तरदायी अधिकारी, जिला कलेक्टर होगा। इसके पश्चात् जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुखिया सचिव या कमाण्डर का कार्य करेगा। इसके साथ जिला सूचना अधिकारी एसडीएम अथवा तहसीलदार (संबंधित स्थान के) कार्य करेंगे। एसडीआरएफ का एक अधिकारी समन्वय हेतु होगा। इसके पश्चात् दल तीन भागों में बंट जायेगा। (1) सभी उत्तरदायी विभागों के मुखिया (2) एसडीआरएफ के लीडर (3) रसद प्रमुख। यह समन्वित ढांचा निम्न प्रकार होगा –

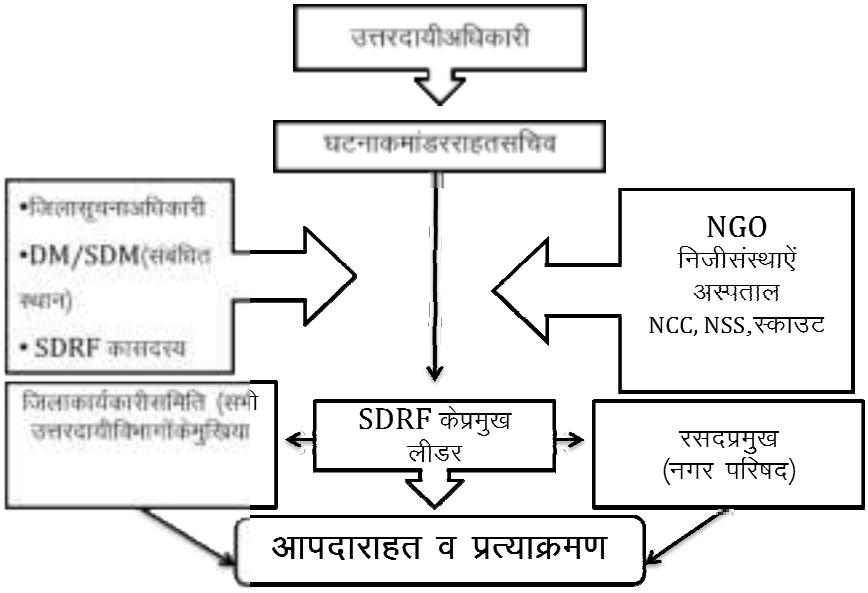

चित्र—11.3 जिला स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब सम्बन्ध के साथ समन्वित तंत्र

11.4 स्थानीय स्तर पर समन्वय–

किसी भी आपदा के समय स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय व्यक्ति प्राथमिक अनुक्रिया कारक होते है। आपदा का प्रथम प्रभाव भी उन्हें ही झेलना पड़ता है तथा प्रथम प्रत्याक्रमण भी उन्हें ही करना पडता है। अतः स्थानीय प्रशासन, तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, प्रमुख अनुक्रिया कारक होते है। इस दृष्टि से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाया जायेगा तथा आपदा संभावित गांवों में प्रशिक्षण व आवश्यक उपकरण देकर उन्हें प्रत्याक्रमण हेतु सशक्त बनाया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत व

ग्राम स्तर पर त्वरित आपदा अनुक्रिया दल का गठन किया जायेगा। इसमें सरपंच, पटवारी, सचिव, गिरदावर, चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत, पेयजल) तथा गांव के समाजसेवी लोग सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार निकटस्थ तहसील, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत भी आपदा के समान फर्स्ट रिस्पाँडर के समान ही उपयोगी हो सकते है। स्थानीय स्तर पर पटवारी, सचिव तथा गिरदावर महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये व्यक्ति सम्पूर्ण तंत्र के आधार है, जो आपदा के समय कार्य करता है। आपदा के समय दूरस्थ स्थानों की जानकारी, सूचनाओं का सम्प्रेषण, आपदा के स्तर का आंकलन, आपदा की क्षति का सर्वेक्षण आदि कार्यों की सही जानकारी स्थानीय स्तर के लोग/कर्मचारी ही दे सकते है।

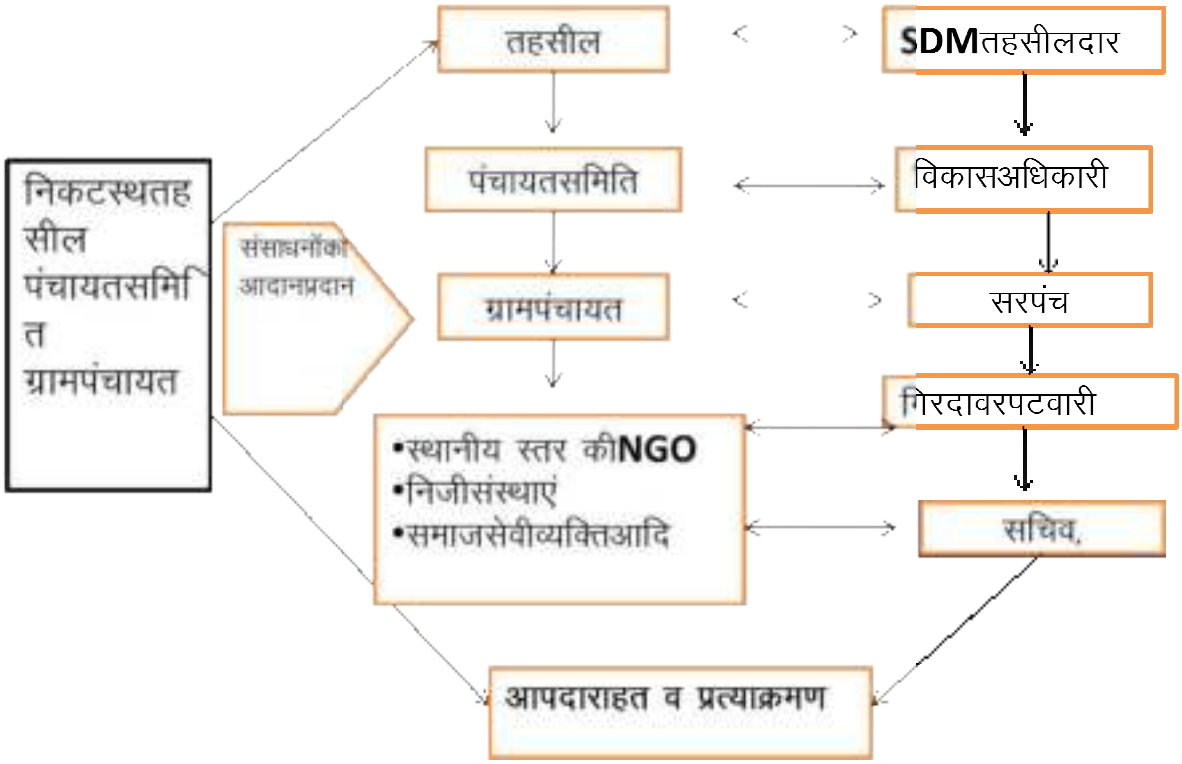

चित्र—11.4 स्थानीय स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र

11.5 समाजसेवी संस्थाऐं–निजी संस्थाओं से समन्वय –

विभिन्न एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा समाज सेवी संस्थाऐं ऐसे कारक है जो आपदा के समय प्रशासन के समान ही प्रभावी ढंग से कार्य करते है। चित्तौड़गढ़ में संचालित एनजीओ जैसे प्रयास, कट्स, ओरेंज आदि ऐसे संस्थान है जो लम्बे समय के इस क्षेत्र में कार्य कर रहे है। ये आपदा के समय प्रभावशाली तरीके से कार्य करते है। इसी प्रकार निजी विद्यालय, निजी अस्पताल भी आपदा के समय समन्वित तंत्र का अहम हिस्सा होते है। चित्तौड़गढ़ जिले के सभी निजी विद्यालयों को आश्रय स्थल तथा निजी अस्पतालों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद किया जा सकता है।

11.6 निकट के जिलों के साथ समन्वय –

प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन के सन्दर्भ में सर्वसाधन सम्पन्न तथा क्षमता वाला नहीं होता है। आपदा के समय प्रत्येक क्षण बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। चित्तौड़गढ़ जिला विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला है। उदाहरण के लिए रावतभाटा, कनेराघाटा आदि क्षेत्र ऐसे है जहाँ आपदा घटित होने पर जिला मुख्यालय की अपेक्षा पड़ोसी तहसील, गांव अथवा जिले से सहायता तुरन्त पहुंच सकती है। उदाहरण–रावतभाटा में आण्विक संयंत्र में कोई आपदा होने अथवा आग की दशा में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की अपेक्षा कोटा जिला मुख्यालय से राहत तुरन्त पहुंच जायेगी। इसी प्रकार कनेराघाटा क्षेत्र में भी निम्बाहेडा व नीमच से राहत तुरन्त पहुंचायी जा सकती है। इस हेतु ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में निकटस्थ जिलों तथा तहसीलों में उपलब्ध संसाधनों की सूची चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रखी जायेगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मदद ली जा सके। यहां ऐसे जिलों व राज्यों की सूची दी जा रही है जो निकटस्थ है तथा आपदा के समय सहायता तुरन्त ली जा सकती है।

क्षेत्र	**निकटस्थ तहसील, जिला व राज्य क्षेत्र**
रावतभाटा	कोटा, बेगूँ, मध्यप्रदेश
बेगूँ	कोटा, चित्तौड़गढ़, माण्डलगढ़, रावतभाटा
निम्बाहेडा	मध्यप्रदेश, चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़	तहसील मुख्यालय, उदयपुर, कोटा, मध्यप्रदेश, भीलवाड़ा
कपासन	उदयपुर, चित्तौड़गढ़
राशमी	भीलवाडा, कपासन, राजसमन्द, उदयपुर
भदेसर	चित्तौड़गढ़, उदयपुर
बड़ीसादड़ी	प्रतापगढ, निम्बाहेडा, उदयपुर, बाँसवाड़ा

तालिका11.1 तहसील अनुसार निकटस्थ जिल एवं राज्य जहां से सहायता ली जा सकती है।

11.7 राज्यSDMPसे समन्वय –

राज्य SDMP सभी जिलों के लिए आदर्श स्तर एवं मानक होगी। सभी जिले राज्य SDMPके अनुसार अपने–अपने क्रियान्वयन तंत्रों व समन्वय तंत्रों में सुधार करेंगे। चित्तौड़गढ़ DDMPके क्रियान्वयन में भी कोई समस्या या शंका उपस्थित होने परSDMPका अनुसरण किया जायेगा।

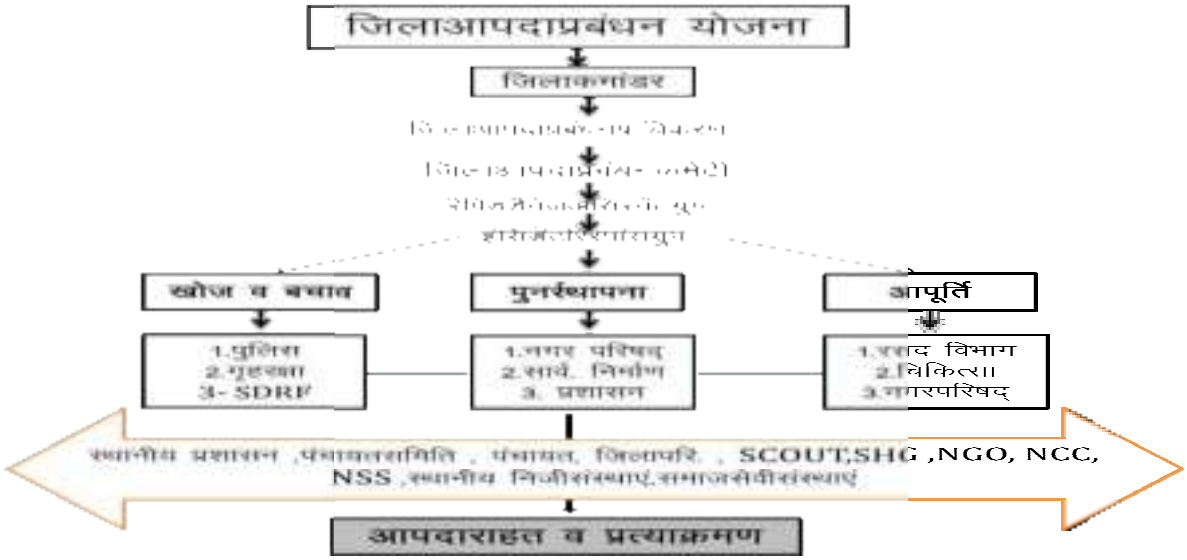

चित्र—११5.जिला आपदा प्रबंधन योजना

11.8 सारांश–

DDMPके क्रियान्वयन हेतु एक समन्वित जिला तंत्र की आवश्यकता है, जो आपदा आने पर DDMP का अनुसरण करते हुए तुरन्त सक्रिय हो जाये। केन्द्र व राज्य स्तर पर राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान तथा NDRF/SDRFमिलकर एक समन्वित तंत्र बनाते है। जिला प्रशासन को आपदा के दौरान इसी तंत्र से समन्वय बनाते हुए कार्य करना होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में जिला कलक्टर DDMP मुखिया होगा तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रभारी राहत सचिव होगा। इनके निर्देश पर जिला कार्यकारी समिति क्रियाशील होगी जो इंसिडेंट रिस्पाँस ग्रुप (आई.आर.जी.) को निर्देश देगी। इस ग्रुप में क्रियाशील होने पर सभी प्रमुख विभाग व उनके नोडल अधिकारी कार्यभार संभाल लेगें। स्थानीय स्तर पर संबंधित विभाग व प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी उत्तरदायी होगें जो जिला स्तर पर समन्वय बनाये रखेंगे।

अध्याय–12

Standard Operating Procedures (SOPs) and Checklist

मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चैकलिस्ट

विषय वस्तु–

12.1 आपदा की स्थिति का परिभाषिकरण

12.2 आपदा की चेतावनी पर संक्रिया

12.3 वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्त करना

12.4 विभिन्न विभागों की भूमिका व उत्तरदायित्व

12.5 सूचनाओं के आदान–प्रदान का प्रबंधन

12.6 विभिन्न संचार माध्यमों का प्रबंधन

12.7 राज्य/केन्द्र सरकार से सहायता

12.8 राहत व पुनर्वास के मापदंड

12.9 मानवीय राहत व सहायता

12.10 सारांश

12.1 आपदा की स्थिति का परिभाषिकरण—

आपदाएँ प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है और वर्षो से किए गये विकास कार्यो के प्रयासों को निरर्थक करके देश को कई दशक पीछे धकेल देती है। समुत्थान के सन्दर्भ में आपदाओं का प्रभाव विकासशील देशों पर ज्यादा पड़ता है। इसलिए आपदा पूर्व प्रयासों जैसे तैयारी, क्षमतावर्धन, बेहतर जानकारी, प्रभावी जबाब प्रणाली, प्रबन्धन व पुनर्निर्माण से जान व माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

आपदा एक मानव या प्रकृति प्रेरित घटना है। जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जानमाल की क्षति होती है। इसके साथ एक निश्चित क्षेत्र में आजीविका व सम्पति की हानि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को दुःख व कष्ट झेलने पड़ते है। आपदा वह अवस्था है जिसमें स्थानीय प्रशासन असहज महसूस करता है तथा स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती है। कोई भी संकट आपदा की श्रेणी में निम्न दशाओं में गिना जायेगा–

1. जन–धन की व्यापक हानि।

2. सम्पति व आजीविका की व्यापक क्षति।

3. स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण से बाहर की दशा।

4. प्रारम्भिक सूचनाओं के आधार पर जिले के लिए विषम परिस्थिति।

आपदा के विरूद्ध राहत व प्रत्याक्रमण आपदा के स्तर से निर्धारित किया जायेगा, जो स्थानीय प्रशासन से मिली प्रारंभिक सूचनाओं पर आधारित है। इसका विस्तृत विवरण अध्याय –7 में दिया गया है।

12.2 आपदा की चेतावनी पर संक्रिया–

जिले में आपदा चेतावनी की प्राप्ति का दायित्व सूचना व जनसम्पर्क विभाग के पास होगा। सूचना/चेतावनी स्थानीय स्तर से प्राप्त होगी तथा निर्धारित स्त्रोतों से होकर जिला स्तर पर पहुंचेगी। चेतावनी का प्रसारण आकाशवाणी, जिला केबल, प्रिंट मीडिया तथा माईक आदि के माध्यम से किया जावेगा। जिला कलक्टर के निर्देश पर आपदा प्रबधंन प्राधिकरण तथा प्रभारी तुरंत सक्रीय होगें, जो जिला कार्यकारी समिति तथा इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को सक्रीय करेगें। इस प्रकार यह सक्रीयता पदानुक्रमानुसार क्रियान्वित होगी। (विस्तृत विवरण अध्याय 11 में दिया गया है)

12.3 वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्त करना–

वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न संस्थानों का विवरण अध्याय 9 में दिया गया है। इंसिडेंट रिस्पांस हेतु वित्तीय संसाधन जिला प्रशासन की आपदानिधि तथा जिला आपदा प्रबधंन प्राधिकरण से प्राप्त होंगे। जन सहयोग तथा दानदाता तात्कालिक वित्तीय सहायता का प्रमुख स्त्रोत हो सकेंगे। आपदा

राहत हेतु विभिन्न प्रकार के तकनीकी साधनों की आवश्यकता होती है। इस हेतु दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा–

उपकरण	विभाग/स्त्रोत
1. जे.सी.बी.	नगरपरिषद/निजी संस्थान
2. बिल्डिंग कटर	नगरपरिषद/निजी संस्थान
3. ट्रेक्टर ट्रॉली	नगर परिषद/निजी संस्थान
4. फावड़े, गेंती, तगारी आदि	नगर परिषद/प्रशासन
5. नावें/गोताखोर	सिंचाई विभाग/ नगर परिषद
6. मेडिकल वाहन	चिकित्सा विभाग/प्रशासन
7. चिकित्सा उपकरण	चिकित्सा विभाग
8. अस्थाई टेंट	प्रशासन/नगर परिषद
9. अस्थाई विद्युत व्यवस्था	नगर परिषद्/प्रशासन
10. अस्थाई संचार व्यवस्था	पुलिस/दूरसंचार विभाग
11. परिवहन	प्रशासन/ परिवहन विभाग

तालिका12.1 त्वरित आवश्यक उपकरण व सम्बन्धित विभाग

12.4 विभिन्न विभागों की भूमिका व उत्तरदायित्व–

आपदा राहत व प्रत्यक्रमण में सभी विभागों की समन्वित भूमिका होती है। सभी इकाइयों व विभागों में सम्मिलित रूप से कार्य करने पर ही योजना की उचित क्रियान्विति संभव है। उक्त सूची के अनुसार चित्तौड़गढ़ के विभिन्न विभाग नोडल विभाग के रूप में सम्बन्धित आपदा का कार्यभार ग्रहण करेगें।

क्र. सं.	नोडल विभाग	सबंधित आपदा
1	आपदा प्रबंधन वसहायता	ओलावृष्टि, पाला, शीतलहर, चक्रवात
2	उर्जा	विद्युत वितरण, उत्पादन, प्रसारण, सबंधी आपदा
3	गृह	आतंकी हमला, पुलिस बल, कानून व्यवस्था, भगदड़, सड़क, रेल दुर्घटना
4	जल संसाधन	बाढ़, बांध टूटना, बादल फटना
5	सार्वजनिक निर्माणविभाग	भूकम्प, बड़े भवनों का गिरना

6	खान	खान में आग, पानी भरना, डूबना
7	उद्योग	रासायनिक व औद्योगिक आपदा, तेल फैलना
8	नगरीय विकास	शहरी अग्नि
9	राजस्व	गॉव की आग, नाव पलटना
10	वन	वनों में आग
11	चिकित्सा व स्वास्थ्य	जैविक तथा महामारी, खराब खाने से बीमारी
12	कृषि	फसलों का खराबा, टिड्डी दल का हमला
13	पशुपालन	पशुमहामारी

तालिका 12.2 विभिन्न आपदाएँ व जिला नोडल विभाग

12.5 सूचनाओं के आदान–प्रदान का प्रबंधन–

आपदा के समय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान महत्वपूर्ण होता है। आपदा स्थल से विभिन्न प्रकार की आवश्यकताऐं तथा आपातकालीन सूचनाओं का जिला स्तर तथा जिला स्तर से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सम्प्रेषण आपदा स्थल तक होता रहता है। इन सभी के लिए उचित संचार प्रणाली आवश्यकता है। जिला सूचना व जनसम्पर्क विभाग इस हेतु नोडल विभाग तथा जिला सूचना व जनसम्पर्क अधिकारी इस हेतु नोडल अधिकारी होगा।

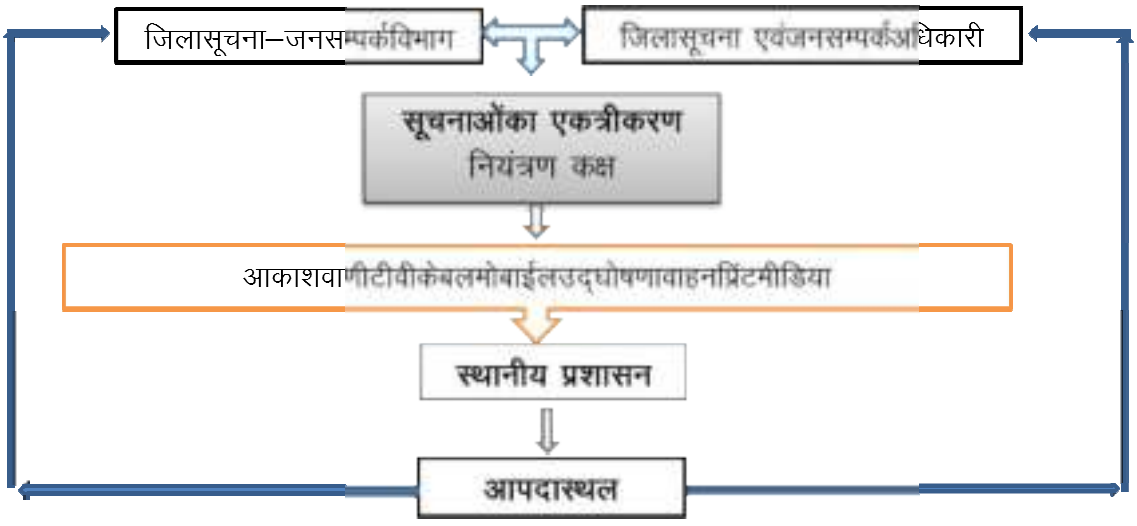

मीडिया मैनेजमेंट–

विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम जैसे अखबार, मैगजीन, टी.वी., आकाशवाणी आदि आपदा के समय प्रभावी भूमिका निभाते हैं। अगर संचार माध्यम प्रभावी हों तो सूचनाऐं तुरन्त आम जन तक पहुँचायी जा सकती है।

चित्तौड़गढ़ जिले में मीडिया मैंनेजमेंट हेतु विभिन्न प्रयास प्रस्तावित है। विभिन्न संचार माध्यमों के कार्यालयों में पते तथा उनके फोन नम्बर नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध होंगे जिससे आवश्यकता होने पर तुरंत सम्पर्क कर सूचनाऐं प्रदान की जा सकें।

ये संचार माध्यम आपदा से पूर्व आपदा से बचाव व जोखिम कम करने हेतु आमजन भागीदारी तथा जन चेतना का कार्य करेंगे। अनावश्यक सूचनाओं तथा अफवाहों में जन सामान्य तक पहुॅचाने पर रोक होगी। व्हाट्सअप तथा फेसबुक जैसे माध्यमों का प्रयोग भी सूचनाओं व चेतावनी सम्प्रेषण हेतु किया जायेगा। व्हाट्सअप ग्रुप तथा फेसबुक पर अफवाहों के फैलने की दशा में इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।

12.6केन्द्र व राज्य सरकार से सहायता–

आपदाएँ कभी–कभी विकराल रूप धारण कर लेती है। तथा स्थानीय व जिला प्रशासन के नियंत्रण से स्थिति बाहर हो जाती है। उस अवस्था में केन्द्र तथा राज्य से सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन किस दशा में सहायता लेनी है यह आपदा से हुई क्षति के आंकलन से ही होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में बाहरी सहायता प्राप्त करने की अवस्था का निर्धारण आपदा के स्तर से होगा। जिला कलक्टर द्वारा गठित समिति आपदा स्थल पर जाकर आपदा स्तर का आंकलन करेगी। यदि आपदा स्तर नियंत्रण में है, तो जिला प्रशासन से और यदि आपदा स्तर नियंत्रण से बाहर है तो राज्य व केन्द्र से सहायता मांगी जायेगी। आपदा स्तर आंकलन की विस्तृत क्रिया विधि अध्याय – 7 में दी गई है।

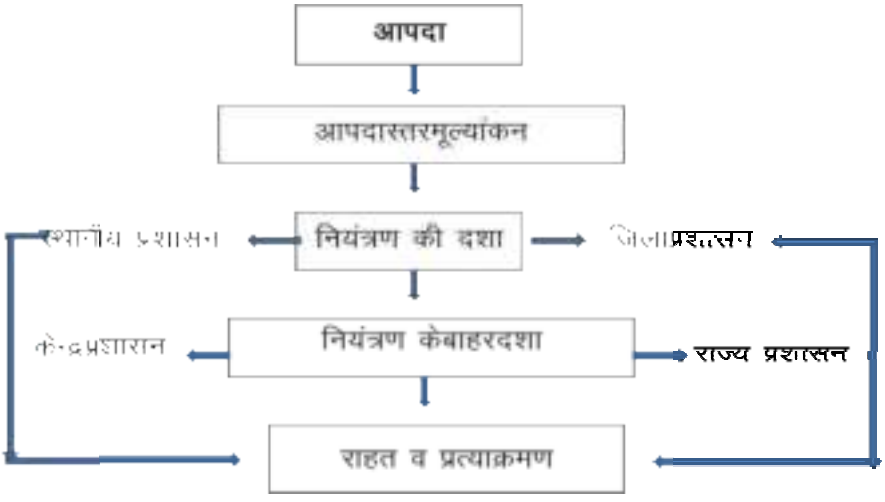

12.8 राहत व पुनर्वास के मानदंड–

आपदा राहत योजना के क्रियान्वयन में राहत व पुनर्वास प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ जिले में राहत व पुनर्वास कार्यक्रमों का मानक स्तर आवश्यकतानुसार निम्न प्रकार होगा–

क्र. सं.	कार्य	विभाग	मानक राहत स्तर व पुनर्वास
1	खाली करवाना (आवासीय व व्यवसायिक भवन)	पुलिस,नगर परिषद्	1.जोखिम पूर्ण भवनों को तुरंत खाली करवाना। 2.व्यक्तियों तथा आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित स्थानों पर परिवहन। 3.विस्थापित लोगों हेतु अस्थायी सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना।
2	खोज व बचाव	पुलिस, NGOs,स्काउट, NSS,NCC,SDRF, गृहरक्षा	1.संकट में फंसे लोगों को बचाना व सुरक्षित स्थान पर भेजना। 2. संकटग्रस्त पशुओं को बचाना। 3. गुमशुदा व्यक्तियों की खोज। 4. सूचना देने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना।
3	प्रभावित क्षेत्र का सुरक्षा घेरा	पुलिस,गृहरक्षा,SDRF	1.प्रभावित स्थल पर अनहोनी से बचने हेतु सुरक्षा घेरा ताकि भीड़ को आपदा स्थल से दूर रखा जा सके। 2.आग, भूकम्प, इमारतों का ढहना, रासायनिक, औद्योगिक दुर्घटनाओं में भीड़ को आपदा स्थल से दूर रखना आवश्यक है।
4	यातायात नियंत्रण	पुलिस, यातायात पुलिस, NGOs	1. प्रभावित स्थल के आस–पास वाहनों को न आने देना। 2.राहत कार्य में लगे वाहनों को शीघ्र परिवहन हेतु व्यवस्था। 3.आवश्यकता पड़ने पर वाहनों की व्यवस्था।
5	कानून व्यवस्था	पुलिस, गृहरक्षा, SDRF	1. आपदा के समय भगदड़ आदि को रोकने की व्यवस्था। 2. अफवाहों को रोकना। 3. दंगें तथा लूटपाट को रोकना। 4. प्रभावितों को जान माल की सुरक्षा।
6	मृत देहों का निस्तारण	चिकित्सा विभाग, पुलिस, नगर परिषद्	1. महामारी व प्रदूषण से बचने हेतु मृत देहों का तुरंत विस्थापन। 2. मृत देहों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था। 3. रासायनिक या जैविक या महामारी की दशा में मृत देहों के पोस्टमार्टम की व्यवस्था। 4. मृत लोगों के सन्दर्भ में उनके रिश्तेदारों

			को सूचना।
7	मलबे का निस्तारण	पुलिस, नगरपरिषद्, प्रशासन, SDRF	1. अतिआवश्यक सेवाओं के पुनः स्थापना हेतु मलबे को हटाना। 2. मलबे के उचित स्थान पर डालना। 3. मलबे को सावधानी पूर्वक हटाना जिससे मूल्यवान वस्तुओं व मृत देहों को नुकसान न हो

तालिका12.3 जिला चित्तौड़गढ़ : राहत व पुनर्वास के मानक स्तर

12.9 मानवीय आवश्यकताऐं व राहत–

राहत व पुनर्वास के अर्न्तगत विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताऐं आती है, जो सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक होती है जो जिले में आपदा के समय सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के निम्न मानदंड होंगे–

क्र. सं.	**अत्यावश्यक मानवीय सुविधाऐं**	**मानक स्तर के कार्य**
1	भोजन	1.दूध, ब्रेड, दूध पाउडर इत्यादि का वितरण चित्तौड़गढ़ डेयरी के माध्यम से। 2.भोजन के पैकेट दानदाताओं से, घर से एकत्रित करके, रसद विभाग। 3.फल इत्यादि का वितरण।
2	पेयजल	1.नगरपरिषद् द्वारा पेयजल टेंकर उपलब्ध करवाना। 2.जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा स्वच्छ पेयजल। 3.पूर्व में विद्यमान जल स्त्रोतों की सफाई व क्लोरीन डलवाना। 4.पेयजल आपूर्ति तुरंत बहाल करना।
3	दवाइयाँ	1.सरकारी अस्पताल द्वारा आवश्यक दवाओं–बुखार, दस्त उल्टी आदि की दवाओं का वितरण। 2.दवा व्यावसायियों के पास पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना।
4	वस्त्र	1.जिला प्रशासन व दानदाताओं द्वारा कम्बल व वस्त्र वितरण 2.NGOs,NSS, NCC, द्वारा पुराने वस्त्रों का संग्रहण व

		जरूरत मंदो में वितरण।
5	ट्रोमा केयर	1.सरकारी अस्पताल की आपातकालिन सेवाऐं 2. अन्य ट्रोमा सेंटर– अक्षर ट्रोमा, सागर हॉस्पीटल आदि बड़े निजी अस्पतालों की सेवाऐं। 3. त्वरित चिकित्सा हेतु एंबुलेंस
6	अस्थायी आवास	1.अस्थायी आवास (स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवन) की व्यवस्था। 2. बारिश से बचाव हेतु तिरपाल वितरण 3. अस्थायी टेंट
7	हेल्प लाईन	1.आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना। 2.आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर तुरंत हेल्प लाईन नम्बर की स्थापना।
8	वीआईपी भ्रमण	1.नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार के मंत्रियों के निरीक्षण की व्यवस्था। 2.परिवहन तथा भीड़ का नियंत्रण।
9	निजी संस्थाओं का सहयोग	1.निजी विद्यालय –अस्थायी आवास के रूप में 2. निजी अस्पतालों के संसाधनों का प्रयोग 3. निजी बिल्डरों से जेसीबी, टैक्ट्रर ट्रॉली, डम्पर आदि की सहायता लेना।

तालिका 12.4 आवश्यक मानवीय आवश्यकताऐं व मानक राहत स्तर

12.10 सारांश—

जिले में आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु एक SOP(Standard Operating Procedure)निर्धारित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से आपदा तथा आपदा के स्तरों को परिभाषित किया जायेगा। इसके पश्चात् चेतावनी तथा उसका प्रसारण होगा।

आपदा के स्तर तथा आवश्यकता को देखते हुए बाहरी सहायता प्राप्त करने पर विचार किया जायेगा। आपदा स्थल से जिला मुख्यालय तक सूचनाऐं भेजने हेतु विशेष व्यवस्था होगी। डीडीएमपी में संचार माध्यमों का प्रबंधन, सहायता, संसाधन तथा राहत उपलब्ध करवाने के विभिन्न मानक स्तरों का भी उल्लेख किया गया है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड चित्तौड़गढ़

क्र.सं.	बांध का नाम	तहसील	ग्राम पंचायत	प्रभारी कनिष्ठ अभियंता	कनि. अभि. मुख्यालय
जल संसाधन, खण्ड चित्तौड़गढ़					
I	**सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड प्रथम, चित्तौड़गढ़:– श्री सत्य नारायण जीनगर Mobile. 9413275280**				
1	बस्सी डेम	चित्तौड़गढ़	पालका	श्री राजू सामरिया (मो0–8949376800)	बस्सी
2	लुहारिया	भदेसर	कुथना	श्री राकेश कुमार खारोल (मो0–9680088848)	चित्तौड़गढ़
3	सादी	चित्तौड़गढ़	सादी		
4	मोडिया महादेव	चित्तौड़गढ़	अमरपुरा		
5	बनाकिया	चित्तौड़गढ़	तुम्बडिया		
6	सॉकलखेडा	चित्तौड़गढ़	उदपुरा		
7	सांवरिया सरोवर	भदेसर	मण्डफिया		
II	**सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड द्वितीय, चित्तौड़गढ़– श्री राज कुमार शर्मा, Mobile : 9414166398**				
1	गंभीरी बांध	निम्बाहेड़ा	अरनिया जोशी	श्री राजेश गुर्जर (मो0–9928729492)	गंभीरी बांध
2	मुरलिया बांध	निम्बाहेड़ा	मांगरोल	श्री राधेश्याम जाट (मो0–9784359993)	निम्बाहेड़ा
3	बाड़ी मानसरोवर	निम्बाहेड़ा	बाड़ी		
4	उँचा	निम्बाहेड़ा	जावदा		
5	भावलिया	निम्बाहेड़ा	निम्बोदा		
6	सरसी का नाका	निम्बाहेड़ा	मैलाना		
III	**सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड भोपालसागर (01476224246)– श्री सत्य नारायण जीनगर (कार्यवाहक) Mobile. 9413275280**				
1	बडंगाव	मावली	कीकावास	श्री प्रहलाद जाट (मो0–8094307509)	भोपालसागर
2	पटोलिया	कपासन	बालारड़ा		
3	भोपालसागर	कपासन	भूपालसागर		
4	मेवदा	कपासन	मुंगाना		
5	धमाना	कपासन	धमाना		
6	अरनिया	कपासन	बालारड़ा		

7	डिन्डोली	राशमी	डिण्डोली		
8	सरोपा	कपासन	लांगच		
9	कांकरिया	कपासन	हिंगोरिया		
10	कपासन	कपासन	कपासन		
11	वागली	कपासन	करजाली		
IV	***सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड गंगरार,– श्री राज कुमार शर्मा (कार्यवाहक), Mobile : 9414166398***				
1	सोनियाना	गंगरार	सोनियाना	श्री बजरंग सिंह (मो0–7296818078)	गंगरार
2	कुंवालिया	गंगरार	कुवालिया		
3	सालेरा	गंगरार	आजोलिया का खेडा		
4	बोरदा	गंगरार	बोरदा		
5	ऊंचकिया	राशमी	लसाडिया कला	श्री सत्य नारायण टेलर (मो0 8003789459)	राशमी
6	सोमी	राशमी	सोमी		
7	आरनी	राशमी	आरनी		
V	***सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड बैंगू (01474–230361)– श्री बिरजू लाल मीणा (9414730485)***				
1	ओराई	बैंगू	गोपालपुरा	श्री के.एल. धाकड (मो0–9413640594)	ओराई
2	देवलिया	बैंगू	सिंगोली	श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (मो0–9929434867)	बैंगू
3	रूपारेल	बैंगू	खेडी		
4	भंवर पीपला	बैंगू	धामंचा		
5	डोराई	बैंगू	डोराई		
6	कालादेह	बैंगू	चेची		
7	राजगढ	बैंगू	राजगढ		
8	खोखी	रावतभाटा	देवपुरा		
	जल संसाधन, खण्ड प्रतापगढ़				
VI	**सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड डूँगला :– श्री सुन्दर लाल मालू Tel-** 01470-247387 M.No. 9414026168				
1	वागन	डुँगला	सेमलिया	श्री बहादुर सिंह (मो0–9636158243)	डुँगला
2	पारसोली	बड़ी सादड़ी	पारसोली	श्री प्रतीक राठौड़ (7597020470)	बड़ी सादड़ी
3	पिण्ड	बड़ी सादड़ी	पिण्ड		
	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन				
VII	**मेनेजर (सिविल) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड :– श्री वी.के. जैन**				

	M.No. 9829040035				
1	घोसुण्डा	चित्तौड़गढ़	देवरी	श्री सुनील साबला (9929603380)	घोसुण्डा बॉध

बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबन्धन कक्ष (ई.ओ.सी.)

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में आपदा प्रबन्धन कक्ष (ई.ओ.सी.) की स्थापना कर दी गई है जो 24 घण्टे अनवरत चालू है। जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन कक्ष के प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ है तथा इसके टेलिफोन नं. 01472–244923 एवं 1077(टोल फ्री) है। यह नियंत्रण कक्ष रात दिन 24 घण्टे कार्य करते हुये बाढ़ की स्थिति से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं के लिये कार्य करेगा।

जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा प्रबन्धन कक्ष के प्रभारी अधिकारी एवं उनके टेलिफोन नं.

क्र. सं.	आपदा प्रबन्धन कक्ष (ई.ओ.सी.) एवं तहसील	प्रभारी अधिकारी	कार्यालय
1	प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्ध एवं सहायता अनुभाग	अति.कलेक्टर	01472–244923,1077 (टोल फ्री)
2	प्रभारी आ.प्र.सहा.	श्रीमती मोनिका खाब्या	8290167165
3	निम्बाहेड़ा	तहसीलदार	01477–221543
4	भदेसर	तहसीलदार	01470–243222
5	बड़ीसादड़ी	तहसीलदार	01473–264240
6	डूंगला	तहसीलदार	01470–247222
7	चित्तौड़गढ़	तहसीलदार	01472–241387
8	गंगरार	तहसीलदार	01471–220239
9	कपासन	तहसीलदार	01476–230223
10	राशमी	तहसीलदार	01471–226327
11	बेगूं	तहसीलदार	01474–220135
12	रावतभाटा	तहसीलदार	01475–234035

परिशिष्ट –3

समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र चित्तौड़गढ़

होमगार्ड कार्यालय फोन नं. 01472–24527
Email:- comdt.chit.rj.nic.in

क्र.स.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	मोबाईल नं.
1.	श्री राजेन्द्र कुमार जागीड़	समादेष्टा (अतिरिक्त प्रभार)	9829998981,9530140981
2.	श्री दीपचन्द	प्लाटून कमाण्डर	9461261718
3.	श्री कालू सिंह	आरक्षी	9413806929
4.	श्री चेन सिंह राठौड़	लिपिक ग्रेड़ 1	9950650711
5.	श्री देवेन्द्र सिंह	लिपिक ग्रेड़ 2	9588835639

परिशिष्ट –4

जिले के चिकित्सा संस्थानो के प्रभारी चिकित्सकों का विवरण
Office of the Chief Medical & Health officer, District Chittorgarh Raj.

S No	Name of Block	Name of CHC/PHC	Type of Institute	Name of Incharge	Mobile No	Telephone No
1	चित्तौड़गढ़	जिला अस्पताल, चित्तौड़गढ़	DH	डॉ. दिनेश वैष्णव	9413866006	01472.240744
2	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेडा	SDH	डा0 के0 आसिफ	9001990450	01477.223137
3	बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	CHC	डॉ. दिनेश कुमार रजक	9414133868	01473.264078
4	बड़ीसादड़ी	निकुम्भ	CHC	डॉ. दिनेश कुमार मेघवाल	9001990320	01473.242020
5	बड़ीसादड़ी	बोहेड़ा	CHC	डॉ. सत्यनारायण सुथार	7597256029	.
6	बड़ीसादड़ी	बान्सी	PHC	डॉ. रोहित कुमार सिंह	7742093537	.
7	बड़ीसादड़ी	केवलपुरा	PHC	डॉ. राहुल वर्मा	9665247549	.
8	बड़ीसादड़ी	पारसोली	PHC	डॉ. अरविन्द जाखड़ (कार्यवाहक)	9950901034	.
9	भदेसर	भदेसर	CHC	डॉ0 आशिष कांठेड़	9001990410	1470.243940

10	भदेसर	मण्डफिया	CHC	डॉ0 अमरसिंह मराड़िया	9001990411	01470.242773
11	भदेसर	आसावरा	PHC	डॉ0 भूपेश अरोड़ा	9116007525	.
12	भदेसर	बानसेन	PHC	डॉ0 अमरचंद तुषावड़ा अति. चार्ज	9116007518	.
13	भदेसर	भादसौड़ा	PHC	डॉ0 मोह0 अलिम खान	9001990412	.
14	भदेसर	कन्नोज	PHC	डॉ0 अमरचंद तुषावड़ा	9001990422	.
15	भूपालसागर	आकोला	CHC	डॉ.सुमित गहनोलिया	9460387177	.
16	भूपालसागर	भूपालसागर	CHC	डॉ.आशिषा शर्मा	7987066721	014767.224238
17	भूपालसागर	जाशमा	PHC	डॉ.अभिषेक पालीवाल	9461766630	.
18	भूपालसागर	कांकरवा	PHC	डॉ. ओम प्रकाश मीणा	9782478722	.
19	भूपालसागर	ताणा	PHC	डॉ. आशिष आमेटा	9672836958	.
20	डूँगला	डूँगला	CHC	डॉ. माधवसिंह मीणा	9001990341	01470.247300
21	डूँगला	मंगलवाड़	PHC	डॉ. यतीन्द्र कुमार बुडानिया	9001990350	01470.246480
22	डूँगला	चिकारडा	PHC	डॉ. पंकज कीर	9001990360	01470.244407
23	गंगरार	गंगरार	CHC	डॉ. रामरेख	6375013815	014171.220155
24	गंगरार	साडास	CHC	डॉ. अंकित पुरोहित	8107326394	.
25	गंगरार	पुठोली	PHC	डॉ. अशोक धाकड	8447837790	01472.255313
26	गंगरार	बुढ	PHC	डॉ. अशोक धाकड	8447837790	.
27	गंगरार	बोरदा	PHC	डॉ. गौरव अग्रवाल	9460607819	.
28	गंगरार	सोनियाना	PHC	डॉ. तेजपाल यादव	9887700580	.
29	कपासन	कपासन	CHC	डॉ गणपत सिंह चौधरी	9784248593	01476.230254
30	कपासन	धमाना	PHC	डॉ मो.अदनान	9001990255	.
31	कपासन	सिंहपुर	PHC	डॉ अखिलेश मीणा	8559929224	.
32	कपासन	शनिमहाराज	PHC	डॉ नीरज शर्मा	8505081716	.

33	कपासन	उमण्ड	PHC	डॉ रामचंद्र पारेता	7891687351	.
34	निम्बाहेड़ा	कनेरा	CHC	डा0अनुराधा मीणा	9001990455	01477.241440
35	निम्बाहेड़ा	बिनोता	CHC	डा0विक्रम गिडवानी	9001990451	.
36	निम्बाहेड़ा	अरनोदा	PHC	डा0 आशीष शर्मा	9001990476	.
37	निम्बाहेड़ा	केली	PHC	रिक्त	9001990469	.
38	निम्बाहेड़ा	मण्डलाचारण	PHC	डा0 अमित कुमार वर्मा	9001990462	.
39	निम्बाहेड़ा	बाडी	PHC	डा0 पीयूष दूबे	9116007530	.
40	निम्बाहेड़ा	लसडावन	PHC	डा0 चन्दन कुमार निहाला	9116007529	.
41	राशमी	राशमी	CHC	डा अभिषेक दाधीच	9001990618	01471.226371
42	राशमी	पहुँना	PHC	रिक्त	9001990599	01471.222240
43	राशमी	डिण्डोली	PHC	डॉ गजानन्द सैनी	9001990617	01471.239166
44	राशमी	आरणी	PHC	डॉ मेघराम मीणा	9001990606	.
45	रावतभाटा	रावतभाटा	CHC	डॉ अनिल जाटव	9414262269	.
46	रावतभाटा	भेंसरोडगढ	PHC	डॉ राहुल आमेठा	9950164031	.
47	रावतभाटा	बोराव	PHC	डॉ नवीन शर्मा	8764127202	.
48	रावतभाटा	लाडपुरा	PHC	डॉ सुरेन्द्र पिंगोलिया	9983808014	.
49	रावतभाटा	मण्डेसरा	PHC	डॉ अनस शेख	9039238800	.
50	रावतभाटा	जावदा	PHC	डॉ हरकेश मीणा	8905622945	.
51	चित्तौड़गढ़	बस्सी	CHC	डॉ. हरीओम लढढा	9001990577	01472.225649
52	चित्तौड़गढ़	बिजयपुर	CHC	डॉ. कुलदीप लोधा	9784267890	01472.276388
53	चित्तौड़गढ़	सावा	CHC	डॉ. विकास मील	9001990557	01472.223626
54	चित्तौड़गढ़	घोसुण्डा	CHC	डॉ. शंभू लाल मीणा	9001990550	01472.227060ए 01472.227050
55	चित्तौड़गढ़	घटियावली	CHC	डॉ. हितेन्द्र सिंह	9001990572	01472.280691
56	चित्तौड़गढ़	चन्देरिया	PHC	डॉ. रूची पुरोहित (आयूष)	9950038371	01472.255543

57	चित्तौड़गढ़	दुर्ग	PHC	डॉ. शाकीर मोहम्मद (आयूष)	9413640849	01472.244401
58	चित्तौड़गढ़	देवरी	PHC	रिक्त	–	.
59	चित्तौड़गढ़	रोलाहेडा	PHC	डॉ. राजपाल सिंह मीणा	9799853836	.
60	चित्तौड़गढ़	नेतावलमहाराज	PHC	डॉ. रवि कुमार मीणा	9694745746	.
61	चित्तौड़गढ़	अभयुपर	PHC	डॉ. मोहम्मद तबिश	7014515204	.
62	चित्तौड़गढ़	अरनियापंथ	PHC	डॉ. महेश जाटव	9116007437	.
63	बेगूं	बेगूँ	CHC	डॉ गौरुराम भुक्कल	9001990495	01472.230102
64	बेगूं	पारसोली	CHC	डॉ दिनेश कुमार धाकड	9001990496	01474.235353
65	बेगूं	दुगार	PHC	डॉ चेतन प्रकाश कुमावत	9887737767	.
66	बेगूं	बिछोर	PHC	डॉ अशोक कुमार यादव	9057716210	.
67	बेगूं	काटुन्दा	PHC	डॉ ललित धाकड	9001990510	.
68	बेगूं	मेघपुरा	PHC	डॉ दुर्गेश कुमार धाकड	7737744467	.
69	बेगूं	नंदवई	PHC	डॉ पंकज नारनोलिया	7737271813	01474.252315
70	बेगूं	रायता	PHC	डॉ राजकुमार अलवारिया	9660888023	.
71	बेगूं	चेची	PHC	डॉ देबी लाल धाकड	9001990525	01474.231730
72	निम्बाहेडा	इशकाबाद, यूपीएचसी, निम्बाहेडा	UPHC	डा. आवेज खान	7976987617	.
73	चित्तौड़गढ़	पाडनपोल, यूपीएचसी	UPHC	रिक्त	–	.
74	चित्तौड़गढ़	भोई खेडा कीर खेडा, यूपीएचसी	UPHC	डॉ. वी. के. पारिक	7014689631	.
75	चित्तौड़गढ़	शहरी पीएचसी, गांधीनगर	City dispensary	डॉ. सागर शर्मा	8107747427	.

परिशिष्ट –5

चल चिकित्सालयों की सूची

सभी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपखण्ड, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक चिकित्सा दल गठित है जो इमरजेन्सी में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है।

परिशिष्ट –6

आश्रय स्थलों की सूची

क्र	विद्यालय का नाम	विद्यालय का पता	ईमेल	प्रधान का नाम	मोबाईल नं.
1	GOVT. HIGHER SECONDARY .SCHOOL - AMIRAMA (08291214103)	AMIRAMA	gssamirama@gmail.com	PARASHRAM CHHATRAWAL	9414620202
2	21212, GHSS BADWAL (08291202701)	BADWAL	ghssbadwal@gmail.com	GANPAT LAL NAGA	9252212816
3	21321, GGSS BANSI (08291205302)	GOVT .GIRLS SECONDRY SCHOOL BANSI	ictgssbansicorudp@gmail.com	AMBA LAL GINDOT	9829284344
4	21343, GHSS BANSI (08291205308)	BANSI	icthsbansicorudp@gmail.com	JAGDISH CHANDRA DHAKER	9950575585
5	GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL-BHANUJA (08291200701)	GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL-BHANUJA	gsssbhanuja@gmail.com		
6	27779, GHSS BHATOLI (08291214602)	BHATOLI	ghssbhatoli2014@gmail.com	AMAR NATH	8890377398
7	21335 GHSS BOHEDA (08291210920)	BOHEDA, DIST-CHITTORGARH	office.ghss@gmail.com		
8	21325, GGHSSBOHEDA (08291210902)	GOVT GIRLS HIGHER SEC. SCHOOL BOHEDA	govtgirlssensecschool.boheda@gmail.com	PREMLATA KOTWAL	7568872440

9	GOVT.HIGHER SECONDRY SCHOOL JARKHANA (08291211102)	GOVT HIGHER SECONDRY SCHOOL JARKHANA	ictexamsjarkcorudp@gmail.com	ASHRAF KHAN PATHAN	7737759730
10	30110,GSS SARTHALA (08291211401)	GOVT SEC SCH.SARTHALA, Teh - Badi Sadri,	gsssarthala@gmail.com	BHANWAR LAL MEGHWAL	9928594220
11	21298 GHSS KACHUMARA (08291215003)	GOVT HR .SEC SCHOOL KACHUMARA Teh- badi Sadri , Dist - Chittorgarh	gssskachumara2014@yahoo.com	RAJESH KUMAR SHARMA	9413244342
12	21302, GHSS KEWALPURA (08291204102)	Kewalpura	ghsskewalpura@gmail.com	RAJENDRA KUMAR AUDICHYA	9460436690
13	GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL KHARDEVLA (08291202001)	GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL KHARDEVLA TEH-BADI SADRI	ghsskhardevala@gmail.com	ANIL PORWAL	9414858509
14	GOVT. AD HIGHER SECONDARY SCHOOL KHERMALIYA (08291212704)	KHERMALIYA	ghsskhermaliya21304@gmail.com	MAHENDRA KUMAR PUNIA	9772934110
15	30114, GSS CHAINPURIYA (08291208401)	KIRAT PURA, TEH - BADI SADRI, DIST-CHITTORGARH	gsschainpuriya@gmail.com	NIRMALA MOGARA	9460716898
16	21300, GHSS KIRATPURA (08291207502)	GOVT HR.SEC.SCHOOL, KIRATPURA. TEH-BADI SADRI	gssskiratpura@gmail.com	SANJAY RAJAK	9782476275
17	GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL LAXMIPURA (08291203202)	GOVT HR.SEC. SCH. LAXMIPURA Teh badisadri Dist-Chittorgarh	ictslxprcorudp@gmail.com	NARESH KUMAR JAROLI	9828441770
18	GOVT HIGHER SEC.SCHOOL MAHUDA (08291201006)	GOVT HIGHER SEC.SCHOOL MAHUDA Teh- Badi Sadri Dist-chittorgarh	gsssmahuda5@gmail.com	BABU LAL	9929989869
19	21361,GHSS JAYSINGHPURA (08291207005)	MUNJWA	gsssjaysinghpura21361@gmail.com	RAJESH SHARMA	7792077935
20	GOVT,SECONDARY SCHOOL MUNJWA (08291206201)	MUNJWA	govtsecschoolmunjawa@gmail.com	MANGI LAL MEGHWAL	9829873655
21	21327, GGSS NIKUMBH	GOVT.GIRLS SECONDARY SCHOOL- NIKUMBH ,	nikumbhggss@g	SARALA GAJREY	9521640367

	(08291200102)	Teh- Badi Sadri , Dist-Chittorgarh	mail.com		
22	GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL-NIKUMBH TEH-BADISADRI (08291200110)	NIKUMBH	gsssnikumbh02@gmail.com	BHUPENDRA KUMAR BHANDARI	9929428321
23	21379-GHSS BARISADRI (08291217305)	GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL BARISADRI TEH- BARI SADRI DIST-CHITTORGARH	nodalbadisadari9011@gmail.com	ROOP LAL REGAR	9414619104
24	GOVT GIRLS HIGHER.SECONDARY SCHOOL BADI SADRI (08291217003)	CHITTAUR ROAD BADI SADRI DIST - CHITTAURGARH	seniorgirlsbsr21398@gmail.com	Medha Devi Paliwal	9414859131
25	GOVT. SECONDARY SCHOOL INDRA COLONY BARISADRI (08291218201)	GOVT .SECONDARY SCHOOL INDRA COLONY BARISADRI Teh-BAdi Sadri, Dist-Chittorgarh	gssindracolonybsr@gmail.com	SAWAI LAL MEENA	9649391877
26	27778- GHSS, PANDEDA (08291213505)	27778-GHSS, PANDEDA,TEH.-BARISADRI, DIST.-CHITTORGARH	gsspandeda@gmail.com	PANNA LAL SHARMA	9414928369
27	21318, GHSS PARSOLI - BARI SADRI (08291210101)	Govt. Higher. Sec. School Parsoli Teh. Badi Sadri, Dist. Chittorgarh	gsspar070217@gmail.com	SHYAM PRAKASH MEHTA	9460362250
28	GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL, PEEND (08291212203)	GOVT HR.SEC.SCH. PEEND Teh - BADI SADRI Dist- Chittorgarh	ghsspind@gmail.com	KAILA PRASAD SHARMA	9414879246
29	27772 GHSS PUNAWALI (08291200304)	PUNAVLI	gssspn77@gmail.com	NARAYAN LAL PUROHIT	9001538834
30	GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL RATICHAND JI KA KHERA (08291208902)	GHSS,RATICHAND JI KA KHERA Teh - Badi Sadri Dist - Chittorgarh	ssrcckhera@gmail.com	JAMANA SKANKER SHARMA	9929457716
31	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL SANGRIYA (08291202201)	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL SANGRIYA Teh-badisadri, Dist-Chittorgarh	ghsssangariya@gmail.com	INDRAJ YADAV	9461543783
32	21294, GHSS VINAYAKA (08291211803)	VINAYAKA	gssvinayaka2015@gmail.com	ANUJ SHARMA	9252067224
33	27763, GHSS RAMPURIYA	RAMPURIYA	gsssrampuriya2	GAJENDRA	9785011670

	(08290320803)		@gmail.com	SINGH CHAUHAN	
34	GOVT HR.SEC. SCH. ANWALHERA (08290311703)	ANWALHERA	gssanwalheda@gmail.com	VIVEK CHAUDHARY	9782357624
35	AD GOVTHR. SEC. SCH. BARNIYAS (08290300902)	AD GOVTHR. SEC. SCH. BARNIYAS Teh- Begun Dist - Chittorgarh	gssbarniyas@gmail.com	DINESH KUMAR JOSHI	9610004329
36	GOVT H. SEC. SCH. DAULATPURA (08290304102)	DAULATPURA	govtdoulatpura@gmail.com	MAHENDRA KUMAR SHARMA	9462508563
37	GOVT.HIGHER.SEC.SCHOOL BICHHOR (08290311101)	BICHHOR	gssbichhor@gmail.com	RASHMI PALIWAL	9461664572
38	GOVT.SENI.SEC.SCHOOL CHECHI (08290312901)	GOVT.SENI.SEC.SCHOOL CHECHI Teh- Begun Dist - Chittorgarh	gssschechi@gmail.com	JAGDISH CHANDRA DAMAMI	9460225266
39	GOVT SR. SEC. SCH. DHAMANCHA (08290314601)	GOVT. SEN. SEC. SCH. DHAMANCHA	gssdhamancha@gmail.com	JALIM SINGH	7690963801
40	GOVT SECONDARY SCHOOL KALYANPURA (227174) (08290316101)	DHAMANCHA	gsskalyanpurabgn@gmail.com	--Select Teacher--	9982356397
41	GOVT. Sr. SEC. SCH. ANOPPURA (08290319401)	GOVT. Sr. SEC. SCH. ANOPPURA	ghssanoppura@gmail.com	KRISHAN KUMAR SHARMA	8764049439
42	GOVT SR. SEC. SCH. DORAI (08290318105)	GOVT SR. SEC. SCH. DORAI Teh- Begun Dist - Chittorgarh	gssdorai@gmail.com	OMPRAKASH RASTADIYA	9414731762
43	21227, GHSS DUGAR (08290301703)	GOVT SENI. SEC. SCH. DUGAR Teh begun Dist Chittorgarh	gsssdugar@gmail.com	SURESH KUMAR SHARMA	9680083117
44	GOVT HR.SEC. SCH. GOPALPURA (08290324301)	GOVT HR.SEC. SCH. GOPALPURA Teh .Begun Dist - Chittorgarh	gsssgopalpura21151@gmail.com	SHREE LAL JATAV	9413115034
45	21207, GHSS GOVINDPURA (08290312301)	S.R.K.G.HRSEC.SCHOOL-GOVINDPURA	srkgsssgov@gmail.com	Mangal Singh	9413915777
46	GOVT H.SEC. SCH. ITAWA (08290302204)	ITAWA	gssitawa171965@gmail.com	SHANKAR LAL SHARMA	9828609246
47	GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL JAINAGAR (08290307203)	GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL JAINAGAR	gssjainagar@gmail.com	KAMLESH KUMAR SHARMA	9352903600
48	21202 G.H.S.S. KATUNDA (08290305002)	KATUNDA	gsrsskatunda@gmail.com	santosh bhatt	9460848082

49	AD GOVT. H.SEC. SCH. KHERPURA (08290310202)	AD GOVT. H.SEC. SCH. KHERPURA Teh- Begun Dist- Chittorgarh	ghsskherpura@gmail.com	Harbans singh	7297913646
50	GOVT SR.SEC. SCHOOL KHEDI (08290308402)	KHEDI	gssskhedi0@gmail.com	SHAMBHU LAL DHAKER	9982355521
51	GOVT. HR .SEC. SCH. MADHOPUR (08290322202)	GOVT. HR .SEC. SCH. MADHOPUR Teh - Begun Dist- Chittorgarh	ghssmadhopur@gmail.com	SHIV SHANKAR CHHATRAPATI	9829288643
52	GOVT AADARSH SR. SEC. SCH. MANDAWARI (08290305905)	GOVT AADARSH SR. SEC. SCH. MANDAWARI TEHSIL BEGUN DIST CHITTORGARH	schoolmandawari@gmail.com	UMESH CHAND	9672922869
53	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEGHNIWAS (08290322902)	V/P-MEGHNIWAS, BLOCK-BEGUN, TH.-RAWATBHATA, DIST.-CHITTOR GARH, RAJ.	gssmeghniwas123@gmail.com	JITENDRA KUMAR MATHUR	9829170391
54	21183,GHSS, MEGHPURA (08290306401)	MEGHPURA	gsssmeghpura@gmail.com	VISHNU TRIVEDI	9929376036
55	GOVT. HR . SEC. SCH. MOTIPURA (08290300503)	MOTIPURA	gsss.mtr@gmail.com	RAMVEER SINGH	9414608007
56	21351, GHSS NANDWAI (08290316301)	GOVT SENI. SEC. SCH. NANDWAI Teh. Begun Dist -Chittorgarh	gssnandwai@gmail.com	SHRI MOHAN LAL REGAR	9460364357
57	21378, GHSS BEGUN (08290327503)	GOVT HIGHER. SEC. SCHOOL BEGUN (CHAPRA) Teh Begun Dist .Chittorgarh	nodalbegun9021@gmail.com	KAILASH CHAND GUPTA	9414401028
58	GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL BUS STAND BEGUN (08290325801)	BUS STAND BEGUN Teh - begun Dist-Chittorgarh	principalbusstandbegun@gmail.com	DAULATRAM DHAKAR	9414401028
59	GOVT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL BEGUN (08290327401)	GOVT GIRL HIGHER SECONDARY SCHOOL BEGUN	gghss.begun@gmail.com	DINESH CHANDRA PARASHAR	9414730724
60	GOVT.HR.SEC.SCHOOL PARSOLI (08290302901)	PARSOLI Teh- Begun Dist- Chittorgarh	nodalbegun9022@gmial.com	DINESH CHANDRA DIDWANIYA	9799987381
61	GOVT.GIRLS SECONDARY SCHOOL PARSOLI (08290302902)	PARSOLI	ggssparsoli@gmail.com	LAXMI NARAYAN DASHORA	9461517263

62	21204, GHSS RAJGARH (08290303301)	GOVT HR.SEC. SCH. RAJGARH Teh- Begun Dist- Chittorgarh	govtsssrajgarh@gmail.com	JEEVA RAM YADAV	9269566548
63	27764, GHSS SUWANIYA (08290321503)	SUWANIYA (BEGUN)	suwaniyagss@gmail.com	RAM KHILADI MEENA	9460578815
64	21233-AD. GOVT SR. SEC. SCH. RAWARDA (08290313404)	RAWARDA	gsssrawarda@gmail.com	MANOJ KUMAR SHARMA	9929428523
65	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL RAYTA (08290313701)	RAYATA	gsssrayatabegun@gmail.com	Madan Mohan Gautam	9413859397
66	AD GOVT.H.SEC.SCHOOL SADI (08290309501)	AD GOVT.H.SEC.SCHOOL SADI Teh - Begun Dist- Chittorgarh	gssssadibegun@gmail.com	suresh chand sharma	9828886832
67	GOVT SEC. SCH. TARAPIPLI (08290309801)	GOVT SEC. SCH. TARAPIPLI	gsstarapeepli@gmail.com	SHRI VIKRAM SINGH GURJAR	9929408011
68	GOVT HR SECONDARY SCHOOL SAMARIYA KHURD (08290317201)	GOVT.HR SECONDARY.SCHOOL SAMRIYA KHURD Teh - Begun Dist - Chittorgarh	gssssamriyakhurd2@gmail.com	CHHOTU LAL DHAKER	9828661382
69	GOVT .SEC. SCH. SAMRIYA KALAN (08290317101)	GOVT SEC. SCH. SAMRIYA KALAN Teh . Begun Dist .Chittorgarh	gsssamriyakalan@gmail.com	PUSHPA ARORA	9460350140
70	G. HR -SEC.SCH- THUKRAI (08290309101)	THUKRAI	gssthukrai@gmail.com	SHOBHA LAL LAKHARA	9460354315
71	21316, GHSS AKOLA KALA (08290906901)	AKOLA KALA Teh- BHADESAR Dist- CHITTAURGARH	gsssakolakalan@gmail.com	OM PRAKASH MENARIYA	9929314615
72	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL AAKYA (08290907501)	VPO AAKYA TEH. BHADESAR DIST CHITTORGARH	gsss.aakya.123@gmail.com	KAMAL KISHOR KABRA	9602167432
73	GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL GANTHERI (08290907801)	AAKYA	gssgantheri13@gmail.com	GANESH LAL PAREEK	9413977556
74	21201, GHSS ASAWARA (08290909802)	GOVT. HR.SEC.SCHOOL ASAWARA, Teh- BHADESAR, Dist-	gssaswara@gmail.com	Govind Ram Sharma	9982846583

		CHITTAURGARH			
75	GOVT. HR.SEC.SCHOOL BAGUND (08290913901)	GOVT. HR.SEC.SCHOOL BAGUND TEH. BHADESAR	gsssbagund@gmail.com	PARAS MAL SONI	9829728676
76	21360, GHSS BANSEN (08290908108)	GOVT.Sr.SEC.SCHOOL BANSEN TEH. BHADESAR dist. CHITTORGARH	nodalbhadesar9033@gmail.com	PROMOD KUMAR DASHORA	9887210841
77	GOVT. G.S.SEC.SCHOOL BHADESAR (08290904606)	BHADESAR	ggsssbhadesar01@gmail.com	PRINYANK CHHIPA	8696343813
78	SH.M.L.V.GOVT.S.SEC.SCHOOL BHADESAR (08290904613)	BHADESAR DIST. CHITTORGARH	nodalbhadesar9031@gmail.com	MADAN LAL PADIYAR	9460889337
79	21136, GGHSS BHADSODA (08290908412)	GOVT. GIRL .HR.SEC.SCHOOL BHADSODATEH. BHADESAR DIST. CHITTORGARH	ggssbhadsoda@gmail.com	MADHU BALA JAIN	9414736395
80	GOVT. .HR.SEC.SCHOOL BHADSODA (08290908413)	GOVT. .HR.SEC.SCHOOL BHADSODA Teh-BHADESAR d. Chittorgarh	nodalbhadesar9032@gmail.com	Umesh Khatik	9413895987
81	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, BHALUNDI (08290911801)	BHALUNDI	gss.bhalundi@gmail.com	janak singh	9875244485
82	30127,GSS AGORIYA (08290905701)	DHIRJI KA KHADA	gssagoriya2013@gmail.com	SURESH CHANDRA SHARMA	9413716583
83	GOVT. SHR.EC. SCHOOL DHIRJI KA KHERA (08290904901)	GOVT. SHR.EC. SCHOOL DHIRJI KA KHERA Teh - BHADESAR Dist-CHITTAURGARH	gssdheerjikakhera123@gmail.com	ramesh chandra choudhary	9460936067
84	GOVT.HR.SEC. SCHOOL GARDANA (08290911101)	GARDANA	gsssgardana@gmail.com	SATYAVEER	9413822101
85	GOVT. G. SEC.SCHOOL KANNOJ (08290908502)	GOVT. G. SEC.SCHOOL KANNOJ Teh - BHADESAR Dist-CHITTAURGARH	gsskannoj02@gmail.com	ganesh lal khatik	9828740200

86	GOVT. S.SEC.SCHOOL KANNOJ (08290908503)	GOVT. S.SEC.SCHOOL KANNOJ	nodalbhadesar9034@gmail.com	RATAN LAL	9784320246
87	GOVT. SEN.SEC. SCHOOL SONIYANA (08290915501)	KANTHARIYA	gssssoniyana2004@gmail.com	NANAG RAM KOLI	9784227519
88	27774,GHSS KAREDIYA (08290916101)	GOVT. Hr.SEC. SCHOOL KAREDIYA TEh. BHADESAR	gssskarediya@gmail.com	NARU LAL REGAR	9784157985
89	21366,GHSS KHODIP (08290902103)	GOVT. S.SEC.SCHOOL KHODIP TEH. BHADESAR	gssskhodip@gmail.com	SHIVKUMAR SHARMA	9413129791
90	GHSS KUNTHANA (08290901503)	GOVT. SR. SEC. SCHOOL KUNTHNA TEH. BHADESAR	govtsskuthna@gmail.com	Mahavir Prasad Toonwal	9414451881
91	GOVT.SR. SEC. SCHOOL LESVA (08290902601)	GOVT.SR. SEC. SCHOOL LESVA TEH. BHADESAR	gssslesva@gmail.com	CHANDESHWAR SINGH	9680324787
92	GOVT. G.SEC..SCHOOL MANDFIYA (08290900903)	GOVT. G.SEC..SCHOOL MANDFIYA TEH. BHADESAR	ggssmandfiya@gmail.com	MAHESH KUMAR GEHLOT	9950423332
93	21381, GHSS MANDFIYA (08290900912)	MANDFIYA	ictexamghmandphcorudp@gmail.com	BHAGA LAL MEGHWAL	9549229731
94	GOVT. HR.SEC. SCH. NAHARGARH (08290913001)	GOVT. HR.SEC. SCH. NAHARGARH TEH. BHADESAR	ghssnahargarh89@gmail.com	BHAGWAN LAL REGAR	9413790214
93	GOVT. SR. SEC. SCHOOL NANNANA (08290903701)	NANNANA BLOCK-BHADESAR Dist-CHITTAURGARH	gssnannana@gmail.com	SARFARAJ MANSURI	9799208661
94	GOVT. HR. SEC.SCHOOL NAPANIYA (08290900101)	NAPANIYA TEH. BHDESAR	gssnapaniya@gmail.com	SHYAM LAL LUHADIYA	9413275373
95	GOVT.AD.SR.SEC.SCHOOL NAPAVALI (08290910301)	GOVT.AD.SR.SEC.SCHOOL NAPAVALI TEH. BHADESAR	gssnapawali@gmail.com	DASHRATH SINGH RATHORE	9413460761
96	GOVT. AADARSH SR. SEC. SCHOOL PIPALWAS (08290903201)	PIPALWAS	pipalwasc@gmail.com	SHAMBHU DAYAL KALAL	9414558602
97	GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL DHANET (08290909101)	VILL - DHANET, TEH. - BHADESAR, DIST - CHITTAURGARH	gss.dhanet@gmail.com	OMPRAKASH MEHTA	9828404630

98	31024, GHSS POTLA KALA (08290908801)	GOVT. HR.SEC. SCHOOL POTLA KALA	gsspotlakala@gmail.com	TEJKARAN SHARMA	9588810915
99	GOVT. SR. SEC. SCHOOL KANTHARIYA (08290915202)	GOVT.SR.SEC. SCHOOL KANTHRIYA TEH. BHADESAR DIST. CHITTORGARH	govt.asecskanthariya@gmail.com	PRAKASH CHANDRA SHARMA	9414735093
100	GOVT. HR.SEC.SCH. REVLIYA KHURD (08290914601)	GOVT. HR.SEC.SCH. REVLIYA KHURD TEH. BHADESAR	hmgssrewliyakhurd@gmail.com	MAHESH KUMAR	9413894154
101	GOVT.SEC. SCHOOL PANCHDEVLA (08290906102)	SUKHWARA	govtsspanchdevla15@gmail.com	MANGI LAL BHIL	9680398013
102	GOVT.SR. SEC.SCHOOL SUKHWARA (08290906001)	GOVT.SR. SEC.SCHOOL SUKHWARA Teh-BHADESAR Dist-CHITTAURGARH	gassukhwara@gmail.com	NAV KUMAR DASHORA	9413716932
103	21362, GHSS BADODIYA KUNDAL (08290405707)	Adarsh GOVT.HR.Sec.Sch. BARODIYA (Kundal) Teh-BHAINSROADGARH Dist-CHITTAURGARH	gssbarodiakundal@gmail.com	PUSHPENDRA SINGH GAUR	9024495891
104	27765,GSSS BADOLIYA (08290404304)	VILL- BADOLIYA, TEH-RAWATBHATA, DISTT-CHITTAURGARH	badoliya27765@gmali.com	ANJU JAIN	9413513499
105	ADARSH G.H.S. SCHOOL BALKUNDI KALA (08290413105)	AD GOVT SR.SEC.SCH. BALKUNDI KALA	gsssbalkundikala@gmail.com	RAMKESH MEENA	9887453984
106	GOVERMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL BARKHEDA (08290409504)	GOVT. HR.SEC.SCH. BARKHEDA Teh. BHAINSROADGARH Dist. Chittorgarh	gssbarkhera6@gmail.com	KAILASH CHANDRA DASHORA	9413942811
107	GOVERMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL JAWAHAR NAGAR (08290421305)	GOVT SR. SEC. SCH. JAWAHAR NAGAR	gsssjwrngr@gmail.com	BALBIR SINGH	9414510082
108	GGHSS BHENSROAD GARH (08290403315)	GGHSS BHENSROAD GARH Teh BHAINSROADGARH Dist Chittorgarh	ictexamghsbsrcorudp786@gmail.com	SALMA SAYYED	7297891509
109	GHSS BHAINSROADGARH (08290403316)	G.H.SEC.SCH. BHAINSROADGARH Teh RAWATBHATA	ghssbhainsroadgarh@gmail.com	ARJUN SINGH SHAKTAWAT	9785121365

		Dist Chittorgarh			
110	21396 G.GH.SEC. RAWATBHATA - 24 (08290423202)	G.GH.SEC. RAWATBHATA - 24 Teh- BHAINSROADGARH Di.-CHITTAURGARH	nodalbhainsroadgarh9042@gmail.com	GIRISH KUMAR TIWARI	9460925971
111	KAJODIMAL PARASMAL 1\SHARMA G.H.S.S. BORAV (08290401001)	BORAV Teh RAWATBHATA Dist Chittorgarh	nodalbhainshroadgarh9043@gmail.com	Satto Lal Gupta	9521427601
112	GOVERMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL DEVPURA (08290413905)	G.H.S. SCHOOL, DEVPURA ,	gsssdevpura1@gmail.com	ASHU KUMAR	9602698636
113	GHSS DHANGADMOUKALAN (08290401203)	DHANGADMOUKALAN	gsssdhangadmoukalan123@gmail.com	VINOD KUMAR TYAGI	9001183215
114	GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL GOPALPURA (08290401903)	G.P. GOPALPURA P.S.BHAINSROADGARH TAHSIL- RAWATBHATA DISTRICT- CHITTORGARH	gssgopalpura707@gmail.com	SHIV CHARAN MEENA	9602221966
115	21247, GHSS DHAWADKALA (08290407202)	GOVT. HIGHER SEC.SCH DHAWAD KALA BLOCK - BHAINSROADGARH Dist Chittorgarh	ghssdhavadkala@gmail.com	KAMAL KANT MISHRA	9414940698
116	21197, GSS LADPURA (08290407101)	GOVT.SECONDARY SCHOOL- LADPURA BLOCK - BHAINSROADGARH Dist- Chittorgarh	gssladpurakundal@gmail.com	BAJRANGLAL MEENA	9829912312
117	G H S S JALKHEDA (08290406901)	JALKHEDA	gssjaalkhera@gmail.com	BHOOPENDRA SINGH	9413113842
118	GHSS JHARJHANI (08290406401)	GOVT.HIGHERSECONDARY SCHOOL- JHARJHANI BLOCK- BHAINSROADGARH Dist Chittorgarh	gsssjharjhani4@gmail.com	RAJBIRI DEVI	9460679431
119	GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL BASSI (08290415701)	BASSI	gssbassi1@gmail.com	MOINUDDIN KADRI	9414682202
120	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL JAWADA	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL	gsssjawadanimar	KAMAL SINGH	7597397481

	(08290415601)	JAWDA Teh-BHAINSROADGARH Dist- CHITTAURGARH	i@gmail.com	YADAV	
121	32729, GSSS, JHALAR BAWDI (08290404701)	JHALARBAWDI	gsssjhalarbawadi123@gmail.com	KAILASH CHAND MEENA	9414669486
122	GHSS- KHATIKHERA (08290407801)	KHATIKHERA	ghsskhatikhera@gmail.com	Upma Tyagi	8094508622
123	27767, GHSS LUHARIYA (08290420602)	LUHARIYA ps BHAINSROADGARH Dist Chittorgarh	gssluhariya7482@gmail.com	ASHOK KUMAR JAIN	9414595084
124	GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL MANDESRA (08290418401)	G.AD.HR.SEC.S. MANDESRA Teh-RAWAT BHATA Dist-CHITTAURGARH	ghssmadesra@gmail.com	Sitaram Goyal	9352577964
125	GOVT SECONDARY SCHOOL RAWATBHATA BAZAR (08290422201)	GOVT SECONDARY SCHOOL RAWATBHATA BAZAR, TEHSIL-RAWATBHATA,	gssrawatbhatabazar@gmail.com	Shambhu Lal Dashora	9460079178
126	21380, GHSS RAWATBHATA (08290428701)	GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL RAWATBHATA Teh-BHAINSROADGARH Dist- CHITTAURGARH	nodalbhainsroadgarh9041@gmail.com	DINESH KUMAR SHARMA	8107912939
127	21249, GHSS RAJPURA (08290417002)	RAJPURA	gssrajpura@gmail.com	RAM VEER SINGH	9414186316
128	GHSS EKLING PURA (08290409001)	EKLINGPURA	ghsseklingpura@gmail.com	KANWAR LAL MALAV	9413108333
129	GHSS, REN KHEDA (08290408203)	GHSS REN KHEDA P.S.-BHAINSROADGARH Dist Chittorgaeh	gssrenkhera@gmail.com	MAYA BADOLIA	8094375777
130	G H S S SHREEPURA (08290402802)	Govt.. Hr. Sec. School Shripura WARD-8	gssshripuraschool@gmail.com	ONKAR LAL VAISHNAV	9414940632
131	GOVT. SECONDARY SCHOOL TAKARDA (08290400703)	GOVT. SECONDARY SCHOOL TAKARDA, Teh-BHAINSROADGARH, Dist - Chittorgarh	gsstakrda@gmail.com	JAGDISH CHANDRA JAT	9414733953
132	GOVERMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL TAMBOLIYA (08290400101)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TAMBOLIYA, TEH-RAWATBHATA,	gsstamboliya@gmail.com	ROOP SINGH	9414654170

		BLOCK-BHAINSROADGARH, DISTT-CHITTORGARH			
133	GHSS TOLU KA LUHARIYA (08290416102)	TOLO KA LUHARIYA	principalgssstkl@gmail.com	PRADEEP KUMAR SHARMA	9461578117
134	GOVT.G.H.SEC.SCHOOL AAKOLA (08290703815)	GOVT.G.H.SEC.SCHOOL AAKOLA TEh BHOPAL SAGAR Di-CHITTAURGARH	ggss.akolla1@gmail.com	SMT BELA AGRAWAL	9460633067
135	GHSS AKOLA (08290703824)	GHSS AKOLA Teh BHUPAL SAGARDist. Chittorgarh	nodalbhupalsagar9052@gmail.com	NARENDRA SINGH CHOUHAN	9462079227
136	G.S.S.SCHOOL ANOPPURA,TEH.-BHUPAL SAGAR, DIST-CHITTORGARH (08290700103)	GOVT.HR .SEC.SCHOOL ANOPPURA, Teh - BHOPALSAGAR ,Dist - Chittorgarh	gssanoppurabhupalsagar@gmail.com	RAJENDRA PRASAD JAIN	9413228632
137	GOVT.HR.SEC.SCHOOL BABRANA (08290704404)	GOVT.HR.SEC.SCHOOL BABRANA,	ghssbabrana@gmail.com	RATAN LAL JAT	9929379481
138	GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL BHUPALNAGAR,DIST-CHITTORGARH (08290704005)	GOVERMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL BHUPALNAGAR ,TEHSIL-BHOPALSAGAR,DISTRICT-CHITTORGARH	gsssbhupalnagar@gmail.com	VIKASH CHANDRA JAIN	9413616117
139	GOVERNMENT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL BHUPALSAGAR (08290703505)	GOVERNMENT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL BHUPALSAGAR, TEHSIL-BHUPALSAGAR,DISTRICT-CHITTORGARH	gghssbhupalsagar@gmail.com	CHANDAN BALA PAREEK	9461140635
140	GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL BHUPALSAGAR (08290703509)	GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SECHOOL BHUPALSAGAR,TEHSIL-BHUPALSAGAR,DISTRICT-CHITTORGARH	nodalbhupalsagar9051@gmail.com	KISHAN LAL GADRI	9982501770
141	GOVT. HR.SECONDRY SCHOOL BOOL (08290706702)	BOOL	www.govtsecschoolbool@gmail.com	SHAMBHU DAYAL SHARMA	9928997038

142	GOVT SENIOR SECONDARYSCHOOL CHORWADI (08290705702)	GOVT.SEC.S. CHORWADI Teh - BHOPAL SAGAR Di-CHITTAURGARH	gssschorwadi@gmail.com	Kanhaiya Lal Menaria	9829193282
143	GOVERMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL FALASIYA (08290702305)	GOVERMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL FALSIYA,TEHSIL-BHUPALSAGAR,DISTRICT-CHITTORGARH	gsssfalasiya@gmail.com	DURGA REGAR	9950907959
144	GOVT. HR . SEC. SCHOOL , GUNDLI (08290704702)	GOVT.HR .SEC.SCHOOL , GUNDLI TEHSIL- BHOPAL SAGAR DIST. - CHITTORGARH (RAJ.)	gsssgundli@gmail.com	JAGDISH LAL KHATOD	9460729767
145	GOVT.GIRLS SEC.SCHOOL JASHMA (08290701603)	GOVT.GIRLS SEC.SCHOOL JASMA Teh- Bhupalsagar Dist-Chittorgarh	govtgsjashma@gmail.com	GHANSHYAM LAL VIJAYVARGIY	9829629292
146	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL JASHMA (08290701604)	GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL JASHMA TEH - BHOPALSAGAR DIST-CHITTOR GARH	govt.hssjashma@gmail.com	MUKESH CHANDRA SUKHWAL	9928512801
147	GOVT.M.S.C.G.S.SEC.SCHOOL KANKRAWA (08290702806)	GOVT.M.S.C.A.G.S.SEC .SCHOOL KANKRAWA, Teh - Kapasan Dist-Chittorgarh	mdsghsskankrava@gmail.com	TAJ MOHMMED RANGREZ	9636591956
148	GOVT.SEC.SCHOOL DEVDO KA KHEDA (08290701401)	KANAKHEDA	gssdevdokakheda@gmail.com	SATAYANARAYAN UPADHAYA	9460608422
149	GOVT.AADRASH HR. SEC.SCHOOL KANAKHEDA (08290700802)	kanakheda	govtsskanakheda@gmail.com	BABU LAL MEENA	9950896566
150	GOVT. HR. SEC. SCHOOL KANAR KHEDA (08290707603)	GOVT. HR. SEC. SCHOOL KANAR KHEDA	gsskanarkheda@gmail.com	MUSTAK AHAMAD SHAH	9928673196
151	GOVT. HR .SEC. SCHOOL MURLA (08290706002)	GOVT. HR .SEC. SCHOOL MURLA, Teh Bhopal Sagar , Dist - Chittorgarh	gssmurla.2014@gmail.com	VINOD KUMAR JAIN	8441017728
152	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL NILOD (08290702905)	NILOD GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL	gssnilod@gmail.com	BABLI AGRAWAL	9462627221

		NILOD,TEHSIL-BHUPALSAGAR,DISTRICT-CHITTORGARH,RAJASTAHAN			
153	GOVT. HR.SEC. SCHOOL PARI (08290703110)	GOVT. HR.SEC. SCHOOL PARI , Teh - BHUPALSAGAR Dist- Chittorgarh	gsspari283@gmail.com	KAILASH CHAND MEENA	9461577315
154	GOVERMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL PATOLIYA (08290707203)	PATOLIYA	gsspatoliya101@gmail.com	JAGDISH CHANDRA DWIVEDI	9414620777
155	GOVT.GIRLS SEC. SCHOOL TANA (08290705202)	GOVT.GIRLS SEC. SCHOOL TANA Teh- Kapasan Dist - Chittorgarh	govtgsstana2202@gmail.com	Nathu lal Menaria	9680398013
156	GOVT. HR.SEC.SCHOOL TANA (08290705204)	GOVT.HR.SEC.SCHOOL TANA Teh - KApasan Dist- Chittorgarh	gssstana2016@gmail.com	JEETMAL JAT	9928501361
157	GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL LUNERA (08290702002)	GOVERMENT SECONDARY SCHOOL LUNERA,TEHSIL-BHUPALSAGAR,DISTRICT-CHITTORGARH	gsslunera@gmail.com	CHHAGAN LAL DHOBI	6377747941
158	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL USROL (08290701801)	GOVERMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL USROL,TEHSIL-BHUPALSAGAR,DISTRICT-CHITTORGARH	gsssusrol67@gmail.com	ASHOK KUMAR REGAR	9929217472
159	GOVT.SR.SEC. SCHOOL ABHAYAPURA (08290506701)	GOVT.SR.SEC. SCHOOL ABHAYAPURA Teh & Dist- CHITTORGARH	abhaypuragsss123@gmail.com	SHYAMLAL KHATIK	9414146880
160	GOVT.SR.SEC.SCHOOL AMARPURA (08290510004)	post-AMARPURA Teh-CHITTORGARH Distt-CHITTORGARH	amarpurag85@gmail.com	ghanshyam lal suthar	9461635451
161	GOVT.SEC. SCHOOL PALCHA (08290511402)	Vellege-palcha post-AMARPURA Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	gsspalcha001@gmail.com	JAGDISH CHANDRA BHATT	9414734960
162	21347, GHSS VIJAYPUR (08290511701)	VIJAYPURA	ghssvijaipur121@gmail.com	gyan mal khatik	9929232663

163	GGSS VIJAYPUR (08290511702)	VIJAIPUR	ggssvijaipur123@gmail.com	MANGI LAL BALAI	9950444067
164	GHSS ARNIYAPANTH (08290513206)	ARNIYAPANTH Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	ghssarniyapanth@gmail.com	RENU SOMANI	9460936005
165	29296, GSS BAMNIYA (08290514001)	BAMNIYA	bamniya.cor@gmail.com	VIVEK CHANDRA SHARMA	9413790008
167	GOVT.ADARSH.HIGH. SECONDRY SCHOOL AUDUND (08290518605)	AUDUND TEHSIL-CHITTORGARH DISTT-CHITTORGARH	principalgsssodund@gmail.com	KAILASH CHANDRA KALANTRI	9460324675
168	21153, GHSS ANWALHEDA (08290501401)	GHSS ANWALHEDA Teh.&Dist-CHITTORGARH	gsssaanwalheda@gmail.com	RAMESHCHANDER PUROHIT	9461465966
169	21215, GHSS BADODIYA (08290521201)	BADODIYA Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	gsssbarodiya21215@gmail.com	MITHU LAL PUROHIT	9950268862
170	21387, GHSS BASSI (08290522815)	BASSI Teh-CHITTORGARH Distt-CHITTORGARH	nodalchittorgarh9066@gmail.com	NIRMALA SHARMA	9413300051
171	GOVT. SR.SEC.SCH . CHIKSI (08290515202)	GOVT. SR.SEC.SCH . CHIKSI Teh & Dist CHITTORGARH	secondaryschoolchiksi@gmail.com	SATYA NARAYAN LAXKAR	9468659799
172	GOVT. SR. SEC.SCHOOL DEVRI (08290515904)	DEVRI Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	subnodal.devari@gmail.com	CHHAGAN LAL DHAKAR	9928171725
173	GOVT.SEC. SCHOOL DAGLA KA KHEDA (08290518203)	G.S.S. DAGLA KA KHEDA Teh& Dist - CHITTORGARH	gssdaglakakhera123@gmail.com	SANJIDA SAIYED	9214462320
174	21365, GHSS DHANETKALAN (08290518001)	PO.- DHANETKALA Teh- CHITTORGARH Distt- CHITTORGARH	gsssdhanetkalan@gmail.com	CHANDRA SHEKHAR TRIPATHI	9829479206
175	GOVERNMENT GIRLS SECONDARY SCHOOL DHANET KALA(224317) (08290518002)	VILL - DHANET, TEH. - CITTORGARH, DIST - CHITTAURGARH		vinay joshi	9414313022
176	27750, GHSS GHOSUNDI (08290501703)	Gram panchayat GHOSUNDI Teh. & Dist -CHITTORGARH	susheelsankhla211@gmail.com	SUSHEEL KUMAR SANKHLA	9413866783
177	30133,GSS NEGDIYA KALAN (08290502101)	NEGADIYA KALAN Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH -	gssnegdiyakalan@gmail.com	ASHOK KUMAR KHATWANI	9413420555

		312022			
178	21161, GHSS AERAL (08290503901)	AIRAL Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	gssairal@gmail.com	AMRIT LAL CHANGERIYA	9413180558
179	GOVT.SECONDARY SCHOOL, KHERI (08290504001)	GOVT.SECONDARY SCHOOL KHERI Teh & Dist - CHITTORGARH	kherigss@gmail.com	OM PRAKASH GOKHAROO	9829928525
180	21341, GHSS GHATIYAWALI (08290504601)	GHATIYAVALI Teh-CHITTORGARH Distt-CHITTORGARH	hssghatiyawali@gmail.com	SHARDA SHARMA	9413162113
181	GOVT GIRLS SEC. SCHOOL GHATIYAWALI (08290504602)	घटीयावली	govtgirlssec.schoolgatiyawali@gmail.com	JAGDISH CHANDRA TAILOR	9413274525
182	GOVT.AADARSH SR.SEC SCH.GHOSUNDA (08290518401)	GOVT.SR.SEC SCH.GHOSUNDA Teh & Dist - Chittorgarh	gsssghosunda@gmail.com	SURYA PRAKASH PATHAK	9414374362
183	GOVT.SR.SEC. SCHOOL GILUND (08290504701)	GILUND Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	pringilund@gmail.com	BARMESHWAR PANDAY	9414289552
184	30125, GSS BILODA (08290513001)	JALAMPURA	sec.biloda789@gmail.com	DEVENDRA KUMAR POKHARNA	9460608856
185	27743, GHSS JALAMPURA (08290512702)	JALAMPURA TEH-CHITTAURGARH DISTT-CHITTAURGARH	govtss.jalampura@gmail.com	JABBAR KHAN	9587854713
186	GOVT. ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL KASHMOR (08290518904)	KASHMOR Teh & Dist CHITTORGARH	subnodal.kashmor@gmail.com	NARENDRA KUMAR GADIYA	9928123210
187	GOVT. ADARSH SR.SEC. SCHOOL KELJAR (08290508603)	KELJAR	ghss.keljar@gmail.com	SARITA KUMAWAT	9460091852
188	GOVT SECONDARY SCHOOL BILIYA (08290502501)	nagri	gups@biliya@gmail. COM	AJIJUR REHMAN	8696345744
189	GOVT. ADRSH SR.SEC.SCH. NAGARI (08290502301)	NAGARI Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	gsssnagri1987@gmail.com	SAVITRI NAGAR	9079067787
190	GOVT.AD.SR.SEC.SCHOOL, NARELA (08290520201)	GOVT.AD.SR.SEC.SCHOOL NARELA ,Teh &Dist - CHITTORGARH	principal.narela@gmail.com	SUBHASH CHANDRA SHARMA	9460606548

191	G.SEC SCHOOL BHERU SINGH KA KHEDA (08290503601)	NETAWAL GARH PACHHLI Teh & Dist CHITTORGARH	gssbherusk@gmail.com	KALU LAL HAJURI	9460972972
192	30130, GSS GADHWADA (08290503701)	NETAWAL GADHPACHHALI Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	gadhwadagss156@gmail.com	VINOD TALESARA	9414396098
193	21262, GHSS NETAWAL GADH PACHLI (08290503403)	NETAWALGARH PACHHALI Teh-CHITTORGARH Distt-CHITTORGARH	ghssngp@gmail.com	GAYATRI MISHRA	9460606656
194	GOVT.SR.SEC. SCHOOL NETAWAL MAHARAJ (08290519807)	GOVT.SR.SEC.SCH.NETAWAL MAHARAJ Teh-CHITTORGARH Distt-CHITTORGARH	govtss.netawal@gmail.com	DINESH KUMAR MEENA	9950143028
195	GOVT. PURUSHARTHI.SR.SEC.SCHOOL CHITTORGARH (08290524708)	GOVT. PURUSHARTI.SR.SEC.SCHOOL CHITTORGARH	nodalchittorgarh9062@gmail.com	SHAMBHU LAL BHATT	9414734598
196	21391, GGHSS, STATION, CHITTORGARH (08290525502)	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCHOOL -STATION TEh & Dist- CHITTORGARH	nodalchittorgarh9065@gmail.com	JAYARANI RATHORE	9928406827
197	21386, GHSS SENTHI (08290525410)	SENTHI COR	nodalchittorgarh9063@gmail.com	GOVERDHAN SINGH PANWAR	8107694523
198	SAHID MAJOR NATWAR SINGH SHAKTAWAT GOVT. SEN.SEC. SCHOOL CHITTAURGARH(RAJASTHAN) (08290523504)	SAHID MAJOR NATWAR SINGH SHAKTAWAT GOVT.SEN.SEC. SCHOOL CHITTAURGARH(RAJASTHAN)	nodalchittorgarh9061@gmail.com	GANESH LAL PURBIYA	9413403467
199	GOVT SECONDARY SCHOOL BHOI KHEDA (08290523901)	BHOI KHEDA	gss.bhoikhera@gmail.com	FATEH SINGH DEVPURA	9950671087
200	GOVERNMENT ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL OCHHARI (08290512401)	AUCHADI Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	gssochri@gmail.com	ANURADHA ARYA	9414732297
201	21392 GGHSS BASSI (08290521802)	G.G.S.S.S BASSI Teh & Dist -CHITTORGARH	ggsssbassi21392@gmail.com	KRISHNA MORODIA	9530031981
202	G. Aad.Sen.Sec.School Paal (08290507902)	PAAL Teh-CHITTAURGARH Distt-	gsspaal@gmail.com	SURESH CHANDRA	9929957196

		CHITTAURGARH		KHATIK	
203	27744 GHSS PALKA (08290500101)	PALKA Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	gsspalka090@gmail.com	BANSHI LAL MEENA	8890593665
204	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL MATAJI KI PANDOLI (08290520701)	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL MATAJI KI PANDOLI, Teh & Dist - CHITTORGARH	gssssmatajikipandoli@gmail.com	LEELA CHATURVEDI	9829029763
205	GHSS ROLAHEDA (08290520906)	ROLAHEDA Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	govtssrolahera@gmail.com	MAHESH KUMAR YADAV	6375175853
206	21191,GHSS SADI (08290506301)	G.SR.SECONDARY SCHOOL SADI Teh & Dist CHITTORGARH	gsssadicor@gmail.com	DEEPAK KUMAR MEENA	9672222779
207	GOVT. SR.SEC. SCHOOL SEMLIYA (08290517502)	GOVT. SR.SEC. SCHOOL SEMLIYA Teh&Dist - CHITTORGARH	govtsrsemliya@gmail.com	MANOJ KUMAR VYAS	9829778277
208	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAHANVA (08290517201)	SAHANVA	subnodal.sahanva@gmail.com	SUNITA MEENA	9785406482
209	30126, GSS CHOUTHPURA (08290517701)	SEMLIYA	govtss.chothpura@gmail.com	DINESH KUMAR SAHLOT	9460710954
210	GHSS SAMRI (08290514101)	SAMRI	principalsamri54@gmail.com	ISHAQ AHMED	9413460113
211	GOVT. SR.SEC. SCHOOL SATPURA (08290516504)	VILLAGE:SATPURA, VIA/POST :GHOSUNDA, DIST: CHITTORGARH, RAJ.	govtss.satpura@gmail.com	MOOL SINGH CHOUHAN	9929244384
212	21324, GGHSS SAWA (08290515102)	SAWA Teh &Dist - CHITTORGARH	gghs.sawa@gmail.com	ABHA MEHTA	9413813255
213	GOVT. HR.SEC. SCHOOL SAWA (08290515120)	GOVT. HR.SEC. SCHOOL SAWA Teh & Dist - CHITTORGARH	ghsssawa@gmail.com	POONAM CHOUDHARY	7597960753
214	GHSS SEMALPURA (08290502701)	SEMALPURA Teh-CHITTAURGARH distt-CHITTAURGARH	govtssaml@gmail.com	RAJESH KUMAR TAILOR	9414396318
215	30131, GSS SEGWA	SEGWA Teh-CHITTAURGARH Distt-	gsssegwa@gmail	CHANDRA SHEKHAR	8764140289

	(08290517601)	CHITTAURGARH	.com	SHARMA	
216	GSS PATNIYA (08290513701)	SHAMBHUPURA	gsspatniya770@gmail.com	SUSHIL KUMAR LASOD	9983023770
217	21242, GASSS SHAMBHUPURA (08290513609)	GOVT.AD.S.SECONDARY SCHOOL SHAMBHUPURA Teh & Dist- CHITTORGARH	gss.shambhupura@gmail.com	YUGAL KISHORE SHARMA	9460058701
218	GHSS SONAGAR (08290500602)	GHSS SONAGAR Teh & Dist- CHITTAURGARH	ghsssonagar@gmail.com	PRADEEP KUMAR TIWARI	9461621161
219	30122, GSS PUROHITO KA SAWTA (08290519501)	TUMBDIYA	govt.sspks@gmail.com	SANDEEP LAWTI	9829518596
220	27746, GHSS TUMBDIYA (08290519403)	TUMBDIYA	govtsr.tumbadiya@gmail.com	SHAMBHU LAL SOMANI	9414734337
221	21238, GHSS UDPURA (08290504902)	UDPURA Teh-CHITTORGARH Distt-CHITTORGARH	gssudpura@gmail.com	RAM SAHAY MEENA	9799111696
222	21393,GGHSS CHITTORGARH (08290525014)	G.GIRLS SR.SEC.SCHOOL SHAHAR CHITTORGARH	nodalchittorgarh9064@gmail.com	PANKAJ SHARMA	9571444515
223	21196, GSS DURG CHITTORGARH (08290524801)	GOVT.SEC.SCHOOL DURG Teh & Dist CHITTORGARH	gssdurg@gmail.com	NATWAR LAL JAGETIYA	9928257423
224	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL CHANDERIYA (08290523801)	CHANDRIYA Teh-CHITTAURGARH Distt-CHITTAURGARH	sschanderiya@gmail.com	VINOD KUMARI	9414734785
225	GOVT. HR .SEC.SCH .AALOD (08290806501)	Aalod	ghssaalod@gmail.com	BASANT KUMAR	9680365796
226	27751, GSS MALUK DAS KHEDI (08290806603)	GOVT. SEC.SCHOOL MALUKDAS KI KHEDI	gssmdkhedi@gmail.com	KALURAM JAT	9828124505
227	GOVT. HR.SEC.SCHOOL ARNED (08290804001)	ARNED	hssarned123@gmail.com	CHHAGAN LAL PUROHIT	9982103637
228	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BADWAI (08290806001)	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BADWAI	gsssbadwai1857@gmail.com	OM PRAKASH VYAS	9928131388
229	GOVT.HR. SEC.SCHOOL BHATOLI BAGRIYAN (08290805503)	BHATOLI BAGaRIYAN	gssbhatolibagariyan@gmail.com	VIDHYA DHAR DASHORA	9829248582

230	GOVT. HR.SEC.SCHOOL BHATOLI GUJRAN (08290810004)	BHATOLI GUJRAN Teh -DUNGLA, Dist - Chittorgarh	ghssbhatoligujran@gmail.com	SUNITA KUMARI JINOLIA	9694627789
231	GOVT. HR.SEC.SCHOOL BILODA (08290802701)	GOVT. HR.SEC.SCHOOL BILODA	gsssbiloda@gmail.com	OM PRAKASH YADAV	9414638554
232	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL, BILOT (08290809101)	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL, BILOT	gsssbilot2014@gmail.com	ASHOK KUMAR CHECHANI	9829285010
233	GOVT.HR.SEC.SCHOOL CHIKARDA (08290803608)	GOVT.HR.SEC.SCHOOL CHIKARDA	ghsschikarda@gmail.com	CHAND MAL BUNKAR	9460972860
234	GOVT .HR. SEC.SCHOOL DELVAS (08290807501)	GOVT.HR. SEC.SCHOOL DELVAS	gsssdelwas@gmail.com	SHESH KARAN DAN CHARAN	8104131641
235	GOVT. SECONDARY SCHOOL, SETHVANA (08290807701)	DELWAS Teh-DUNGLA Distt-CHITTAURGARH	gsssethvana67@gmail.com	ANIL KUMAR JAROLI	9413046324
236	21399,GGHSS DUNGLA (08290803713)	GOVT. GIRLS HR.SEC.SCHOOL DOONGLA	nodaldungla9072@gmail.com	ASHA DAK	9460003479
237	GOVT. HR.SEC.SCHOOL. DOONGLA (08290803714)	DOONGLA	nodaldungla9071@gmail.com	HASINA BANU RANGREZ	9468580778
238	GOVT.HR. SEC.SCHOOL FALODRA (08290807001)	GOVT.HR. SEC.SCHOOL FALODRA	falodragss@gmail.com	HARI MOHAN MEENA	7568836988
239	21317,GHSS IDRA (08290802101)	IDRA	govt.secondaryidra@gmail.com	BHAN SINGH RAO	9460729822
240	GOVT.HR. SEC. SCHOOL KARSANA (08290805105)	GOVT.HR. SEC. SCHOOL KARSANA	gssskarsana850@gmail.com	SUBHASH CHANDRA BUNKER	9602539274
241	GOVT.HIGHER. SEC. SCHOOL KISHAN KARERI (08290808704)	KISHAN KARERI Teh-DUNGLA Distt-CHITTAURGARH	gsskishankareri@gmail.com	UDAI LAL MEGHWAL	9887534952
242	GOVT. SEC. SCHOOL NIMODRA (08290808901)	KISHANKARERI	gssnimodra@gmail.com	NAND LAL MEGHWAL	9928489210
243	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL- LOTHIYANA (08290800702)	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL-LOTHIYANA	gsslothiyana@gmail.com	BHAGWATI PRASAD	9460085776
244	GOVT SECONDARY SCHOOL SANGRIYA (08290801001)	LOTHIYANA	gsssangriya2018@gmail.com	sumati lal suthar	9799209896
245	GOVT. AADARSH HR.SEC.SCHOOL	GOVT. AADARSH HR.SEC.SCHOOL	ndungla9073@g	PANNA LAL	9460610680

	MANGALWAD (08290802501)	MANGALWAD	mail.com	SHARMA	
246	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL MORWAN (08290804401)	MORWAN TEH-DUNGLA DISTT-CHITTAURGARH	ghssmorwan1995@gmail.com	BHIM LAL MEGHWAL	7727066390
247	GOVT. HR. SEC.SCHOOL NADA KHEDA (08290801803)	NADA KHEDA Teh-DUNGLA distt-CHITTAURGARH	gssnadakheda@gmail.com	RAJENDRA KUMAR DESAI	8764018707
248	GOVT. HR. SEC.SCHOOL NANGAVLI (08290801101)	NANGAVLI	ghssnagawali2014@gmail.com	MADAN LAL NALWAYA	9414466448
249	27790,GSS HARIYA KHEDI (08290809802)	GOVT. SEC.SCHOOL HARIYA KHEDI Teh-DUNGLA Dist-CHITTAURGARH	mithulalsharma3@gmail.com	HEERA LAL CHANDRAWAT	9460040610
250	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL NEGADIYA (08290809601)	NEGADIYA	secschool.negadiya@gmail.com	VIRENDRA SINGH YADAV	9460345650
251	GOVT. HR.SEC. SCHOOL NOGANWA (08290810503)	GOVT. HR . SEC. NO GANVA Teh-DUNGLA Di-CHITTAURGARH	gsssnoganwa@gmail.com	SHANKER LAL JANGIR	9214923907
252	GOVT. H.SEC.SCH.PALOD (08290807805)	GOVT. H.SEC.SCH.PALOD Teh. Dungla Dist - Chittorgarh	ghsspalod@gmail.com	UDAI CHAND	9460982838
253	21310 GOVT. HR. SEC. SCHOOL PIRANA (08290803104)	GOVT. HR. SEC. SCHOOL PIRANA	gssspirana@gmail.com	KAILASH CHANDRA BHAND	9414832372
254	GOVT. SECONDARY SCHOOL, BHANPA (08290808601)	BHANPA Teh-DUNGLA Distt-CHITTAURGARH	bhanpab@gmail.com	JAGDISH CHANDRA MENARIYA	9571650137
255	GOVT.HR. SEC.SCHOOL RAVATPURA (08290808102)	GOVT.HR. SEC.SCHOOL RAVATPURA	gsssrawatpura1857@GMAIL.COM	manoj kumar yadav	7597258247
256	21173, GHSS SANGESRA (08290800101)	GOVT. ADARSH HIGHER SECONDARY SCHOOL SANGSERA	gssssangesara01@gmail.com	SATY NARAYAN PAREEK	9929818659
257	GOVT. HR. SEC. S. SEMLIYA (08290804904)	SEMLIYA	gssssemalia@gmail.com	SUSHILA GARWA	9784986991
258	21359, GHSS BORDA (08290208302)	GOVT.SEN.SEC.SCHOOL BORDA	ghssborda@gmail.com	Sheela Aameriya	9460438041

259	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, SADI ,GANGRAR (08290202904)	SADI,TEHSIL GANGRAR,DISTRICT-CHITTAURGARH	gssssadi21273@gmail.com	PRAMOD KUMAR BIJARNIA	9636466393
260	GOVT. SEN. SEC. SCHOOL CHOUGAWADI (08290200103)	GOVT. ADARSH SEN. SEC. SCHOOL CHOUGANWADI Teh GANGRAR di CHITTAURGARH	ictexamhschogacorudp@gmail.com	RAJENDRA SINGH RANAWAT	9829737105
261	27747,GHSS AJOLIYA KA KHEDA (08290206203)	GHSS AJOLIYA KA KHERA	ajoliyakakheda@gmail.com	SOHAN LAL CHOUDHARY	9928317499
262	GHSS BOLO KA SAWTA (08290209904)	BOLO KA SANWATA	gssbolokasanwta@gmail.com	Jyoti Swami	9468572444
263	GHSS BOODH (08290202307)	BUDH Teh-GANGRAR Distt- CHITTAURGARH	gsssbudh@gmail.com	DILIP KUMAR SHARMA	9636092118
264	30117,GSS STATION GANGRAR (08290212601)	GANGRAR	gssstationgangrar@gmail.com	SUSHILA MAHESHWARI	9462623341
265	21400, GGHSS GANGRAR (08290212605)	GANGRAR	gghssgangrar@gmail.com	BADAM CHOUDHARY	9461644585
266	21375, GHSS GANGRAR (08290212635)	GOVT.SEN SEC. SCH. GANGRAR	nodalgangrar9081@gmail.com	SOHAN LAL KHATIK	9461025358
267	GOVT. Hr. SEC. SCHOOL MANDPIYA (08290201208)	GOVT. Hr. SEC. SCHOOL MANDPIYA GANGRAR	gssmandpiya@gmail.com	RAJENDRA KUMAR VYAS	9928109527
268	GOVT.AADARSH SIN.SECONDARY SCHOOL RAGHUNATHPURA (08290203603)	RAGHUNATHPURA Teh-GANGRAR Distt-CHITTAURGARH	gssragunathpura@gmail.com	MUNISH SHARMA	9414787594
269	GOVT. SECONDARY SCHOOL GOVLIYA (08290212101)	GOVLIYA Teh-GANGRAR Distt-CHITTAURGARH	gssgovliya396@gmail.com	JAGDISH CHANDRA MEGHWAL	9414301798
270	31019, GHSS JOJRO KA KHEDA (08290210801)	GOVT.HR.SEC. SCHOOL JOJRO KA KHEDA	gssjojarokakhera@gmail.com	GHANSHYAM PURVIYA	9829026458
271	21265, GHSS KANTI (08290208707)	KANTI	gsskanti5@gmail.com	PREETI PAREEK	9460171808
272	GOVT. ADARSH. HR.SECONDARY SCHOOL KHARKHANDA (08290205605)	KHARKHANDA	gsskharkhanda@gmail.com	GAJENDRA KUMAR AVASTHI	8890528290
273	21185, GHSS KUNWALIYA	GOVT.HR.SEC.SCHOOL	ghsskunwaliya@	JAGDISH PRASAD	9928178282

	(08290206403)	KUNVALIYA	gmail.com	GURJAR	
274	GOVT. HR.SECONDARY SCHOOL LALAS (08290207002)	LALAS	gsslalas@gmail.com	RAJENDRA KUMAR	9636316740
275	GOVT SECONDARY SCHOOL JAVASIYA (227175) (08290201402)	MANDPIYA	secondrayjavasiya@gmail.com	Manoj kumar porwal	9929588223
276	21350, GHSS PUTHOLI (08290206003)	PUTHOLI	gssputholi@gmail.com	SUNIL KUMAR UPADHYAY	9460868223
277	GOVT.S.SEC.SCHOOL SADAS (08290201903)	GOVT.S.SEC.SCHOOL SADAS	govt.hssssadas@gmail.com	CHANDRA PRABHA MUNDRA	9413460073
278	GOVT SECONDARY SCHOOL KOJUNDA (227176) (08290203101)	Sadi	rpmkojunda@rediffmail.com	--Select Teacher--	9950329687
279	GOVT.GIRLS SEC. SCHOOL SONIYANA (08290200901)	GOVT.GIRLS SEC. SCHOOL SONIYANA	ggsssoniyana4863@gmail.com	SHREEKANT DUBE	9782209152
280	GOVT.SEN.SEC.SCHOOL SONIYANA (08290200906)	GOVT.SEN.SEC.SCHOOL SONIYANA Teh GANGRAR	nodalgangar9082@gmail.com	Sunil kumar chhaperwal	8107797446
281	GOVT. HR. SEC.SCHOOL SUDARI (08290205204)	GOVT. HR. SEC.SCHOOL SUDARI	ghsssudri@gmail.com	OM PRAKASH GUPTA	9414586094
282	GOVT. AADARSH SR. SEC. SCHOOL SUWANIYA GANGRAR CHITTORGARH (08290209301)	Suwaniya	gsssuwaniya@gmail.com	SANJAY KODLI	9414735036
283	GHSS TUMBDIYA (08290207505)	GOVT. HR.SEC. SCHOOLTUMBDIYA	tmbschool9@gmail.com	BABU LAL RAWAT	9829419635
284	GOVT.HR. SEC. SCHOOL UNDAWA (08290204302)	GRAM PANCHAYAT UNDAWA (GANGARAR)	ghssundawa2014@gmail.com	GANSHYAM SHARMA	8094080150
285	GOVT HR S.S. BALARDA (08290602103)	BALARDA	sec.schoolbalarda@gmail.com	GOPAL LAL SHARMA	9829824821
286	GOVT HR SEC SCHOOL BHATTON KA BAMNIYA (08290600905)	GOVT HR SEC SCHOOL BHATTON KA BAMNIYA , Teh-Kapasan, Dist - Chittorgarh	ghssbkbamaniya@gmail.com	DILEEP KUMAR UPADHYAY	9460608703
287	GOVT.HR. S.S. CHAKUDA	CHAKUDA, Teh -	ghsschakuda@g	SURESH KUMAR	9887582020

	(08290608903)	KApasan, Dist - Chittorgarh	mail.com	SWARNKAR	
288	GOVT.ADARSH HR.SECONDARY SCHOOL-CHHAPRI (08290607202)	chhapari	www.gsscchittorgarh070@gmail.com	RAKESH KUMAR PANCHOLI	8947883076
289	GOVT.SR.SECONDARY SCHOOL DAMAKHERA (08290604202)	DAMAKHERA	govthrdamakheda@gmail.com	PRITAM SINGH	9460286925
290	GOVT. Hr. S.S.DHAMANA (08290601801)	GOVT. Hr. S.S.DHAMANA Teh-Kapasan, Dist Chittorgarh	ghssdhamana@gmail.com	SURESH CHANDRA UPADHYAY	6350273050
291	GOVT HR. S.S. DOVNI (08290600504)	Dowani	Gssdowani5@gmail.com	BANNA RAM	9529316169
292	GOVT SECONDARY SCHOOL RAMTHALI (08290603401)	GOVT SECONDARY SCHOOL RAMTHALI,Teh-Kapasan, Dist-Chittorgarh	gssramthali044@gmail.com	DATTATREYA CHASTA	9414732200
293	ADHARSH GOVT.HIGH SECONDARY SCHOOL HATHIYANA KAPASAN (08290603201)	HATHIYANA	GSSSHATIYANA57@GMAIL.COM	YESHWANT KUMAR JAGETIYA	9414283307
294	GOVT.ADARSH.HR.SEC.SCH. KARJALI (08290609601)	GOVT.SR.SEC.SCH. KARJALI Teh KAPASAN di CHITTAURGARH	gssskarjali1@gmail.com	PURSOTAM LAL GUPTA	9413273681
295	GOVT .HIGHER SECONDARY SCHOOL KARUKADA (08290610703)	KARUKADA	gssskarukada@gmail.com	Satyanarayan Sharma	9829872645
296	21224,GHSS LANGACH (08290606401)	GOVT.HR. S.S. LANGCH, Teh-Kapasan ,Dist - Chittorgarh	ghsslangch@gmail.com	SATYAPRAKASH MEENA	8769108531
297	GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL MUNGANA (08290600101)	GOVT.HR.S.S. MUNGANA , Teh kapasan, Dist - Chittorgarh	gssmungana@gmail.com	SAVITA SHARMA	9828294823
298	GOVT .SENIOR SECONDARY SCHOOL HINGORIYA (08290605901)	HINGORIYA	gssshingoriya@gmail.com	MADAN LAL SAINI	9462118142

299	GOVT HR.SEC SCHOOL GORAJI KA NIMBAHERA (08290601205)	GORAJI KA NIMBAHERA Teh Kapasan Dist-Chittorgarh	govtssgorajikanimbahera@gmail.com	Kanhaiya Lal Sharma	9460705357
300	GOVT.GIRLS HIGHER SEC.SCHOOL KAPASAN (08290614501)	GOVT.GIRLS HIGHER SEC.SCHOOLKAPASAN Teh- Kapasan Dist-Chittorgarh	nodalkapasan9092@gmail.com	ARCHANA DADHICH	9829633363
301	GOVT MAHARANA HR SEC SCHOOL KAPASAN (08290615310)	GOVT MAHARANA HR SEC SCHOOL KAPASAN. Teh-kapasan, Dist-Chittorgarh	nodalkapasan9091@gmail.com	RAJESH JOSHI	9414732271
302	GHEESU LAL KOTHARI GOVT.SEC.SCHOOL KACHAHARI KAPASAN (08290615001)	KAPASAN	gsskachkapasan@gmail.com	UDAI LAL AHEER	9982288097
303	GOVT.HR.S.S PANDOLI STATION (08290603601)	GOVT.HR.S.S PANDOLI STATION Teh - KAPASAN Dist - CHITTAURGARH	gsspandoli025@gmail.com	mahendra kumar chasta	9460711452
304	GOVT HR.SEC.SCHOOL. ROLIYA (08290608304)	ROLIYA Teh-KAPASAN Dist-CHITTAURGARH	gsssroliya2015@gmail.com	JAGDISH CHANDRA KUMHAR	9414732261
305	GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL RUPAKHERI KAPASAN (08290605402)	GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL RUPAKHERI TEHSIL KAPASAN DIST.CHITTAURGARH	gssrupakheri@gmail.com	DILIP BAREGAMA	9414554711
306	GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL BANAKIYA KALAN (08290606701)	BANAKIYA KALAN	gsssbanakiyakalan2016@gmail.com	DINESH CHANDRA	9928862363
307	GOVT.G.H.S.S. SINGHPUR (08290606902)	GOVT.G. H.S.S. SINGHPUR, Teh.-Kapasan, Dist-Chittorgarh	singhpurschool@gmail.com	CHANDA KUMARI JHAROLIA	7615808688
308	21336, GHSS SINGHPUR (8290606908)	SINGHPUR	nodalkapasan9093@gmail.com	ANAND KUMAR DIXIT	9414735066
309	G.H..S.S. SURPUR (08290604701)	GOVT.HR.S.S. SURPUR, Teh Kapasan, Dist-Chittorgarh	govtschoolsurpur@gmail.com	GOVIND SHARAN BANSAL	9414388230

310	AADARSH GOVT.HR. S.S. TURKIA KHURD (08290602803)	AADARSH GOVT. HR. S. S. TURKIA KHURD, Teh - Kapasan , Dist - Chittorgarh	gssturkiyakhurd @gmail.com	SHIV PRASHD TRIPATI	9460973570
311	GOVT HR.S.S. UCHNARKHURD (08290610102)	GOVT HR.S.S. UCHNARKHURD, Teh- Kapasan, Dist - Chittorgarh	govtssuchnarkhurd@gmail.com	Ramesh Chand Vijay	9269003004
312	21367,GHSS UMAND (08290607902)	AADRSH GOVT. S.S.S. UMAND, Teh.- Kapasan, Dist - Chittorgarh	gssumand@gmail.com	RAM DUTT SAGAR	9413044282
313	224369,GHSS BADAWALI (08291016202)	GOVT. HR.SEC. SCHOOL BADAWALI Teh- Nimbahera Dist - Chittorgarh	gssbadawali1988 @gmail.com	OM PRAKASH MEGHWAL	9783192881
314	21143 GHSS BAADI (08291012006)	BADI	ghssbadi@gmail.com	ASHOK KUMAR JAIN	8890221289
315	21274 GOVT. ADRASH SR.SEC. SCHOOL BADOLI MADHOSINGH (08291009004)	GOVT. ADRASH SR.SEC. SCHOOL BADOLI MADHOSINGH Teh- Nimbahera Dist- Chittorgarh	ghssbadolimadhosingh@gmail.com	LAL SINGH	9414387651
316	224352,GHSS JAWADA-II (08291009401)	GOVT. SR.SEC.SCHOOL JAWADA Teh - Nimbahera Dist - Chittorgarh	ghssjawada2@gmail.com	ARVIND KUMAR MUNDRA	9414395540
317	224338, G.H.S.S. ARNIYAJOSHI (08291003201)	GOVT .SR. SEC. SCHOOL ARNIYAJOSHI TEH - NIMBAHERA DIST- CHITTAURGARH	ghssaj123@gmail.com	DHARMNARAYAN BHARDWAJ	9460224603
318	GOVT. HR.SEC. SCHOOL BADOLIGHATA (08291005604)	GOVT.HR. SEC. SCHOOL BADOLIGHATA	ghssbadolighata @gmail.com	RAVINDRA KUMAR UPADHYAY	9468661278
319	224366,GHSS BANGEDA GHATA (08291014402)	BANGEDA GHATA	gssbagaragahta @gmail.com	JAGDISH CHANDRA BALAI	9413716658
320	GOVT. HIGHER SEC. SCHOOL BANGREDA-NIMBAHERA (08291001201)	BANGREDA MAMADEV - NIMBAHERA	gssbangreda@gmail.com	HEMANT KUMAR JOSHI	9414395603
321	224333,GSS CHARLIYA BRAHMAN (08291001302)	VILL.- CHARLIYA BRAHMNAN, G.P.- BANGREDA	govtsscharliyabrahmnan@gmail.	PUSHP GIRI GOSWAMI	9414731164

		MAMADEV, TEH.- NIMBAHERA, DIST.- CHITTORGARH	com		
322	224356 GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL BARWADA (08291011102)	BHAGWANPURA	gsssbarwada@gmail.com	Mohammad Rashid Khan	9928635801
323	GHSS BHAWALIYA (08291015306)	GOVT. HR SEC. SCHOOL BHAWALIYA Teh - Nimbahera Dist - Chittorgarh	gssbhawaliya@gmail.com	RAKESH KUMAR TIWARI	9413274547
324	224359,GHSS BINOTA (08291011801)	BINOTA	ghssbinota11@gmail.com	ASHOK KUMAR CHAJED	9828619723
325	32737, GHSS DALA URF KISHANPURA (08291001404)	DALLAN URF KISHANPURA	gssdalla515@gmail.com	PRADYUMN KUMAR SHRIMALI	9829557550
326	GOVT SECONDARY SCHOOL SEMLIYA (226730) (08291001501)	GP-DALA URF KISHANPURA	IM94952@gmail.com	JAGDISH CHANDRA SHARMA	9414857880
327	21276, GHSS DHORIYA (08291008504)	GOVT. ADARASH HR.SEC. SCHOOL DHORIYA Teh - Nimbahera Dist- Chittorgarh	agovtssd@gmail.com	GANGARAM MEGHWAL	9461273754
329	224348,GHSS FALWA (08291007705)	GOVT SIN SEC SCHOOL FALWA Teh- Nimbahera Dist Chittorgarh	ghssfalwa9@gmail.com	LAL CHAND MEENA	9950017051
330	30128,GSS BANSA (08291007001)	FACHER AHIRAN	hmgssbansa@gmail.com	RATAN LAL MEGHWAL	9950493621
331	224344, GHSS FACHER AHIRAN (08291006703)	FACHER AHIRAN	hmgssfa27754@gmail.com	VIJAY KUMAR BOKOLIA	9460987673
332	224336,GSS ARNIYAMALI (08291002201)	GOVT SEC SCHOOL ARNIYAMALI Teh- Nimbahera Dist- Chittorgarh	gssarniyamali@gmail.com	NEETA TRIPATI	9460057232
333	21270 GHSS GADOLA (08291002105)	GOVT HR SEC SCHOOL GADOLA	ghssgadola2017@gmail.com	VEENA SHARMA	9929456971
334	224358,GHSS GUDHA KHEDA (08291011301)	GUDA KHEDA Teh- NIMBAHERA Distt- CHITTAURGARH	ghssgudhakheda@gmail.com	KALIM AHMED KHAN	9413047247

335	GSS SAJAN PUR (08291011202)	GOVT. SEC. SCHOOL SAJANPUR Teh-nimbahera Dist - Dist Chittorgarh	ictexamssjpcorudp@gmail.com	MAHENDRA SINGH SOLANKI	9928555894
336	GOVT. SR. SEC. SCHOOL JALIYA (08291016708)	JALIYA Teh-Nimbahera Dist - Chittorgarh	gssjaliya21280@gmail.com	GAYATRI KHATIK	9414734651
337	GOVT.GIRLS.SECONDARY.SCHOOL KANERA (08291013502)	G.G.SEC.SCHOOL KANERA Teh Nimbahera Dist Chittorgarh	girlsschoolkanera@gmail.com	HEMANT KUMAR VARMA	9414497679
338	21333,GHSS KANERA (08291013515)	KANERA Teh-NIMBAHERA Distt-CHITTAURGARH	nodalnimbahera9105@gmail.com	SHIV PRAKASH RATHI	9024632308
339	GOVT. HR. SEC. SCHOOL, PAYARI (08291007503)	KARUNDA	gssspayari@gmail.com	KAVITA CHAUDHARY	9468514522
340	21369, GHSS KELI (08291000107)	KELI	ghsskeli123@gmail.com	MOHAMMED MOHSIN	9413420307
341	GOVT SECONDARY SCHOOL RATHAJNA (08291000201)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रठाजना	govupsrathjana@gmail.com	RADHESHYAM KAMALI	9460436275
342	27755,GHSS KOTDIKALAN (08291000503)	KOTDI KALAN Teh. Nimbhera Dist-Chittorgarh	gsskk232744@gmail.com	SADHANA GHOSH	9460362568
343	224349,GHSS LASDAWAN (08291008215)	GOVT AD.HR. SEC SCHOOL LASDAWAN Teh- Nimbahera Dist-Chittorgarh	gsslasdawan@gmail.com	RAM LAL MEENA	9001834121
344	21192 GHSS MANDLA CHARAN (08291009901)	MANDLA CHARAN Teh-NIMBAHERA Distt-CHITTAURGARH	gsssmdcharan22@gmail.com	RAVINDRA SINGH SISODIA	8890744732
345	21144, GHSS MANGROL (08291006509)	GOVT HIGHER SEC SCHOOL MANGROL	gssmagrol@gmail.com	MANGI LAL MENARIA	7728802311
346	21278 GOVT. SR .SEC. SCHOOL MELANA (08291013803)	MELANA Teh - NIMBAHERA Distt-CHITTAURGARH	gssmelana9986@gmail.com	RAMESH CHANDRA BHATI	9460476511
347	G.H.S.S. MARJIVI (08291001001)	MARJIVI	ghssmarjeevi@gmail.com	D KAVITA	9413947875
348	GOVT. SR. SEC. SCHOOL MINDANA (08291010502)	GOVT. HR. SEC. SCHOOL MINDANA	hmgssmindana7@gmail.com	Gopal Mundra	9460362516

		Vill.- Mindana, Post.- Khodip, Teh. Nimbahera Dist . Chittorgarh			
349	GOVT. HIGH. SEC. SCHOOL NIMBODA (08291014101)	NIMBODA	gssnimboda2012@gmail.com	KALURAM JATIYA	9828304595
350	224373,GGSS NAVEEN NIMBAHERA (08291018901)	G.GIRLS SEC. SCHOOL NAVEEN NIMBHEDATeh-Nimbahera Dist - Chittorgarh	naveenanimbahera@gmail.com	MANOHAR SINGH JAT	9929836229
351	224371,GHSS NIMBAHERA (08291017203)	GOVT SIN SEC SCHOOL NIMBAHERA	gssnimbaheda9101@gmail.com	NEETU GUPTA	9461387843
352	224372,GGHSS,NIMBAHERA (08291018404)	224372,GGHSS,NIMBAHERA	nodalnimbahera9102@gmail.com	MADHU DHABARIA	9829520477
353	21152, GHSS RANIKHEDA (08291012806)	Govt.Hr. Sec.School RANIKHEDA Teh - nimbahera Dist - Chittorgarh	ictexamsrkdcorudp@gmail.com	DURGA SHANKAR MEENA	9024513278
354	GOVT. HR.SEC. SCHOOL SARSI (08291014706)	GOVT. HR.SEC. SCHOOL SARSI Teh-nimbhera Diat-Chittorgarh	gsssarsi1983@gmail.com	RADHEY GOVIND MANDOWARA	9636950321
355	GOVT SECONDARY SCHOOL SHRIPURA (227191) (08291015401)	SHRIPURA312606	gssshree2018@gmail.com	CHANDRA SHEKHAR VYAS	9413978811
356	GOVT.HR. SEC.SCHOOL SATKHANDA (08291004806)	SATKHANDA Teh-nimbahera Dist - Chittorgarh	gsssatkhanda@gmail.com	SANGITA JAIN	9649827763
357	224337,GHSS ARNODA (08291002606)	ARNODA 2	gssarnoda@gmail.com	NAND SINGH RANAWAT	9460607175
358	21282,GHSS TAI (08291003903)	TAI	gsstainimbahera@gmail.com	BULGESH SINGH	7073581575
359	224340;GHSS UNKHALIYA (08291004401)	GOVT. HR. SEC. SCHOOL UNKHLIYA	gsssunkhaliya@gmail.com	PUNAM JAIN	9587662232
360	GOVT. HR. SEC.SCH. AARNI (08290103401)	GOVT. HR. SEC.SCH. AARNI , Teh- Rashmi , Dist - Chittorgarh	gsvyas2014@gmail.com	MURARI LAL MEENA	9928711712

361	21295, GHSS BARU (08290108605)	BARU	ghssbaru9@gmail.com	MOOLCHAND BALAI	9636586784
362	GOVT.H. SECSCH. BAVLASH (08290102201)	GOVT.H. SECSCH. BAVLASH Teh-rashmis dt Chittorgarh	ghssbavlas@gmail.com	PRAHALAD RAY SHARMA	9610705107
363	21279, GHSS BHALOTA KI KHEDI (08290102004)	BHALOTA KI KHERI, Teh Rashmi, Dist-Chittorgarh	gsssbhalotakikheri@gmail.com	SHILPA SOLANKI	9460060049
364	GHSS BHEEM GARH (08290108201)	GOVT. SR.SEC.SCH. BHIMGARH Teh-Rashmi , Dist - Chittorgarh	ghssbhimgarh201@gmail.com	PRAKASH CHANDRA TALESARA	9413894611
365	GOVT.GIRLS SEC. SCHOOL BHIMGARH (08290108202)	BHIMGARH Teh-Rashmi, Dist - Chittorgarh	bhimgarhggss@gmail.com	VINOD MATHUR	9001313572
366	21287, GHSS ADANA (08290107402)	GOVT. SR. SEC.SCH. ADANA Teh - RAshmi Dist- Chittorgarh	govtssadana@gmail.com	RAMESHWAR LAL SUTHAR	9950634104
367	21146- GOVT. HR.SEC. SCH DINDOLI (08290106901)	GOVT. HR.SEC. SCH DINDOLI Teh- Rashmi Dist- Chittorgarh	hssdind@gmail.com	KAILASH CHAND MEENA	9414646663
368	GOVT.HR. SEC.SCH. MATRIKUNDIYA (08290105804)	HARNATHPURA	gsssmatrikundiya17@gmail.com	Nand lal ahir	7023199780
369	GOVT.HR SEC. SCH. JADANA (08290105101)	Gram Panchayat-Jadana Teh- Rashmi Dist Chittorgarh	jadanagsss@gmail.com	DURGA SHANKAR NAYAK	9828797212
370	GOVT. HR.SEC. SCH. LASADIY KALA (08290100503)	GOVT. HR.SEC. SCH. LASADIY KALA Teh-Rashmi Dist-Chittorgarh	gssslasadiyakalan@gmail.com	BABU LAL KUMAWAT	9829163919
371	GOVT.HR. SEC. SCH. MARMI (08290104201)	GOVT.HR. SEC. SCH. MARMI, Teh - Rashmi Dist - Chittorgarh	gssmarmi@gmail.com	RADHEYSHYAM NAYAK	9929512004
372	GOVT. SR.SEC.SCH. NEVARIYA (08290101401)	GOVT. SR.SEC.SCH. NEVARIYA	ghssnewria@gmail.com	ranveer singh	9828373304
373	GOVT.AD.S.S.SCHOOL PAHUNA (08290102401)	Pahuna DISTRICT CHITTORGARH	nodalrashmi9112@gmail.com	NARAYAN LAL BHAMBI	9929509892
374	GGSS PAHUNA (08290102402)	GOVT. GIRLS SEC SCHOOL,PAHUNA	ggspahuna@gm	NEMI CHAND	9784194421

		TEH.RASHMI , DIST.CHITTORGARH	ail.com	BAPNA	
375	GOVT. HR SEC.SCH. PAWALI (08290108403)	GOVT. HR SEC.SCH. PAWALI Teh- Rashmi, Dist- Rashmi	ghsspawali@gmail.com	GOPAL LAL VED	9829728801
376	GOVT. ADRASH HR. SEC. SCH. RASHMI (08290105410)	GOVT. ADRASH HR. SEC. SCH. RASHMI, Teh- Rashmi, Dist - Chittorgarh	nodalrashmi09111@gmail.com	BALU RAM BHIL	9413421202
377	21390, GGHSS RASHMI (08290105412)	RASHMI	ggsssrashmi2@gmail.com	DINESH KUMAR GUPTA	9460912088
378	GHSS SOMAR WALO KA KHEDA (08290106502)	SOMARWALO KA KHEDA Teh- Rashmi Dist - Chittorgarh	gsssomar@gmail.com	BHARAT BHUSHAN SHARMA	9414789855
379	GOVT.HR. SEC.SCH REWARA (08290100201)	GRAM PANCHAYAT REWARA.P.S RASHMI. D.CHITTORGARH	gssrewara@gmail.com ,ghssrewara@gmail.com	RAMPRATAP SHARMA	9928492230
380	GOVT. H.SEC. SCHOOL. ROOD (08290104901)	GOVT. H..SEC SCHOOL. ROOD	ictexamhsroodcorudp@gmail.com	RATAN LAL JAT	9982248492
381	GOVT. GIRLS SEC.SCH. ROOD (08290104902)	GOVT. GIRLS SEC.SCH. ROOD Teh - Rashmi Dist- Chittorgarh	balikarood123@gmail.com	RAM LAL SUKHWAL	9783767379
382	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL SANKHALI (08290102602)	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL SANKHALI, POST-SANKHALI, T.-RASHMI, DIST-.CHITTORGARH, RAJASTHAN	gsssankhali@gmail.com	JAGDISH CHANDRA KUMHAR	9680264329
383	GOVT.SR.SEC.SCH. SIHHANA (08290101201)	GOVT.SR.SEC.SCH. SIHHANA Teh rashmi Dist - Chittorgarh	gssssihana@gmail.com	GOPAL LAL VIJAYVERGIA	8764116074
384	GOVT. AD.S. SEC.SCH. SOMI (08290103902)	somi	gsschoolsomi@gmail.com	ONKAR LAL LAXKAR	9982556649
385	GOVT. SEC. SCHOOL HEERAKHERI (08290101803)	GOVT. SEC. SCHOOL HEERAKHERI Teh Rashmi, Dist Chittorgarh	gssheerakheri@gmail.com	BHERU LAL KHATIK I	9001130016

386	GOVT. AADARSH SR . SEC. SCH. UNCHA (08290101105)	GOVT. AADARSH SR. SEC. SCH. UNCHA Teh. Rashmi , Dist - Chittorgarh	gssuncha21281 @gmail.com	Vikas Joshi	9982423232
387	21205, GSSS MUROLI (08290104101)	UPRERA	gssmuroli@gmail .com	NARAYAN LAL KUMHAR	9461635079
388	GOVT.HR.SEC.SCH. UPREDA (08290104001)	GOVT.HR.SEC.SCH. UPREDA Teh- Rashmi Dist-Chittorgarh	gsssupredarash mi@gmail.com	HANS RAJ GUPTA	9414625747

परिशिष्ट –7

विवाह स्थलों की सूची

S.No.	Name of location	Construction Type	Tel. No.
	चित्तौड़गढ़		
1.	सॉवरिया धर्मशाला किला रोड़	पक्का कार्य	242771
2.	नवाल धर्मशाला किला रोड़	पक्का कार्य	248355
3.	जैन धर्मशाला स्टेशन	पक्का कार्य	241971
4.	बिड़ला धर्मशाला किला	पक्का कार्य	
5.	महेश्वरी धर्मशाला किला रोड़	पक्का कार्य	
6.	मीठाराम जी की धर्मशाला रेल्वे स्टेशन	पक्का कार्य	
7.	इन्द्रमल मांगी लाल गदिया धर्मशाला सावा	पक्का कार्य	
8.	झातलामाता जी पाण्डोली	पक्का कार्य	
	गंगरार		
9.	गांधी धर्मशाला स्टेशन गंगरार	पक्का कार्य	
10.	धर्मशाला रामपुरिया सुदरी	पक्का कार्य	
	निम्बाहेड़ा		
11.	शारदा धर्मशाला रेल्वे स्टेशन	पक्का कार्य	01477-222450
12.	पुरानी शारदा धर्मशाला चित्तौड़ी दरवाजा	पक्का कार्य	01477–220232
	राशमी		
13	माहेश्वरी धर्मशाला मांत्रकुण्डिया	पक्का कार्य	
	बड़ीसादड़ी		
14.	नगरपालिका द्वारा संचालित धर्मशाला	पक्का कार्य	
	भदेसर		
15.	सॉवलिया धर्मशाला बागुण्ड	पक्का कार्य	
16.	नन्द निकेतन धर्मशाला	पक्का कार्य	244637
17.	यशोदा बिहार धर्मशाला	पक्का कार्य	244649
18	जैन धर्मशाला	पक्का कार्य	243447
19	सादू तेली समाज धर्मशाला	पक्का कार्य	243319
	डूंगला		

20	सुदामा विश्रान्ति गृह चिकारडा	पक्का कार्य	
कपासन			
21	लक्ष्मी वाटिका बस स्टेण्ड आकोला	पक्का कार्य	01476–283216
22	बसन्त वाटिका बस स्टेण्ड आकोला	पक्का कार्य	
23	जयसवाल वाटिका बस स्टेण्ड आकोला	पक्का कार्य	01476–283331
24	सज्जन वाटिका सोमानी बाग के पास कपासन	पक्का कार्य	94142–39780

परिशिष्ट –8

सामुदायिक भवनों की सूची

S.No.	Name of location	Construction Type	Tel. No.
	चित्तौड़गढ़		
1.	सामुदायिक भवन सैंती	पक्का कार्य	
2.	सामुदायिक भवन मीठाराम जी का खेड़ा	पक्का कार्य	
3.	सामुदायिक भवन भण्डारिया सैंती	पक्का कार्य	
4.	सामुदायिक भवन हरिजन बस्ती	पक्का कार्य	
5.	सामुदायिक भवन गांधीनगर	पक्का कार्य	
6.	सामुदायिक भवन रामदेव जी का चन्देरिया	पक्का कार्य	
7.	सामुदायिक भवन अमरपुरा	पक्का कार्य	
	गंगरार		
8.	सामुदायिक भवन गंगरार	पक्का कार्य	
9.	सामुदायिक भवन सुदरी	पक्का कार्य	
10.	सामुदायिक भवन बूढ़	पक्का कार्य	
11.	सामुदायिक भवन खारखन्दा	पक्का कार्य	
12.	सामुदायिक भवन बोलो का सावंता	पक्का कार्य	
13.	सामुदायिक भवन कांटी	पक्का कार्य	
14.	सामुदायिक भवन भटवाड़ा खुर्द	पक्का कार्य	

15.	सामुदायिक भवन पुठोली	पक्का कार्य	
16.	सामुदायिक भवन साडास	पक्का कार्य	

	निम्बाहेड़ा		
17.	स्वामी विवेकानन्द सामुदायिक भवन नगरपालिका आदर्श कॉलोनी	पक्का कार्य	220092
18	पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन पंचायत भवन डूंगला	पक्का कार्य	247225
19.	ग्राम पंचायत भादसोड़ा	पक्का कार्य	245250
	कपासन		
20.	सामुदायिक केन्द्र धोबीखेड़ा	पक्का कार्य	01476233502
21.	सामुदायिक केन्द्र रण्डीयारडी	पक्का कार्य	9829288309
22.	सामुदायिक केन्द्र सण्डीयारडी	पक्का कार्य	9950408914
23.	सामुदायिक केन्द्र ताराखेडी	पक्का कार्य	9928633437
24.	सामुदायिक केन्द्र मुंगाना	पक्का कार्य	01476231778
25.	सामुदायिक केन्द्र करूकडा	पक्का कार्य	–
26.	सामुदायिक केन्द्र करजाली	पक्का कार्य	–
27.	सामुदायिक केन्द्र उमण्ड	पक्का कार्य	–
28.	सामुदायिक केन्द्र आकोला	पक्का कार्य	–
29.	सामुदायिक केन्द्र भोपालसागर	पक्का कार्य	–
30.	सामुदायिक केन्द्र बूल	पक्का कार्य	–
31.	सामुदायिक केन्द्र कानाखेड़ा	पक्का कार्य	–
32.	सामुदायिक केन्द्र अनोपपुरा	पक्का कार्य	–
	रावतभाटा		
33.	सामुदायिक केन्द्र बरखेडा	पक्का कार्य	–
34.	सामुदायिक केन्द्र कंवरपुरा	पक्का कार्य	–
35.	सामुदायिक केन्द्र बोराड़	पक्का कार्य	–

होटलों की सूची

क्र.सं.	स्थान / विश्राम गृह का नाम	कमरों की संख्या	कार्य का प्रकार	टेलीफोन नं.
1.	पन्ना होटल रा. प. वि. नि.	31	पक्का कार्य	241238
2.	विश्राम भवन	19	पक्का कार्य	
3.	डांक बंगला	7	पक्का कार्य	
4.	रेल्वे विश्राम	5	पक्का कार्य	
5.	पदमिनी होटल	16	पक्का कार्य	241997
6.	मीरा होटल	27	पक्का कार्य	
7.	होटल प्रताप पैलेस	12	पक्का कार्य	243563
8.	होटल चेतक	23	पक्का कार्य	
9.	होटल शालीमार	27	पक्का कार्य	241426
10.	नटराज ट्यूरिस्ट होटल	35	पक्का कार्य	241009
11.	होटल कैशव	16	पक्का कार्य	
12.	होटल सांवरिया	30	पक्का कार्य	240597
13.	होटल भगवती	15	पक्का कार्य	240226
14.	होटल आलोक	16	पक्का कार्य	240653
15.	रूचिका गेस्ट हाऊस	11	पक्का कार्य	244299
16.	जैन धर्मशाला	19	पक्का कार्य	241971
17.	बिड़ला धर्मशाला	12	पक्का कार्य	
18.	नवाल धर्मशाला	20	पक्का कार्य	
19.	माहेश्वरी धर्मशाला	10	पक्का कार्य	
20.	होटल स्वागत	5	पक्का कार्य	240469
21.	होटल नटराज	35	पक्का कार्य	241855
22.	होटल गौरव	16	पक्का कार्य	246827
23.	होटल आनन्द	16	पक्का कार्य	241409
24.	होटल पैलेस विजयपुर	14	पक्का कार्य	

विश्राम स्थलों की सूची

18.1 सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्र.सं.	स्थान/विश्राम गृह का नाम	कमरो की संख्या	कार्य का प्रकार	टेलीफोन नं.
1.	सर्किट हाऊस चित्तौड़गढ़	18	पक्का कार्य	01472–240977
2.	डाक बंगला चित्तौड़गढ़	7	पक्का कार्य	01472–248500
3.	डाक बंगला गंगरार	2	पक्का कार्य	
4.	डाक बंगला कपासन	2	पक्का कार्य	
5.	डाक बंगला बेंगू	2	पक्का कार्य	01474–221079
6.	भैसरोड़गढ (गेंगहट)	2	पक्का कार्य	
7.	डाक बंगला निम्बाहेड़ा	4	पक्का कार्य	01477–221899
8.	डाक बंगला बड़ीसादड़ी	4	पक्का कार्य	

18.2 सिंचाई

क्र. सं.	स्थान/विश्राम गृह का नाम	कमरो की संख्या	कार्य का प्रकार	टेलीफोन नं.
1.	निरीक्षण गृह चित्तौड़गढ़	5	पक्का कार्य	01472–241036
2.	निरीक्षण गृह गम्भीरी	2	पक्का कार्य	01477–232603
3.	निरीक्षण गृह ओराई बांध	2	पक्का कार्य	–
4.	निरीक्षण गृह बस्सी बांध	1	पक्का कार्य	01472–225374
5.	निरीक्षण गृह भोपालसागर	2	पक्का कार्य	01476–224246
7.	निरीक्षण गृह बेंगू	2	पक्का कार्य	01474–220361
8.	निरीक्षण गृह डूंगला	2	पक्का कार्य	–

परिशिष्ट –11

पशुओं को रखने के लिये गौशालाओं की सूची

क्र.सं.	नाम गौशाला	स्थान
1.	श्री आर्चाय नानेश गौशाला कपासन	कपासन
2.	श्री ब्रम्हणी माता गौशाला कपासन	कपासन
3.	श्री किष्ण मारूती गौशाला तुरकिया कलां कपासन	कपासन
4.	श्री राम गौशाला सिंहपुर कपासन	कपासन
5.	श्री गणेश गौशाला नन्दबई बेंगू	बेंगू
6.	श्री बागेश्वर महादेव गौशाला चितौडगढ	चितौडगढ
7.	श्री देव गौशाला पालका चितौडगढ	चितौडगढ
8.	श्री गुरूकुल गौशाला चितौडगढ	चितौडगढ
9.	श्री हनुमान गौशाला घटियावली चितौडगढ	चितौडगढ
10.	श्री नीलिया महादेव गौशाला बलदरखा चितौडगढ	चितौडगढ
11.	श्री सत्यनारायण गौशाला चितौडगढ	चितौडगढ
12.	श्री गोपाल गौशाला चितौडगढ	चितौडगढ
13	श्री काइन हाउस गांधीनगर चितौडगढ	चितौडगढ
14	श्री कृष्ण गोपाल गौशाला प्रबन्ध समिति ऋषिमंगरी माताजी की पाण्डोली चितौडगढ	चितौडगढ
15	श्री बालाजी गौशाला राशमी	राशमी
16	श्री रोशनेश्वर महादेव गौशाला राशमी	राशमी
17	श्री गौ माता की गौशाला भोपालसागर	भोपालसागर
18	श्री जैन दिवाकर गौशाला निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
19	श्री कल्याण गौशाल जावदा निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
20	श्री औम गौशाला गादोला निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
21	श्री रामसेवा संस्थान गौशाला एवं संस्कार आश्रम अम्बानगर निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
22	श्री गोपाल कृष्ण गौशाला समिति अनोपपुरा निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
23	श्री राम गौशाला समिति चारभुजा रावतभाटा	रावतभाटा
24	श्री गौरक्षक सेवा समिति गौशाला लिकोडा बडीसादडी	बडीसादडी
25	श्री अम्बेश गुरू कृष्ण महावीर गौशाला मंगलवाड	डूंगला
26	श्री महावीर गोपाल गौशाला संस्थान चिकारडा	डूंगला
27	श्री महावीर एलवा मॉ गौशाला एवं विकास समिति डूंगला	डूंगला
28	श्री कृष्ण आधिनाथ गौशाला समिति भादसोडा भदेसर	भदेसर
29	श्री सावलिया जी मंदिर मण्डल गौशाला मण्डपिया भदेसर	भदेसर
30	श्री पवनसुत गौपाल गौशाला गंगरार	गंगरार

परिशिष्ट –12

चित्तौड़गढ़ जिले में उपलब्ध नौकाओं का विवरण वर्ष– 2019

क्र.	संबंधित विभाग/मालिक का नाम	मोबाईल नं.	स्थान जहाँ नौकाएं उपलब्ध है	संख्या
1	जल संसाधन विभाग			
	NIL—		NIL	NIL

मत्स्य विभाग

क्र	संबंधित विभाग/मालिक का नाम	मोबाईल नं.	स्थान जहाँ नौकाएं उपलब्ध है	संख्या
1	श्री केलके इण्डिया प्रा. लि. शोभागपुरा सर्किल, उदयपुर मत्स्य ठेकेदार गंम्भीरी बांध	09829190004	गंम्भीरी बांध	2
2	श्री दयाल सिंह, जयपुर मत्स्य ठेकेदार बाड़ी मानसरोवर	9024374903	बाड़ी मानसरोवर	2
3	श्री आजाद हुसैन/सत्तार हुसैन सांगानेरी गेट ईद गाह के पीछे भीलवाड़ा	9982377866	बंध बोरदा	2
4	श्री यूनिक कम्पनी प्रो. श्री मुबारिक हुसैन सावा जिला चित्तौड़गढ़	9928672555	बंध मुरलिया	2

नोटः– 1. उक्त नावें मत्स्याखेट के लिए हैं, यात्रियों के लिये सुरक्षित नही हैं।

2. मत्स्य आखेट निषेध ऋतु होने के कारण 16.06.18 से 31.08.18 तक ठेकेदार के पास मछुआ नावों पर नाव चालक उपलब्ध नहीं होगें।

परिशिष्ट –13

तैराकों (गोताखोरों) की सूची

क्र. सं.	नाम गोताखोर	निवासी / सम्पर्क सूत्र	टेलिफोन नं.
	नगरपरिषद, चित्तौड़गढ़		
1	श्री रामलाल भोई	भोई खेड़ा, चित्तौड़गढ़	9928805540
	नगरपालिका, निम्बाहेड़ा		
1	श्री कैलाश चन्द्र/श्री सुवालाल	गाँव कल्याणपुरा	9001279437
2	श्री जगदीश चन्द्र/रामचन्द्र कीर	गाँव कल्याणपुरा	8094791214
3	श्री शान्तीलाल/चम्पाजी कीर	गाँव कल्याणपुरा	9784569880
4	श्री बद्रीलाल/रूपलाल कीर	गाँव कल्याणपुरा	7568702909
5	श्री भैरूलाल/हीरालाल कीर	गाँव कल्याणपुरा	9549666730
6	श्री किशनलाल/अम्बालाल कीर	गाँव कल्याणपुरा	9982888953
7	श्री बब्बु खॉ/शहजाद कुरेशी	निम्बाहेड़ा	7742818515
8	श्री ईरफान/मेहरबान खाँ	निम्बाहेड़ा	9829348418
9	श्री अमीन खॉन/अमीर खॉन	निम्बाहेड़ा	9956724385
10	श्री मकसुद खाँ/कल्लन खॉन	निम्बाहेड़ा	9887892834
11	श्री ईकबाल उर्फ पप्पू/नन्नेखाँ	निम्बाहेड़ा	7568559400

परिशिष्ट –14

ड्रेन व बाँधों की सूची

Name	Length	Capacity	Any effect to people Yes/No	Estimated affected population
वागन	50 किमी.	1.00 Lac cusec	No	–
बेडच	102 किमी.	5.90 Lac cusec	No	–
बनास	26 किमी.	8.00 Lac cusec	No	–
गम्भीरी	46 किमी.	1.50 Lac cusec	No	–
ब्राह्मणी	60 किमी.		No	–
चम्बल	25 किमी.		No	–

22.1 सिंचाई खण्ड

चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बॉधों/तालाबों की सूची

क्र. सं.	बॉध का नाम	ब्लॉक	गेज (मीटर)	गेज (फिट)	भराव क्षमता (Mcum)			भराव क्षमता (Mcft)		
					कुल	उपयोगी	अनुपयोगी	कुल	उपयोगी	अनुपयोगी
जल संसाधन, खण्ड चित्तौड़गढ़										
I	**सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड प्रथम, चित्तौड़गढ़ के अधीन :–**									
1	बस्सी डेम	चित्तौड़गढ़	11.00	36.09	23.22	20.25	2.97	820.08	715.07	105.01
2	लुहारिया	भदेसर	2.74	8.99	2.92	2.83	0.09	103.01	99.95	3.06
3	सादी	चित्तौड़गढ़	4.12	13.52	2.15	1.97	0.17	75.81	69.71	6.10
4	मोडिया महादेव	चित्तौड़गढ़	4.88	16.01	3.11	2.93	0.19	110.01	103.32	6.69
5	बनाकिया	चित्तौड़गढ़	3.96	12.99	9.44	9.27	0.17	333.33	327.33	6.00
6	सॉकलखेडा	चित्तौड़गढ़	10.70	35.10	3.15	3.08	0.07	111.25	108.78	2.47
7	सांवरिया सरोवर	भदेसर	3.00	9.84	3.14	2.91	0.23	110.90	102.78	8.12
II	**सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड द्वितीय, चित्तौड़गढ़ के अधीन :–**									
1	गंभीरी बांध	निम्बाहेड़ा	7.01	23.00	55.01	53.48	1.53	1942.67	1888.79	53.89
2	मुरलिया बांध	निम्बाहेड़ा	2.90	9.51	9.63	8.47	1.16	340.03	299.03	41.00
3	बाड़ी मानसरोवर	निम्बाहेड़ा	5.00	16.40	9.48	8.42	1.06	334.83	297.29	37.54
4	उँचा	निम्बाहेड़ा	4.19	13.75	2.61	2.51	0.09	92.01	88.81	3.20
5	भावलिया	निम्बाहेड़ा	3.80	12.47	2.56	2.31	0.25	90.41	81.58	8.83
6	सरसी का नाका	निम्बाहेड़ा	4.25	13.94	1.51	1.35	0.16	53.33	47.68	5.65
III	**सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड भोपालसागर के अधीन :–**									
1	बडंगाव	मावली	7.62	25.00	31.49	30.16	1.33	1112.16	1065.19	46.97
2	पटोलिया	कपासन	3.65	11.98	1.50	1.50	0.00	53.06	52.98	0.08
3	भोपालसागर	कपासन	5.49	18.01	18.55	18.41	0.14	655.15	650.20	4.94

4	मेवदा	कपासन	2.59	8.50	2.18	2.02	0.16	77.08	71.34	5.74
5	धमाना	कपासन	3.81	12.50	1.61	1.55	0.06	56.86	54.74	2.12
6	अरनिया	कपासन	2.40	7.87	2.04	1.98	0.06	72.08	69.93	2.15
7	डिन्डोली	राशमी	3.66	12.01	7.52	7.43	0.09	265.59	262.41	3.18
8	सरोपा	कपासन	3.81	12.50	3.40	3.15	0.25	120.13	111.25	8.88
9	कांकरिया	कपासन	3.59	11.78	1.59	1.51	0.08	56.06	53.33	2.73
10	कपासन	कपासन	3.51	11.52	7.08	5.95	1.13	250.05	210.14	39.91
11	वागली	कपासन	2.50	8.20	1.92	1.69	0.23	67.81	59.69	8.12
IV	*सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड गंगरार के अधीन :–*									
1	सोनियाना	गंगरार	3.51	11.52	6.80	6.23	0.57	240.26	220.03	20.23
2	कुंवालिया	गंगरार	2.00	6.56	1.03	0.98	0.05	36.54	34.61	1.93
3	सालेरा	गंगरार	6.10	20.01	4.25	4.17	0.08	150.16	147.28	2.89
4	बोरदा	गंगरार	4.27	14.01	5.04	4.16	0.88	178.00	146.92	31.08
5	ऊंचकिया	राशमी	3.96	12.99	5.27	5.04	0.23	186.20	178.00	8.20
6	सोमी	राशमी	2.50	8.20	2.24	1.88	0.36	79.19	66.40	12.79
7	आरनी	राशमी	3.00	9.84	1.56	1.55	0.01	55.06	54.74	0.32
V	*सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड बैंगू के अधीन :–*									
1	ओराई	बैंगू	9.45	31.00	35.29	32.80	2.49	1246.37	1158.43	87.94
2	देवलिया	माण्डलगढ़	6.55	21.49	2.38	2.38	0.001	84.09	84.06	0.03
3	रूपारेल	बैंगू	6.50	21.33	9.71	8.75	0.96	343.07	309.03	34.04
4	भंवर पीपला	बैंगू	7.00	22.97	1.68	1.55	0.13	59.33	54.74	4.59
5	डोराई	बैंगू	8.39	27.53	8.50	8.27	0.23	300.32	292.08	8.24
6	कालादेह	बैंगू	5.79	19.00	2.04	1.87	0.17	72.05	66.04	6.00
7	राजगढ	बैंगू	3.96	12.99	3.03	2.78	0.25	107.12	98.18	8.93
8	खोखी	रावतभाटा	6.50	21.33	2.01	1.61	0.40	71.06	56.86	14.19
जल संसाधन, खण्ड प्रतापगढ़										
VI	सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड डूँगला के अधीन :–									
1	वागन	डुँगला	5.00	16.40	40.67	37.58	3.09	1436.38	1327.13	109.26
2	पारसोली	बड़ी सादड़ी	4.27	14.01	2.92	2.74	0.18	103.01	96.81	6.20
3	पिण्ड	बड़ी सादड़ी	3.90	12.80	5.68	5.13	0.55	200.61	181.18	19.42
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन										
VII	मेनेजर (सिविल) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन :–									
1	घोसुण्डा	चित्तौड़गढ़	423RL	75.46	31.81	25.98	5.83	1123.47	917.56	205.90

परिशिष्ट –15

मुख्य नहरें व उनकी भराव क्षमता की सूची

क्र. सं.	नाम	क्षमता
1.	गम्भीरी कैनाल	144 क्यू. सैक्स
2.	वागन कैनाल (खण्ड प्रतापगढ़)	72.80 क्यू. सैक्स
3.	बस्सी कैना	95.40 क्यू. सैक्स
4.	ओराई कैनाल	156.00 क्यू. सैक्स
5.	बड़गांव कैनाल	136.75 क्यू. सैक्स
6.	भोपालसागर कैनाल नंम्बर 1	7.52 क्यू. सैक्स
	कैनाल नंम्बर 2	26.15 क्यू. सैक्स
	कैनाल नंम्बर 3	25.33 क्यू. सैक्स
	कैनाल नंम्बर 4	35.40 क्यू. सैक्स
	कैनाल नंम्बर 5	1.30 क्यू. सैक्स

परिशिष्ट –16

पेट्रोल पम्पों की सूची

क्र. स.	ऑयल कम्पनी का नाम	डीलर/फर्म का नाम मय दूरभाष नम्बर	लोकेशन	तहसील
1	B.P.C.L.	मै. चित्तौड फिलिंग स्टेशन	रेल्वे क्रॉसिंग के पास	चित्तौड़गढ़
2	I.O.C.L.	मै. शंभू एण्ड कंपनी	भीलवाडा रोड	चित्तौड़गढ़
3	H.P.C.L.	मै. अम्बा जी बायण जी, चित्तौड़गढ़	प्रताप सेतु मार्ग	चित्तौड़गढ़
4	B.P.C.L.	मै. सुराना फिलिंग स्टेशन	रेल्वे स्टेशन के पास	चित्तौड़गढ़
6	H.P.C.L.	मै. छगनलाल मून्दडा	ओछडी	चित्तौड़गढ़
7	H.P.C.L.	मै. शांतिलाल कांतिलाल	चन्देरिया	चित्तौड़गढ़
9	I.O.C.L.	मै. बस्सी पैट्रोलियम	बस्सी	चित्तौड़गढ़
10	B.P.C.L.	मै. मयूरी फिलिंग स्टेशन	अरनियापंथ	चित्तौड़गढ़
11	I.O.C.L.	मै. शुभम इण्डियन ऑयल	रिठोला	चित्तौड़गढ़
12	I.O.C.L.	मै.गुणेश इण्डिया प्रा.लि.	अरनियापंथ	चित्तौड़गढ़
13	B.P.C.L.	मै.बोरीवाल फिलिंग स्टेशन	पुरोहितों का सांवता	चित्तौड़गढ़
14	ESSAR	मे. एस्सार एसोसिऐटस, उदयपुर ग्राम सामरी तह. चित्तौड़गढ़	ग्राम सामरी तह. चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
15	HPCL	मै. शिवानी फिलिंग स्टेशन, जालमपुरा	जालमपुरा	चित्तौड़गढ़
16	B.P.C.L.	क्लासिंक फिलिंग स्टेशन, गणेशपुरा	तह. चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
18	HPCL	मे. एस.एस. फिलिंग स्टेशन, गोपालनगर	तह. चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
19	I.O.C.L.	मै. वर्धमान पैट्रोलियम, बल्दरखा	तह. चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
20	I.O.C.L.	मै.पशूपतिनाथ फिलिंग स्टैशन पुरोहितो का सांवता	पुरोहितो का सांवता	चित्तौड़गढ़
21	I.O.C.L.	मै. बस्सी पैट्रोलियम	जालमपुरा	चित्तौड़गढ़
22	RELIANCE	मैसर्स रिलायन्स पेट्रो माकैटिग	अरनियापंथ	चित्तौड़गढ़
23	B.P.C.L.	मै ओम श्री फयूल्स	अरनियापंथ	चित्तौड़गढ़
24	RELIANCE	मै.हारिस फिलिंग स्टेशन	चन्देरिया	चित्तौड़गढ़
25		मै.श्री रामदुत पैट्रोलियम किसान सेवा केन्द्र	बिजयपुर	चित्तौड़गढ़
	ESSAR	मै.लोर्ड कृष्णा फिलिंग स्टेशन	धनेतकलां	चित्तौड़गढ़

		मै. सांवरिया फिलिंग स्टेशन	बिजयपुर	चित्तौड़गढ़
तहसील निम्बाहेड़ा				
26	B.P.C.L.	मै. श्रीनिवास शारदा	निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
27	H.P.C.L.	मै. निम्बाहेडा फिलिंग स्टेशन	निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
28	I.O.C.L.	मै. नाकोडा फिलिंग स्टेशन	निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
29	H.P.C.L.	मै. सांवरिया सर्विस स्टेशन	जलिया	निम्बाहेडा
30	I.O.C.L.	मै. पावर पॉइन्ट	चरलिया ब्राहम्णान	निम्बाहेडा
31	I.O.C.L.	मै. मंगला फिलिंग स्टेशन	चरलिया ब्राहम्णान	निम्बाहेडा
32	H.P.C.L.	मै. कीर्ति रोड लाइन्स	मांगरोल	निम्बाहेडा
33	ESSAR	मै. छाजेड फिलिंग स्टेशन	कनेरा	निम्बाहेडा
34	I.O.C.L.	मै. बालाजी इण्डियन ऑयल	जलिया	निम्बाहेडा
35	I.O.C.L.	मै. हिना इण्डियन ऑयल	मांगरोल	निम्बाहेडा
36	B.P.C.L.	मै. बजरंग फिलिंग स्टेशन	चरलिया	निम्बाहेडा
37	I.O.C.L.	मै. कनेरा किसान सेवा केन्द्र	कनेरा	निम्बाहेडा
71	B.P.C.L.	मै. शारदा फिलिंग स्टेशन	लक्ष्मीपुरा	निम्बाहेडा
39	I.O.C.L.	कोको पम्प ग्राम सतखण्डा	सतखण्डा	निम्बाहेडा
40	ESSAR	केदार पैट्रोलियम प्रा.लि. बांगरेडा	बांगरेडा तह. निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
41	H.P.C.L.	मै. हिमालय प्रभू कृपा पैट्रोल पम्प, महमूदगंज,	महमूदगंज, तह. निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
42	I.O.C.L-	मै. पारस फिलिंग स्टेशन केली	केली तह. निम्बाहेड़ा	निम्बाहेडा
43	H.P.C.L.	मै. कीर्ति रोड़ लाईस यूनिट द्वितीय, पिपलियाकला	पिपलियाकला	निम्बाहेडा
44	I.O.C.L.	मै. मॉ बायणेश्वरी किसान सेवा केन्द्र, अरनोदा	तह. निम्बाहेड़ा	निम्बाहेडा
45	H.P.C.L.	गोतमेश्वर फिलिंग स्टेशन, निम्बाहेड़ा	तह. निम्बाहेड़ा	निम्बाहेडा
46	H.P.C.L.	मै. शिव फिलिंग स्टेशन, गांव मण्डागुल फरोशान	तह. निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
47	B.P.C.L.	मां गायत्री फिलिंग स्टेशन, गांव जावदा ग्रा.प. जावदा	तह. निम्बाहेडा	निम्बाहेडा
48	ESSAR	मे. गायत्री फिलिंग स्टेशन, साकरिया	तह. निम्बाहेड़ा	निम्बाहेडा
49	H.P.C.L.	मैसर्स श्रीसिद्वी विनायक फिलिग स्टेशन	नरसाखेड़ी	निम्बाहेडा
50	ESSAR	मैसर्स धनराज कोन्सोटियन एलपीजी	अहिसा सकिल निम्बाहेड़ा	निम्बाहेडा
51	ESSAR	मै.देवल कृपा फिलिंग स्टेशन,	ढोरिया	निम्बाहेडा
52	ESSAR	मै विनायक पैट्रोलियम	जलिया	निम्बाहेडा

53	H.P.C.L.	मै.तिरूपति फिलिंग स्टेशन,	रानीखेड़ा	निम्बाहेडा
54	RELIANCE	रिलायस पेट्रौ मार्केटिग	चरलिया ब्राहम्णान	निम्बाहेडा
55	ESSAR	मैसर्स धनराज कोन्सोटियन एलपीजी	बिनोता	निम्बाहेडा
तहसील गंगरार				
56	I.O.C.L.	मै. सांवरिया फिलिंग स्टेशन	गंगरार	गंगरार
57	B.P.C.L.	कोको पम्प, ग्राम सोनियाणा तह. गंगरार	सोनियाणा तह. गंगरार	गंगरार
58	B.P.C.L.	मै. ओम विनायक फिलिंग स्टेशन, गंगरार	तह. गंगरार	गंगरार
59	B.P.C.L.	मातेश्वरी फिलिंग स्टेशन, गंगरार	तहसील गंगरार	गंगरार
60	H.P.C.L.	मै. अनुराग पैट्रोलियम	आजोलिया का खेडा	गंगरार
61	I.O.C.L.	मै. शिवलहर पैट्रोलियम	आजोलिया का खेडा	गंगरार
62	H.P.C.L.	मै. चौधरी एच.पी.	डेट	गंगरार
63	ESSAR	श्री हरि पैट्रोलियम,सोनियाना	तह.गंगरार	गंगरार
64	I.O.C.L.	मै. टॉप वेल्यु इण्डियन ऑयल	चित्तौड भीलवाडा रोड,	गंगरार
65	H.P.C.L.	मे. सरस्वती किसान सेवा केन्द्र, साडास	साडास	गंगरार
66	I.O.C.L.	मै. गणपति फिलिंग स्टेशन, साडास	साडास	गंगरार
67	I.O.C.L.	मै. प्योर एण्ड फयूल स्टेशन	मेवाड यूनिवरसिटि के सामने	गंगरार
68		मै गायत्री फिलिंग स्टेशन, साडास	साडास	
तहसील बड़ीसादड़ी				
69	B.P.C.L.	मै. नन्दलाल रोडीलाल	बांसी बोहेडा	बडीसादडी
70	H.P.C.L.	मै. सांवरिया सर्विस स्टेशन	बडीसादडी	बडीसादडी
71	B.P.C.L.	मै. शारदा फिलिंग स्टेशन	लक्ष्मीपुरा	बडीसादडी
72	I.O.C.L.	मै. चम्पावत किसान सेवा केन्द्र	उत्तरवाडा तह. बडीसादडी	बडीसादडी
73	I.O.C.L.	मै. झालामान किसान सेवा केन्द्र, बान्सी	तह. बड़ीसादड़ी	बडीसादडी
74	I.O.C.L.	मै. पामेचा पैट्रोलियम, निकुम्भ रोड़, बड़ीसादड़ी	तह. बड़ीसादड़ी	बडीसादडी
75	ESSAR	मैसर्स भाग्यदोय फिलिग स्टेशन	लिकोड़ा	बडीसादडी
76	B.P.C.L.	रूपेश्वरी फिलिंग स्टेशन	निकुम्भ चौराहा	बडीसादडी
77	I.O.C.L.	मै. मेहता ऑटोमोबाइल्स	निकुम्भ चौराहा	बडीसादडी
78	ESSAR	मै.सावरिया फिलिग स्टेशन	सोमपुर	बडीसादडी
79	ESSAR	मै समता पेट्रोल पम्प	बोहेड़ा	बडीसादडी
80		मै.शिव पैट्रोलियम	पिण्ड	बडीसादडी
तहसील डूंगला				

81	I.O.C.L.	मै. मेहता ऑटोमोबाइल्स	निकुम्भ चौराहा	डूंगला
82	I.O.C.L.	मै. बी.के.अग्रवाल	मंगलवाड	डूंगला
83	I.O.C.L.	मै. मंगलवाड फिलिंग स्टेशन	मंगलवाड	डूंगला
84	RELIANCE	मै. रिलायंस पैट्रो मार्केटिंग प्रा. लि.	रोडजीकाखेडा मंगलवाड	डूंगला
85	I.B.P.C.L.	मै. गणपति पैट्रोलियम	डूंगला	डूंगला
86	H.P.C.L.	मे. ईस्ट वेस्ट गोल्डन, मंगलवाड	मंगलवाड तह. डूंगला	डूंगला
87	I.O.C.L.	श्रीनाथ किसान सेवा केन्द्र, बडवई	बडवई तह. डूंगला	डूंगला
88	I.O.C.L.	मै. श्री भैरव किसान सेवा केन्द्र, चिकारड़ा	तह. डूंगला	डूंगला
89	H.P.C.L.	उदय पैट्रोलियम, सूजाखेड़ा	तह. डूंगला	डूंगला
90	B.P.C.L.	मै. महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन, बड़वई	तह. डूंगला	डूंगला
91	B.P.C.L.	मै.एलवा मां फिलिग स्टेशन	माताखेड़ा	डूंगला
तहसील कपासन				
92	I.O.C.L.	मै. कृष्णा फिलिंग स्टेशन	कपासन	कपासन
93	I.O.C.L.	मै. कपासन फिलिंग स्टेशन	कपासन स्टेशन रोड	कपासन
94	I.O.C.L.	मै. कृष्णा फिलिंग स्टेशन	केसरखेडी तह. कपासन	कपासन
95	I.O.C.L.	मै. कपासन फिलिंग स्टेशन	कपासन हाई वे	कपासन
96	ESSAR	मे.पहाडिया फिलिंग स्टेशन, कपासन	कपासन	कपासन
97	H.P.C.L.	मे.मनसा फिलिंग स्टेशन, कपासन	कपासन	कपासन
98	B.P.C.L.	मै. दीपक फयूल	चित्तौड रोड, कपासन	कपासन
99	H.P.C.L.	मै. श्री शिव गणपति पैट्रोलियम	भगवानपुरा ग्रम पंचायत रोलिया	कपासन
100	I.O.C.L.	मै.रणछोड़ नाथ फिलिंग स्टेशन किसान सेवा	धमाना सुरजपुरा	कपासन
तहसील भूपालसागर				
101	ESSAR	श्री सांवलिया फिलिंग स्टेशन,	भूपालसागर	भूपालसागर
102	B.P.C.L.	प्रजापति फिलिंग स्टेशन,	भूपालसागर	भूपालसागर
103	B.P.C.L.	मै देव श्री फिलिंग स्टेशन,	कांकरवा	भूपालसागर
तहसील बेगूं				
104	I.O.C.L.	मै. शुगनचंद जैन एण्ड कंपनी	काटुन्दा मोड बेगूं	बेगूं
105	RELIANCE	मै. रिलायन्स पैट्रो मार्केटिंग प्रा.लि.	काटुन्दा, तह. बेगूं	बेगूं
106	H.P.C.L.	मै.सांई कृपा फिलिंग स्टेशन	खासा का खेडा, बेगूं	बेगूं
107	I.O.C.L.	कोको पम्प, ग्रम खासा का खेड़ा, बेगूं	खासा का खेड़ा, बेगूं	बेगूं

108	HPCL	बलवन्त पैट्रोलियम, नाथावतों का खेड़ा	तह. बेगूं	बेगूं
109	I.O.C.L.	मै. तिरूराज फिलिंग स्टेशन,लक्ष्मीपुरा (पारसोली)	लक्ष्मीपुरा बेगूं	बेगूं
110	ESSAR	मैसर्स पाटीदार पैटोलियम	रामपुरिया	बेगूं
111	B.P.C.L.	मै.पंचमुखी फिलिंग स्टेशन एण्ड कम्पनी	चेची रोड़ बेगू	बेगूं
तहसील रावतभाटा				
112	I.O.C.L.	मै. उमा ऑयल कंपनी	रावतभाटा	रावतभाटा
113	I.O.C.L.	श्री विज्ञान फिलिग स्टेशन	रावतभाटा	रावतभाटा
114	H.P.C.L.	मै. हरिपुरा एच.पी.	हरिपुरा	रावतभाटा
115	I.O.C.L.	यश किसान सेवा केन्द्र	मेघनिवास	रावतभाटा
116	I.O.C.L.	मै. श्रीविष्णु फिलिंग स्टेशन, सेमलिया	खातीखेड़ा,	रावतभाटा
117	ESSAR	मै.कर्तव्य फिलिंग स्टेशन	तम्बालिया	रावतभाटा
118	B.P.C.L.	मै श्री कोटड़ा बालाजी फिलिंग स्टेशन,	देवपुरा	रावतभाटा
तहसील राशमी				
119	I.O.C.L.	मै. रवि फिलिंग स्टेशन	राशमी	राशमी
120	I.O.C.L.	मै. श्री किसान सेवा केन्द्र, उपरेड़ा	तह. राशमी	राशमी
121	I.O.C.L.	शिवम किसान सेवा केन्द्र, हरनाथपुरा	तहसील राशमी	राशमी
122	ESSAR	मै.सदभाव फिलिंग स्टेशन पहुना	पहुना	राशमी
123	B.P.C.L.	मै शिव कृपा फिलिंग स्टेशन	रूद	राशमी
तहसील भदेसर				
124	N.R.L.	मां वक्रांगी पैट्रोलियम, होडा	होडा (भदेसर)	भदेसर
125	B.P.C.L.	श्री सांवरिया फिलिंग स्टेशन, कुरेठा तह. भदेसर	कुरेठा तह. भदेसर	भदेसर
126	B.P.C.L.	श्री सांवरिया फिलिंग स्टेशन, कुरेठा तह. भदेसर	कुरेठा तह. भदेसर	भदेसर
127	I.O.C.L.	मे. विराट फिलिंग स्टेशन नपानिया	तह. भदेसर	भदेसर
128	I.O.C.L.	मैं आशापुरा किसान सेवा केन्द्र गाडरियों की ढाणी	तह. भदेसर	भदेसर
129	H.P.C.L.	मातेश्वरी फिलिंग स्टेशन, असावरा	तहसील भदेसर	भदेसर
130	I.O.C.L.	मै. सिद्धार्थ फिलिंग स्टेशन, भादसोड़ा चौराहा	तहसील भदेसर	भदेसर
131	B.P.C.L.	मै. देव दर्शन फिलिग स्टेशन	खोखरियाखेड़ी,	भदेसर
132	B.P.C.L.	मै. कुबेर फिलिग स्टेशन	नपानिया	भदेसर
133	I.O.C.L.	मै. केशव फिलिंग स्टेशन,	नपानिया	भदेसर

परिशिष्ट –17

छविगृहों की सूची

क्र. सं.	छविगृह का नाम	स्थान
1.	चन्द्रलोक	चित्तौड़गढ़
2.	बजरंग	बेंगू
3.	सांवरिया	बेंगू
4.	नावल्टी	निम्बाहेड़ा
5.	श्री महालक्ष्मी	निम्बाहेड़ा
6.	कैलाश	कपासन
7.	पारस	बड़ीसादड़ी

परिशिष्ट –18

गैस ऐजेन्सियों तथा गोदामों की सूची

क्र. स.	गैस एजेन्सीयों का नाम व पता	Capacity	Work Force	Safety Equipment	कम्पनी का नाम	टेलिफोन न.
1	चित्तौड़गढ़ गैस सर्विस, चित्तौड़गढ़	12000	10	2 Fire Pumps 6 Bucket	I.O.C.L.	241294
2	मैत्री गैस, बिड़ला सिमेन्ट वर्क्स स्टाफ सहकारी समिति	6000	4	2 Fire Pumps 6 Bucket	I.O.C.L.	
3	गायत्री गैस सर्विस, चित्तौड़गढ़	12000	7	2 Fire Pumps 6 Bucket	B.P.C.L.	241932
4	कालिका गैस सर्विस, निम्बाहेड़ा	12000	8	2 Fire Pumps 6 Bucket	B.P.C.L.	220249
5	बेगूं गैस सर्विस, बेगूं	12000	8	2 Fire Pumps 6 Bucket	I.O.C.L.	220486
6	रावतभाटा हेवीवाटर प्रोजेक्ट एम्पलाईज कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, रावतभाटा	12000	10	2 Fire Pumps 6 Bucket	H.P.C.L.	
7	अणुशक्ति सहकारी उपभोक्ता भण्डार, रावतभाटा	12000	10	2 Fire Pumps 6 Bucket	H.P.C.L.	233205 233307
8	आदित्य सीमेन्ट कर्मचारी सहाकरी उपभोक्ता भण्डार लि. आदित्य नगर, शम्भूपुरा	6000	3	2 Fire Pumps 6 Bucket	H.P.C.L.	
9	हिन्दुस्तान जिंक कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. जिंक नगर	6000	4	2 Fire Pumps 6 Bucket	I.O.C.L.	243456 माण 577
10	दीपक गैस एजेन्सी, कपासन	12000	5	2 Fire Pumps 6 Bucket	H.P.C.L.	231275
11	मै. राजदीप एच.पी. गैस सेन्टर, बड़ीसादड़ी	9000	5	2 Fire Pumps 6 Bucket	H.P.C.L.	264762
12	मै. गंगरार इण्डेन गैस, गंगरार	12000	5	2 Fire Pumps 6 Bucket	I.O.C.L.	220908
13	मै. राशमी इण्डेन गैस, राशमी	12000	4	2 Fire Pumps 6 Bucket	I.O.C.L.	226797

भूकम्प के दौरान उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची

तहसील	नाम उपकरणों	स्थान / पता	सम्बन्धित व्यक्ति	फोन
चित्तौड़गढ़	जे.सी.बी.	अमोल अग्रवाल सेंती	अमोल अग्रवाल	241469
चित्तौड़गढ़	जे.सी.बी.	नाकोड़ा मोटर्स सेती		241947
चित्तौड़गढ़	जे.सी.बी.	प्रकाश इलेक्ट्रिकलस पुराना बस स्टैण्ड		240474
चित्तौड़गढ़	जे.सी.बी.	पुरोषत्तम लाल पुरोहित भेरड़ा	पुरोषत्तम लाल	242118
चित्तौड़गढ़	जे.सी.बी.	आदित्य सीमेन्ट सावा		220192
चित्तौड़गढ़	जे.सी.बी.	भरत कुमार झंवर	भरत कुमार	283592
चित्तौड़गढ़	जे.सी.बी.	मुबारिक खान	मुबारिक खान	
चित्तौड़गढ़	पानी का टेंकर	जगदीश पालीवाल प्रतापनगर		240283
चित्तौड़गढ़	पानी का टेंकर	सलुजा अमरजीत पंचवटी सेंती		248383
चित्तौड़गढ़	ट्रक	मै. मेहता ट्रॉसपोर्ट, शम्भुपुरा		220292 220334
चित्तौड़गढ़	ट्रक	मै. चौधरी ट्रॉसपोर्ट, शम्भुपुरा		222136
चित्तौड़गढ़	ट्रक	मै. विशाल ट्रॉसपोर्ट, चित्तौड़गढ़		242844
गंगरार	जे.सी.बी.	बी.सी. डब्ल्यू. सरस्वती ट्रॉसपोर्ट		.
गंगरार	जे.सी.बी.	पुरोषत्तम लाल पुरोहित		
गंगरार	पानी का टेंकर	श्री नन्द गिरी		220309
निम्बाहेड़ा	जे.सी.बी.	सुरेन्द्र कुमार डूंगरवाल नीमच फाटक		220318
निम्बाहेड़ा	जे.सी.बी.	ओंकार लाल आंजना, छोटी सादड़ी रोड़, कृर्षि उपज मण्डी के सामने		222766
निम्बाहेड़ा	जे.सी.बी.	पूरण मल आंजना पेंच		220125
निम्बाहेड़ा	जे.सी.बी.	अशोक चौधरी पुरोहित ढाबा के पास		222177
निम्बाहेड़ा	जे.सी.बी.	जे. के. सीमेन्ट वर्क्स		220098
निम्बाहेड़ा	क्रेन	जे. के. सीमेन्ट वर्क्स		220098

निम्बाहेड़ा	पानी का टेंकर	कुमावत टेंकर्स	प्रकाश कुमावत	222131
निम्बाहेड़ा	पानी का टेंकर	बारोदिया टेंकर्स	रंग लाल कुमावत	221041
निम्बाहेड़ा	पानी का टेंकर	आशिक टेंकर्स चंदन चौक	एजाज अहमद	223134
निम्बाहेड़ा	ट्रक	यू. बी. रोड़ लाईन्स		220066
निम्बाहेड़ा	ट्रक	एस.जी. केरियर कार्पोरेशन		220081
बेंगू	जे.सी.बी.+ क्रेन	नाना लाल धाकड़, तुरकड़ी		
बेंगू	जे.सी.बी.+ क्रेन	बंशी लाल भीमा नाई निवासी रावड़दा		
बेंगू	जे.सी.बी.+ क्रेन	सूरज मल पिता भूरा मीणा निवासी मेनाल		
बेंगू	पानी का टेंकर	कैलाश पिता शिव लाल खटीक		220002
बेंगू	पानी का टेंकर	नजीर मोहम्मद		220196
बेंगू	पानी का टेंकर	नगर पालिका		220110
बेंगू	ट्रक	नवीन गोल्डन ट्रॅासपोर्ट		220171
बेंगू	ट्रक	खेमराज लकी ट्रॅासपोर्ट		220650

परिशिष्ट –19

आग से निपटने हेतु उपलब्ध साधन व उपकरण

तहसील	अग्निशमन वाहन (दमकल) संख्या	अधिकारी (नाम व पता)	कर्मचारी (संख्या)	आग बुझाने के उपकरण	फोन नं.
चित्तौड़गढ़	3	नगर पालिका	14	पोर्टेबल फायर पम्प–1	241101
				बी. ए. सेट–1	
				एल्युमिनियम सूट–1	
चित्तौड़गढ़	1	आदित्य सीमेन्ट सावा	..	..... "	220192
निम्बाहेड़ा	1	नगर पालिका	10	..... "	220092
गंगरार	2	हिन्दूस्तान जिंक प्रा. लि. पुठोली	..	1 Fire Tender 1 Foam Tender	256438 254501

नगरपालिका निम्बाहेड़ा मे कार्यरत फायर स्टाफ के टेलीफोन नं. की सूची

क्र.सं0	नाम कर्मचारी	पदनाम	मोबाईल नं.
1.	श्री अब्दुल लतीफ खॉन	प्रभारी फायर अनुभाग	9001440144
2.	श्री मो. सईद खॉन	फायरमेन	9694881233
3.	श्री केसरसिंह बावरी	फायरमेन	9414291065
4.	श्री अजय रजक	फायरमेन	9782476270
5.	श्री आबिद खाँ	वाहन चालक	7728802340
6.	श्री भगवतीलाल मीणा	अनुज्ञाधारी वाहन चालक	9001811799
7.	श्री कालुराम मेघवाल	अनुज्ञाधारी वाहन चालक	9950110689
8.	श्री रतनलाल कोली	अनुज्ञाधारी वाहन चालक	8890848251
9.	श्री भैरूलाल–मॉंगीलाल	सहायक कर्मचारी	9784569004
10.	श्री मेहमूद गौरी	सहायक कर्मचारी	9166137241
11.	श्री नाथुलाल भांबी	सहायक कर्मचारी	9001218084
12.	श्री राधेश्याम कुम्हार	सहायक कर्मचारी	01477220092

परिशिष्ट –20

राहत सामग्री की सूची

• प्लेट (थाली) –2, • कटोरी –2, • गिलास (स्टील) –2, • बड़ा पतीला –1, • तूअर की दाल – 2 कि.ग्रा. • गेंहू का आटा –5 कि.ग्रा. • मोमबत्ती –1पैकेट • आलू – 2 कि. ग्रा. • प्याज – 1कि. ग्रा.,	• मिर्च पाउडर 250 ग्राम, • हल्दी पाउडर 250 ग्राम, • धनियां–जीरा 250 ग्राम, • तेल 1 कि. ग्रा. (प्लास्टिक बोतल), • धोती –1,

राजकीय वाहनों की सूची

क्र.सं.	वाहन संख्या	वाहन किस्म	विभाग का नाम
1.	RJ-09-CB-2039 RJ-14-UB-4979	कार डिजायर सफारी	डी.एम.
2.	RJ-09-CA-4678	कार	ए.डी.एम. प्रथम
3.	RJ-09-UA-4966	बोलेरो	ए.डी.एम. द्वितीय
4	RJ-09 UA 1707	बोलेरो	रिजर्व जिला पूल
5.	RJ-09 UA 3174	बोलेरो	एस.डी.ओ.चितौडगढ
6.	RJ-09 UA 3163	बोलेरो	एस.डी.ओ. निम्बाहेड़ा
7.	RJ-09 UA 3162	बोलेरो	एस.डी.ओ. कपासन
8	RJ-09 UA 3665	जीप	एस.डी.ओ. बेंगू
9.	RJ-09 UA 3175	बोलेरो	एस.डी.ओ. बड़ी सादड़ी
10	RJ-09 UA 2461	बोलेरो	एस.डी.ओ. राशमी
11	RJ-09 UA 2462	बोलेरो	एस.डी.ओ. भदेसर
12	RJ-09 UA 2463	बोलेरो	एस.डी.ओ. डूंगला
13	RJ-09 UA 1727	बोलेरो	एस.डी.ओ. गंगरार
14	RJ-09 UA 3176	बोलेरो	एस.डी.ओ. रावतभाटा
15.	RJ-09 C 1718	जीप्सी	रिजर्व
16	RJ-09 UA 3660	स्पेशियो	रिजर्व
11.	RJ-09 UA 3153	बोलेरो	तहसीलदार चित्तौड़गढ़
12.	RJ-09 UA 3156	बोलेरो	तहसीलदार निम्बाहेड़ा
13.	RJ-09 UA 3155	बोलेरो	तहसीलदार कपासन
15.	RJ-09 C 2733	जीप	तहसीलदार डूंगला
16.	RJ-09 UA 3170	बोलेरो	तहसीलदार राशमी
17.	RJ-09 UA 3154	बोलेरो	तहसीलदार बेंगू

18.	RJ-09 UA 2150	बोलेरो	तहसीलदार भदेसर
19.	RJ-09 UA 3151	बोलेरो	तहसीलदार गंगरार
20.	RJ-09 UA 3171	बोलेरो	तहसीलदार रावतभाटा
21.	RJ-09 UA 3152	बोलेरो	तहसीलदार बड़ीसादड़ी
22.	RJ-09 C 477	जीप	परि. प्रबन्धक अनु. जा. सह. नि. चित्तौड़गढ़
22.	RJ-07 C 437	जीप	जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़
23.	RJ-09 C 400	जीप	पी.आर. ओ. चित्तौड़गढ़
24.	RJX 3603	जीप	जिला साक्षरता अधिकारी चित्तौड़गढ़
25.	RNV 1921	कार	पी. डब्ल्यू. डी. चित्तौड़गढ़
26.	RNV 1695	जीप	पी. डब्ल्यू. डी. चित्तौड़गढ़
27.	RRB 6280	जीप	पी. एच. ई. डी. चित्तौड़गढ़
28.	RRB 2766	ट्रक	पी. एच. ई. डी. चित्तौड़गढ़
29.	RSZ 8302	ड्रिल मशीन	पी. एच. ई. डी. चित्तौड़गढ़
30.	RNZ 5867	ट्रक	पी. एच. ई. डी. चित्तौड़गढ़
31.	RJ-14C 7918	जीप	सहायक निदेशक उद्यान विभाग चित्तौड़गढ़
32.	RNX 1451	जिप्सी	उपवन संरक्षक, चित्तौड़गढ़
33.	RJ-09 VA 0013	जिप्सी	उपवन संरक्षक, चित्तौड़गढ़
34.	RJ-27 C 2448	जीप	उपवन संरक्षक, चित्तौड़गढ़
35.	RJ-09 G 231	केन्टर	उपवन संरक्षक, चित्तौड़गढ़
36.	RNG 3410	केन्टर	उपवन संरक्षक, चित्तौड़गढ़
37.	RJ-09 R 1404	टैक्टर	उपवन संरक्षक, चित्तौड़गढ़
38.	RJ-27 UA 425	जीप	खनिज विभाग चित्तौड़गढ़
39.	RJ-14 C 5009	जीप	उप निदशक कृषि विभाग चित्तौड़गढ़
40.	RJ-14 C 4980	जीप	सहा. निदेशक कृषि विभाग कपासन
43.	RJ-09 C 1894	जीप	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक चित्तौड़गढ़
44.	RJ-09 742	जीप	सहा. अभि. सिंचाई उपखण्ड द्वितीय चित्तौड़गढ़
45.	RJH 5268	जीप	सहा. अभि. सिंचाई उपखण्ड प्रथम चित्तौड़गढ़
46.	RJH 3185	जीप	सहा. अभि. सिंचाई उपखण्ड भोपालसागर
47.	RJH 3036	जीप	सहा. अभि. सिंचाई उपखण्ड प्रथम डूंगला
48.	RJH 3792	जीप	सहायक अभि. सिंचाई उप खण्ड प्रथम बेंगू
49.	RJ09 C5011	जीप	अधि. अभि. ज.सं. खण्ड चित्तौड़गढ़

50.	RJH 3733	जीप	सहायक अभि. सिंचाई गु .नि. चित्तौड़गढ़
51	RJ-14 C 6920	जीप	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र चित्तौड़गढ़
52	RJ-09 C 0699	जीप	सहा. निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़
53	RSG 9026	जीप	वरिष्ठ भू–जल वैज्ञानिक चित्तौड़गढ़
54	RJ-14 C 6712	जीप	उप. निदेशक पशु पालन विभाग चित्तौड़गढ़
55	RJ-14 G 7556	ट्रक	उप. निदेशक पशु पालन विभाग चित्तौड़गढ़
56	RJ-09-UA-3472	सफारी	जिला प्रमुख, जिला परिषद चित्तौड़गढ़
57	RJ-09-UA-5711	बोलेरो	जिला परिषद चित्तौड़गढ़
58	RJ-09-CA-2471	कार	जिला परिषद चित्तौड़गढ़
59.	RJ-09-CA-0306	कार	जिला परिषद चित्तौड़गढ़
61.	RJ-27 1C 5851	कार	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
63.	RJ-09 U0292	क्वालिस	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
64.	RJ-09 U0311	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
65	RJ-09 U0277	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
66	RJ-09 U0445	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
67	RJ-09 U0434	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
68	RJ-09 U0531	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
69	RJ-09 C3893	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
70	RJ-09 0282	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
71	RJ-09 0297	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
72	RJ-09 U 0291	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
73	RJ-09 C3899	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
74	RJ-09 C 3865	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
75	RJ-09 FA0033	जिप्सी	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
76	RJ-09 C4786	बोलेरो	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
77	RJ-09 C4451	बोलेरो	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
78	RJ-09 UA1787	बोलेरो	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़

79	RJ-09 UA1791	बोलेरो	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
80	RJ-09 U508	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
81	RJ-09 U499	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
82	RJ-09 C4942	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
83	RJ-09 C2233	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
84	RJ-09 C4322	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
85	RJ-09 U0496	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
86	RJ-09 U515	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
87	RJ-09 U507	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
88	RJ-09 U266	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
89	RJ-09 C4787	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
90	RJ-09 U268	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
91	RJ-09 U493	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
92	RJ-09 U495	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
93	RJ-09 5C6512	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
94	RJ-09 C4943	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
95	RJ-09 U491	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
96	RJ-09 U492	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
97	RJ-09 C4324	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
98	RJ-09 C2822	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
99	RJ-09 C4326	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
100	RJ-09 C3255	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
101	RJ-09 C3511	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
102	RJ-09 UA1459	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
103	RJ-09 UA1721	जीप	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़

104	RJ-09 E3733	एम्बुलेंस	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
105	RJ-09 UA1026	टाटा स्पेशियो	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
106	RJ-09 G1622	मिनी ट्रक	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
107	RJ-09PA0335	मिनी बस	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
108	RJ-09 G1722	ट्रक	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
109	RJ-09 G1922	ट्रक	पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़
110	RJ-09 U 0210	टाटा स्पेसीयो जीप	चिकित्सा विभाग चित्तौड़गढ़
111	RJ-09 C 4389	जीप	चिकित्सा विभाग चित्तौड़गढ़
112	RPI 8737	जीप	चिकित्सा विभाग चित्तौड़गढ़
113	RSH 5674	जीप	चिकित्सा विभाग चित्तौड़गढ़
114	RJ-09 PA 0107	बस	चिकित्सा विभाग चित्तौड़गढ़
115	RJ-09 C 4391	जीप	चिकित्सा विभाग चित्तौड़गढ़
116	RSH 5675	जीप	चिकित्सा विभाग चित्तौड़गढ़
117	RJ-09 C 4082	जीप	चिकित्सा विभाग चित्तौड़गढ़
118	RJ-06 C 946	जीप	भू सरंक्षण जल ग्रहण चित्तौड़गढ़
119	RJ-09 T 262	जीप	प. स. कपासन
120	RJ-14 2C 460	जीप	प. स. बैंगू
121	RJ-09 UA316	जीप	प. स. निम्बाहेड़ा
122	RJ-20 T 0737	जीप	प. स. भैंसरोड़गढ़
123	RJ-09 C 221	जीप	प. स. भदेसर
124	RJ-09 C 129	जीप	प. स. भोपाल सागर
125	RJ-14 1C 4725	जीप	प. स. बड़ीसादड़ी
126	RJ-14 C 5460	जीप	प. स. डूंगला
127	RJ-14 1C 8810	जीप	प. स. राशमी

30.1 जिले में उपलब्ध अन्य वाहनों की सूची

S.N.	Type of Vehcile	Firm	Area of Operation
1.	Truck Services	U.B. Roadlines	NImbahera
2.	Truck Services	M/s S.G. Carieer	Nimbahera

		Corporation	
3.	Truck Services	M/s Sharda Travels Agencies	NImbahera
4.	Truck Services	M/s Vijay Prakash Sharda	Nimbahera
5.	Truck Services	M/s Annu Transport	Chanderiya
6.	Truck Services	M/s Chetak Cement Corp.	Chanderiya

पुलिस विभाग के पास उपलब्ध उपकरणों व वाहनों की सूची

Type of equipment	Number	Location	Range
H.F.	02	R.P.L	500 K.M.
V.H.F.	231	PS/OP/MOBILE/OTHER	60 K.M.

Station	equipment	Police Force	Dogsqad	Vehicles (on Road)
P.S.-29 OP- 28 MOBILE-74 Other-13	2 WATT-**116** 20 WATT-**231**	S.P-1 ASP-2, DYSP-08, INS.-16, S.I- 39, ASI- 94, HC- 265, FC- 1407 (213 Under Trg)	RPL-2	HEAVY-05 MEDIUM-08 LIGHT-60 M/C-97 Scoty-04

पुलिस विभाग के पास उपलब्ध वाहनों की नवीनतम स्थिति

क्र0सं0	वाहन संख्या	वाहन किस्म	विभाग का नाम
लाईट वाहन			
1	RJ09CB2552	SWIFT DZIRE	पुलिस विभाग
2	RJ14UF6867	ERTIGA	
3	RJ09 UA 9274	ERTIGA	
4	RJ08 UA 9275	ERTIGA	

5	RJ09UA-3791	BOLERO	
6	RJ09UA-2565	BOLERO	
7	RJ09UA-2664	BOLERO	
8	RJ09UA-3928	BOLERO	
8	RJ09UA-4042	BOLERO	
9	RJ09UA-4043	BOLERO	
10	RJ09UA-4044	BOLERO	
11	RJ09UA-4045	BOLERO	
12	RJ09UA-4046	BOLERO	
13	RJ09UA-4047	BOLERO	
14	RJ09UA-4692	BOLERO	
15	RJ09UA-4693	BOLERO	
16	RJ09UA-4694	BOLERO	
17	RJ09UA-4695	BOLERO	
18	RJ09UA-5807	BOLERO	
19	RJ09UA5933	BOLERO	
20	RJ09UA-6794	BOLERO	
21	RJ09UA8010	BOLERO	
22	RJ09GB3543	BOLERO Cmpr	
23	RJ09GB3544	BOLERO Cmpr	
24	RJ09UA7095	BOLERO	
25	RJ09 UA 9317	TUV 300	
26	RJ09 UA 9318	TUV 300	
27	RJ09 UA 9319	TUV 300	
28	RJ14UB-8548	INT.CEPTOR	
29	RJ14-UF-6867	INT.CEPTOR	
30	RJ09UA4463	TAVERA	
31	RJ09UA5437	TAVERA	

32	RJ09UA3795	JEEP THAR	

2

33	RJ09UA3793	JEEP THAR	पुलिस विभाग
34	RJ09UA4051	JEEP THAR	
35	RJ09UA4305	JEEP THAR	
36	RJ09UA4307	JEEP THAR	
37	RJ09UA4308	JEEP THAR	
38	RJ09UA4310	JEEP THAR	
39	RJ09UA4311	JEEP THAR	
40	RJ09UA4312	JEEP THAR	
41	RJ09UA4313	JEEP THAR	
42	RJ09UA4315	JEEP THAR	
43	RJ09UA4339	JEEP THAR	
44	RJ09UA4340	JEEP THAR	
45	RJ09UA4464	JEEP THAR	
46	RJ09UA4465	JEEP THAR	
47	RJ09UA4772	JEEP THAR	
48	RJ09UA4773	JEEP THAR	
49	RJ09UA5808	JEEP THAR	
50	RJ09UA5809	JEEP THAR	
51	RJ09UA8009	JEEP THAR	
52	RJ09UA9083	JEEP THAR	
53	RJ09UA9084	JEEP THAR	
54	RJ09UA9085	JEEP THAR	
55	RJ09UA9086	JEEP THAR	
56	RJ09UA9087	JEEP THAR	

57	RJ09UA9088	JEEP THAR	
58	RJ09UA9089	JEEP THAR	

मिडीयम वाहन			
1	RJ09GB3221	MEDIUM Tnkr	पुलिस विभाग
2	RJ09PA-0335	MINIBUS	
3	RJ09PA-2965	MINIBUS	
4	RJ09PA-2956	MINIBUS	
5	RJ09PA-3314	MINIBUS	
6	RJ09PA3720	MINIBUS	
7	RJ09GB5049	MINITRUCK	
8	RJ09GC 2783	MINITRUCK	

हेवी वाहन			
1	RJ09GB3220	TRUCK	पुलिस विभाग
2	RJ09GB1474	TRUCK	
3	RJ09PA-1728	BUS	
4	RJ141G8916	WATERCANON	
5	RJ09UA4918	VJRA 207	

मोटर साईकिल			
1	RJ09 7M-0534	M.CYCLE	पुलिस विभाग
2	RJ09 7M-0523	M.CYCLE	
3	RJ09 7M-0527	M.CYCLE	
4	RJ09 7M-0530	M.CYCLE	
5	RJ09 7M-0537	M.CYCLE	
6	RJ09 7M-0538	M.CYCLE	
7	RJ09 SA-255	M.CYCLE	

8	RJ09SA-7764	M.CYCLE	

3

9	RJ09SA-7765	M.CYCLE	पुलिस विभाग
10	RJ09SA-7767	M.CYCLE	
11	RJ09SA-1430	M.CYCLE	
12	RJ09SB-1431	M.CYCLE	
13	RJ09SB-1432	M.CYCLE	
14	RJ09SG-5811	M.CYCLE	
15	RJ09SG-9001	M.CYCLE	
16	RJ09SG-9801	M.CYCLE	
17	RJ09SG-9807	M.CYCLE	
18	RJ09SG-9806	M.CYCLE	
19	RJ09SG-9805	M.CYCLE	
20	RJ09SG-9804	M.CYCLE	
21	RJ09SG-9803	M.CYCLE	
22	RJ09SG-9802	M.CYCLE	
23	RJ09SM-1901	M.CYCLE	
24	RJ09SP-2731	M.CYCLE	
25	RJ09SP-2732	M.CYCLE	
26	RJ09SP-2733	M.CYCLE	
27	RJ09SP-2734	M.CYCLE	
28	RJ09SP-2735	M.CYCLE	
29	RJ09SP-2736	M.CYCLE	
30	RJ09SP-2737	M.CYCLE	
31	RJ09SS-0773	M.CYCLE	
32	RJ09SS-0772	M.CYCLE	

33	RJ09SS-0771	M.CYCLE
34	RJ09SS-0770	M.CYCLE
35	RJ09SS-0769	M.CYCLE
36	RJ09SU8902	M.CYCLE
37	RJ09SV5461	M.CYCLE
38	RJ09SV5462	M.CYCLE
39	RJ09SV5463	M.CYCLE
40	RJ09SV5464	M.CYCLE
41	RJ09SV5465	M.CYCLE
42	RJ09SV5466	M.CYCLE
43	RJ09SV5467	M.CYCLE
44	RJ09SV7124	M.CYCLE
45	RJ09SV7125	M.CYCLE
46	RJ09SY1765	M.CYCLE
47	RJ09SY1766	M.CYCLE
48	RJ09SY1767	M.CYCLE
49	RJ09SY1768	M.CYCLE
50	RJ09SY1769	M.CYCLE
51	RJ09SY1770	M.CYCLE
52	RJ09SY1771	M.CYCLE
53	RJ09SY1772	M.CYCLE
54	RJ09SY1773	M.CYCLE
55	RJ09SY1774	M.CYCLE
56	RJ09SY1775	M.CYCLE
57	RJ09SY1776	M.CYCLE
58	RJ09SY1778	M.CYCLE
59	RJ09SY1779	M.CYCLE
60	RJ09SY1780	M.CYCLE

61	RJ09SY1781	M.CYCLE
62	RJ09SY1782	M.CYCLE

4

63	RJ09SY1783	M.CYCLE
64	RJ09SY1784	M.CYCLE
65	RJ09SY1785	M.CYCLE
66	RJ09SY4201	M.CYCLE
67	RJ09SZ 5290	M.CYCLE
68	RJ09SZ5291	M.CYCLE
69	RJ09BS 6395	M.CYCLE
70	RJ09BS6396	M.CYCLE
71	RJ09BS6394	M.CYCLE
72	RJ09BS6397	M.CYCLE
73	RJ09BS6398	M.CYCLE
74	RJ09BS6401	M.CYCLE
75	RJ09BS6402	M.CYCLE
76	RJ09BS6403	M.CYCLE
77	RJ09BS6404	M.CYCLE
78	RJ09BS6405	M.CYCLE
79	RJ09BS6406	M.CYCLE
80	RJ09BS6407	M.CYCLE
81	RJ09BS6408	M.CYCLE
82	RJ09BS6409	M.CYCLE
83	RJ09BS6410	M.CYCLE
84	RJ09BS6411	M.CYCLE
85	RJ09BS6412	M.CYCLE

86	RJ09BS6413	M.CYCLE	
87	RJ09BS6414	M.CYCLE	
88	RJ09BS6415	M.CYCLE	
89	RJ09BS6416	M.CYCLE	
90	RJ09BS6417	M.CYCLE	
91	RJ09BS6418	M.CYCLE	
92	RJ09BS6419	M.CYCLE	
93	RJ09BS6420	M.CYCLE	
94	RJ09BS6392	M.CYCLE	
95	RJ09FS 4688	M.CYCLE	
96	RJ09FS4689	M.CYCLE	
97	RJ09FS4690	M.CYCLE	
98	RJ09FS7619	HONDA ACTIVA 5G DLX	
99	RJ09FS 7620		
100	RJ09FS7621		
101	RJ09FS 7622		

परिशिष्ट –23

पावर स्टेशनों की सूची

क्र. सं.	पंचायत का नाम	तहसील	उपखण्ड का नाम	सब स्टेशन का नाम	**क्षमता (एमवीए)**	टेलिफोन नं.	
1	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(वि)चित्तौड़गढ़	सैती	**2 x 5.0**	01472	325735
2	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(वि)चित्तौड़गढ़	चन्देरिया	**1 x 5.0**	01472	325725
3	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(वि)चित्तौड़गढ़	पुराना पावर	**2 x 3.15**	01472	325733
4	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(वि)चित्तौड़गढ़	डाइट रोड़	**1 x 5.0**	01472	325734
5	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(वि)चित्तौड़गढ़	घोसुण्डा	**1 x 3.15**	01472	243370
6	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(ग्रा)चित्तौड़गढ़	पाण्डोली	**2 x 3.15**	01472	244123
7	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(ग्रा)चित्तौड़गढ़	विजयपुर	**1 x 3.15+1x1.0**		
8	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(ग्रा)चित्तौड़गढ़	मानपुरा	**2 x 3.15**	01472	325721
9	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(ग्रा)चित्तौड़गढ़	सावा	**3 x 3.15+1x1.6**	01472	223033
10	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(ग्रा)चित्तौड़गढ़	बस्सी	**3 x 3.15+1x1.6**	01472	225233
11	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(ग्रा)चित्तौड़गढ़	घटियावली	**2 x 3.15**		
12	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(ग्रा)चित्तौड़गढ़	जालमपुरा	**1 x 3.15**		
13	गंगरार	गंगरार	(वि)गंगरार	गंगरार	**1x5.0+1 x 3.15**	01471	220231
14	गंगरार	गंगरार	(वि)गंगरार	कुंवालिया	**1 x 3.15+1.50**	01471	285127
15	गंगरार	गंगरार	(वि)गंगरार	**आजो. का खेड़ा**	**1x5.0+1 x 3.15**	01471	255900

16	गंगरार	गंगरार	(वि)गंगरार	इन्दौरा	**2 x 3.15**	01471	224468
17	बेगूं	बेगूं	(वि) बेगूं	बैंगू	**1x5.0+2 x 3.15**	01474	220159
18	बेगूं	बेगूं	(वि) बेगूं	पारसोली	**1 x 3.15+1.0**	01474	231830
19	बेगूं	बेगूं	(वि) बेगूं	आवलहेड़ा	**2 x 3.15**	01474	231590
20	बेगूं	बेगूं	(वि) बेगूं	चेंची	**1 x 3.15**	01474	231640
21	बेगूं	बेगूं	(वि) बेगूं	काटुंदामोड़	**2 x 3.15**	01474	231130
22	भैसरोड़गढ	रावतभाटा	(वि)रावतभाटा	कुआखेड़ा	**1x1.6+2 x 1.6**	01475	
23	भैसरोड़गढ	रावतभाटा	(वि)रावतभाटा	जावदा	**1x 3.15+1x1.6**	01475	270340
24	भैसरोड़गढ	रावतभाटा	(वि)रावतभाटा	एकलिंगपुरा	**1 x 3.15**	01475	262001
25	भैसरोड़गढ	रावतभाटा	(वि)रावतभाटा	बौराव	**2 x 3.15**	01475	270406
26	भैसरोड़गढ	रावतभाटा	(वि)रावतभाटा	पावरहाऊस	**2x 3.15+1x1.0**	01475	235900
27	राशमी	राशमी	(वि) राशमी	राशमी	**1x 3.15+1x5.0**	01471	226322
28	राशमी	राशमी	(वि) राशमी	पहुँना	**1 x 5.0**		
29	कपासन	कपासन	(वि) कपासन	कपासन	**1x5.0+1 x 1.6**	01476	230240
30	कपासन	कपासन	(वि) कपासन	सिंहपुर	**2 x 3.15**	01476	229340
31	कपासन	कपासन	(वि) कपासन	हथियाना	**1x 3.15+1x1.6**		
32	भोपालसागर	कपासन	(वि) भोपालसागर	भोपालसागर	**1x 3.15+1x1.0**	01476	224244
33	भोपालसागर	कपासन	(वि) भोपालसागर	आकोला	**1x 5.0**		
34	भदेसर	भदेसर	(वि) भदेसर	भदेसर	**1x 3.15+1x2.5**	01470	243225
35	भदेसर	भदेसर	(वि) भदेसर	कन्नोज	**1x 3.15+1x1.6**		
36	भदेसर	भदेसर	(वि) भदेसर	भादसोड़ा	**1 x 3.15**	01470	245517
37	भदेसर	भदेसर	(वि) भदेसर	बानसेन	1x5.0		
38	भदेसर	भदेसर	(वि) भदेसर	मण्डफिया	**1 x 3.15**	01470	242100

39	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(वि)निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	1x5.0	01477	220080
40	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(वि)निम्बाहेड़ा	कनेरा	1x5.0+1x3.15	01477	246241
41	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(वि)निम्बाहेड़ा	दशहरा मैदान	2x5.0	01477	232239
42	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(वि)निम्बाहेड़ा	गादोला	**2 x 3.15**		
43	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(ग्रा)निम्बाहेड़ा	मांगरोल	1x5.0+3.15	01477	242268
44	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(ग्रा)निम्बाहेड़ा	बाड़ी	**2 x 3.15**		
45	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(ग्रा)निम्बाहेड़ा	लसड़ावन	**1x 3.15+1x1.6**		
46	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(ग्रा)निम्बाहेड़ा	जावदा	1x5.0		
47	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(ग्रा)निम्बाहेड़ा	सतखण्डा	**1 x 3.15**		
48	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(ग्रा)निम्बाहेड़ा	अरनियाजोशी	**2 x 3.15**		
49	बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	(वि) बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	2x5.0	01473	264237
50	बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	(वि) बड़ीसादड़ी	बांसी	**1x 3.15+1x1.0**	01473	245225
51	बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	(वि) बड़ीसादड़ी	पींड भाणुजा	**1x 3.15+1x1.5**	01473	233712
52	बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	(वि) बड़ीसादड़ी	जरखाना	**1 x 3.15**	01473	233233
53	डूगला	डूगला	(वि) डूगला	डूंगला	1x1.61+1x5.0	01470	247322
54	डूगला	डूगला	(वि) डूगला	मंगलवाड़	1x1.61+1x5.0	01470	247322
55	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(ग्रा) निम्बाहेड़ा	शेभवली	**1 x 3.15**		
56	कपासन	कपासन	(वि)कपासन	बामनियाँ	**1 x 3.15**		
57	बेगूं	बेगूं	(वि) बेगूं	बिछोर	**1 x 3.15**		
58	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(वि) निम्बाहेड़ा	वैलकम चौराया	**1 x 5.0**		

59	कपासन	कपासन	(वि)कपासन	उमण्ड	**1 x 3.15**		
60	डूगला	डूगला	(वि)डूगला	देलवास	**1 x 3.15**		
61	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(ग्रा) चित्तौड़गढ़	नगरी	**1 x 3.15**		
62	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	(वि)निम्बाहेड़ा	रीको निम्बाहेड़ा	**1x5.0+1 x 3.15**		
63	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(ग्रा) चित्तौड़गढ़	पारसोली			
64	बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	(वि)बड़ीसादड़ी	खरदेवला	**1 x 3.15**		
65	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	(ग्रा) चित्तौड़गढ़	पाछली	**1 x 3.15**		
66	बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	बड़ीसादड़ी	बोहेड़ा	**1 x 3.15**		
67	बेगूँ	बेगूँ	बेगूँ	नन्दवई	**1 x 3.15**		
68	कपासन	कपासन	कपासन	जाशमा	**1 x 3.15**		
69	डूंगला	डूंगला	डूंगला	चिकारड़ा	**1 x 3.15**		
70	भदेसर	भदेसर	भदेसर	सोनियाना	**1 x 3.15**		
71	बेगूँ	बेगूँ	बेगूँ	सावरिया कला	**1 x 3.15**		
72	राशमी	राशमी	राशमी	भीमगढ	**1 x 3.15**		
73	भदेसर	भदेसर	भदेसर	निकुम्भ चौारहा	**1 x 3.15**		

परिशिष्ट –24

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भण्डारण

S.No.	Location	Type of food product	Storage capacity	Existing storage
1.	FCI Chittorgah	Wheat, Rice	24000 M.T.	24000 M.T.
2.	RSWC Chittorgarh	Mace, Mustard, Fertilzer	17250 M.T.	17250 M.T.
3.	थोक विक्रेता	Wheat & Fertilzer	2130 M.T.	

परिशिष्ट –25

स्वयं सेवी संस्थाओं की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम व पता	फोन नं.
	चित्तौड़गढ़	
1	कट्स संस्था, सैंती	241472
2	प्रयास संस्था उत्तरप्रदेश प्रतापनगर	243788
3	महावीर इन्टरनेशनल सैती, चित्तौड़गढ़	240554
4	रोटरी क्लब रेल्वे फाटक	247871
5	चित्तौड़गढ़ जूनियर चेम्बर पन्नाधाय कॉलोनी	242660
	निम्बाहेड़ा	
6	श्रीराम सेवा संस्थान	220817
7	बजमें सागर	221856
	बड़ीसादड़ी	
8	महावीर इन्टरनेशनल	264141
9	विकास संस्थान	
10	लोक भारती प्रतिष्ठान	
11	चिकित्सा शिविर व्यवस्था समिति	
	राशमी	
12	महावीर इन्टरनेशनल	226277
13	महावीर इन्टरनेशनल	245243
14	एकलिंग जी ट्रस्ट	243486
	कपासन	
15	महावीर इन्टरनेशनल शखा, आकोला	01476–283251
16	प्रयास सस्थान ग्राम करजाली	–

टैंट हाऊसों की सूची

क्र. सं.	तहसील	टेंट हाऊस का नाम	फोन नं.
1.	चित्तौड़गढ़	बादल टेंट हाऊस प्रतापनगर	240619
2.	चित्तौड़गढ़	कमल टेंट हाऊस	241700
3.	चित्तौड़गढ़	भारत टेंट हाऊस प्रतापनगर	240702
4.	चित्तौड़गढ़	बंसल टेंट हाऊस सेंती	241563
5.	चित्तौड़गढ़	न्याती टेंट हाऊस	241288
6.	चित्तौड़गढ़	भगवती टेंट हाऊस	248703
7.	चित्तौड़गढ़	संजय टेंट हाऊस धोसुण्डा	227078
8.	चित्तौड़गढ़	महावीर टेंट हाऊस घोसुण्डा	227024
9.	चित्तौड़गढ़	चिश्तिया टेंट हाऊस सावा	283482
10.	चित्तौड़गढ़	कृष्णा टेंट हाऊस बस्सी	225170
11.	गंगरार	शर्मा टेंट हाऊस	
12.	गंगरार	प्रेम टेंट हाऊस	
13.	गंगरार	किशना टेंट हाऊस	
14.	गंगरार	पूजा टेंट हाऊस	
15.	गंगरार	कमला टेंट हाऊस	
16.	गंगरार	बजरंग टेंट हाऊस	
17.	गंगरार	श्रीनाथ टेंट हाऊस	
18.	गंगरार	राधा किशन टेंट हाऊस सोनियाणा	220362
19.	गंगरार	शिव टेंट हाऊस पुठोली	244476
20.	गंगरार	रजनिश टेंट हाऊस पुठोली	244470
21.	गंगरार	पुरोहित टेंट हाऊस साडास	285334
22.	गंगरार	पायल टेंट हाऊस साडास	285232
23.	गंगरार	गणेश टेंट हाऊस साडास	285223
24.	गंगरार	मातेश्वरी टेंट हाऊस कुंवालिया	
25.	निम्बाहेड़ा	काबरा टेंट हाऊस	221200
26.	निम्बाहेड़ा	श्याम टेंट हाऊस	221428
27.	निम्बाहेड़ा	राजस्थान टेंट हाऊस	220177
28.	निम्बाहेड़ा	महावीर टेंट हाऊस कनेरा	241672
29.	निम्बाहेड़ा	भाटी टेंट हाऊस कनेरा	241669

30.	निम्बाहेड़ा	शर्मा टेंट हाऊस कनेरा	241621
31.	निम्बाहेड़ा	शिव भक्ति टेंट हाऊस बिनोता	
32.	बड़ीसादड़ी	नागोरी टेंट हाऊस	
33.	डूंगला	राजेश टेंट हाऊस	
34.	डूंगला	मंगलवाड़ टेंट हाऊस मंगलवाड	
35.	डूंगला	कोठारी टेंट हाऊस चिकारडा	
36.	बड़ीसादड़ी	खण्डेलवाल टेंट हाऊस	264143
37.	बड़ीसादड़ी	दलाल टेंट हाऊस	264198
38.	बड़ीसादड़ी	श्रीनाथ टेंट हाऊस	264413
39.	बड़ीसादड़ी	नवरंग टेंट हाऊस	264214
40.	बड़ीसादड़ी	महावीर टेंट हाऊस	264101
41.	बड़ीसादड़ी	पंकज टेंट हाऊस निकुम्भ	242658
42.	बड़ीसादड़ी	जैन टेंट हाऊस निकुम्भ	242692
43.	बड़ीसादड़ी	नाकोड़ा टेंट हाऊस निकुम्भ	242674
44.	बड़ीसादड़ी	श्रीजी टेंट हाऊस मोहेड़ा	
45.	बड़ीसादड़ी	हबीब टेंट हाऊस कोटड़ी	
46.	बड़ीसादड़ी	गोपाल टेंट हाऊस सालमगढ़	
47.	बड़ीसादड़ी	राजस्थान टेंट हाऊस दलोट	
48.	बड़ीसादड़ी	अंकल टेंट हाऊस दलोट	
49.	बड़ीसादड़ी	श्रीराम टेंट हाऊस बोरदिया	
50.	बड़ीसादड़ी	श्री देवड़ा टेंट हाऊस बड़ी साखधली	
51.	बड़ीसादड़ी	मन्सूरी टेंट हाऊस दलोट	
52.	रावतभाटा	महावीर टेंट हाऊस	
53.	बैंगू	चारभुजा टेंट हाऊस	
54.	बैंगू	चतुर्वेदी टेंट हाऊस	
55.	बैंगू	मनोज टेंट हाऊस	
56.	बैंगू	पण्डित टेंट हाऊस	
57	बैंगू	श्रीनाथ टेंट हाऊस पारसोली	

परिशिष्ट –27

Block-wise hazards vulnerability

Block/ Tehsil	Vulnerability					
	Flood	Drought	Road Accidents	Industrial Hazards	Conflicts	Any other

Chittorgarh	Dhanetkala		Chittorgarh	Saava	Chittorgarh	
	Mishro ki pipli		Chanderiya	Chanderiya	Senthi	
	Chittorgarh		Senthi		Saava	
	Ochari		Ochari		Bassi	
	Ordi		Jalampura			
	Khor		Shambhupura			
	Thikriya		Arniyapanth			
	Bassi		Devri			
			Bojunda			
			Semalpura			
			Gopalnagar			
			Bassi			
Kapasan	viroli		Singhpur	Kapasan		
	Unchnarkala		Nimabahera	singhpur		
	Aali		Kesarkhedi	Nimabahera		
	Soorpuri		Kankariya			
	Rambali		Kapasan			
	Karukada		Mungana			
	Hathiyana		Damakheda			
	Rampuriya		Budhhakheda			
	Undayala		Karukada			
	Kachiya Khedi					
	Taswariya					
	Singhpur					
	Jawanpura					
Rashmi	Devpura		Dindoli			
	Gegpura		Baru			
	Harnathpura		Rashmi			
	Rashmi		Upreda			
	Kiron ka kheda		Sankhali			
	Devpuri					
	Bassi					
	Sankhali					
	Heerakhedi					
Bhadesar	Kanthariya		Panchdevla	Khodip		
	Jetpurakhurd		Sukhwara			
	Delwas		Hoda			
	Jetpurakalan		Hajyakheri			
	Sagwadiya		Bhutiyakhurd			
	Hajurpura		Bansen			
	Hoda		Nardhari			
	Sarlai		Bagund			
	Hapakheri		Bhadsora			

	Biladi		Khokhariyakheri			
	Napawali		Napaniya			
	Chunakhera		Chenakheri			
	Gardana		Devalkheri			
	Maliya Kheri		Vani			
	Jeetawas		Minnana			
	Chapakheri		Maliyakheri			
	Potla Khurd		Gardana			
	Pipligujran		Napawali			
	Akola Khurd		Nahargarh			
	Potla kalan		Kannoj			
	Byawar		Bhadesar			
	Bhutiya Kalan		Aasawara Mata			
	Hajyakheri		Mandpiya			
	Lohana					
	Kunthna					
Rawatbhata	Lothiyana			Thamlav		
	Dhangar mau khurd			Khedli		
	Borav					
	Umarcha					
	Balecha					
	Jawada					
	Tolu ka lohariya					
	Parlia Khurd					
	Khadama					
	Gujron ki morwan					
	Kevdo ka lohariya					
	Dolpura					
	Hado ki morwan					
	Semliya					
	Laxmipura					
	Nimdi					
	Gopalpura					
	Bhawanipura					
	Sankhlo ka Dunda					
Nimbahera	Overflow of Gambhiri Dam					
	Overflow of Bari Dam					

	Overflow of Uncha Dam					
Bhupalsagaar	Joyda		Bhupalsagar	Chak Papdiya		
	Badwayi		Kankarwa			
	Kanwarura		Tana			
	Murla		Kanarkheda			
	Lalawas		Gujaro ki bhagal			
	Aakola		Aakola			
	Raipuriyakala		Patoliya			
	Gundali		Jashma			
	Hingwaniya		Usrol			
	Bhupalsagar		joyda			
	Tanda		Bool			
	Sanwata		Babrana			
	Chokadi					
Badisadri	Karoli	Borkheda	Munjawa			
	Pinodada	gundalpur	Boheda			
	Punawali	Radakheda	Laxmipura			
	Palakheri		Jaisinghpura			
	Jantayi		Kevalpura			
	Devari		Parsoli			
Begun	Begun	Shadi	Parsoli Railway Station Choraha			
	Khansa ka kheda	Thukarai	Bichor Choraha			
	Dhulkheda	Chandakheri	Rajgarh			
	Bamanheda	Bassi Fatehpur				
	Meghpura	Rayta				
	Dorai	Rayti				
	Madawada	Devri				
	Samariyakhurd	Parkhyakhedi				
		Menal				
Gangrar	Munga ka Kheda		Putholi	Putholi		
	Putholi		Aajoliya ka khera	Aajoliya ka khera		
	Khutiya		BhawaniPura			
	Saran		Medikheda			
	Dhatol		Dat			
			Gangrar			
			Jonjro ka kheda			
			Soniyana			